राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक :10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का बारहवां दिवस [संख्या : 10

शुक्रवार;

07 मार्च, 2003

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री धर्मपाल चौधरी।

अलवर में राशन विक्रेताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच

206. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत एक वर्ष में जिला अलवर में राशन विक्रेताओं एवं तेल डीलरों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उक्त में से कितनों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण संदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त जिले को कितने मिट्टी के तेल का कोटा मिला और उसको तहसीलों में किस हिसाब से वितरित किया गया?

(3) क्या केन्द्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को गेहूं बांटने के लिये दिया गया है? यदि हां, तो सरकार से कितना गेहूं मिला और कितने परिवारों को अलवर में गेहूं बांटा?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री जनार्दन गहलोत) : (1) जिले में माह जनवरी, 02 से जनवरी, 03 तक की अवधि में कुल 69 शिकायतें प्राप्त हुई।

इन पर निम्नप्रकार कार्यवाही हुई :

1.	प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये (जिसमें से 8 में एफ.आई.आर. दर्ज)	9
2.	प्रतिभूति राशि जब्त	7
3.	चेतावनी	1
4.	अनियमितता नहीं पाई गई	3
5.	प्रकरण विचाराधीन हैं और जिनमें आरोप पत्र नहीं दिये	26
6.	जांच विचाराधीन	23

इस प्रकार कुल 69 केस हैं।

(2) माह जनवरी, 02 से जनवरी, 03 तक की अवधि में जिले को केरोसीन तेल का कुल आबंटन 28,181 के.एल. का आबंटन हुआ जिसका वितरण तहसीलों में निम्नप्रकार से किया गया (मात्रा के.एल. में)

1.	अलवर शहर	1808
2.	अलवर ग्रामीण	2707
3.	थानागाजी	1716
4.	रामगढ़	2184

(श्री जनार्दन गहलोत)

5.	लक्ष्मणगढ़	2473
6.	राजगढ़	2640
7.	कठूमर	1884
8.	किशनगढ़बास	1668
9.	तिजारा	2184
10.	मुण्डावर	2040
11.	बहरोड	2352
12.	बानसूर	1776
13.	कोटकासिम	1080
	कुल	**26,512**

जिले में 5 लीटर प्रति राशन कार्ड के हिसाब से वितरण कराया जा रहा है। डी.बी.सं. कार्ड धारकों को केरोसीन तेल नहीं दिया जाता है तथा एस.बी.सी. कार्ड धारकों को 2 लीटर प्रति माह दिया जाता है।

(3) जी हां। उक्त अवधि में अलवर जिले के 292270 क्विंटल गेहूं बी.पी.एल. परिवारों के लिए तथा 56770 क्विंटल गेहूं अंत्योदय परिवारों के लिए आबंटित किया गया। इसमें से 184505.45 क्विंटल बी.पी.एल. गेहूं तथा 52070.38 क्विंटल अंत्योदय गेहूं का उठाव किया गया। इसका वितरण जिले में बी.पी.एल. चयनित परिवार 39335 तथा अंत्योदय चयनित परिवार 13223 में जनवरी, 02 से मार्च, 02 तक 25 किलो प्रति परिवार तथा अप्रैल, 02 से जनवरी, 03 तक 35 किलो प्रति परिवार कराया जा रहा है।

श्री धर्मपाल चौधरी : 39 नहीं 69 है यह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह सरकार रोज दुहाई देती है कि बी.पी.एल. परिवारों के लिए केन्द्र सरकार मदद नहीं कर रही है। आपको बी.पी.एल. परिवारों के लिए गेहूं का अलाटमेंट हुआ 292270 क्विंटल और आपने उठाया 1 लाख 84 हजार क्विंटल और 1 लाख 8 हज़ार क्विंटल तो आपने यहां पर छोड़ दिया। अंत्योदय वर्गों के लिए आपको मिला 56770, और आपने उठाया 52070, मेरा यह पांइटेड प्रश्न है कि क्या यह सही है कि अलवर जिले में 84 हजार बी.पी.एल. परिवार हैं और उनमें से आपने 69335 को ही क्यों दिया है?

दूसरा, केरोसीन तेल के मामले में आपने जिले में कितने पेट्रोल पम्पों में केरोसीन तेल की मिलावट के मामले पकड़े। केरोसीन के अलाटमेंट में हमारा जो मुण्डावर का इंसपेक्टर है, वह भी बिना पैसे लिये अलाटमेंट नहीं करता है। डी.एस.ओ. के यहां बिना पैसे लिंये अलाटमेंट नहीं होता। और यह मिट्टी तेल की मिलावट वाला जो प्रश्न मैंने पूछा है कि कितने पेट्रोल पम्पों पर आपने जांच करके मिलावट पकड़ी, बताने की कृपा करें।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मूल प्रश्न किया है वह यह है कि अलवर में राशन विक्रेताओं और डीलरों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, उक्त में से कितनों के विरुद्ध क्या–क्या कार्यवाही की गई, वह मैंने आपको बता दिया। अब आपका यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपका मूल प्रश्न जो है, शिकायत मेरे पास 69

(श्री जनार्दन गहलोत)

आयीं उसमें से मैंने कहा 8 में एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप गेहूं का बता दें...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : 9 में हमने उनका प्राधिकार पत्र कैंसिल कर दिया। 3 में बिलकुल असत्य पायी गयी और जो विचाराधीन है वह मैंने बता दिया और जिनमें कार्यवाही चल रही है वह बता दी। आपने ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ही नहीं किया। पेट्रोल पम्प का कहीं जिक्र नहीं है। आप प्रश्न ही अलग से कर रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपका डिपार्टमेंट नहीं है क्या यह? अब केरोसीन के मामले में पूछा...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आपने जो मूल प्रश्न किया उसका उत्तर मैंने दे दिया।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप बी.पी.एल. परिवार वालों का बता दें, इसमें बता दें।

श्री जनार्दन गहलोत : बी.पी.एल. परिवारों का जहां तक प्रश्न है, हमें 292270 क्विंटल आबंटित हुआ था उसमें से 184505 क्विंटल गेहूं का आबंटन हुआ है जो कुल 63.12 प्रतिशत है।

श्री धर्मपाल चौधरी : 1 लाख 8 हजार कहां गया, 63 प्रतिशत नहीं, टोटल परिवार कितने चयनित हैं यही पूछ कर बता दें। बी.पी.एल. परिवार कितने चयनित हैं अलवर जिले में, इनकी संख्या बता दें आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : बता दिया न।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप बीच में मत बोलें, आप मंत्री नहीं हो, आपको मैं फिर बोलूंगा, आपके मंत्री उत्तर दे दें, या फिर आप खड़े होकर दे दो।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका और बी.पी.एल. परिवारों का आपके प्रश्न में जिक्र है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए, बी.पी.एल. का जिक्र कैसे नहीं है?

श्री धर्मपाल चौधरी : चयनित परिवार हैं 84 हजार उसमें से 69 हजार को दिया गया। और दूसरा प्रश्न पढ़कर सुना देता हूं मैं आपको, क्या केन्द्र सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवारों को गेहूं बांटने के लिए दिया गया है? यदि हां, तो सरकार से कितना गेहूं मिला और कितने परिवारों को यह गेहूं बांटा गया। तो आपके पास परिवारों की संख्या तो होगी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका बतायें।

श्री धर्मपाल चौधरी : बी.पी.एल. परिवार कितने हैं यह बताये और आपने 1 लाख 8 हजार क्विंटल गेहूं नहीं उठाया, उन गरीब लोगों के लिए और जिन गरीब लोगों को वह गेहूं मिलना चाहिए था और केन्द्र सरकार ने वह गेहूं दिया वह क्यों नहीं दिया, इस बारे में बताये आप, यह तो सही है कि यह तो पूछा हुआ है।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह अलवर जिले के सम्बन्ध में किया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : अलवर जिले का ही पूछा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अलवर जिले का ही पूछा है।

श्री जनार्दन गहलोत : अलवर जिले में कुल बी.पी.एल. परिवारों को 292270 क्विंटल गेहूं सिर्फ अलवर जिले के लिए है, आप राजस्थान का प्रश्न कर रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, मैं राजस्थान का नहीं कर रहा। यह जो आपने प्रश्न में बताया है यह अलवर जिले का बताया है।

श्री जनार्दन गहलोत : जी हां।

श्री धर्मपाल चौधरी : अलवर जिले का जब आपने बताया है और बी.पी.एल. परिवार का पूछ रहे हैं और आपने इसमें लिखा है कि 69335 बी.पी.एल. परिवारों को हमने गेहूं बांटा तो मैं इसमें से पूछ रहा हूं कि अलवर जिले में कितने बी.पी.एल. परिवार हैं यह आपको पता होना चाहिए, आपने 69 हजार में बांटा है।

श्री जनार्दन गहलोत : आपको यह मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार जितने बी.पी.एल. परिवार होते हैं जिस जिले में उसके आधार पर ही गेहूं देती है। यह जो फिगर है वही बी.पी.एल. परिवार हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप संख्या बताओ। आप बी.पी.एल. परिवारों की संख्या बताये न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : आपसे पूछ रहे हैं कि बी.पी.एल. परिवार कितने हैं और भारत सरकार, भारत सरकार +++ आप, बी.पी.एल. परिवार कितने हैं और गेहूं क्यों नहीं उठाया है बी.पी.एल. का और ए.पी.एल. का यह बताये आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सीधा पांइटेड सवाल है मेरा कि अलवर जिले में कितने बी.पी.एल. परिवार हैं?

श्री जनार्दन गहलोत : अलवर जिले में 39664 परिवार हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने 69 हजार को तो देना ही लिखा है। आपने जो लिखा है 69335 को हमने गेहूं बांटा, अलवर जिले में, मैं आपको इंफोरमेशन देता हूं, मेरे हिसाब से 84 हजार परिवार बी.पी.एल. परिवार हैं। इनमें से 69 हजार को दिया है और आप 39 हजार पढ़ रहे हैं। 69 हजार आपके जवाब में है।

श्री जनार्दन गहलोत : आप बिलकुल असत्य बोल रहे हैं, टोटल अलवर जिले के बी.पी.एल. परिवार 69664 हैं आप 84 हजार जो बोल रहे हैं वह बिलकुल गलत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अभी 39 हजार बोल रहे थे, यह सदन है। सदन के अंदर कोई मंत्री जवाब दे तो समझ में तो आये। इनको पता ही नहीं है। एक मिनट पहले इन्होंने कहा है, अभी पहले उन्होंने कहा

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि अलवर जिले में बी.पी.एल. के 39 हजार परिवार हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, इनको तो सिर्फ यह लगा कि मंत्री बन जाएंगे तो तमगा लग जाएगा, लाल बत्ती मिल जाएगी, जवाब देना भी सीखिए, मंत्री महोदय, जवाब देना सीखिए। सिर्फ लाल बत्ती लेने से और कार में घूमने से नहीं बनेगे मंत्री।

श्री मदन दिलावर (अटरू) **:** बिना पढ़े मंत्री लोग सोकर उठ कर आ जाते हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, देखिए प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : भाग तीन के अंदर बी.पी.एल. परिवार 69335 हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : ये 39 हजार बोले हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये यहां पर 39 हजार बता रहे हैं, यह तो आप विद्वान हो इसलिए आपने पकड़ा। आपने पकड़ा पर ये कितने बता रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछो, ये कितने बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण का होमवर्क देखो।

श्री अध्यक्ष : 69335.

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में टोटल 84 हजार बी.पी.एल. परिवार हैं, इन्होंने जब गेहूं बांटा है, 69335 में बांटा है। मंत्रीजी को यह नहीं पता कि टोटल परिवार कितने है, 39 हजार को बांटने की कहते हैं। अब कहते है कि 69 हजार टोटल परिवार हैं, अलवर जिले में 84 हजार, मैं इंफोरमेशन देता हूं, मेरे हिसाब से है और 84 में से 69 हजार को बांटा है और 1 लाख 8 हजार क्विंटल गेहूं बचा, यह क्यों बचा? यह तो सीधा सवाल है कि इनको 2 लाख 92 हजार अलाटमेंट हुआ, उसमें 1 लाख 8 हजार क्यों नहीं उठाया, उन गरीबों के साथ अन्याय किया, उसके बारे में हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं अपने प्रश्न से अलग हट रहे हैं। जहां तक प्रश्न है बी.पी.एल. परिवारों का, वह जो 84 हजार आप बोल रहे हैं, बिलकुल असत्य है। 39464 हैं, जिसमें से बी.पी.एल. के जो राशन कार्ड जारी हुए हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज है। अध्यक्ष महोदय, हमें आपका प्राटेक्शन चाहिए। माननीय मंत्रीजी फिर कह रहे हैं कि बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 39 हजार है। उत्तर में श्रीमान् ने खुद ने देखा, 69 हजार की बात है, यह पढ़ कर आते नहीं। अध्यक्ष महोदय, अब आप इनको कहो तो सही, यह क्या जवाब दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : 69 हजार ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इनको कहिए, 39 हजार दुबारा बोले हैं, इन्होंने दुबारा कोट किया है कि संख्या कितनी है वहां पर।

श्री अध्यक्ष : 69 हजार है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने जवाब में दिया है 69 हजार समथिंग।

श्री जनार्दन गहलोत : 69664 है, उसमें से भी राशन कार्ड बने हुए हैं 39335, राशन कार्ड उसमें से इतने ही बने हुए हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : हमने यह पूछा कि 2 लाख 92 हजार क्विंटल गेहूं आपको मिला उसमें से आपने 184 उठाया किन्तु 1 लाख 8 हजार क्विंटल गेहूं कहां पर गया, क्यों नहीं उठाया, इसका जवाब मांग रहे हैं। गरीबों के साथ अन्याय नहीं है क्या यह?

श्री जनार्दन गहलोत : जहां तक उठाव का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि अलवर सही मायने में गेहूं का उत्पादन क्षेत्र है राजस्थान के अन्दर। गेहूं के उत्पादन में अलवर काफी महत्वपूर्ण है और राजस्थान में अग्रणी है।

श्री धर्मपाल चौधरी : बी.पी.एल. परिवार का पूछा है।

श्री जनार्दन गहलोत : आप सुनो तो सही। दूसरे, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का गेहूं भी खूब बंट रहा है और अकाल राहत के अन्दर जो बी.पी.एल. परिवारों को मिल रहा है, वही अकाल में मिल रहा है इसलिए लोगों का उठाव कम होगा अपने आप। जब आपको वहां कम मिल रहा है, लोग उठा ही नहीं रहे हैं...

श्री धर्मपाल चौधरी : यह दूसरा जवाब है।

श्री जनार्दन गहलोत : राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं में जो अलग से गेहूं मिल रहा है। इसलिए बी.पी.एल. को प्रायोरिटी है, वह अकाल में ले लेते हैं इसलिए वह बी.पी.एल. का नहीं उठाते। प्रश्न इस बात का है कि यह गेहूं हम इतना दे रहे हैं कि उठाने वाला नहीं है, यह कहो। आप लेने वालों को भेजिए। आपके पास में एक भी बी.पी.एल. का आदमी शिकायत लेकर आया हो, अगर आपके पास शिकायत हो तो आप मुझे पेश करिए कि गेहूं नहीं दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने जवाब में नहीं दिया है कि उठाने वाला नहीं है। एस.जी.आर.वाई. को अकाल राहत में, फेमिन को इससे मत जोड़िये बी.पी.एल. परिवारों को गेहूं दिया कि नहीं दिया, स्पेसिफिक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री आहूजा।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय आहूजा साहब, प्रश्न इस बात का है कि बी.पी.एल. कार्ड होल्डर कोई भी अलवर जिले का, उसकी शिकायत होगी कि राजस्थान सरकार नहीं दे रही है। प्रश्न इस बात का है कि इतना अनाज मिल रहा है, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिल रहा है, अकाल में मिल रहा है, उसमें भी प्राथमिकता बी.पी.एल. कार्ड होल्डर की है। उसको अनाज देने में, हालत यह है कि कई बार तो अनाज इतना मिल जाता है कि वह बेचने की कोशिश करता है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने गेहूं उठा रखा है क्या? आपके पास गेहूं है क्या? आपने 1 लाख 8 हजार क्विंटल उठाया नहीं, आपको पहले ही पता लग गया कि अकाल में गेहूं उठा रहे हैं। मतलब आगे की सोच, मतलब आपके खाद्य डिपार्टमेंट की हो गई। मैं तो आपसे अपने खुद के

(श्री धर्मपाल चौधरी)

डिपार्टमेंट की पूछ रहा हूं कि कितना गेहूं दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आपसे सीधा सवाल है। एक लाख आठ हजार क्विंटल गेहूं उठाया हुआ है क्या आपका? आप तो 2 लाख 92 हजार उठाते हैं और उठाकर वहां भेजते हैं, अगर फिर नहीं कोई उठाता, आपने अगर उठाया हो तो कितना गेहूं आपके पास पेंडिंग पड़ा है। जिसकी वजह से कोई आपके पास खरीददारी करने नहीं आया। आप यह बता दीजिए।

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्य खुद भी बताएं कि किन तहसीलों में, किन गांवों में कितने बी.पी.एल. को अनाज नहीं मिल रहा है। जरा उसका भी बताएं, इन्तजाम करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार आप चला रहे हो। सरकार आप चला रहे हो और बताएं हम?

श्री धर्मपाल चौधरी : आप सरकार में हो। आपको उप मुख्य मंत्री इसीलिए बनाया है अब आप हमसे यह पूछें? फिर आपकी सरकार को क्या पता है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, नई परिपाटी, नई परम्परा प्रारम्भ कर रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : सरकार को पता नहीं है। उप मुख्य मंत्री को हम बताएंगे कि राजस्थान में क्या हो रहा है। फिर उप मुख्य मंत्री क्यों बनी हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान की विधान सभा में आज नई परिपाटी प्रारम्भ कर रहे हैं। उप मुख्य मंत्रीजी हमसे पूछ रही हैं कि हम इनको बताएं कि किस जिले में कितने-कितने बी.पी.एल. परिवार हैं जो वंचित हैं, ये सरकार लिए बैठे हैं?

डा. (श्रीमती) कमला : वह तो विवरण आपको माननीय मंत्री महोदय ने दे दिया। साथ-साथ कह दिया कि किसी का बताएं कि इस गांव में बी.पी.एल. को अनाज नहीं मिल रहा है तो इसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या हो रहा है?

श्री धर्मपाल चौधरी : आप यह बताओ, मैं यह पूछ रहा हूं। मेरा सीधा प्रश्न यह था कि 2 लाख 92 हजार क्विंटल गेहूं आपको अलाट हुआ और आपने उठाया है 1 लाख 84 हजार, बांटने के बाद नहीं आया कोई। अंत्योदय में उठाया आपने 58 हजार उसमें से उठाया, तो बाकी 4 हजार बाकी रह गया तो बांटने के लिए कह रहे हो तो आपने लिया क्या? अगर आपके पास कोई चीज रखी है, उसका कोई खरीददार नहीं मिला तो बात अलग थी। आप तो उप मुख्य मंत्री अपनी काबिलीयत से बनी हैं लेकिन आप बीच में खड़ी होकर हमसे मत पूछिए, अपनी सरकार के बारे में स्वयं ही बताएं।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बार-बार जो चिंता व्यक्त की है अलवर जिले के बारे में। उठे तो तब जब कोई लेने वाला हो! आप एक बी.पी.एल. कार्ड होल्डर बता दे कि वह लेने को तैयार है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके पास गेहूं आया कितना?

श्री जनार्दन गहलोत : आप मेरी बात सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आप सुनिए, प्रश्न इस बात का है कि यहां तो इस विधान सभा में...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको तो बांटना था, बी.पी.एल. परिवारों को, ए.पी.एल. परिवारों को, वह उठाने आए नहीं, यह कैसे कहा कि उठाने नहीं आए। मैं मेरी बता रहा हूं कि मेरी पंचायत समिति में लोग लेने आए, उनको बी.पी.एल. का नहीं मिला। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी विधान सभा में पूछ रही हैं तो ऐसे मैं आपको परिवार बताता हूं। 97 परिवारों ने मुझे शिकायत की है कि वह गेहूं लेने के लिए बी.पी.एल. परिवारों के लोग गए लेकिन गेहूं नहीं मिला और कह रहे हैं कि वह उठाने नहीं आए। इस जवाब में कहां हैं कि उठाने नहीं आए।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि 97 लोगों को नहीं मिला तो उसकी शिकायत हमको भेज दें, हम उनको जांच कर बी.पी.एल. का बंटवा देंगे। और भी जिलों में राजस्थान के अन्दर, राजस्थान सरकार ने, मुख्य मंत्रीजी ने फैसला किया है कि कोई लेने वाला तो आए।

डा. (श्रीमती) कमला : मैं अलवर जिले की इन्चार्ज हूं इसलिए आपको कहा है। ऐसी कोई दिक्कत कहीं नजर आ रही हो, शिकायत हो तो आप बता दो, यह कह रहे हैं हम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप हमें डांटते हैं, वे बोल रहे हैं, दो–दो जने बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वह बताएंगे, आप हमें डांट रहे हो।

श्री रोहिताश्व शर्मा (बानसूर) : सरकार की तैयारी बिलकुल नहीं है और सरकार उलटे सुलटे आंकड़ों के माध्यम से सदन को गुमराह कर रही है, सरकार की तैयारी नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछले लम्बे समय से यह बात चर्चा में रही है, राजस्थान असेम्बली में भी और लोक सभा के अंदर भी, राज्य सभा के अंदर भी बराबर यह बात कही जाती है कि हमें गेहूं की दरकार है। और केन्द्र सरकार के मंत्री भी यह कहते हैं कि लिफ्ट नहीं करते, राज्य सरकारों में राजस्थान का नाम लिया।

अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उठा था। यह कहा गया था कि लिफ्ट नहीं किया गया तो गेहूं क्यों मांग रही है सरकार राजस्थान की। यह बात भी हमारे सामने आई थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फटकार भी लगाई थी।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि राजस्थान पूरे देश के अंदर ए.पी.एल. को छोड़कर, ए.पी.एल. में चूंकि रेट बाजार की और पी.डी.एस. की, करीब–करीब बराबर होती है, दूसरे जो क्वालिटि है वह बाजार के अंदर अच्छी क्वालिटि मिलती है। ए.पी.एल. में राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश ने उठाया 5

(श्री अशोक गहलोत)

प्रतिशत, यू.पी. ने उठाया है .02 प्रतिशत, हरियाणा ने उठाया 2 प्रतिशत...

श्री धर्मपाल चौधरी : बी.पी.एल. की बात हो रही है, साहब।

श्री अशोक गहलोत : यह हालात बने हुए हैं कि कई राज्य उसको नहीं उठा रहे हैं, कई राज्य उठा नहीं रहे हैं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान ने 5-5 प्रतिशत के अलावा, मैंने कहा .02 प्रतिशत यू.पी. और 2 प्रतिशत हरियाणा के अंदर उठाया है। उसके अलावा जो भी ट्रैक रिकार्ड राजस्थान का है, हाइएस्ट लिफ्टिंग कहीं हो रही है देश के अंदर तो राजस्थान में हो रही है। यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : तालियां बजा दें सब।

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब करीब 7 योजनाएं हैं। ए.पी.एल., बी.पी.एल., अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, इसके अलावा इसके मिड डे मील स्कीम और एस.जी.आर.वाई...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह मालूम है, साहब।

श्री अशोक गहलोत : आपको सब मालूम है, मैं तो बता रहा हूं। एस.जी.आर.वाई., स्पेशल स्कीम...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह तो आपने अपने राज्यपाल के अभिभाषण में बता दी।

श्री अशोक गहलोत : एस.जी.आर. वाई.स्कीम में भी माननीय मंत्रीजी ने कहा आपको, गेहूं उसके अंदर भी पहुंचा है गांवों के अंदर। और एस.जी.आर.वाई. स्पेशल स्कीम, जो फूड फॉर वर्क के रूप में है, इन तमाम योजनाओं में हण्ड्रेड परसेंट उठा रहे हैं राजस्थान के अंदर। कोई तरह की शिकायत नहीं है। क्योंकि अकाल और सूखा पड़ा हुआ है इसलिए कोई सरकार ऐसी नहीं होगी कि ऐसे वक्त में गेहूं लिफ्ट नहीं करें। और यह बात बिलकुल ठीक कही गई, कई जगहों पर ए.पी.एल. के गेहूं हैं, कई जगहों पर एस.जी.आर.वाई. स्पेशल स्कीम में गेहूं मिल रहा है इसलिए अकाल के अंदर लिफ्ट करना उस पर निर्भर करता है कि कितना उठाव हो रहा है।

एक भी शिकायत आई हो कि कोई गेहूं लेने जा रहा हो राजस्थान में राशन की दुकान पर और गेहूं नहीं तो आप बता दीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, यहां सवाल केवल बी.पी.एल. परिवारों को जो गेहूं आपको आबंटित हुआ, उसको उठाने का है। बाकी बातें तो आप अभी छोड़ दीजिए। अलवर जिले में बी.पी.एल. परिवारों को जितना गेहूं आपने केन्द्र से आबंटित कराया, उसमें एक लाख 4 हजार क्विंटल गेहूं नहीं उठा। यह आपको कैसे पता लगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है? क्योंकि उठाने का काम तो पहले होता है, बांटने का काम उसके बाद होता है। तो यह गेहूं क्यों नहीं उठा?

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विरोधी दल के नेताओं को निवेदन करना

(श्री जनार्दन गहलोत)

चाहता हूं कि थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। केन्द्र सरकार द्वारा जो गेहूं आबंटित होता है वह राजस्थान सरकार को होता है, जिले वाइज कोई अलाटमेंट नहीं है। आपको यही जानकारी अभी तक नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : जिलेवाइज तो आपने बताया है। यह आप क्यों लिख रहे हो?

श्री जनार्दन गहलोत : कोई जिले वाइज आबंटन नहीं होता है, राजस्थान के लिए आबंटित होता है। जहां-जहां आवश्यकता होती है फूड डिपार्टमेंट से उसको ट्रांसपोर्ट करके भिजवाते हैं, एफ.सी.आई. से उठाते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, हमने आपके उत्तर से ही बात निकाली, हमने अपने मन से नहीं बनाया। आपने लिखा है "जी हां, उक्त अवधि में अलवर जिले के 292270 क्विंटल गेहूं बी.पी.एल. परिवारों के लिए तथा 56771 क्विंटल गेहूं अंत्योदय परिवारों के लिए आबंटित किया गया।" यह कहां से लिखा आपने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्यों लिखा जिलेवार आबंटन? नहीं है तो क्यों लिखा?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या आपका ज्ञान इतना था ? आपका ज्ञान राजस्थान का था तो यहां आपने इस उत्तर में क्यों लिखा ? यह आपने किस कारण से लिखा?

श्री जनार्दन गहलोत : वह राज्य के हिस्से के अंदर से हमने आबंटित किया है। अब उसमें से जो उठाएगा, जितना उठाया होगा, जितनी वहां आवश्यकता होगी उतना हम देंगे, लेकिन माननीय नेता महोदय ने जिस ढंग से अभी जिक्र किया है वो ए.पी.एल. की बात कही... (व्यवधान) सुनिए। राठौड़ साहब, यहां सुनने की कोशिश भी कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सवाल ही नहीं है। सवाल को डाइवर्ट कर रहे हैं। ए.पी.एल. की तो बात ही नहीं है। न कोई सवाल है, न कोई बात, इस सवाल को और डाइवर्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो सवाल ही नहीं है, जो सदन में सवाल ही नहीं है..

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आर्डर, आर्डर बैठिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : अकाल के समय में गेहूं मिल ही नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष : बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप हमें संरक्षण दे, जो सवाल है ही नहीं, मुख्य मंत्रीजी ने भाषण झाड़ दिया और अब ये कह रहे हैं...

श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) **:** इसको पोस्टपोन कीजिए। सारी बारहखड़ी पढ़ दी गयी।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि...

श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या निवेदन करोगे, गेहूं... (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अभी नेता महोदय ने जिस बात का जिक्र किया... (व्यवधान) आप सुन लीजिए, जो बात कर रहे हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप क्या सुनाओगे?

श्री जनार्दन गहलोत : बी.पी.एल. परिवारों के अंदर भी हिन्दुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के अंदर बी.पी.एल. कार्ड होल्डरों के गेहूं का उठाव..(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : राजस्थान के सवाल को उत्तर प्रदेश ले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : उत्तर प्रदेश का 27 प्रतिशत है और राजस्थान में 77 प्रतिशत है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप भूखे मारोगे क्या?

श्री जनार्दन गहलोत : आपकी 10 सरकारें हैं वे हमसे नीचे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : हम राजस्थान का सवाल पूछ रहे है, ये यू.पी. का बता रहे हैं।

श्री रोहिताश्व कुमार : गरीब बरबाद हो रहा है। सरकार की तैयारी नहीं है। कतई तैयारी नहीं है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, गरीबों को गेहूं नहीं बांटा जा रहा है।

श्री रोहिताश्व कुमार : सही जवाब देने को तैयार नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपसे ही प्रार्थना करता हूं इस प्रश्न का जो जवाब माननीय मंत्री महोदय ने अपनी जैसी भी तैयारी थी उससे दिया। क्या आप संतुष्ट हैं कि हमने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब आ गया? आप ही बता दो। जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं बी.पी.एल. परिवार का। आपने ही लिखा कि हमने अलवर जिले को इतना आबंटन किया। हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा। अब वो आबंटन किया तो उसमें 1 लाख 4 हजार क्विंटल गेहूं जो अलवर जिले को आबंटन किया वो अलवर जिले का आबंटन का क्या हुआ, बस यह पूछना चाहते हैं। जो बांटा उसमें से बचा उसका क्या हुआ, यह बताएं।

श्री जनार्दन गहलोत : लोगों ने नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में बी.पी.एल. का कुल आबंटन 292270 क्विंटल था। उसमें से कुल उठाव 184505.45 क्विंटल है। जो लोग लेने आये उनको दे दिया गया। उसके अलावा और लेने आएंगे और दे देंगे। आपको कोई शिकायत हो तो और बता दीजिए। राजस्थान में 77 परसेंट है। आपके राज्यों में हालत बहुत बुरी है। वहां तो सवाल ही नहीं है। गुजरात में 47 परसेंट है, झारखंड में 40 है, उत्तर प्रदेश में 27 प्रतिशत है। राजस्थान 77 प्रतिशत उठा रहा है।

श्री धर्मपाल चौधरी : उत्तर प्रदेश में लोग भूखे मरेंगे, आप मारोगे क्या? (व्यवधान) बात अलवर जिले की हो रही है, आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय मंत्री महोदय, मायावती के चेले मत बनो। आप मायावती के चेले मत बनो, आप राजस्थान सरकार के मंत्री बनो। आप अलवर जिले की बात कर रहे हैं, यू.पी. और बंगाल पर ले जा रहे हो, बिहार पर ले जा रहे हो। आप अलवर जिले से सारा केस डाइवर्ट कर रहे हो। मायावती के चेले मत बनो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उत्तर प्रदेश में तो 20 प्रतिशत ही नहीं बंटा है, पर आपने क्या किया है?

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण जरूरी है। इन्होंने अलवर जिले का जवाब दिया। गेहूं इनके पास आया हुआ है और ये कहते हैं आप शिकायत बताओ। सरकार का क्या काम है? सरकार की जिम्मेदारी है, दो–दो मंत्री और बैठें हैं। इन तीनों से जवाब दिला दो। बाद में +++ उस यू.पी. में यह हो गया, आप राजस्थान की बात करिए। आप कहते है हम ग़रीबों के रखवाले हैं, हम गरीबों की रक्षा करने वाले हैं। गरीब भूखा मर रहा है। बी.पी.एल. परिवारों का एक लाख 8 हजार क्विंटल इन्होंने बांटा नहीं और उसका जवाब उल्टा–सीधा देने में लग रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक मंत्री को जवाब के लिए दो–दो मंत्री समझाने जा रहे हैं। यहां तो यह हालत है, मुख्य मंत्रीजी, आपके मंत्रिमण्डल की।

श्री धर्मपाल चौधरी : पाइंटेड सवाल है एक लाख आठ हजार... (व्यवधान) तैयारी करके आते नहीं हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : तैयारी कुछ है नहीं।

श्री धर्मपाल चौधरी : अब जैसा अफसर पकड़ा देते हैं वैसा बोल देते हैं। (व्यवधान) आपके मंत्री जवाब नहीं दे पायें सरकारी विधायक जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने जवाब दिया ना।

श्री धर्मपाल चौधरी : जवाब क्या दिया है, आप पढ़ो, साहब।

श्री अध्यक्ष : 292270 क्विंटल था उसमें से बी.पी.एल. परिवार का 184505 क्विंटल उठाया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : एक लाख आठ हजार कहां गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बाकी कहां गया?

श्री धर्मपाल चौधरी : बाकी कहां गया। हम यह पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : बाकी एफ.सी.आई. के गोदामों में है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बाकी एफ.सी.आई. के गोदामों में है। (व्यवधान) कोई लेने वाला आएगा तो उठाएंगे। (व्यवधान) यह तो डिमाण्ड और सप्लाई का मामला है। जो भी आबंटित हमें किया अलवर की एफ.सी.आई. के अंदर गोदाम में पड़ा है और कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। कोई लेने वाला जाएगा दे देंगे।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह तो केन्द्र सरकार से गेहूं लेने के बाद जो आपके पास आया... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अब यह कहना चाह रहे हैं बी.पी.एल. परिवार के गेहूं की आवश्यकता नहीं है। यह कहना चाह रहे हो क्या आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कह दो फिर आप। यह कह दो ना आप।

श्री सांवर लाल : जो भारत सरकार ने दिया वो आप उठाकर..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की कलई खुल गई है।

श्री सांवर लाल : गरीब परिवारों के लिए है उसको नहीं बांट सकते ये। 30 लाख टन अकाल राहत के लिए आया उसे उठा नहीं सकते आप। क्या करने के लिए आप राज कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। हर बार ये कह देते हैं उठाव नहीं है। कोई ज्यादा दे दिया सरकार ने आपको ?

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं बी.पी.एल. के लोग अनाज लेने वाले नहीं है, क्या देना। प्रश्न इस बात का है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अलग-अलग योजनाओं से इतना अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, ग्रामीण सम्पूर्ण रोजगार योजना के माध्यम से, अकाल के माध्यम से... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : भारत सरकार ने जो उपलब्ध कराया है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भारत सरकार पूरा गेहूं दे रही है आपको।

श्री जनार्दन गहलोत : अकाल में भी बी.पी.एल. वालों को प्राथमिकता दी जाती है।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : गरीबों का गेहूं बांटने में सरकार असमर्थ है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : 4 रुपये 60 पैसे के हिसाब से वह वितरण किया जाता है और बी.पी.एल. परिवारों को जो गेहूं आबंटित किया जाता है वह नहीं देना यह अभिप्राय साबित करता है कि गरीबों के प्रति इनकी कोई हमदर्दी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल में राजस्थान सरकार ने गरीबों के लिए जो किया है, उधर माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं बिलकुल गलत बोल रहे हैं। आपकी एक भी शिकायत हो, कोई बी.पी.एल. कार्ड होल्डर राजस्थान में कहे कि हमको गेहूं नहीं मिला... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने गरीबों के साथ धोखा किया।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। सांवर लालजी, बैठिए। जीतमल जी खांट, बैठिए।

श्री जनार्दन गहलोत : आपके पास कोई शिकायत है नहीं और आप इश्यू बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सांवर लाल जी, बैठिए।

श्री सांवर लाल : जो योजना भारत सरकार चलाती है उसको पूरा करने की मंशा सरकार की नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवर लाल शर्मा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया। यह सवाल राजस्थान के जन-जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। इस सवाल का हमें जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें उत्तर चाहिए, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री धर्मपाल चौधरी : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री जीतमल खांट : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। श्री भंवरलाल शर्मा। बैठिए, बैठिए।

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री रोहिताश्व कुमार : × × ×

श्री ज्ञानदेव आहूजा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। आहूजा जी जो कछ भी कह रहे हैं वह अंकित न हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। आसन की अवज्ञा न करें। मैं आपको चेतावनी देता हूं आप आसन की अवहेलना कर रहे हैं। आप बैठिए।

श्री रोहिताश्व कुमार : × × ×

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, बैठिये, मैंने अनुमति नहीं दी है आपको।

श्री जीतमल खांट : × × ×

श्री रोहिताश्व कुमार : × × ×

श्री अध्यक्ष : बैठिए, श्री भंवरलाल जी शर्मा।

श्री जीतमल खांट : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री जीतमल खांट : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल खांट, बैठिये। श्री भंवरलाल शर्मा... (व्यवधान)

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रोत्साहन हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

207. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या परिवार कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दी जाती है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी राशि उक्त मद में प्राप्त हुई है? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त राशि में से अब तक कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवार कल्याण (श्री हेमाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, (1) हां, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दी जाती

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हेमाराम चौधरी)

है। गत तीन वर्षों में उक्त मद में निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई है :–

वर्ष	सी.एस.एस. के अन्तर्गत प्राप्त राशि
1999–2000	17545.57 लाख
2000–2001	18545.60 लाख
2001–2002	16580.01 लाख

(2) उक्त प्राप्त राशि में से व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	सी.एस.एस. के अन्तर्गत व्यय राशि
1999–2000	14524.43 लाख
2000–2001	14068.69 लाख
2001–2002	20507.39 लाख

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इसके पहले जो प्रश्न था उसमें भी यही बात थी कि जो केन्द्र सरकार मदद देती है उसका पूरा लाभ आप नहीं उठाते हैं। यह बराबर चलता आ रहा है और रोज आप कहते हैं हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। आपके इस प्रश्न से यह स्पष्ट हो गया कि आपको 1999–2000 में 175 करोड़ 45 लाख रुपये मिले और आपने 145 करोड़ 24 लाख खर्च किया।

श्री रामसिंह विश्नोई : अभी दो महीने बाकी हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, यह बात है। यह मैं 1999–2000 की बात कह रहा हूं, रामसिंह जी, अब दो महीने बाकी हैं क्या इसमें? यह जो खर्चा और इनकम है, यह 1999–2000 का है, साहब, यह पैसा तो बाकी है, गया कहां, यह नहीं बताएंगे? इस तरह से आपने 3 हजार 19 लाख रुपया बचाया। आपने यह तो बचाया 1999–2000 में, फिर 2000–2001 में आपको मिला 185 करोड़ 45 और खर्च किया आपने 140 लाख करोड़ 68 लाख, इसमें भी यह बच गया आपका पैसा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पैसा क्यों बचा, आपकी योजनाएं क्यों विफल रहीं? (व्यवधान) ठहरिये, क्या हो गया? सवाल पूरा करने दो। नहीं, फिर बार-बार में खड़ा होना पड़ेगा आपको।

श्री हेमाराम चौधरी : इसका जवाब दे दूं आपको पहले।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, सब ही दे देना आप तो।

श्री हेमाराम चौधरी : जैसी आपकी इच्छा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : और यह जो पैसा बचा इसका क्या उपयोग किया आपने? कहां उपयोग में लिया इसको या अभी पड़ा हुआ है कहीं? और दूसरा यह बताइये कि कौन-से कार्यक्रम जब आप लेते हो जिनमें खर्चा करते हो, परिवार नियोजन के लिए कौन-सा कार्यक्रम आप लेते हैं जिनमें खर्चा करते हैं। एक तो यह बता दीजिए और जो शेष

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पैसा बचा उसका क्या उपयोग किया आपने? दो वर्षों में जो बचा उसका क्या उपयोग किया? यह बता दीजिए और आपकी राशि कितनी लगाई? आपको केन्द्र से मिला है एक बात है, राज्य सरकार ने इसमें कितना पैसा जोड़ा, वह भी बता दीजिए आप और इन सबका परिणाम क्या हुआ? केन्द्र का पैसा भी आ गया, आपने भी लगाया होगा तो परिणाम क्या हुआ इसका?

श्री हेमाराम चौधरी : इतना तो बता दूं, और क्या है? आपको भी पता रहेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अच्छा, ऐसा है क्या।

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न पूछ रहे हैं, वह सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं उसके बाद जवाब तो आपको देना ही है। इनसे पूछ कर क्या जवाब दोगे?

श्री हेमाराम चौधरी : पूछ लिया न।

श्री अध्यक्ष : जब वह आपको अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको उत्तर देना है।

श्री हेमाराम चौधरी : पूछ लिया, मैं इनका जवाब दे दूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, अभी पूरा नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आपने पूछ लिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सवाल और है। क्या यह जो परिवार नियोजन आप करते हो, यह समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू करते हैं? यह बता दीजिए। और यह जो आपने व्यवस्था की है इसमें पुरुष ज्यादा है या महिलाओं पर ज्यादा असर है, ज्यादा प्रयोग किया है। यह भी बताइये। नसबंदी के बाद भी संतान हो गई, ऐसी आपको कितनी शिकायतें मिलीं और उसमें आपने क्या किया, और इस सारे प्रोग्राम से प्रजनन दर में क्या कमी रही, यह बता दीजिए, बाकी फिर कर लेंगे और कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं यह जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने बताया कि 1999-2000 में 175 करोड़ 45 लाख 57 हजार रुपये मिले और व्यय 145 करोड़ 24 लाख 43 हजार का हुआ तो बाकी पैसा कहां गया, उपयोग क्यों नहीं हुआ, उस पैसे का क्या हुआ। मंत्री महोदय, भारत सरकार से...

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं मंत्री महोदय नहीं हूं अभी। (व्यवधान) अभी मंत्री नहीं हैं हम।

श्री सांवर लाल : यह इनकी अन्तरात्मा बोल गई, अध्यक्ष महोदय, ये जाने वाले हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये मंत्री रहे हुए हैं इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : अब तो मन में राजी हो जाओ।

श्री हेमाराम चौधरी : सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के तहत जो राशि मिलती है और जो बजट में तय होती है उसके बराबर नहीं मिलती है उससे कम मिलती है। और

(श्री हेमाराम चौधरी)

वास्तव में जो व्यय बजट सीमा के अन्तर्गत हम कर देते हैं और उसका भुगतान उस वर्ष में नहीं होता है और उसका भुगतान फिर अगले वर्ष में होता है, तो पिछले साल में बजट सीमा के अन्तर्गत हमने खर्चा तो कर दिया और उसका भुगतान इस वर्ष में हुआ। इसलिए जो अन्तर है वह एरियर राशि का अन्तर है। पिछले साल जो खर्चा हो गया जिसका भुगतान इस साल किया, बाकी खर्चा यह जो राशि है लैप्स कहीं नहीं हुई है, एरियर का मामला है। यह जो अन्तर है पिछले वर्ष से इकट्ठा हो गया। इस 31 मार्च तक बजट सीमा के अन्तर्गत हम खर्च तो कर देते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिलकुल ठीक है, आप एक सैकण्ड मेरी बात सुन लीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी : और उसका पैसा हमको नहीं मिलता है, केन्द्र सरकार से कम मिलता है। है नहीं तो अगले साल में एरियर के रूप में मिल जाता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** नहीं, नहीं, मंत्री महोदय, आपने यह कहा है कि 1999-2000 में आपको कितना रुपया मिला, जो 175 करोड़ मिल गया, यह तो आपने कहा है मिल गया, उसमें से खर्चा कम किया आपने। एरियर का सवाल नहीं है और उसी तरह से दो साल की आगे भी यही है कि रुपया प्राप्त हुआ है वह राशि पूरी दी है अपने जवाब में। अब यह खर्चा ही नहीं हुआ। इसका जवाब दीजिए। यह रुपया वह नहीं है जो बाद में मिला है आपको, as per your statement in the House and in this written answer, both. यह बताइये आप तो।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, मैं आपको बता रहा हूं न, जो एरियर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एरियर का सवाल ही कहां है?

श्री हेमाराम चौधरी : पिछले साल में 1998-99 में जो खर्चा हुआ और भारत सरकार से तिमाही मिलता है। तिमाही जो पैसा मिलता है, जितना बजट प्रावधान है उससे कम मिला।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** माननीय मंत्री महोदय, मिसलीड मत करिये, मैं 1999-2000 का पूछ रहा हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : आप 1999-2000 का पूछ रहे हैं, 1998-99 में जो खर्चा हो गया जिसका भुगतान 1998-99 में हुआ वह केन्द्र से नकद भुगतान नहीं मिलने की वजह से जो खर्चा बाकी था वह इस साल 99.....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** मंत्री महोदय, आपका उत्तर है, गत तीन वर्षों में..

श्री हेमाराम चौधरी : तीन वर्षों का अलग-अलग दिया था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** एक सैकण्ड, उक्त मद में निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई है, वर्ष 1999 और 2000 में 175 करोड़, यह प्राप्त हुई राशि है और मैं 1999 की पूछ रहा हूं आपसे। उसके बाद दूसरा जो साल आया उसमें 185 करोड़ मिल गये आपको। यह जो प्राप्त हुई राशि है, एरियर मिला था या नहीं था, यह तो बाद

(श्री भंवरलाल शर्मा)

में आपका यह जो बयान दिया है उससे बिलकुल विपरीत बोल रहे हैं। तो या तो करेक्ट करिये इसको या अपने आपको करेक्ट करके बताइये, यह एरियर का सवाल है, आप बता रहे हो, 2001 और 2002 की बात कर रहे हो।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं आपको कह रहा हूं 145 करोड़ 24 लाख रुपये जो खर्चा हुआ, यह 1999–2000 का है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, ठीक है, और मिला कितना आपको ?

श्री हेमाराम चौधरी : बाकी जो पैसा है, 175 करोड़ और 145 करोड़ का जो अन्तर है। यह खर्चा 1999–2000 में नहीं हुआ है, यह खर्चा पिछले साल का है और पैसा इस साल मिला हमको। इसलिए राशि तो प्राप्त इस साल हुई तो इसमें दिखायेंगे कि हमको पिछले वर्ष की राशि इस साल प्राप्त हुई। कुल इस साल में कितनी राशि प्राप्त हुई, इस साल की और पिछले साल का एरियर मिला करके 175 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। पिछले साल का खर्चा हम इस साल के खर्चे में क्यों बतायेंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 2000–01 में क्या हुआ ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी, मेरी सलाह है कि आप मंत्रीगणों की क्लास लो। आप सदन में बहुत कम बिराजते हो। आप अपने मंत्रियों की क्लास लो।

श्री हेमाराम चौधरी : राठौड़ साहब, आप अपनी लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कम से कम ये विधान सभा में तैयारी से तो आयें। आपने देखा कि किस तरह से विकेट गिर रहे हैं। पहले वाले मंत्रीजी को देखा और अब वाले को देख रहे हो। ये खुद ही उत्तर दे रहे है और खुद ही उसे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एरियर का सवाल ही नहीं है। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि...

श्री हेमाराम चौधरी : सवाल कैसे नहीं है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक तो आप हाउस में ज्यादा से ज्यादा बिराजें ताकि आपके मंत्रियों...(व्यवधान) और एक आप इनकी क्लास लो।

श्री हेमाराम चौधरी : क्लास किसकी? मैं आपको कह रहा हूं कि पिछले साल का खर्चा इस साल में तो बता नहीं सकते। खर्चा पिछले साल का है, पैसा इस साल मिला है इसलिए इस साल में प्राप्ति तो बतायेंगे। इस साल का आपने पूछा कि कितना पैसा प्राप्त हुआ तो पिछला एरियर का पैसा इस साल प्राप्त वह आपको इसमें नहीं बतायेंगे क्या? बतायेंगे तो पैसा बढ़ेगा। इस साल के खर्चे से पैसा इस साल ज्यादा प्राप्त हुआ है क्योंकि पिछले साल का एरियर भी प्राप्त हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके वश की बात नहीं है, छोड़ो। वित्त मंत्रीजी, आप दे दो, इनके वश की बात नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर आपके पास भी आया होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : आप अननैसेसरी कन्फ्यूज करने की कोशिश कर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रहे हैं। आपने सवाल पूछा 1999 में कितना मिला। 1999 में पहले का जो ड्यू था वह पैसा नैस्क्ट ईयर में रिलीज हो करके आया तो उस साल के अकाउंट में वह बोलेगा या नहीं बोलेगा? सिम्पल अकाउंटिंग सिस्टम है। आप इसको कन्फ्यूज करके... (व्यवधान) पैसा आता है, क्या बात कर रहे हो आप? आप दूसरी बात कर रहे हो।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं बताता तो आप कहते कि नहीं बताया। पिछले साल का एरियर का इस साल मिला वह तो बताना ही पड़ेगा। नहीं बताता तो आप कहते पैसा नहीं मिला। इस साल जो पैसा मिला वह पूरा पैसा नहीं बताया। केवल इस साल का खर्चा वाला ही बताया, आप वह कह देते।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप बता रहे हो और वित्त मंत्रीजी आपने उत्तर नहीं पढ़ा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने पढ़ा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** पढ़ा है तो बताइये, 2000 ....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप बैठ जाइये। कृपया बैठें आप। आप एक मिनट बैठ जाइये। आप मुझे पूछ रहे हैं न।

श्री सांवर लाल : वित्त मंत्रीजी, सवाल का जवाब आपने एप्रूव किया क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप विराजें। देखिये डिटेल्स तो देंगे ये। लेकिन मैं आपको अकाउंट का बताता हूं कि यह पैसा क्वार्टरली रिलीज होता है। एक लम्पसम में एक साल में पैसा आता नहीं है, हमेशा किस्तों में पैसा आता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** यह सबको ज्ञान है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप यों मत करो। यह जो आप लोगों की आदत पड़ गई है न कि चार आदमी खड़े हो गये तो आप दूसरे को बोलने नहीं देते हैं, आप अपनी बात कहते रहते हैं। This is bad.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो तीन-तीन खड़े हो जाते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** आप भी तो बीच में खड़े हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मोस्ट अनपार्लियामैंट्री बिहेवियर है इन लोगों का कि ये किसी को बोलने नहीं देते हैं। यह क्या तरीका है? (व्यवधान) फिर खड़े हो गये तो कोई क्या बोलेंगे?

श्री रोहिताश्व कुमार : पाइंटेड सवाल है। माननीय मंत्रीजी को जवाब देना है, आप भी तो बीच में खड़े होते हो वैसे माननीय सदस्य भी खड़े होते है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : It's joint responsi-bility. Any minister can intervene.

जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी है। (व्यवधान) मैं अकाउंटिंग सिस्टम से आपको अवगत करा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी है तो मंत्रीजी को बिठा करके आप जवाब दे दीजिये। मंत्रीजी भी बोलें और आप भी बोलें, यह कौनसे नियम में है? यह जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी थोड़े ही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप 6-6 खड़े हो जाएं, शोर मचाये तब क्या होता है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई बड़ा विवाद का विषय नहीं है। यह आपके आंकड़े दिये उन्हीं से मैं प्रश्न कर रहा हूं। आपका उत्तर आपके पास होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास भी है। आपने लिखा है कि गत तीन वर्षों में उक्त मद में निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई है No arrear, nothing like that.

तो आपने फरमाया है इसमें कि 2000 में 175 करोड़ 45 लाख प्राप्त हुआ, यानि मिल गया, वही रकम है। यह एरियर जो आप फरमा रहे हो न आप, आप जो मनगढ़न्त बात कर रहे हो वह इसमें नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : अगर हमने कोई ऐसी बात...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर हमने मनगढ़न्त की है यहां पर then kindly move a privilege motion against me.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप फिर खड़े हो गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर हम मनगढ़न्त बात बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं तो आप प्रिविलेज मोशन ले आइये यहां पर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप फासिस्टों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : फासिस्ट तो, आप के बारे में क्या कहूं मैं कि आप क्या हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : और जब तक नहीं लावें जब तक आप यह करते रहोगे। जब तक आपके खिलाफ प्रिविलेज नहीं लायेंगे तब तक करते रहोगे मनगढ़न्त बातें?

श्री प्रद्युम्न सिंह : Please bring today itself. आप इसी वक्त ले आओ। इसी वक्त ले आओ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ले आयेंगे, आप बिराजें। आप इंटरवीन मत करिये। 1999-2000 में 175 करोड़ 45 लाख मिला, फिर अगले वर्ष 2000-2001 में 185 करोड़ 45 लाख मिला यानि पिछले से भी ज्यादा मिला। आपको यह सारा मिल गया, यह खर्च नहीं किया आपने। मैं यह पूछ रहा हूं कि आपने यह रुपया मान लो आपको मिल गया 1999-2000 में, आप कहते हो कि पहले का एरियर आया था इसलिए रकम बढ़ गई। पर 2001-2002 में तो फिर ज्यादा मिला है उसमें आपने खर्च नहीं किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि खर्च क्यों नहीं किया?

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 2001-2002 का खर्चा है वह राशि मिली उससे ज्यादा खर्चा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो मंत्री ही नहीं हो।

डा. महेश जोशी : मेरा अधिकार है बोलने का। मुझे अध्यक्ष महोदय मना कर देंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। (व्यवधान) आप चिंता मत करें मेरे मंत्री बनने की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...मुख्य मंत्रीजी आपको बनायेंगे भी नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें जो आपने खर्चा भी किया है यह

(श्री भंवरलाल शर्मा)

केन्द्र सरकार से मिली रकम का ही किया है, आपकी जेब में से एक कौड़ी नहीं की है, की है तो बतायें न।

श्री हेमाराम चौधरी : बता रहा हूं न। आप जवाब देने दो तो, बता रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ऐसा नहीं है। रोळा करके बात को मत उड़ाइये। रोळा करके बात मत उड़ाइये।

श्री हेमाराम चौधरी : बता रहा हूं न। आप जवाब सुन लो पूरा फिर उसके बाद में बोलना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ये जवाब दे रहे हैं बीच-बीच में, इनको बिठाओ न। ये क्यों देते हैं बीच में?

श्री हेमाराम चौधरी : आप बैठो न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक पैसा आपने लगाया नहीं, केन्द्र से मिला वह खर्च किया नहीं और परिवार नियोजन की बात करते हो। यह पैसा कहां गया? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार-बार प्रश्न को पूछ कर सदन को गुमराह करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूं कि जितना पैसा प्राप्त हुआ वो अगर इस साल में जो प्राप्त हुआ, जिस साल में जब पैसा प्राप्त हुआ है चाहे वह पिछले साल के एरियर का हो, वह पैसा हम प्राप्ति में नहीं बताते तो आप कह देते कि आपने पिछले साल वाला प्राप्त तो इस साल में हुआ और इस साल की प्राप्ति में आपने क्यों नहीं बताया। आप ऐसा फंसा देते। हमें जितना पैसा मिला है वह बता दिया है कि यह पैसा इतना कुल प्राप्त हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : धन्यवाद।

श्री हेमाराम चौधरी : और इसमें से इस साल कितना खर्चा हुआ, व्यय हुआ। इस साल का जो खर्चा हुआ वह इतना हुआ बाकी पैसा पिछले साल खर्च हो गया। पैसा मिला इस साल, भुगतान इस साल किया है, व्यय तो पिछले साल का है। पिछले साल का व्यय इस साल के व्यय में कैसे शामिल करें। जब इस साल के व्यय में पिछले साल का व्यय शामिल नहीं करेंगे तो अंतर होगा, एरियर का अंतर होगा। इसलिए पैसा लैप्स होने का कहीं कोई सवाल नहीं है। यह तो बिलकुल ही आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने कितना लगाया, आपने क्या लगाया?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, थोड़ा गणित को भी देखते चले। पिछले साल में जो आपको मिला और जो आपने खर्च किया उसमें 30 करोड़ रुपये की बचत हुई। यही खर्चा...

श्री हेमाराम चौधरी : बचत नहीं है। पिछले साल 1998-99 में 30 करोड़ खर्च हो गये थे वह पैसा हमें 1999-2000 में मिला इसलिए हमने उसको प्राप्ति में बताया है। पैसा मिलेगा उसको बतायेंगे नहीं क्या ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ठीक है, बहुत अच्छा काम किया आपने... (व्यवधान) आप बैठकर के सुन लो तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा शांति से सुनो, कोई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बहुत जल्दी कहीं जाना नहीं है। पहले साल का 30 करोड़ रुपया आपके इस साल अकाउंट में बैलेंस रहा। दूसरे साल आपके पास वह पैसा फिर था उसके बाद भी दूसरे साल में 185 के अगेंस्ट में 140 खर्च करके 45 करोड़ रुपये फिर बचे। आपका पिछला साल का तो इसमें आना चाहिए, जैसे आपको अगले साल 2001–2002 में मिला कम और खर्चा ज्यादा किया। तो यह बीच वाला 70 करोड़ रुपये का हिस्सा है यह आपके पास एक साल का दूसरे साल में आने के बाद भी खर्च नहीं हुआ तो जो पैसा आपको मिला वह खर्च क्यों नहीं हुआ? यह जानना चाहते हैं कि किस कारण से आप इसको खर्च नहीं पाये और जो पैसा आपको केन्द्र से मिला, वह ही बताया और आपने अपनी तरफ से राज्य सरकार ने इस सारी योजना के तहत अपने फण्ड से कितना पैसा इसमें मिलाया? यह तो केन्द्र से मिला और आपने कितना मिलाया और फिर कितना खर्च किया?

श्री हेमाराम चौधरी : यह आप बार-बार कह रहे हैं कि पैसा खर्च नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं कि बिलकुल जितना पैसा मिला वह पूरा का पूरा पैसा खर्च हुआ है, खर्च नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपका उत्तर है।

श्री हेमाराम चौधरी : उत्तर तो इस साल में जो खर्चा हुआ वह बताया है हमें पैसा ज्यादा मिला है इस साल। 1998–99 में पैसा ज्यादा मिला है और खर्चा कम हुआ है। (व्यवधान) एक मिनट। ये कह रहे हैं कि 1999–2000 में पैसा 45 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुआ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय मंत्री महोदय, केवल गणित पर जोड़ कर लें और तीनों साल में जो मिला है उसको जोड़ लो और तीनों सालों में खर्च किया है उसको बाकी निकाल दो और उसके बाद आपके पास 30 करोड़ रुपया बचता है यह सारा करने के बाद भी, यह क्या है? और आपका पैसा कितना है? यह तो आपकी दी हुई फिगर है, कोई हमने अपनी तरफ से तो जोड़ा नहीं है। जो आपने दिया है 175, 185 और 165, इसको ज़ोड़ लो और फिर आपने जो खर्च किया तीन साल का, उसको जोड़ लो। उसके बाद जो आपके पास बचता है गणित में उसको तो न तो आप बचा सकते और न मैं बचा सकता, वह पैसा आपका बचा है तो वह खर्च क्यों नहीं हुआ और आपने अपनी तरफ से कितना पैसा इसमें लगा करके खर्च किया? इतना ही गणित जानना चाहते हैं और क्या जानना चाह रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह इंफोरमेशन प्राप्त की है, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सरकार से जितना पैसा मिला और मैं बहुत क्रिटिकली इस बात को कहता हूं कि सारा ख़र्च किया गया। स्टेट का कंट्रीब्यूशन फ्राम नोन प्लान एण्ड स्टेट प्लान, 1999–2000 में नोन प्लान से 705.45 लाख, स्टेट प्लान से 613.71 लाख, टोटल हुआ 1319 लाख रुपये, (व्यवधान) आप सुन लें, यह हल्ला मत मचाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पन्ना गलत पढ़ दिया आपने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुन लीजिए। 2000–2001 में नोन प्लान से स्टेट का कंट्रीब्यूशन है 663 लाख...(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : पन्ना गलत पकड़ लिया, पन्ना गलत पकड़ लिया। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुनना नहीं चाहते। आप पिन डाउन करते हैं, अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों से यही चल रहा है कि भारत सरकार राजस्थान सरकार को खैरात दे रही है और राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर रही है, यह इनकी थीम है।

श्री रोहिताश्व कुमार : हां, दे रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, दे रही है।

अनेक माननीय सदस्य : हां, दे रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजस्थान की जनता को यह दिखाना चाहते हैं, जब हकीकत सामने आती है तो छह खड़े हो जाते हैं, बोलने नहीं देते किसी को, इनको रोकना पड़ेगा। मैं आप सबसे कह रहा हूं कि इनको नहीं रोकेंगे तो ये मानने वाले नहीं हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कैसे रोकोगे आप, अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये सुनना नहीं चाहते हैं बात को। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : एकाउंटेंसी की क्लास लगवाइये यहां पर, तब समझ में आयेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुनना नहीं चाहते हैं किसी बात को।

श्री ललित भाटी : सांवर लालजी, पहले आप इनको एकाउटेंसी की क्लास लेकर गणित पढ़ाये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये सच्चाई को सुनना नहीं चाहते।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर सांवर लालजी से इनकी एकाउंटेंसी की पहले कोचिंग क्लासेज करवाइये, उसके पहले गणित का खेल इनके समझ में नहीं आयेगा।

श्री हेमाराम चौधरी : यह आपकी बपौती है क्या।

डा. के.सी. चौधरी : आप बात क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

डा. के. सी.चौधरी : +++ ऊपर आ जाओ वापस +++ अपनी जगह पर वापस आ जाओ। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर जोर-जोर से बोलना)

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** आप हर बात पर बार-बार खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : यू.पी. में ही इनकी दादागीरी नहीं चली। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका हमेशा यही रवैया रहता है।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

डा. के.सी. चौधरी : माननीय वित्त मंत्रीजी आपको आंकड़े बता रहे हैं, भारत सरकार से कितना पैसा आया है, सारा खर्च हुआ है।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर सांवर लालजी से एकाउंटेंसी की क्लास लगवाये, फिर गणित का खेल इनकी समझ में आयेगा। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : अध्यक्ष महोदय, इनका यही रवैया रहता है हमेशा ही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारा अधिकार है बोलने का। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : सांवर लालजी, पहले आप इनकी एकाउंटेंसी की क्लास लीजिये, फिर उसके बाद में गणित के सवाल ढंग से पूछ पायेंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजा साहब, धौलपुर की सारी पोल खुल रही है। यह बात...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्टेट का कंट्रीब्यूशन नोन प्लान से, स्टेट प्लान से...(व्यवधान) 2001-2002 में नोन प्लान से 645.51 लाख, स्टेट प्लान से...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ये 645 आया कहां से, क्या पढ़ रहे हो? यह 175 करोड़, 165 करोड़ की जगह...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज यह कह रहे हैं कि राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं है। यह रहा राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन। इसलिए मैं यह आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमको जितना पैसा मिला है भारत सरकार से फैमिली प्लानिंग के पेटे, ये एकाउंटिंग प्रोसीजर को लेकर यहां गुमराह करने की चेष्टा कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया गया है, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री ललित भाटी : सांवर लालजी, इनकी एकाउंटिंग क्लास लें पहले आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपसे ही हमको न्याय मिलेगा और हम प्रार्थना करते हैं कि हमने जो प्रश्न पूछा है, वह उत्तर आपके पास आया, हमें इस प्रश्न का जो जवाब चाहिए, आप स्वयं ने अपना उत्तर इसमें जो कुछ दिया, वह आपके सामने फिगर हैं, उन फिगर को आप देख लीजिये।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, एक ही व्यक्ति बार-बार खड़े होंगे क्वेश्चन आवर में, हम क्या करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ-साथ क्वेरीज होती है क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और दूसरा जो मंत्री महोदय ने सबको इशारा करके यह कहा कि खड़े हो जाओ, यह क्या तरीका है? (व्यवधान) आपको यह जवाब ठीक लगा क्या?

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह हिमाचल प्रदेश ने इनकी बुद्धि +++ कर दी। हिमाचल में बर्फ पड़ गई इनके ऊपर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सदन को चलाने के लिए अगर मंत्री सबको इशारा

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करके यह कहे कि आप लोग भी खड़े हो जाओ तो क्या यह युद्ध का मैदान बनाना है? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : राजेन्द्रजी राठौड़ आये है, ये ही आये हैं। राजेन्द्रजी खुद उठकर आये हैं। (व्यवधान) राजेन्द्रजी राठौड़ खुद उठकर आये हैं। आपकी बात मानते नहीं बिलकुल। ये हाउस में आये, राजेन्द्रजी हाउस में आये हैं। कल भी आये, आज भी आये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह हो क्या रहा है? (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को खड़े होने का अधिकार नहीं है क्या? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : सत्ता पक्ष हाउस में है और आप भी हाउस में हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आप इस तरह से माननीय सदस्यों को जवाब देते हैं. क्या सदन के अन्दर, सदन में इस तरह का व्यवहार करते हैं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप नियमों को मानते नहीं है हाउस को चलाने के लिए... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : जब से हाउस चला है, तब से इस तरह का व्यवहार ये प्रतिपक्ष के नेता के साथ सारे लोग मिलकर कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल प्रश्न तो इतना था...जो जवाब था इस तरह का... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह चम्बल घाटी नहीं है जिसमें चैलेंज कर रहे हो धौलपुर के +++

श्री घासीराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, ये हमेशा मूंछों पर ताव लगाकर खड़े हो जाते हैं। मूंछें हमारे भी हैं।

श्री सोहन नायक : अध्यक्ष महोदय, ये मूंछो पर ताव देकर इस तरह की बात करते हैं जैसे इनको झगड़ा करना हो। ये माननीय सदस्य हमेशा मूंछों पर ताव देकर बात करते हैं।

डा. के. सी. चौधरी : हिमाचल के अन्दर इनका मोदी कार्ड पंचर हो गया, इसकी निराशा है सारी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हम लोग आपको शांतिपूर्वक सुनना चाहते हैं। हम भी शांतिपूर्वक सुनेंगे, आप मंत्री को भी शांतिपूर्वक सुनें। यह एक तरफा तो नहीं हो सकता। आप मंत्री को नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान)

श्री घासीराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मूंछों पर ताव लगाना हमें भी आता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह बीहड़ नहीं है, अध्यक्ष महोदय, ये +++ चुनौती दे रहे हैं।

श्री घासीराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर मूंछों पर ताव देकर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री घासीराम मेघवाल)

इस तरह की बातें करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मूंछे हमारे भी हैं, हमें भी ताव देना आता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह विधान सभा है, चम्बल के बीहड़ नहीं है। ये चम्बल के बीहड़ की तरह चुनौती दे रहे हैं। यह धौलपुर या राजाखेड़ा नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जवाब आपने दिया है, आप प्रश्न का जवाब देओ नहीं और मंत्री यह कहे कि सब खड़े हो जाओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब मैं आपको उत्तर दे रहा था तो मेरा उत्तर नहीं सुनना चाहते थे। तो मुझे मजबूर होकर कहना पड़ा, जब भी मंत्री जवाब देगा ये सुनना नहीं चाहेंगे, बीच-बीच में इंटरप्ट करेंगे, चार आदमी खड़े हो जायेंगे, हकीकत को सामने नहीं आने देना चाहते कि हकीकत सामने नहीं आ जाये, ताकि राजस्थान की जनता को नहीं पता लगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, चम्बल के बीहड़ नहीं है, धौलपुर से, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, ये +++ ये वहीं पर रहे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, जवाब क्या दिया मंत्रीजी ने, वित्त मंत्रीजी कौनसा जवाब दे रहे है। केवल परिवार कल्याण के सम्बन्ध में सवाल पूछा है, यह जवाब आया है, मंत्रीजी, आपको इस सम्बन्ध में क्या कहना है, आप बताइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये चम्बल के बीहड़ों की तरह बोल रहे है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने जवाब दे दिया है।

श्री सांवर लाल : आपने जवाब कुछ नहीं दिया, कोई रिलेवेंट जवाब नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिलकुल, जवाब दे दिया है। समझना नहीं चाहते किसी चीज को।

श्री सांवर लाल : क्या बात कर रहे हो मंत्रीजी, राजाखेड़ा में डराया होगा आपने जनता को, यहां डरने वाले नहीं है आपसे कोई। इशारे कर रहे हैं कि खड़े हो जाओ। (व्यवधान) आओ ने एक-एक करके।

डा. सी. पी. जोशी : ये क्या बात कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : ये क्या बात कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कौन डरता है आपसे। कोई नहीं डरता है।

श्री सांवर लाल : गुमराह कर रहे हैं आंकड़ों से।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की दादागीरी नहीं चलेगी।

डा. के. सी. चौधरी : हिमाचल में मोदी कार्ड पंचर हो गया है, इसलिए परेशान मत हो ज्यादा।

श्री सांवर लाल : आपसे कौन डरता है?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपसे कौन डरता है, आपसे कोई नहीं डरता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हाउस की ठेकेदारी आपने नहीं ले ली है। सारे हाउस की ठेकेदारी आपकी नहीं है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, दादागीरी लगा रखी है, आपसे कोई डरता है क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपसे कौन डरता है।

श्री सांवर लाल : आप जवाब देना नहीं चाहते।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जिस ओपनिंग बैलेंस के आधार पर हल्ला मचा रहे हैं। मंत्रीजी, यह बता दे कि यह लास्ट. इंस्टालमेंट किस महीने की आई, कब आई, तिमाही किस्त के आधार पर ये किस्त आती हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप मंत्रीजी का जवाब सुनना नहीं चाह रहे हो, कोई नहीं डरा रहा है आपको।

डा. महेश जोशी : आपका कहना वाजिब है क्योंकि आप फेस नहीं कर सकते इन बातों को, जो जवाब मंत्रीजी दे रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है, आप हल्ला कर रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वह जो चुनौती दे रहे हैं...

श्री सांवर लाल : आपको जवाब देने का मौका मुख्य मंत्रीजी नहीं देंगे, आप निश्चिन्त रहो, बिराजो, हैं वही।

डा. महेश जोशी : आप उसकी चिंता मत करो, आप जवाब नहीं देने की पैरवी मत करो।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी तक इस साल की इंस्टालमेंट नहीं मिली है भारत सरकार से 15 करोड़ की , इस साल का पैसा हमें नहीं मिला लास्ट किस्त का...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धौलपुर–राजाखेड़ा की तरह जवाब हमें मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि वहां डकैतों को सड़क पर पैसा देते है। यह चम्बल का बीहड़ नहीं है जो इस तरह से चुनौती दे रहे हो, क्या कह रहे हैं कि आ जाओ, यह कोई चम्बल का बीहड़ है, यह सदन है, पवित्र सदन में आप इस ढंग का व्यवहार करते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप बैठ जाइये।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, तिमाही किस्त के आधार पर भारत सरकार से पैसा मिलता है, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि इस साल जो पैसा मिलना था इसमें, भारत सरकार से लास्ट इंस्टालमेंट अभी मिली या नहीं मिली, और मिली तो कब मिली, किस तारीख को मिली?

श्री हेमाराम चौधरी : लास्ट किस्त अभी तक नहीं मिली है परन्तु बजट सीमा तक खर्चा हम कर देंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : लो, कर लो बात। पैसा नहीं मिला है, आप बात कर रहे हो, आप पैसा जारी करा दो, आप बीच-बीच में खड़े हो जाते हो परन्तु...

श्री हेमाराम चौधरी : पर बजट सीमा तक खर्चा हम कर देंगे।

श्री संयम लोढ़ा : हर साल मार्च में या फरवरी के अन्दर पैसा जारी कर देते हैं और उसके आधार पर शोर मचा रहे हो। कागज लेकर खड़े हो जाओ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : जो पैसा मिला है वह खर्च किया नहीं और लास्ट किस्त बाकी है, यह कह रहे हो। (व्यवधान) आपने पैसा खर्च किया नहीं। (व्यवधान) हमको उधर बिठाओ, फिर हमारी जिम्मेदारी है।

श्री संयम लोढ़ा : खर्च क्या नहीं किया? पिछले साल रोक दिया इन्होंने, हर साल रोक लेते है। हर साल चौथी किस्त फरवरी या मार्च में मिलती है। अध्यक्ष महोदय, हर साल चौथी किस्त या तो फरवरी में मिलती है या मार्च में मिलती है।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह गैर जिम्मेदार बात है। वर्ष 2000-2001 का पैसा मिला है 18545.60 लाख तथा खर्च किया है 14068.69 लाख तथा 2001-2002 में मिला है 16580.01 लाख तथा खर्च किया है 20507.39 लाख, वर्ष 2001-2002 में जो पैसा मिला है उससे ज्यादा खर्च किया गया है। इस साल भी पैसा नहीं मिला तो भी बजट सीमा के अन्दर हम खर्च कर देंगे, हमको पैसा लेट मिल जायेगा। या नहीं मिला... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पैसा तो दिलवाओ, भारत सरकार से राजस्थान का। जो चौथी किस्त बाकी है, वह पैसा तो दिलवाओ।

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी यह बताये कि कितने रुपये की किस्त भारत सरकार से आपको लेनी थी, यह समझाइये, लास्ट किस्त कितने रुपयों की थी, वह तो बताइये।

श्री हेमाराम चौधरी : लास्ट किस्त बाकी है, तिमाही क़िस्त है, वह बाकी है। वह तिमाही किस्त के आधार पर मिल रहा है, वह बाकी है।

डा. महेश जोशी : आप दिलवा रहे हो क्या, माननीय सदस्य?

श्री सांवर लाल : आपको क्या लेना देना है?

श्री संयम लोढ़ा : हर साल पैसा आप लेट देते हो, हर साल फरवरी में और मार्च में किस्त जारी करते हो, फिर यहां कागज लेकर खड़े जो जाते हो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : संयम लोढ़ाजी ने जो प्रश्न उठाया है, उसके हिसाब से लगता है कि केन्द्र सरकार बहुत ढीली है। इस सदन के माध्यम से प्रस्ताव पारित किया जाये कि केन्द्र जल्दी से जल्दी अपनी तरफ का पैसा रिलीज करे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, कई प्रश्न थे, मेरे तो बाकी सवाल हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सरकार का कमिटमेंट है कि हमने पूरा खर्च कर दिया है, यह कह रहे हैं कि...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे और बाकी सवाल हैं।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : नहीं खर्च किया है तो लाइये न प्रिविलेज मोशन।

डा. सी. पी. जोशी : वैरी गुड।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : और सरकार कहती है कि हमने पूरा खर्च कर दिया है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा है कि पूरा खर्च कर दिया है, इनको संशय है तो ले न आंकड़े।

श्री हेमाराम चौधरी : लास्ट किस्त तो मिली ही नहीं है अभी तक...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जितने भी पूरक प्रश्न थे उनका एक का भी उत्तर नहीं दिया, एक का भी नहीं आया। इसलिए या तो उत्तर दिलवाये या इसको पोस्टपोन कर दीजिये।

श्री संयम लोढ़ा : किस्त समय पर नहीं देते... (व्यवधान) जो भी किस्त आती है, और वह पैसा यूटिलाइज नहीं हो सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उत्तर दिलवाये या इसको पोस्टपोन कर दीजिये।

श्री रोहिताश्व कुमार : क्या कोई जवाब नहीं देओगे?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई जवाब ही नहीं आया साहब, किसी का भी। कोई उत्तर नहीं दिया है मेरे प्रश्नों का। मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कर दें। मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया...

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्रीजी के...

श्री अध्यक्ष : सुरेन्द्रजी, बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है और अधिकारी घूम रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है और अधिकारी घूम रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्रीजी के निर्वाचन क्षेत्र में....(व्यवधान)

(12.00 बजे)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेंशन अदालत द्वारा निपटाये प्रकरणों की समीक्षा

281. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए दिनांक 24.11.94 को पेंशन अदालत का गठन किया गया? उक्त में दिनांक 31.12.2002 तक कितने

(श्री शिवनारायण)

प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितनों का निपटारा पत्राचार से तथा कितने प्रकरणों का पेंशन अदालत से किया गया और कितने प्रकरण अब किन कारणों से शेष हैं तथा कितने प्रकरणों का पेंशन अदालत से निपटारा किया गया और कितने प्रकरण अब किन कारणों से शेष हैं? वर्षवार तथा जिलावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1994-95 से 2002-03 तक पेंशन अदालत की कब-कब बैठकें आयोजित की गई तथा उक्त बैठकों में कितने प्रकरण रखे गये और कितने निपटाये गए?

(3) क्या अदालत द्वारा निपटाये गये प्रकरणों की समीक्षा भी की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) दिनांक 16.01.02 को पेंशन अदालत का पुनः गठन किन कारणों से किया गया तथा पुनः गठित अदालत की बैठकें अब तक कब-कब आयोजित की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त के लिए किस विभाग का उत्तरदायित्व है? दिनांक 16.01.02 व. 31.12.02 को कितने प्रकरण कब से विचाराधीन है तथा अदालत की आगामी बैठक कब बुलाने का विचार है?

उत्तर

(1) जी हां। पेंशन अदालत में दिनांक 31.12.2002 तक कुल 1303 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। उनमें से 985 प्रकरणों का निपटारा पत्राचार से तथा 228 प्रकरणों का निपटारा पेंशन अदालत की बैठकों के माध्यम से किया गया। वर्तमान में 90 प्रकरण लम्बित है। विभागों से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण एवं विभागीय जांच या न्यायिक कार्रवाइयां लम्बित होने आदि कारणों से प्रकरण लम्बित है।

लम्बित प्रकरणों की वर्षवार एवं जिलेवार सूची परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' संलग्न है।

(2) पेंशन अदालत की आयोजित बैठकों की दिनांक तथा उक्त बैठकों में रखे गए व निस्तारित प्रकरणों की संख्या परिशिष्ट 'स' संलग्न है।

(3) जी नहीं। पेंशन अदालत द्वारा निपटाये गए प्रकरणों की अनुपालना हेतु पेंशन अदालत प्रकोष्ठ द्वारा सम्बन्धित विभागों से सतत् पत्राचार किया जा रहा है।

(4) पेंशन अदालत के कार्यों एवं नियमित बैठकों के आयोजन हेतु दिनांक 16.1.2002 को पेंशन अदालत का पुनर्गठन किया गया। पुनः गठित अदालत की एक बैठक दिनांक 18.12.2002 को मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के सम्बन्ध में आयोजित की गई।

(5) सम्बन्धित विभाग के प्रकरणों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उस विभाग के प्रशासनिक सचिव की सुविधा से बैठक आयोजित की जाती है। दिनांक 16.01.02 को 92 एवं 31.12.02 को 90 प्रकरण विचाराधीन थे। दिनांक 16.1.2002 को लम्बित 92 प्रकरणों की सूची परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है। दिनांक 31.12.2002 को लम्बित 90 प्रकरणों की वर्षवार सूची

(वित्त मंत्री)

प्रश्न के भाग एक के उत्तर में परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। अदालत की आगामी बैठकें बुलाने हेतु 3 विभागों के प्रशासनिक सचिवों से दिनांक निश्चित करने हेतु निवेदन किया गया है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राधाकिशन कायस्थ की गली चांदपोल बाजार जयपुर के मकान का कर निर्धारण

282. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मकान नम्बर 3181 राधाकिशन कायस्थ की गली, कल्याणजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर की मालकिन स्व. श्रीमती रुकमणी देवी (वर्तमान में मुरली मनोहर रुकमणी देवी कायस्थ चेरिटेबल ट्रस्ट) की भूमि एवं भवन कर का निर्धारण कब व कितना किया गया और अब तक कुल कितना कर वसूल किया गया?

(2) उक्त ट्रस्ट का कितना कर बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त का अभी तक भूमि एवं भवन कर निर्धारण नहीं किया गया? क्या अब निर्धारण किया जावेगा? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) संदर्भित भूमि एवं भवन का मूल्यांकन/कर निर्धारण 1.4.73 के लिए 75,000 रुपये स्व. रुकमणी देवी के नाम से किया गया था। मुरली मनोहर रुकमणी देवी कायस्थ चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम से उल्लिखित सम्पत्ति के कर निर्धारण को अभी विभाग द्वारा निर्णित नहीं किया गया है तथापि इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही आरम्भ कर रखी है।

कर निर्धारण हो जाने के पश्चात् ही सृजित मांग की वसूली की जाती है।

(2) ट्रस्ट के नाम से कर निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) सम्बन्धित भूमि एवं भवन का ट्रस्ट के नाम से निर्धारण अभी नहीं किया गया है कर निर्धारण कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है।

पेंशनर्स की मेडिकल डायरियों का दुरुपयोग

283. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य पेंशन चिकित्सा योजना के तहत मासिक भत्ता प्राप्त करने वाले पेंशनरों को राजकीय अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा सुविधा देय है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) वर्तमान में उक्त पेंशनरों की मेडिकल डायरियां किसके पास रखने की व्यवस्था है? क्या उक्त पेंशनरों की मेडिकल डायरियों के दुरुपयोग की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान में इन पेंशनरों की मेडिकल डायरियां उपकोष कार्यालय के पास रखने की व्यवस्था है। इन पेंशनरों की मेडिकल डायरियों के दुरुपयोग की कोई भी शिकायत राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना के न्यासी मण्डल में प्राप्त नहीं हुई है।

उप पंजीयक अजमेर द्वारा मुद्रांक राशि की वसूली में अनियमितता

284. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उप पंजीयक, अजमेर के यहां फरवरी, 2000 को क्रेतागण श्री अजय सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, श्रीमती मधु पत्नी श्री अजय सिंह कुशवाह दोनों निवासी 219, कृष्णपुरी, उदयपुर एवं श्री अभिमन्यु सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह नाबालिग जरिये इसके प्राकृतिक संरक्षक पिता श्री अजीत सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह निवासी 5 शास्त्री नगर, अजमेर के नाम पंजीयन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया गया? यदि हां, तो उप पंजीयक, अजमेर द्वारा उक्त दस्तावेज किस दिनांक एवं क्रमांक पर पंजीकृत/पंजीबद्ध किया गया? दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दस्तावेज पंजीयन हेतु कितनी राशि के मुद्रांक पेश किए गए तथा दस्तावेजों में उल्लिखित सम्पत्ति का विक्रय क्या अंकित किया गया?

(3) सरकार मुद्रांक राशि किन नियमों एवं दरों से वसूल करती है एवं दरों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है?

(4) खण्ड-1 में वर्णित सम्पत्ति जिस क्षेत्र में है, उसकी डी.एल.सी. दर क्या है एवं उसका बाजार मूल्य क्या है?

(5) पंजीबद्ध सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल एवं निर्मित भाग का क्षेत्रफल क्या है?

(6) क्या यह सही है कि उप पंजीयक, अजमेर द्वारा उक्त सम्पत्ति के डी.एल.सी. रेट एवं बाजार मूल्य के हिसाब से मुद्रांक राशि वसूल नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

(7) उक्त प्रकरण में कम मुद्रांक वसूलने की स्थिति में क्या उप पंजीयक,, अजमेर इसके लिए दोषी है? यदि हां, तो इसके लिए उक्त पर क्या कोई विभागीय कार्यवाही करने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

(8) क्या सरकार अन्तर राशि को वसूलने की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(9) क्या यह सही है कि उक्त स्थान का प्रयोग व उपभोग व्यवसायिक किया जा रहा था?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त दस्तावेज क्रमांक 2329 पर दिनांक 4.4.2001 को पंजीबद्ध किये गये थे। दस्तावेज की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त दस्तावेजों के पंजीयन हेतु 19,000 रुपये की राशि के मुद्रांक पत्र

(वित्त मंत्री)

प्रस्तुत किये गये थे। दस्तावेजों का विक्रय मूल्य 3,00,000 रुपये अंकित किया गया था।

(3) राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प ला एडप्शन एक्ट 1952, की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर से मुद्रांक राशि वसूल करती है। मुद्रांक दरों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(4) खण्ड-1 में वर्णित सम्पत्ति जिस क्षेत्र में स्थित है उसकी डीएलसी दरें निम्नानुसार हैं :-

1. मुख्य सड़क - 3000/- रुपये प्रति वर्गगज
2. उप सड़क - 2800/- रुपये प्रति वर्गगज

उक्त सम्पत्ति का बाजार मूल्य मौके की स्थिति व डीएलसी की दरों के अनुसार 54,26,700 रुपये पर किया गया है।

(5) दस्तावेजों के अनुसार पंजीबद्ध सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल 1160 वर्गगज एवं निर्मित क्षेत्रफल 195 वर्ग मीटर वर्णित किया गया है। मौके पर वास्तविक निर्माण 721 वर्ग मीटर पाया गया।

(6) दस्तावेजों में वर्णित तथ्यों के आधार पर पक्षकार द्वारा डीएलसी दर पर मुद्रांक राशि जमा नहीं करवाने पर प्रकरण निर्धारित दरों पर मूल्यांकन निर्धारित करने हेतु कलक्टर अजमेर को पुनः प्रेषित किया गया है।

(7) जी नहीं। उप-पंजीयक द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 47-ए के अन्तर्गत दस्तावेज इम्पाउंड करके कलक्टर मुद्रांक अजमेर को दिनांक 7.3.2000 को रेफरेंस कर भिजवा दिया गया था।

(8) जी हां। न्यायालय कलक्टर, मुद्रांक अजमेर के द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 31.3.01 के क्रम में अन्तर की राशि 2 लाख 36 हजार 450 रुपये मुद्रांक शुल्क, 2410 रुपये पंजीकरण शुल्क एवं 140 रुपये शास्ति के, इस प्रकार कुल 2 लाख 42 हजार की राशि दिनांक 31.3.01 को रसीद संख्या 22/13431 के द्वारा वसूल कर ली गई है।

(9) जी नहीं।

(दस्तावेज की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या-285

(स्थगित)

राज्य स्तरीय सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति की प्रक्रिया

286. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के अलावा अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों को भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत किया जाता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत पदोन्नति दी जाती है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा में अब तक किन-किन सेवाओं के अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री घासीलाल मेघवाल)

(3) राज्य स्तरीय सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अन्तर्गत गैर-राज्य सेवा के अधिकारियों को भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत किये जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत किया गया है उन सेवाओं की सूची परिशिष्ट ''ख'' संलग्न है।

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अन्तर्गत पदों की रिक्तियों की गणना कर उसे भारत सरकार से सुनिश्चित कराने के बाद विभिन्न प्रशासनिक विभागों से 54 वर्ष की आयु से कम योग्य अधिकारियों, जिन्होंने उप कलक्टर के पद के समकक्ष पद पर कम से कम 8 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, का रिक्तियों के 5 गुणा के बराबर का पैनल बनाकर संघ लोक सेवा आयोग को चयन समिति की बैठक आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव बनाकर भेजे जाते हैं। तत्पश्चात चयन समिति की सिफारिश एवं अधिकारियों के व्यक्तिगत साक्षात्कार के पश्चात् ही भारत सरकार द्वारा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत किया जाता है।

(4) जी नहीं। क्योंकि गैर राज्य सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के प्रस्ताव विभिन्न प्रशासनिक विभागों से प्राप्त किये जाते हैं, जो बिन्दु संख्या-3 के तहत अपनी योग्यता सुनिश्चित करते है एवं वह अधिकारी किसी भी वर्ग का हो सकता है।

(नियमों की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

पंचायत समिति सांगोद (कोटा) के चयनित अभ्यर्थियों को ऋण

287. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अप्रैल, 2002 से जनवरी, 2003 तक राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/जिला उद्योग केन्द्र कोटा द्वारा पंचायत समिति सांगोद (कोटा) में स्वरोजगार उद्योग उपलब्ध कराने/लाभान्वित करने हेतु किस किस का, कब-कब, कितनी-कितनी राशि का ऋण उपलब्ध कराने हेतु चयन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चयनित अभ्यर्थियों/आवेदकों में से कब-कब, किस-किस को, कितना-कितना ऋण उपलब्ध करवाया गया तथा चयनित अभ्यर्थियों/आवेदकों का ऋण चयनोपरान्त कब-कब, किस किस कारण से निरस्त किया गया? उक्त ऋण किस अधिकारी ने क्यों निरस्त किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूलाल नागर)

(3) क्या खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराने हेतु चयन करने के उपरान्त भी ऋण निरस्त करने वाले अधिकारी को स्वविवेक पर ऋण निरस्त करने का अधिकार है? यदि हां, तो उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पैतृक धन्धे पर ऋण उपलब्ध कराने से पूर्व अभ्यर्थी को धन्धे का प्रशिक्षण लिया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो किस–किस अभ्यर्थी ने कब कब, कहां–कहां प्रशिक्षण लिया?

उत्तर

(1) अप्रैल, 02 से जनवरी, 03 तक जिला उद्योग केन्द्र कोटा पंचायत समिति, सांगोद (कोटा) में स्वरोजगार उद्योग लगाने हेतु कुल 19 व्यक्तियों का चयन किया गया तथा कितनी–कितनी राशि का ऋण उपलब्ध कराया यह सूचना परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) अप्रैल 02 से जनवरी, 03 तक चयनित 19 अभ्यर्थियों में से 9 व्यक्तियों के आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये है। उक्त चयनित व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति का ऋण आवेदन पत्र बैंक द्वारा निरस्त किया गया। बोर्ड के अधिकारी ने किसी भी आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया गया। विस्तृत सूचना परिशिष्ट–2 संलग्न है।

(3) खादी ग्रामोद्योग के ऋण स्वीकृत करने का अधिकार पूर्ण रूप से बैंक के ऊपर निर्भर करता है। बोर्ड/आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऋण परियोजना के अध्ययन का तकनीकी व आर्थिक अध्ययन करने का पूर्ण अधिकार बैंक के पास है आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देशों की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–3)

(4) खादी ग्रामोद्योग की नई नीति वर्ष 2002–03 के अन्तर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की द्वितीय किस्त लेने से पूर्व ई.डी.पी. (इन्टरप्रन्यूर डवलपमेंट प्रोग्राम) प्रशिक्षण आवश्यक है। ई.डी.पी. के तहत प्रशिक्षण का दायित्व के.वी.आई.सी. मुम्बई का है तथा 1.4.2002 के बाद पंचायत समिति, सांगोद के कामगारों का आयोग ने प्रशिक्षण आयोजन नहीं किया।

(सूचना की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

288. श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के क्या मापदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कहां और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने के लिये साधारणत: निम्नलिखित

(उद्योग मंत्री)

मानदण्ड है :-

1. उद्यमियों की मांग
2. औद्योगिक सम्भावित
3. उचित भूमि की उपलब्धता
4. जल-विद्युत की उपलब्धता
5. कच्चे माल की उपलब्धता
6. आवागमन के उचित साधन
7. उत्पादित माल का विपणन सम्भावन
8. प्रदूषित जल, उद्योग अपशिष्टों का निस्तारण

लिखित में कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं है।

(2) रीको द्वारा वर्ष 1984 बाड़ी कस्बे के समीप तालाबशाही पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया हुआ है। इस औद्योगिक क्षेत्र में कुल नियोजित 126 औद्योगिक भूखण्डों में से 50 भूखण्ड आबंटित है तथा 76 भूखण्ड रिक्त है। यहां भूखण्डों के आबंटन की गति धीमी है, अत: अन्य कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कोई विचार वर्तमान में नहीं है।

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ एवं हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा दरी पट्टी खरीद में अनियमितता

289. सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड एवं राजस्थान हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा दरी पट्टी की खरीद की गई थी? यदि हां, तो किस किस समिति से, कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस दर पर खरीद की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दरी पट्टी सप्लाई करने वाली समितियों ने उक्त दरियों का उत्पादन स्वयं के यहां नहीं करके व्यापारियों से खरीद कर दरी पट्टी सप्लाई की थी? क्या सरकार इसको उचित मानती है? यदि नहीं, तो ऐसी समितियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, द्वारा संलग्न सूची के अनुसार वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में सदस्य समितियों से दरी पट्टियां उनके आगे अंकित मात्रा व दर पर क्रय की गई है। जो परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। राजस्थान हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन ने वर्ष 1999-2000 के दौरान दरी पट्टी की खरीददारी नहीं की। वर्ष 2000-2001 में निगम ने निम्नलिखित पंजीकृत हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों से उद्योग आयुक्त, राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत दर रुपये 78 प्रति नग पर कंसाइनमेंट आधार पर दरी पट्टियां क्रय की थी :-

(उद्योग मंत्री)

क्र सं.	समिति का नाम	दरी पट्टियों की संख्या
1.	चाकसू हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति	39125 नग
2.	सादुलपुर हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति	2580 नग

(2) जी नहीं। दरी पट्टी सप्लाई करने वाली समितियों ने उक्त दरी पट्टियों का उत्पादन स्वयं के यहां ही किया है। व्यापारियों से खरीद कर आपूर्ति नहीं की है।

(क्रय सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

बंजर भूमि विकास हेतु भूमि आबंटन के नियम

290. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में बंजर भूमि विकास योजना में किस–किस जिले में किस–किस कम्पनी या व्यक्ति को कितनी–कितनी भूमि दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कितनी कम्पनियों ने बंजर भूमि लेने हेतु सरकार से मांग की है?

(3) बंजर भूमि विकास हेतु भूमि देने के सरकार ने क्या नियम/उप नियम बनाये है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बंजर भूमि विकास हेतु राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बंजर भूमि का आबंटन) (नियम, 1986 एवं राजस्थान भू–राजस्व) (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1996 के तहत बंजर भूमि का निजी वन/निर्यातोन्मुख कृषि उत्पादन हेतु कम्पनी या व्यक्ति को आबंटन की गई भूमि का विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) सूचना परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) बंजर भूमि विकास हेतु राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बंजर भूमि का आबंटन) (नियम, 1986 के तहत भूमि आबंटन किये जाने पर वर्तमान में रोक है। बंजर भूमि का राजस्थान भू–राजस्व) कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन नियम, 1996 प्रचलित है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

आदिवासियों के भूमि का गैरकानूनी हस्तान्तरण

291. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि आदिवासियों की भूमि के हस्तान्तरण पर कानूनी रोक के बावजूद जमीन का बाजार में हस्तान्तरण हो रहा है? यदि हां, तो उक्त की रोक हेतु क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

उत्तर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(बी) में अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमियों के विक्रय, दान, वसीयत द्वारा अन्य जातियों के लोगों को हस्तान्तरण करने पर प्रतिबन्ध है। धारा 42(बी बी) के अन्तर्गत सहारिया आदिवासियों की जमीन को, सहारिया आदिवासियों के अलावा अन्य लोगों को हस्तान्तरण पर भी प्रतिबन्ध का प्रावधान किया हुआ है। उक्त प्रावधानों के बावजूद अगर कोई अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति अपनी जमीन को गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को विक्रय, दान एवं वसीयत द्वारा हस्तान्तरण करता है तो ऐसे प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–175 के तहत कार्यवाही की जाती है।

ग्राम पंचायत पुनावाड़ा का उप तहसील चिखली से पृथक्कीकरण

292. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर की ग्राम पंचायत पुनावाड़ा को उप तहसील चिखली में जोड़ा गया है?

(2) क्या उप तहसील चिखली से पुनावाड़ा की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है? यदि हां, तो क्या पूर्व में पुनावाड़ा के व्यक्ति अपने राजस्व कार्य हेतु तहसील सीमलवाड़ा में जाया करते थे जिसकी दूरी मात्र 15 किलोमीटर है?

(3) क्या सरकार पुनावाड़ा ग्राम पंचायत के लोगों के हितों को देखते हुए उप तहसील चिखली से पृथक कर पुनः सीमलवाड़ा तहसील में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

भूमिहीनों को मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमि आबंटन

293. श्री अमीन खान (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य के मरुस्थलीय जिलों में भूमि आबंटन की छूट दी गई है? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त जिलों में अब तक कितने भूमिहीनों को कितनी भूमि आबंटित की गई?

(3) क्या सरकार ने जिन–जिन किसानों को भूमि आबंटित की उनको सनद व कब्जा दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(6) राज/6/97/7 दिनांक 27.8.01 के द्वारा आबंटन एवं नियमन पर लगे प्रतिबन्ध में शिथिलता प्रदान की गयी है।

(राजस्व मंत्री)

(2) राज्य में भूमिहीनों को आबंटित की गयी भूमि का विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(3) बिन्दु सं. 2 के अनुसार।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में भूमिहीनों को बारानी भूमि का आबंटन

294. श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बारानी भूमि भूमिहीनों को आबंटित करने के लिये उपलब्ध है?

(2) क्या गत चार वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में भूमि आबंटन हेतु प्रार्थना पत्र विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त को कब तक भूमि आबंटित कर दी जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। गत चार वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में 127 बीघा 09 बिस्वा भूमि भूमिहीन व्यक्तियों को आबंटन की गई है।

(3) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के भू-आबंटन शिविरों में अनियमितता

295. श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 2001 व 2002 में विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) की तहसील मालाखेड़ा और उप तहसील में लगे भू-आबंटन शिविरों में कितनी भूमि के पट्टे स्वीकृत किये जा चुके है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शिविरों में गलत आबंटन भी किये गये हैं? क्या उक्त के विरुद्ध अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं?

(3) क्या सरकार अनियमित रूप से जारी पट्टों के सम्बन्ध में जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 2001 व 2002 में विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की तहसील मालाखेड़ा और उप तहसील में लगे भू-आबंटन शिविरों में कुल 189 व्यक्तियों को 50.31 हैक्टेयर भूमि आबंटित की जाकर पट्टे जारी कर स्वीकृत किये गये हैं।

(2) प्राप्त सूचना के अनुसार शिवरों में गलत आबंटन नहीं किये गये तथा न्यायालयों में कोई प्रकरण दायर नहीं हुए हैं।

(3) शिविरों में गलत आबंटन नहीं होने से कोई जांच अपेक्षित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में जलग्रहण एवं भू-संरक्षण के कराये गये कार्य

296. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में 1 दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक जलग्रहण व भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से क्या-क्या विकास कार्य कराये गये हैं? कार्य का विवरण मय तिथि व स्थान के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौन से कार्य उक्त क्षेत्र में स्वीकृत हैं? प्रगतिरत कार्य विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से कुल 63 विकास कार्य सम्पादित करवाये गये। कार्यों का विवरण मय तिथि व स्थान संलग्न परिशिष्ट-1 के पृष्ठ संख्या 1 से 4 (कालम संख्या-1 से 5) पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त क्षेत्र में संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार सभी 63 कार्य स्वीकृत हैं। उक्त में से 27 प्रगतिरत कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 के पृष्ठ संख्या 1-4 पर (कालम संख्या 10) प्रस्तुत है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जिन्सवार बुआई

297. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) व **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 2002-03 में गंग कैनाल, भाखड़ा एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में चना, सरसों, जौ व गेहूं की कितनी- कितनी बुआई की गई? जिलावार एवं परियोजनावार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2002-2003 में गंग कैनाल, भारवड़ा एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में चना, सरसों, जौ व गेहूं की अनुमानित बुआई का जिले एवं परियोजनावार विवरण परिशिष्ठ-1 पर संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

जिला क्षय रोग अधिकारी जालौर के विरुद्ध मारपीट की जांच

298. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार को जिला क्षय रोग अधिकारी जालौर द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध मारपीट की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मारपीट व दर्ज मुकदमों पर जालौर जिले के समस्त चिकित्सा कर्मचारियों ने रोष प्रकट कर जिला कलक्टर जालौर से उक्त अधिकरी के विरुद्ध न्याय की मांग की थी? यदि हां, तो क्या जिला कलक्टर जालौर द्वारा उक्त सम्बन्ध में जांच करवाई गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(3) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर जालौर ने उक्त अधिकारी को निलम्बित करने की सिफारिश चिकित्सा निदेशक को की गई? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री पप्पू राम, वार्ड बाय एवम् श्री राजेन्द्रपुरी गोस्वामी, कनिष्ठ लिपिक, जिला क्षय निवारण केन्द्र, जालौर के द्वारा तत्कालीन जिला क्षय रोग अधिकारी, जालौर के द्वारा जिला कलक्टर, जालौर के विरुद्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी, जालौर को मारपीट एवं अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई।

(2) श्री राजेन्द्रपुरी गोस्वामी, कनिष्ठ लिपिक को थप्पड़ मारने एवम् गाली गलोच करने के सम्बन्ध में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, जालौर को शिकायत करने, पर उप खण्ड अधिकारी, जालौर के द्वारा उक्त प्रकरण में जांच की गई। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जिला कलक्टर, जालौर के द्वारा उक्त अधिकारी को निलम्बित करने की सिफारिश की गई, परन्तु सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के द्वारा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि उक्त प्रकरण की विस्तृत जांच निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर में पदस्थापित अधिकारी से कराई जाए तो उपयुक्त होगा। इस पर कार्यवाही करते हुए संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को जांच किये जाने हेतु नियुक्त किया गया है। जांच प्रक्रियाधीन है।

(जांच रिपोर्ट की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट -7 देखें)

चिकित्सा केन्द्र बांदनवाड़ा (अजमेर) का रोमी वाहन

299. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बांदनवाड़ा (अजमेर) में चिकित्सा केन्द्र है? यदि हां, तो किस श्रेणी का?

(2) क्या उक्त चिकित्सालय में दो पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं?

(3) क्या उक्त चिकित्सालय में एम्बुलेंस की सुविधा है? यदि हां, तो कब से?

(4) क्या गत दो वर्षों से बांदनवाड़ा केन्द्र पर उक्त वाहन चल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम बांदनवाड़ा (अजमेर) में 6 शैय्याओं युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदनवाड़ा (अजमेर) में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का मय रिक्ति अवधि सहित विवरण निम्नप्रकार है :-

(चिकित्सा मंत्री)

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
1.	चिकित्सा अधिकारी	1	-	-
2.	सैक्टर सुपरवाइजर	1	1	2/2000
3.	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	9/98
4.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	-	-
5.	प्रसाविका	1	-	-
6.	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	-	-
7.	लैब टेक्नीशियन	1	-	-
8.	वार्ड बाय	2	-	-
9.	स्वीपर	1	-	-

(3) रोगी वाहन की सुविधा वर्ष 1995-96 से सोसियल सेफ्टीनेट स्कीम के तहत उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध कराई गई है।

(4) जी हां। उक्त स्कीम के तहत वाहन उपलब्ध कराने के कारण चल रहा है।

रेडियोग्राफर/सहायक रेडियोग्राफर के रिक्त पदों पर प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति

300. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में रेडियोग्राफर/सहायक रेडियोग्राफर के कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं?

(2) अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

(3) उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया विहित है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में प्रदेश में सरकारी प्रशिक्षण क्रेन्द्रों से प्रशिक्षित कितने अभ्यर्थी बेरोजगार हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार चिकित्सालयों में रिक्त रेडियोग्राफर/सहायक रेडियोग्राफर पदों पर संविदा पर नियुक्तियां किये जाने हेतु रिटायर्ड व्यक्तियों से आवेदन पत्र सम्बन्धित चिकित्सालयों द्वारा मांगे गये थे? यदि हां, तो बेरोजगार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध रहते हुए रिटायर्ड व्यक्तियों को नियुक्ति दिये जाने का क्या औचित्य है? क्या सरकार भविष्य में ऐसे रिटायर्ड व्यक्तियों को हटाकर प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में रेडियोग्राफर/सहायक रेडियोग्राफर के कुल 514 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में उनमें से 52 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की संस्थावार सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) रेडियोग्राफर के उक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र कराने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सहायक रेडियोग्राफर के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है।

(3) नियुक्ति हेतु रोजगार कार्यालय से विभाग द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त कर अथवा नियुक्ति हेतु विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर नियमों में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार चयन समिति का गठन कर उसकी अभिशंसा पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाती है। नियमों की प्रति परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(4) सरकारी प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राइवेट अस्पतालों व क्लिनिकों में भी रोजगार उपलब्ध होता है। राज्य सरकार के पास सरकारी प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं, उसकी जानकारी नहीं है।

(5) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

एड्स रोगियों को देय चिकित्सा सुविधा

301. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में एड्स के रोगी पाये गये हैं? यदि हां, तो कितने? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रोगियों को राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा सुविधा किस प्रकार से उपलब्ध कराई जा रही है? क्या उक्त को मुक्त दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही है? यदि हां, तो किस प्रकार से किन किन चिकित्सालयों में?

उत्तर

(1) जी हां। दिसम्बर, 2002 तक राज्य के विभिन्न जिलों में 597 एड्स रोगियों की सूचना प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त 52 रोगी अन्य राज्यों से उपचार के लिए राज्य के अस्पतालों में आए। इस प्रकार कुल 649 एड्स रोगियों की सूचना प्राप्त हुई हैं। जिलेवार एवं बाहर से आए रोगियों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के सभी मेडिकल कालेज स्तर एवं जिला स्तर के चिकित्सालयों पर आने वाले एच.आई.वी. एवं एड्स के रोगियों में होने वाले यौन रोग व अवसरवादी संक्रमण जैसे–हरफी, जोस्टर, क्षय, रोग, मुंह में फंफूदी, दस्त, खांसी, बुखार आदि के लिए नि:शुल्क औषधियों

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

का प्रबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त बी.पी.एल. कार्डधारियों को राज्य सरकार द्वारा औषधियों हेतु उपलब्ध बजट से एवं मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा औषधियां उपलब्ध कराई जाती है। बी.पी.एल. कार्डधारी एड्स रोगियों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से एन्टी रिट्रो वायरल औषधियां एस.एम.एस. अस्पताल की मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

उप खण्ड शाहाबाद में कार्यरत कनिष्ठ/सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध लम्बित जांच

302. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप खण्ड शाहाबाद में कार्यरत श्री अशोक मीणा सहायक अभियन्ता व उप खण्ड मांगरोल में कार्यरत श्री तोरण सिंह कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध सम्पूर्ण सेवाकाल में अनियमितताएं तथा अनुशासनहीनता सम्बन्धी क्या-क्या मामले सामने आये या शिकायतें प्राप्त हुई?

(2) उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में कौन-कौन जांच अधिकारी थे एवं उन्होंने कब जांच पूरी की तथा जांच प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को कब उपलब्ध कराया और जांच प्रतिवेदनों के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? क्या जांच तय समय सीमा अवधि में पूरी कर ली गई थी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध इतने गम्भीर मामलों में भी कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं? उक्त मामलों में कार्यवाही में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि जिन अधिकारियों को सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करनी थी उन्होंने मामले को रफा-दफा करने की कार्यवाही की है? यदि हां, तो ऐसे कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उप खण्ड शाहबाद में कार्यरत श्री अशोक मीणा, सहायक अभियन्ता व उप खण्ड मांगरोल में कार्यरत श्री तोरण सिंह के विरुद्ध अनियमितताएं एवं अनुशासनहीनता सम्बन्धी जो मामले आये या शिकायतें प्राप्त हुई, उनका विवरण परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'' पर क्रमशः उपलब्ध है।

(2) उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में जांच अधिकारी एवं जांच पूर्ण किये जाने तथा जांच प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को उपलब्ध कराये जोन एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'' पर उपलब्ध है। जांच के लिये कोई सीमा अवधि तय नहीं की गई थी।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) उक्त सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी नहीं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत मुख्यालय अकलीमपुर (अलवर) हेतु सड़क निर्माण

303. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला–अलवर का पंचायत मुख्यालय अकलीमपुर सड़क विहीन पंचायत मुख्यालय है? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक मुख्य सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव रखती है?

उत्तर

जी हां। इस सड़क की वर्तमान में कोई स्वीकृति नहीं है। अतः इस सड़क का निर्माण सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र खारची में सड़क उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत स्वीकृत सड़कें

304. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है सरकार ने प्रति विधायक सड़क उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत डेढ़ करोड़ राशि के कार्य करवाये जाने का प्रावधान रखा है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र खारची में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 में कितनी राशि की कितनी-कितनी सड़कें स्वीकृत की हैं?

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्तमान में उक्त सड़कों की भौतिक स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि स्वीकृत सड़कों में भारी मात्रा में बचत राशि रही तथा स्वीकृत सड़कों में अभी भी कार्य करवाये जाने शेष हैं? सड़कवार बचत राशि एवं शेष करवाई जाने वाली सड़क कार्य की सूची सदन मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त बचत राशि से विधायक द्वारा की गई अनुशंसा पर कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार शेष रही सड़कों का कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र खारची में वर्ष 2001-02 में 23 सड़कें 60 किमी. लम्बाई राशि 150 लाख एवं वर्ष 2002-03 में 7 सड़कें 58.20 किमी. लम्बाई, राशि 145.50 लाख रुपये की स्वीकृत की है।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों पर व्यय राशि एवं भौतिक प्रगति का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी नहीं। पूर्ण कार्य एवं शेष रहे कार्य व बचत राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(4) जी नहीं। अकाल से निपटने हेतु संसाधनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये शेष राशि के कार्य स्वीकृत नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

(5) जी हां। सड़क "सम्पर्क सड़क राजावास से राजावास स्टेशन" पर जल निकासी हेतु पंचायत या स्थानीय विधायक कोष से धन उपलब्ध कराने पर कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव होगा। कार्य जून, 2003 तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

विधान सभी क्षेत्र सिरोही के ग्रामों में सड़क निर्माण

305. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा क्षेत्र सिरोही के गांवों में दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? विवरण ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक किये गये कार्यों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में अपूर्ण सड़क निर्माण कार्य

306. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2002-03 के लिये विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के लिये सड़क सुधार एवं उन्नयन योजना फैज द्वितीय में कार्य विभाग की बजाय कृषि उपज मण्डी को दिया गया है? यदि हां, तो अब तक उक्त योजना के अन्तर्गत क्षेत्र में किस-किस सड़क का कार्य पूर्ण किया जा चुका है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार शेष सड़कों का कार्य कब तक पूर्ण कराये जाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त योजना के अन्तर्गत फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में अब तक सम्पर्क सड़क डाबड़ी पर डामरीकरण का कार्य क्रिया जा चुका है।

(2) शेष कार्यों को माह मई, 2003 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की भीण्डर-रामगढ़ सड़क की चौड़ाई

307. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभी क्षेत्र सहाड़ा में भीण्डर-रामगढ़ सड़क एम.डी.आर. श्रेणी की सड़क है।

(डा. रतन लाल जाट)

(2) क्या उक्त सड़क भीण्डर से शुरू होकर रामगढ़ में समाप्त होती है?

(3) क्या उक्त सड़क उदयपुर, राजसमन्द भीलवाड़ा एवं अजमेर जिलों को जोड़ती है?

(4) क्या उक्त सड़क इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी इसकी चौड़ाई पर्याप्त नहीं होने से कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?

(5) क्या सरकार उक्त सड़क को एम.डी.आर. से स्टेट हाइवे घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। इस आशय के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तहसील आसीन्द (भीलवाड़ा) की क्षतिग्रस्त सड़कें

308. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) के आसीन्द से भीम वाया कटार के कटार चौराया से कटार तक की सड़क पर खड्डों के पेच वर्क का कार्य कब तक होगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्णित सड़क कृषि विवरण बोर्ड के पास है। जिनके अनुसार आसीन्द भीम रोड पर कटार चौराया से कटार सड़क पर खड्डों के पेच वर्क का कार्य वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र चौरासी में मेवाड़ा घाटे की कटाई

309. **श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौरासी में थाना में मेवाड़ा विरपोर सड़क गुजरात सीमा पर है? क्या उक्त सड़क पर एक बड़ा घाटा है जिससे आम वाहन को आने–जाने में दुर्घटना का भय बना रहता है?

(2) क्या सरकार मेवाड़ा घाटे की कटाई करके नीचे लेवल में कराने का विचार रखती है? यद हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

जी नहीं।

(2) जी नहीं।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) जयपुर द्वारा स्थानान्तरणों में अनियमितताओं की जांच

310. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) जयपुर द्वारा वर्ष 2002 में किये गये स्थानान्तरणों में की गई अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? क्या सरकार उक्त शिकायतों की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) जयपुर द्वारा वर्ष 2002-03 में किये गये समानीकरण में भी अनियमितताएं किये जाने की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या उक्त जांच करवाई गई है? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अब कब तक जांच करवा दी जाएगी?

उत्तर

(1) जी हां। इन शिकायतों पर राज्य सरकार द्वारा जांच करवाई का चुकी है।

(2) जी नहीं।

(3) चूंकि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई इस कारण जांच करवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

जिला हनुमानगढ़ के विद्यालयों में रिक्त पद

311. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला हनुमानगढ़ में कुल कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कौन-कौनसे ऐच्छिक विषय पढ़ाये जाते हैं एवं उक्त के लिये कितने अध्यापकों के पद सृजित हैं तथा कितने अध्यापक कार्यरत हैं और कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ में 93 राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा 55 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी है।

(2) उक्त विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले ऐच्छिक विषय स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को विभिन्न विषयों के रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी है। डीपीसी के आयोजन पर रोक हटाई जा चुकी है। द्वितीय श्रेणी अध्यापकों पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में जाने के

(शिक्षा मंत्री)

परिणामस्वरूप नियमों में संशोधन के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं। तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के पद कार्मिक एवं वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरे जा सकेंगे।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र की कोटपूतली के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद

312. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के प्राथमिक विद्यालयों में भवनों तथा शिक्षकों की बहुत कमी है? यदि हां, तो कब तक आपूर्ति हो जायेगी?

(2) उक्त विद्यालयों की छात्र/शिक्षक संख्या के अनुपात में कितने पद रिक्त हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात में तृतीय श्रेणी के 22 पद रिक्त हैं।

तहसील बहरोड़ व नीमराणा के विद्यालयों में रिक्त पद

313. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील बहरोड़ व नीमराणा के अन्तर्गत आने वाली माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किन–किन श्रेणी/विषयों के कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों के भरने के लिये सरकार क्या नीति अपना रही है?

(3) तहसील बहरोड़ व नीमराणा के बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय व बालिका माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किन–किन विषयों व श्रेणी के पद रिक्त हैं?

(4) अब सरकार कब तक उक्त रिक्त पदों को भर देगी?

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में श्रेणी/विषयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने हेतु विभिन्न विषयों की अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी है। डीपीसी के आयोजन पर लगाई गई रोक आदेश दिनांक 31.12.02 को ही हटाई गई है अतः डीपीसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में आ जाने के परिणामस्वरूप नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित बालिका माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में श्रेणी/विषयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पद इस प्रकार है :

तहसील	रिक्त पद		
	द्वि.श्रेणी	तृ.श्रेणी	शा.शि.
बहरोड़	2	1	1
नीमराणा	4	1	5
योग	6	2	6

(4) प्रश्न के भाग संख्या–02 के अनुसार।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला शिक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा नियुक्ति में अनियमितता

314. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) एवं डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर द्वारा वर्ष 1983-84 व 1984-85 में तृतीय वेतन श्रृंखला के कुल कितने शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नियुक्त आशार्थियों में से कुछ के विरुद्ध फर्जी शैक्षणिक खेलकूद व अन्य प्रमाण-पत्र लगाकर वरिष्ठता सूची को प्रभावित करके नियुक्ति प्राप्त करने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किनके विरुद्ध और उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर द्वारा श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री दाताराम यादव एवं श्री मोहर सिंह पुत्र श्री जयनारायण यादव निवासी जिला अलवर को भी शारीरिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो उक्त दोनों द्वारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक, खेलकूद व अन्य प्रमाण-पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर द्वारा वर्ष 1983-84 में 33 शारीरिक शिक्षकों को एवं वर्ष 1984-85 में 07 शारीरिक शिक्षकों को तृतीय वेतन श्रृंखला में नियुक्ति प्रदान की गई, की सूची सदन की पटल पर परिशिष्ट "क" में रख दी गई है।

(2) जी नहीं। क्योंकि जिले में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाकर वरिष्ठता सूची को प्रभावित करके नियुक्ति प्राप्त करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) प्रश्न में वर्णित जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर द्वारा नियुक्ति नहीं दी गई है बल्कि नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर द्वारा दी गई है। दोनों आशार्थियों के नियुक्ति के समय प्रस्तुत

(शिक्षा मंत्री)

किये गये प्रमाण पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट "ख" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा वरिष्ठता का निर्धारण हेतु नोटिफ़िकेशन

315. श्री प्रभुलाल (नैनवां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मंत्रालयिक कर्मचारियों की स्वैच्छा पर जिला मण्डल परिवर्तन हेतु वरिष्ठता का निर्धारण करने हेतु राज्य अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम के नोटिफिकेशन दिनांक 31.8.1982 के क्या निर्देश दिये गये और नोटिफिकेशन दिनांक 31.8.1982 कब से प्रभावी है?

(2) निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने शिक्षा उप निदेशक (माध्य.) जयपुर को वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 19.11.2001 से क्या सूचना चाही थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.) जयपुर ने पत्र दिनांक 4.12.2001 के द्वारा उक्त सम्बन्ध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को क्या सूचना भेजी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने पत्र दिनांक 27.12.2001 के द्वारा जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर को क्या सूचना भेजी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नोटिफिकेशन दिनांक 31.8.1982 के द्वारा जिला/मण्डल स्तर पर नियुक्त कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता जिला/मण्डल स्तर पर निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। नोटिफिकेशन दिनांक 31.8.1982, 30.6.1987 से प्रभावी है।

(2) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के पत्र दिनांक 19.11.2001 के द्वारा उप निदेशक (माध्य.) जयपुर से मंत्रालयिक कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण से सम्बन्धित टिप्पणी, नियमों के परिप्रेक्ष्य में चाही गई थी।

(3) शिक्षा उप निदेशक (माध्य.) जयपुर ने पत्र दिनांक 4.12.2001 के द्वारा पत्र दिनांक 19.11.2001 के द्वारा वांछित टिप्पणी भिजवाई गई। पत्र दिनांक 4.12.2001 की छाया प्रति का परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) उप शासन सचिव, जन अभियोग निराकण विभाग, जयपुर को पत्र दिनांक 27.12.2001 के द्वारा अवगत करवाया कि राजस्थान शिक्षा कर्मचारी संघ के प्रकरण वरिष्ठता सम्बन्धी कार्य के लिए सम्बन्धित शिक्षा, उप निदेशक को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं।

(पत्रों की छाया प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

अध्यापकों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया से सम्बन्धित आदेश

316. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा राज्य स्तर से अध्यापकों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया से सम्बन्धित आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो दिनांक 1 जनवरी, 2001 से जनवरी, 2003 तक कौन-कौनसे निर्देश कब-कब जारी किये गये? जारी किये गये आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आदेशों की अनुपालना के सम्बन्ध में कभी राज्य स्तर पर समीक्षा भी की गई? यदि हां, तो कब कब और उसके परिणाम क्या-क्या रहे?

(3) वर्तमान में स्थानान्तरण की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु जारी आदेश की प्रतियों का परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश/परिपत्र दिनांक 7 जनवरी, 2003 की प्रक्रिया अनुसार ही स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किये गये हैं।

(आदेशों की छाया प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या–317

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र बाली के विद्यालयों के छात्रों के अनुपात में अध्यापकों का पदस्थापन

318. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली की प्राथमिक विद्यालय लालपुरा (मालनू) में, प्राथमिक विद्यालय कोपनी (भाडूड) तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुरा (दूदनी) में छात्रों की संख्या के अनुपात में क्रमश: 150 छात्रों पर एक अध्यापक 225 छात्रों पर 2 अध्यापक तथा 180 छात्रों की संख्या पर 2 अध्यापक कार्यरत हैं? यदि हां, तो किस मानदण्ड के आधार पर?

(2) उक्त विद्यालयों में सरकार छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त अध्यापक कब तक लगा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उक्त विद्यालयों की छात्र संख्या व कार्यरत अध्यापकों का विवरण इस प्रकार है :–

	नाम विद्यालय	छात्र संख्या	कार्यरत अध्यापक
1.	राप्रावि–कोपनी	223	02
2.	राप्रावि–लालपुरा (मालनू)	113	02
3.	राउप्रावि–रघुनाथपुरा (दूदनी)	181	1 (द्वि.वे.श्रृं.) + 3 (तृ.वे.श्रृं.)

राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोपनी एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

(शिक्षा मंत्री)

रघुनाथपुरा में मानदण्ड से कम अध्यापक कार्यरत हैं।

(2) समानीकरण प्रक्रिया अन्तर्गत अधिशेष अध्यापकों की उपलब्धता पर छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त अध्यापक लगाए जायेंगे।

उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

319. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1999–2000 में वरिष्ठ उर्दू अध्यापकों के कितने पद रिक्त थे? उक्त में से कितने पदों पर सरकार द्वारा नियुक्ति दे दी गई? क्या शेष बचे पदों पर सरकार नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त नियुक्ति प्रक्रिया में जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब, अदीब–माहिर, कामिल की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी वरीयता सूची में शामिल थे? यदि हां, तो क्या उनको नियुक्ति दे दी गई और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब, अदीब माहिर, कामिल की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक पद रिक्त रखे गए हैं? यदि हां, तो कितने और नहीं, तो क्यों?

(4) वर्ष 1999 से जनवरी, 2003 के बीच जामिया उर्दू अलीगढ़ से डिग्री प्राप्त कितने अभ्यर्थियों को वरिष्ठ अध्यापक उर्दू के पदों पर नियुक्ति दी गई? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999–2000 में वरिष्ठ उर्दू अध्यापक के 231 पद रिक्त थे जिनमें से 219 पदों पर नियुक्ति दी गई थी तथा 01 पद महिला आशार्थी उपलब्ध ना होने से रिक्त रहा था, साथ ही 11 पद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में रिक्त रखे गये हैं।

(2) जी हां। लेकिन उक्त आशार्थियों को माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण नियुक्तियां नहीं दी गई।

(3) जी हां। उक्त आशार्थियों हेतु कुल 11 पद रिक्त रखे गये हैं।

(4) वर्ष 1999 से जनवरी, 2003 के बीच की अवधि में उक्त डिग्री प्राप्त आशार्थियों को वरिष्ठ अध्यापक–उर्दू के पदों पर नियुक्तियां नहीं दी गई हैं।

जाट बहरोड़ (अलवर) में स्वयंपाठी छात्रों की परीक्षा शुल्क रिकार्ड सम्बन्धी जांच

320. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर के यहां सीनियर माध्यमिक विद्यालय जाट बहरोड़ (तहसील मुण्डावर) में स्वयंपाठी छात्रों की परीक्षा शुल्क/रिकार्ड आदि से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर एक जांच कई वर्षों से

(श्री नाथूराम अहारी)

लम्बित है? यदि हां, तो क्यों? जांच रिपोर्ट देने में हो रही देरी के कारणों सहित उसकी अब तक की प्रगति रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच छात्रों के हित को ध्यान में रख कर अब कब तक पूर्ण कराली जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। सीसीए-16 की जांच गहनता से करने में समय अधिक लगता है। अत: समय साध्य होने के कारण जांच अभी प्रक्रियाधीन है। जांच प्रक्रियाधीन होने से अब तक की प्रगति रिपोर्ट सदन की मेज पर फिलहाल रखना सम्भव नहीं है।

(2) जांच प्रक्रियाधीन है।

जिला भीलवाड़ा में संविदा अध्यापकों की नियुक्ति

321. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) संविदा अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर क्या-क्या आदेश जारी किये हैं? उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कई जिलों में संविदा अध्यापकों को वहां की जिला परिषदों ने नियुक्ति दे दी है? क्या कुछ जिलों में ऐसा नहीं किया गया है? ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर ऐसी नियुक्तियां हो गई तथा ऐसे कौन से जिले बाकी हैं जहां नियुक्तियां नहीं हुई हैं?

(3) क्या जिला भीलवाड़ा की जिला परिषद् द्वारा संविदा अध्यापकों की नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो उक्त नियुक्तियां कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) संविदा अध्यापकों की नियुक्ति सम्बन्धी जारी आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां।

नियुक्ति प्रदान करने वाले जिले :-

बीकानेर, झुंझूनूं, सीकर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, नागौर, झालावाड़।

नियुक्ति नहीं देने वाले जिले :-

चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, दौसा, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, टोंक, कोटा, सवाईमाधोपुर, बून्दी, बारां, श्रीगंगानगर, करौली।

(3) जी नहीं। अपितु जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा 31.10.2001 तक प्राप्त आवेदनों में से 48 संविदा अध्यापकों को नियुक्ति दी जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा संशोधित परिपत्र जारी कर 15 फरवरी, 03 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं जिस पर नियुक्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(आदेशों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बांसवाड़ा में पूर्व संविदा अध्यापकों की स्थाई नियुक्ति

322. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला बांसवाड़ा में जिला परिषद् द्वारा कोई पूर्व संविदा से अध्यापकों की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो कितने?

(2) क्या सरकार उक्त जिले में पूर्व संविदा अध्यापकों को स्थाई नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जिला परिषद् बांसवाड़ा द्वारा 71 पूर्व संविदा अध्यापकों की नियुक्तियां दी गई है।

(2) संविदा अध्यापकों को स्थाई नियुक्ति देने सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही के सम्बन्ध में ज़िला स्थापना समिति के द्वारा नियुक्तियां दी जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी नागौर के कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मी

323. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) नागौर के कार्यालय में श्री केदार जोशी वरिष्ठ लिपिक किस तारीख से पदस्थापित है?

(2) क्या उक्त कर्मी का स्थानान्तरण दो वर्ष पूर्व विधायक की अनुशंसा पर कर दिया गया था?

(3) क्या उक्त कर्मचारी को पुनः प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है? यदि हां, तो कहां और किस आदेश से? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अधिकारी सरकार के आदेशों से स्थानान्तरण कर देने के पश्चात् पुनः प्रतिनियुक्ति पर लगाने का अधिकार रखते हैं? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत?

(5) क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या जिला शिक्षा अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर जिला कलक्टर द्वारा नोटिस दिया है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) श्री केदार जोशी, वरिष्ठ लिपिक वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) नागौर के कार्यालय में कार्यरत नहीं है।

(2) आदेश दिनांक 22.7.2000 के द्वारा उक्त कार्मिकों का स्थानान्तरण राउमावि, डेह में राज्यादेश की पालना में किया गया।

(3) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी नागौर–प्रथम के आदेश दिनांक 3.7.2001 के द्वारा अति आवश्यक एवं समयबद्ध कार्य के निष्पादन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी के

(शिक्षा मंत्री)

कार्यालय में लगाया गया था। आदेश की छाया प्रति परिशिष्ट- "क" सदन के पटल पर रख दिया गया।

(4) अति आवश्यक एवं समयबद्ध कार्य को सम्पादित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं में कार्य करने वाले लोक सेवकों की कुछ समय के लिए सेवाएं ली जाती है, इस हेतु अलग से कोई नियम नहीं बने हुए हैं।

(5) विभाग एवं राज्य हित में श्री जोशी की सेवाएं कुछ समय के लिए ली गई है, अतः कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं बनता है।

(6) जी हां। जिला कलक्टर से प्राप्त नोटिस उत्तर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें भिजवाया जा चुका है।

(आदेश की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

विधान सभा क्षेत्र आमेर, बस्सी, जमुवारामगढ़ के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

324. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर, बस्सी व जमुवारामगढ़ में छात्रों से कम्प्यूटर की फीस तो वसूल कर ली गई है लेकिन बिजली रात्रि के समय आने के कारण कम्प्यूटर शिक्षा नहीं दी गई है?

(2) क्या सरकार विद्यालय समय में विद्युत सप्लाई कायम कर छात्रहित में कम्प्यूटर शिक्षा को सार्थक सिद्ध करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार उक्त शिक्षा हेतु ऊर्जा विभाग से सामन्जस्य स्थापित कर उक्त व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) छात्रों से नियमानुसार कम्प्यूटर शिक्षा की फीस वसूल की गई एवं उन्हें नियत कालांश में कम्प्यूटर शिक्षा भी प्रदान की गई।

(2) कम्प्यूटर के साथ यू.पी.एस. सिस्टम होता है जिसकी मदद से बिना बिजली के भी एक निश्चित अवधि तक कम्प्यूटर संचालित किया जाता है।

(3) विद्युत की नियमित आपूर्ति हेतु सरकार प्रयासरत है।

जिला शिक्षा अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा समानीकरण के तहत स्थानान्तरण

325. श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2001 में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा बांसवाड़ा द्वारा समानीकरण की आड़ में पीपलखूंट, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, बागीदौरा, आनन्दपुरी गढ़ी व घाटोल के शिक्षकों को पंचायत समिति तलवाड़ा में स्थानान्तरित कर दिया था? यदि हां, तो

(श्री कनकमल कटारा)

उक्त अधिकारी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(2) क्या जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा बांसवाड़ा ने दिनांक 28.2.2001 को अपने आदेशों में संशोधन एवं निरस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाड़ा ने दिनांक 28.2.2001 को जिला स्थाई स्थापना समिति के अनुमोदनोपरान्त समानीकरण आदेशों में संशोधन/निरस्त के आदेश जारी किए।

जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर के कार्यालय में शिक्षकों के मेडिकल बिलों के भुगतान में अनियमितता

326. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों के शिक्षकों के वर्ष 1997 से मेडिकल बिलों को भुगतान बकाया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि कई शिक्षकों/कर्मचारियों के इसके बाद की तिथियों के मेडिकल बिलों को भुगतान कर दिया गया है? क्या सरकार उक्त असमानता की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बजट उपलब्धता के आधार पर मेडिकल बिलों का भुगतान किया जाता है।

(2) मेडिकल बिलों के पुनर्भरण की व्यवस्था में असमानता के सम्बन्ध में जांच करवाई जा रही है।

वरिष्ठ अध्यापक सांथू (जालौर) का बकाया भुगतान

327. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री हस्ताराम पुरोहित वरिष्ठ अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सांथू (जालौर) ने दिनांक 31 जनवरी, 95 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापक के अभी तक नवीन वेतनमान के एरियर का भुगतान नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों और अब उन्हें सभी तरह के दिनांक 31.1.1995 से पहले के अन्य लाभ कब तक देकर वेतन एरियर का भुगतान करा दिया जायेगा? उक्त को पेंशन का कब तक भुगतान किया जावेगा?

(3) अब तक उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। उक्त को पेंशन का भुगतान स्वयं द्वारा पेंशन विभाग द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज भरकर प्रस्तुत करने पर ही किया जा सकेगा।

(3) श्री हस्ताराम को पेंशन प्रकरण तैयार करने हेतु पेंशन कुल व अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर पत्र लिखे गए हैं।

जिला जालौर के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त प्रधानाध्यापकों के पदों पर पदस्थापन

328. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जिला जालौर में माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां है और कौन-कौन प्रधानाध्यापक पदस्थापित हैं तथा किन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं है और जहां प्रधानाध्यापक नहीं है वहां कब तक लगाने की सरकार की मंशा है?

उत्तर

जिला जालौर में 76 राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित है तथा उक्त विद्यालयों में से 38 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक कार्यरत है तथा 28 विद्यालयों में पद रिक्त है। कार्यरत प्रधानाध्याकों एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है। रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी है तथा डीपीसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

पंचायत समिति फागी (जयपुर) के विद्यालयों के शिक्षकों को यथा समय वेतन भुगतान

329. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा समय पर बजट नहीं दिये जाने के कारण उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पाता है? यदि हां, तो क्यों?

(2) अब पंचायत समिति के अधीन संचालित विद्यालयों के शिक्षकों को समय पर वेतन मिले इस हेतु सरकार क्या कोई व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा वर्ष भर का बजट एक साथ स्वीकृत करने की मांग की गई है? यदि हां, तो तत्संदर्भ में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति फागी (जयपुर) के अधीन के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को गत चार माह से वेतन नहीं मिल रहा है? अब इन्हें कब तक वेतन का भुगतान करा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) सामान्यतः समय पर ही वेतन मिलता है। कभी–कभी वेतन आहरण की स्वीकृति जारी करने में विलम्ब हो जाने के कारण वेतन भुगतान समय पर नहीं हो पाता है।

(2) पंचायत समिति के अधीन संचालित विद्यालयों के शिक्षकों को समय पर वेतन मिलने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की हुई है।

(3) जी हां। परन्तु वित्त विभाग द्वारा वर्ष भर का बजट एक साथ स्वीकृत करने के उपरान्त पी.डी. खाते से 3–3 माह की वेतन आहरण स्वीकृति जारी की जाती है।

(4) जी नहीं।

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में सेम समस्याग्रस्त क्षेत्र

330. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के प्रथम चरण में कौन–कौन सी नहरें/वितरिकाएं/माइनर्स ऐसी हैं जो सेम की वजह से सिंचाई सुविधाएं न देने के कारण बंद हैं?

(2) उक्त नहरों/वितरिकाओं एवं माइनर्स के कौन–कौन से चक प्रभावित हैं और उक्त का कितना–कितना क्षेत्र प्रभावित है?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में ऐसी कोई नहर/वितरिका/माइनर नहीं है, जो सेम की वजह से सिंचाई सुविधाएं न देने के कारण बन्द पड़ी है।

(2) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के प्रथम चरण के अन्तर्गत 117 चकों में 5521.41 हैक्टेयर क्षेत्र सेम से प्रभावित हैं। नहरवार एवं चकवार विवरण परिशिष्ट–''अ'' पर संलग्न है। सेमग्रस्त क्षेत्र में भूमि सुधार कार्य हेतु 460.66 लाख रुपये की केन्द्र से स्वीकृत रावतसर पायलट परियोजना के माध्यम से कार्य प्रगति पर है। माह दिसम्बर, 2002 तक 3500 हैक्टेयर क्षेत्र सेम से मुक्त हो चुका है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट – 12 देखें)

बीसलपुर बांध की डूब के विस्थापितों की सुविधाओं में कमी

331. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि बीसलपुर बांध की डूब में आने वाले विस्थापितों को वर्ष 1998 तक दी जाने वाली सुविधाओं को कम किया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्ष 1998 तक विस्थापितों को दी जाने वाली सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई है।

अतारांकित प्रश्न संख्या–332
(स्थगित)

अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को देय अधिकार

333. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राज्य में राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का गठन किया है? यदि हां, तो आयोग को क्या–क्या शक्तियां दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आयोग के गठन हो जाने के एक वर्ष बाद भी आयोग को किसी प्रकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार नहीं दिये गये हैं? यदि हां, तो आयोग के गठन का क्या औचित्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त आयोग को वैधानिक दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। कार्य एवं शक्तियां परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न अधिसूचना दिनांक 19.3.2001 में उल्लिखित है।

(2) संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार शक्तियां पूर्व में ही दी गई है।

(3) जी हां। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(अधिसूचना के लिये कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

तहसील क्षेत्र बाली (पाली) के माड़ा क्षेत्र का जनजाति क्षेत्र में विलय

334. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) एवं श्री हीरसिंह चौहान (रायपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की तहसील बाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोरिया, काकरडी, कुरण, कोयलवा, भीमाणा तथा पीपला क्षेत्र में 99 प्रतिशत जनसंख्या जनजाति गरासिया गमैती भीलों से आबाद है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे पड़ोसी क्षेत्र आबूरोड पिंडवाड़ा, उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र की भांति जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्षेत्र को माडा योजना में सम्मिलित करने के क्या कारण हैं जबकि उक्त क्षेत्र जनजाति में सम्मिलित होने के सभी मानदण्ड पूर्ण करता है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पाली जिले के तहसील बाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोरिया, काकरड़ी, कुरण, कोयलवा, भीमाणा तथा पीपला क्षेत्र में लगभग 99 प्रतिशत जनसंख्या गरासिया, मीणा जनजाति से आबाद है। तहसील बाली को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल करने के प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 23.1.1995 द्वारा भिजवाये गये थे। भारत सरकार से कार्यवाही अपेक्षित है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(2) 1951 में अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने के पश्चात् शेष बचे जनजाति बाहुल्य वाले क्षेत्रों को मानदण्डानुसार माडा तथा माडा कलस्टर क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। उक्त क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित होने के सभी मानदण्ड पूर्ण करता है। इसी आधार पर ही भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये है।

मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण

335. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के आवास के लिये छात्रावास निर्माण स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो कब तथा अब तक उक्त कार्य में कितनी राशि व्यय हुई?

(2) क्या उक्त महाविद्यालय के लिये स्वीकृत छात्र/छात्रा छात्रावास का निर्माण इस शिक्षा सत्र में पूरा हो जावेगा? यदि हां; तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय के छात्रावासों में हो रही देरी के लिये उदासीन अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के आवास के लिये कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) में बालक एवं बालिका छात्रावासों के निर्माण कार्य स्वीकृत हुये थे। बालक छात्रावास वर्ष 1995-96 में स्वीकृत हुआ था, अब तक इस निर्माण कार्य पर लगभग 4.00 लाख रुपये व्यय किये गये हैं एवं कुशलगढ़ (बालिका) कालेज छात्रावास वर्ष 1996-97 में स्वीकृत हुआ था, अब तक इस निर्माण कार्य पर लगभग 13.10 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

(2) उक्त महाविद्यालय के लिये स्वीकृत छात्र/छात्रा छात्रावास का निर्माण कार्य इस शिक्षा सत्र में पूरा होने की सम्भावना नहीं है। उक्त कार्य आवास विकास संस्थान के माध्यम से कराया जा रहा था। आवास विकास संस्थान के बन्द हो जाने के कारण उक्त कार्य अब राजस्थान आवासन मण्डल से कराया जाना है। बालिका छात्रावास को पूर्ण करने हेतु रुपये 12.65 लाख की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। आवास विकास संस्थान की अवसायन कमेटी द्वारा उनके पास अवशेष राशि राजस्थान आवासन मण्डल को उपलब्ध कराई जानी है। राशि प्राप्त होने पर बालक छात्रावास का कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव होगा।

(3) उक्त महाविद्यालय के छात्रावासों के निर्माण में हो रही देरी के लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। पूर्व में यह निर्माण कार्य आवास विकास संस्थान के माध्यम से कराया जा रहा था। किन्तु आवास विकास संस्थान के बन्द हो

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा बाकी निर्माण कार्य राजस्थान आवासन मण्डल को आबंटित किये गये है। आवास विकास संस्थान की अवसायन समिति द्वारा अवशेष राशि उपलब्ध कराये जाने पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

विधान सभा क्षेत्र चौरासी के बंद होम्योपैथिक चिकित्सालय का पुनः संचालन

336. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौरासी में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय है? क्या उसे दिनांक 20.12.02 को बन्द कर स्टाफ हटा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो, क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में चौरासी विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालय बैड़सा में एक होम्योपैथिक औषधालय संचालित है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचयात मुख्यालय ग्रेड में भी एक होम्योपैथिक औषधालय पूर्व में संचालित था, जिसे राज्यादेश दिनांक 27.12.02 द्वारा रोगी संख्या कम होने के कारण अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया है।

(2) जी नहीं। क्योंकि वहां पर रोगी संख्या कम होने से चिकित्सालय का समुचित उपयोग नहीं है।

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना

337. श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) लक्ष्मणगढ़ (अलवर) कस्बे में कितने आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत हैं?

(2) क्या सरकार अब उक्त कस्बे में औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में एक आयुर्वेद औषाधालय हेतु राज्यादेश दिनांक 6.12.1999 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, किन्तु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त औषधालय प्रारम्भ किया जा सकेगा।

जिला नागौर में कार्यरत संस्कृत पाठशालाएं

338. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में वर्तमान में कुल कितनी संस्कृत पाठशालाएं कार्यरत हैं?

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2002–03 के दौरान उक्त जिले में कुल कितनी संस्कृत पाठशालाएं कहां–कहां पर खोली गई? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्तमान में 30 प्राथमिक, 7 उच्च प्राथमिक, 3 प्रवेशिका, 1 वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत पाठशालाएं कार्यरत हैं। सूची पंचायत समितिवार परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2002–03 के दौरान उक्त जिले में संस्कृत शिक्षा विभाग की कोई भी संस्कृत पाठशालाएं नहीं खोली गई हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

विनिष्ट की जाने योग्य गाज पट्टियों की पुनः आपूर्ति

339. सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : क्या परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा मार्च, 1999 में परिवार कल्याण को जो गाज पट्टी सप्लाई की गई थी वह अमानक खरीद कर दी गई है? यदि हां, तो उक्त पट्टियां किन संस्थाओं द्वारा निर्मित की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि अस्वीकृत गाज पट्टियों को नष्ट किया जाना चाहिए था परन्तु उक्त संस्थाओं द्वारा इन्हें पुनः निर्मित (रि–साइकिल) करके पुनः सप्लाई कर दिया गया है? क्या सरकार सम्बन्धित के रिकार्ड की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार के पास उक्त गाज पट्टी के पेटे हैण्डलूम कारपोरेशन को किये गये अग्रिम भुगतान की राशि वापस प्राप्त हो गई है? यदि नहीं, तो अब कब तक वसूल करने का विचार है?

उत्तर

(1) मार्च, 1999 में राजस्थान राज्य हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर ने परिवार कल्याण विभाग को गाज पट्टी की आपूर्ति की थी। उक्त गाज पट्टी प्राप्त होने पर उसकी जांच लेबोरेटरी से करवाए जाने पर अवमानक स्तर की पाई गई जिन्हें माननीय मुख्य मंत्री जी, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आदेश निरस्त कर राजस्थान राज्य हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर को वापस लौटा दी गई। विभाग द्वारा गाज पट्टियां राजस्थान राज्य हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर से क्रय की गई थी।

(2) राजस्थान राज्य हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर से सम्बन्धित है।

(3) जी नहीं। अग्रिम दी गई राशि रुपये 44,84,656.00 को वापस लौटाने के लिए निदेशालय के पत्र क्रमांक 1158–59 दिनांक 28.8.2000 एवं 1407 दिनांक 26.9.2000 एवं अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1681 दिनांक 22.11.2000, क्रमांक

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

2055 दिनांक 16.3.2001, क्रमांक 1032 दिनांक 19.4.2001, क्रमांक 1142 दिनांक 16.5.2001, क्रमांक 2143 दिनांक 29.6.2001 तथा क्रमांक 2585 दिनांक 9.11.2001 के द्वारा राजस्थान राज्य हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर को लिखा गया। लेकिन उपरोक्त प्रयासों के बावजूद राशि नहीं लौटाने पर राशि की वसूली पी.डी.आर. एक्ट के अन्तर्गत करने हेतु कलक्टर (पी.डी.आर.) जयपुर को निदेशालय के पत्र क्रमांक 1292 दिनांक 27.4.2002 को प्रकरण प्रस्तुत किया हुआ है जो प्रक्रियाधीन है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय संदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई :–

श्री सुरेन्द्र व्यास : शिड्यूल कास्ट के आदमी को घोड़ी से उतार लिया, अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : (1) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अकाल राहत कार्यों में कम मजदूर लगाने एवं पक्षपात बरतने के सम्बन्ध में । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नेशनल ब्यूरो क्राइम्स के... (व्यवधान) सुनो न।

श्री जीतमल खांट : हरिजनों पर अत्याचार किया जा रहा है, राजस्थान की इस गहलोत सरकार के बीच में हरिजनों के साथ में...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक शिड्यूल कास्ट के दूल्हे को घोड़ी से उतार कर मार-पिटाई करी है, उप मुख्य मंत्रीजी की कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर। अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : (2) श्री हरीशचन्द्र कुमावत, सदस्य की ओर से राजस्थान स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन, कुचामन सिटी द्वारा प्रशिक्षण भत्ते का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं है। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :

श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा घटिया ट्रांसफार्मर्स क्रय करने के सम्बन्ध में।

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(12.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण आपको, आज भास्कर रंगा हुआ है पूरा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो न। मैं बताता हूं न अभी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री अरुण सिंह : मुख्य मंत्री के गृह क्षेत्र में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के क्षेत्र में हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए न।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बारातियों पर पत्थरों से बरसात की गई, उपाध्यक्ष महोदय, यह गहलोत सरकार क्या कर रही है...

श्री अरुण सिंह : उप मुख्य मंत्री के गृह क्षेत्र में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : और अब क्या जवाब दे रही है। बारम्बार दलितों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। जहां इस तरह से वारदातें होती हैं और सरकार कोई भी गम्भीरता से इसको नहीं लेती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें न। आप बिराजें, बिराजें। आप बैठे तो सही।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कार्यवाही करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, यह बहुत ही शर्म की बात है कि उप मुख्य मंत्री के क्षेत्र में यह बात हुई है। इससे बुरी बात क्या होगी। (व्यवधान) पूरी बैरवा जाति और बैरवा लोगों के खिलाफ...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री अरुण सिंह : आजादी के 55 साल हो गये और अत्याचार हो रहे हैं यहां राजस्थान में, उप मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र में हो रहे हैं...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि आपको तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए, आप भी बैरवा हो और बैरवाओं के साथ यह हो रहा है उप मुख्य मंत्रीजी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री अरुण सिंह : बैरवा साहब, इस्तीफा दो आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : और आपके निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है, यह बहुत ही बुरी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें न।

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्रीजी उसी बारे में आपको सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री अरुण सिंह : आपके क्षेत्र में हुआ है...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह आपके क्षेत्र में हुआ है। उप मुख्य मंत्री हैं आप, जाति से बैरवा हैं। आप भी बैरवा हो उप मुख्य मंत्रीजी। जाति से बैरवा हो, आपको

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

इस्तीफा दे देना चाहिए, तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए आपको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बंशीवालजी। बंशीवालजी, आप बिराजिए।

डा. के. सी. चौधरी : इनको कहे अपनी जगह से बोले न।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बोल रहा हूं ना। काहे के लिए बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रश्न पर पर्ची आई हुई है। अभी प्रश्न आयेगा सामने और अभी बात होगी इस पर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वह स्टेटमेंट। पर्ची का सवाल नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण, नेशनल ब्यूरो क्राइम्स, मेरे सवाल के जवाब में कल गवर्नमेंट एडमिट करती है...

श्री उपाध्यक्ष : उसका जवाब आयेगा न तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कि भारतवर्ष के अन्दर दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा अगर कहीं होते हैं, राजस्थान में होते हैं। यह गवर्नमेंट का जवाब है। यह गवर्नमेंट का जवाब है कि नेशनल ब्यूरो क्राइम्स की रिपोर्ट है 2000 की जिसके अन्दर राजस्थान में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। आज इतना गम्भीर विषय है, आपको होम मिनिस्टर को कहना चाहिए कि स्टेटमेंट आये, इस पर कोई पर्ची का सवाल नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : जीरो आवर चल रहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, जीरो आवर चले हमारा, जीरो आवर चालू हो गया, जीरो आवर हो...(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनका स्टेटमेंट होना चाहिए।

डा. सी. पी. जोशी : पहले 295 पर रुलिंग चालू हो गई, रूलिंग तो हो। काहे का एडजोर्नमेंट मोशन है..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : जोशीजी, यह..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप पहले आयेंगे, इस पर..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

डा. सी. पी. जोशी : सरकार मना थोड़े ही कर रही है। सरकार तैयार है, आप बात सुने पहले।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उप मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र में हुआ है, उप मुख्य मंत्रीजी के...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आप जब भी आदेश देंगे, मैं सारी स्थिति को स्पष्ट कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। आप क्या चाहते हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह चाहता हूं, हमने क्वेश्चन आवर की सेंक्टिटि को वायलेट नहीं किया। लेकिन क्वेश्चन आवर के इमीजियेटली बाद, सबसे पहले इस बात पर विचार होना चाहिए, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आना चाहिए।

डा. सी. पी. जोशी : नही, पहले रूलिंग तो होवे, रूलिंग तो होवे... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज पर्ची का सवाल नहीं है, सुओमोटो भी गवर्नमेंट का, इतना बड़ा इंसीडेंट हो गया...

डा. सी. पी. जोशी : कह रहे हैं वह तो...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको-अपने आप ही स्टेटमेंट देना चाहिए। कोई जरूरी है क्या कोई...

डा. सी. पी. जोशी : कौन मना कर रहा है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह जरूरी है क्या कि पहले पर्ची ले करके आप स्टेटमेंट देवें?

डा. सी. पी. जोशी : पहले रूलिंग तो देवे 295 पर।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो संवेदनशील सरकार हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें। गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देने में कोई आपत्ति नहीं है...

डा. सी. पी. जोशी : बात खतम हो गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपत्ति है न, कहां दे रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये न। इस पर फिर बाद में जो दो पर्चियां आई हुई है...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह पर्ची नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए इस बात पर। नहीं, मैं उधर बैठूंगा इस बात के लिए..

श्री उपाध्यक्ष : फिर वह जब दे रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जायेगा। आप तय कर लो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कोई जरूरत नहीं है पर्ची की।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट का आ जायेगा स्टेटमेंट।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कब आयेगा?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : हमें सरकार का जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। हमें सरकार का जवाब चाहिए, नहीं हम उधर बैठेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आप टाइम तय कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये न, आप बैठिये। मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रश्न पर दो पर्चियां आई हुई हैं, दो माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। उस पर बोलने के बाद गवर्नमेंट का स्टेटमेंट करा देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं–नहीं, उसके बाद नहीं। आप देखिये, मैं, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नहीं, यह तो पर्ची निकाल दी, पर्ची पर यह मामला आ गया इसलिए आप कह रहे हो कि पर्ची पर बोल लेंगे। अगर पर्ची नहीं आती फिर क्या करते?

श्री उपाध्यक्ष : क्या होगा, फिर उसका क्या होगा? इनका क्या होगा फिर?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अगर पर्ची नहीं आती...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं–नहीं, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट दे दें...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : सरकार तैयार है, गवर्नमेंट तैयार है स्टेटमेंट देने के लिए...

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे, कोई तकलीफ नहीं है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आप क्या यह नहीं समझते कि यह इतना गम्भीर मसला है...

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ रहा हूं इसलिए इस पर स्टेटमेंट दिला रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इस पर गवर्नमेंट को खुद को आफर करना चाहिए स्टेटमेंट, कोई जरूरी है क्या कि पर्ची आये और मोशन आवे।

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीर मुद्दा है इसलिए आप सुनिये। माननीय सदस्य..

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर पर्ची नहीं आती तो क्या करते आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप पर्ची पर बोल गये, पर्ची पर तो आप यह कहते कि गवर्नमेंट बाध्य नहीं है जवाब देने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : हम कह रहे है कि दिलायेंगे स्टेटमेंट।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो आपने आसन से एक बार नहीं, अनेक बार कहा है..

श्री उपाध्यक्ष : हम कह रहे हैं न, स्टेटमेंट दिलायेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आसन ने एक बार नहीं, अनेक बार कहा है..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : पहले मंत्रीजी का स्टेटमेंट करा देंगे..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : Why shouldn't Home Minister say?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप क्या इसको गम्भीर मामला नहीं मानते?

डा. सी. पी. जोशी : आप बिलकुल ठीक कहते हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं तैयार हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लाइये स्टेटमेंट, आज दिलाइये। होम मिनिस्टर तैयार हैं।

श्री अरुण सिंह : आज दिलाइये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप इस घटना को गम्भीर नहीं मानते?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, आप बिराजिए। तो स्टेटमेंट करा देते हैं, दोनों पर्चियां रिजेक्ट कर देते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्लेरिफिकेशन लेना है, क्लेरिफ़िकेशन लेनी हैं, स्टेटमेंट कितने बजे आयेगा, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री अरुण सिंह : यह इतना गम्भीर मामला है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी। बिराजिए। क्या प्रोब्लम है?

डा. सी. पी. जोशी : तैयार है सरकार तो, इसमें कहां तकलीफ है।

शासकीय वक्तव्य

ग्राम बरथला, थाना दतवास में अनुसूचित जाति के दूल्हे को बारात में घोड़ी से जबरन उतारने विषयक

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 5.3.2003 को डेढ़ बजे श्री छीतर पुत्र रामदेव बैरवा उम्र 46 साल निवासी बरथला पुलिस थाना दतवास में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि सायंकाल 5.3.2003 को मेरी दो लड़कियों की शादी की बारात आ रही थी। बारात जैसे ही गांव बरथला से आ रही थी, लगभग 9 बजे रात्रि को मुलजिमान उमराव सिंह, शंकर सिंह, हनुमान मीणा, गिरीराज मीणा, बजरंग मीणा व देवकिशन गुजर, इन्होंने रास्ता रोक कर बारात पर पथराव कर रोकने की कोशिश की और हारमोनियम ले करके चले गये। जातिसूचक शब्द कह करके अपमानित किया। उपरोक्त सूचना पर अभियोग संख्या 19/2003 दर्ज किया गया, उसमें और जांच उप अधीक्षक पुलिस,एस.सी.एस.टी. एक्ट सैल टोंक द्वारा प्रारम्भ की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर–टोंक, मय पुलिस बल मौके पर पहुंचे। वहां सकुशल लड़की के घर पहुंचाया, बारात आराम से यथास्थान पहुंच गई और अपने गांव सकुशल पहुंच गई है। गांव में आवश्यक पुलिस बल शांति व्यवस्था हेतु तैनात किया गया है। पीड़ित पक्ष ने सात व्यक्तियों के चोटें आना बताया है जो निम्न व्यक्ति हैं रमेश पुत्र कालू जाति बैरवा, छीतर पुत्र ओंकार जाति बैरवा, श्री कालू पुत्र गोरधन, श्री राधेश्याम पुत्र गोरर्धन, श्री ओमप्रकाश पुत्र छीतर, श्री भंवरलाल पुत्र श्री रामनिवास, श्री रतन लाल पुत्र श्री राम जाति बैरवा। आज दिनांक 7.3.2003 को नामजद अभियुक्तगण में से छहों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मंत्री जी, दो बात बता दीजिये। आप एक तो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, दलितों का मामला है साहब... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने देंगे न। एक बोल रहे हैं। आपको बोलने देंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सरकार बिलकुल भी गम्भीर नहीं है दलितों के मामले में।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने देंगे न। एक बोल रहे हैं न।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : गिरफ्तार कर लिया कोई अहसान कर दिया क्या? अरेस्ट कर लिया तो कोई बहुत बड़ा काम कर दिया क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : गृह मंत्री जी, दो–तीन स्पष्टीकरण मैं आपसे चाहता हूं। एक तो जहां तक सवाल है एस.पी. और कलेक्टर पहुंच गये सब ठीक है यह बात आपकी। बाकी स्टैटमेंट ठीक है आपका, लेकिन क्या यह सही है कि यह अरेस्ट आज सुबह दैनिक भास्कर में समाचार

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

प्रकाशित होने के बाद किया? कल रात और आज सुबह तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ? एक बात क्या यह सही है कि जो उप अधीक्षक (आरक्षी) हैं वो मौके पर 10 घंटे बाद पहुंचे हैं और क्या यह सही है कि जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कार्यवाही करेंगे, कि तफतीश करेंगे उसके बाद में जांच होगी? इससे ज्यादा बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता और यह आपके पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं चाहिए। इसमें आप बात पूछ लीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, भाषण नहीं साहब। क्या यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है? क्या लगा देते है साहब भाषण काहे को देंगे हम।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है कि एस.पी., पुलिस उप अधीक्षक मौके पर मौजूद हैं। फिर भी इतना अपराध घटित हो जाए? आपने निकाल दिया उसको, सही है आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया कल?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अरुण सिंह जी। नहीं आपको भी बोलने देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जब नामजद मुल्जिम थे तो अरेस्ट क्यों नहीं किया आपने?

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या कहना है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने बारातियों को चोट लगी है पहली बात?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 7, बता दिया मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना नहीं क्या?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : और दूल्हे को कितनी देर तक किले में डिटेन किया गया? यह बता दीजिये मेरे को, और वहां पर खड़े थर-थर कांपते रहे और आपकी पुलिस समय पर नहीं पहुंची। और आपने क्या अहसान कर दिया उनको घोड़ी और बारात चढ़ा कर? बार-बार इस तरह की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं और सरकार बिलकुल भी गम्भीर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अरुण सिंह जी।

श्री अरुण सिंह : एक डी.एस.पी. ने बयान दिया है अखबार में, कि मुझे इस घटना का पता ही नहीं है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : दलितों के साथ बार-बार इस तरह की वारदातें होती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अरुण सिंह जी, आप बोलिये आपको क्या कहना है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : और डिप्टी एस.पी. यह कहता है कि मुझे इस घटना की जानकारी ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बंशीवाल जी। बैठिये आपको क्या कहना है बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप गये क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सुरेन्द्र जी प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप गये कि नहीं गये? आप उप मुख्य मंत्री हैं आपकी कांस्टीट्यूएंन्सी है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष जी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अरुण सिंह जी बोलिये। आप बैठिये न, हो गया।

श्री अरुण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि यह दैनिक भास्कर के समाचार छपने से गृह मंत्री जी बड़े...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरे को बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उप मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं। इन्हीं के विधान सभा क्षेत्र का मामला है। इन्हीं की जाति का मामला है और ये अब तक उधर जाकर भी नहीं आये हैं। आपको जाना चाहिए था। आप यहां बैठे हुए हैं उप मुख्य मंत्री बने हुए। आपको समाज कभी माफ नहीं करेगा। उप मुख्य मंत्रीजी यह घटना आपके क्षेत्र में हुई है। यह बैरवा जाति के लोगों के साथ हुआ है और आप भी जाती से बैरवा हो और बैरवाओं के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं करते। आप यहां बैठे हुए हैं विधान सभा के अन्दर। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको वहां जाना चाहिए।

श्री अरुण सिंह : और उन्होंने यहां से आदेश दिया कि गिरफ्तारी होनी चाहिए आजाद हुए 55 साल हो गये और उप मुख्य मंत्री के क्षेत्र में ऐसे अत्याचार हो रहे हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपको वहां जाना चाहिए था निवाई के अंदर। क्यों नहीं गये आप? आप मौन धारण करके बैठें हुए है विधान सभा के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप बंशीवाल जी। बैठिये आप।

श्री अरुण सिंह : उप मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. रामप्रताप जी।

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची थी। आजादी के 50–54 साल के बाद में भी ये घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। और ये उस क्षेत्र में हो जहां से माननीय उप मुख्य मंत्री जी यहां आ रहे हैं, और आज बड़े शाल–शूल ओढ़ कर आये हैं, पता नहीं कौन सा इनाम इन्होंने ले लिया है। माननीय गृह मंत्री जी आखिर में जब गिरफ्तारी करते हैं तो उसके ऊपर इतना सारा वजन डाल रहे हैं जैसे सारा कुछ कोई पाकिस्तान को जीत लिया हो इन्होंने। मैं तो आपसे यह जानना चाहता हूं कि कौन–कौन सी धाराएं आपने लगायी हैं। और इसके साथ में आपने चोटों का, यहां हमें जानकारी मिली है कि उनके चोटें भी आयी हैं, तो क्या आपने उनकी डाक्टरी जांच करायी? मेडिकल मुआयना कराया? करवाया तो उनके किस किस्म की चोटें हैं, यह पूरे तथ्यों सहित जानकारी दें न आप।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंहजी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये बंशीवालजी प्लीज नहीं, आप बोल चुके है बात खतम हो गयी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय एक मिनट... (व्यवधान).. इस्तीफे की मांग बाद में कर लेना पहले बोलने दो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नहीं उनको डिटेन किया दो घंटे और उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। जवाब आएगा। आप बोलिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : छोटे-मोटे जुर्म में मामला दर्ज कर लिया क्योंकि गृह मंत्री जी राजपूत जाति के हैं। राजपूतों को आपने किले के अन्दर दो घंटे डिटेन करके रख लिया। मैं इस्तीफे की मांग करता हूं उप मुख्य मंत्री जी आपसे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कर ली न अब तो?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं धरने पर बैठ रहा हूं।

श्री अरुण सिंह : मैं भी धरने पर बैठ रहा हूं।

(माननीय सदस्य श्री नन्दलाल बंशीवाल एवं श्री अरुण सिंह द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस तरह की घटनाएं पूरे देश में राजस्थान में सबसे अधिक हो रही है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं 28% हैं और राजस्थान में इस तरह की घटनाओं का प्रतिशत 20 है परन्तु इसलिए ज्यादा है कि यहां की आबादी पांच करोड़ है और वहां की साढ़े सात करोड़ है..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे रहिये। आप बैठे रहिये चुपचाप। जवाब देंगे। कह दिया आपने। जवाब देंगे। बोलेंगे न। सब बोलेंगे उसके बाद जवाब देंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह अपने राजस्थान के लिए, पूरे हिन्दुस्तान में शर्मनाक बात है कि हमारे यहां इस तरह की घटनाएं गरीब, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है, उनके साथ मार-पीट की जाती है। इस तरह की अनेक प्रकार की घटनाएं हुई। जिस तरह से सुरेन्द्र व्यासजी ने कहा कि सुओमोटो उप मुख्य मंत्रीजी को अपने आप ही यहां सदन को बताना चाहिए था कि किस प्रकार की घटना हुई। माननीय उप मुख्य मंत्री बनवारी लाल बैरवा के निर्वाचन क्षेत्र के गांव बरथला के कल रात दलित बारात पर पथराव कर स्वर्ण जाति के कुछ बदमाशों ने दूल्हों को घोड़ी से उतारा, घटना में आधा दर्जन व्यक्ति घायल हो गये। इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ लीजिये। आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मंत्री महोदय ने बताया है कि गिरफ्तार कर लिये गये हैं पर वो गिरफ्तार कब हुए जब यह बात पूरी अखबार में आ गयी।

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन। क्वेश्चन।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सब कुछ छप गया। सब कुछ मालूम पड़ गया। आज जब मालूम पड़ा कि विधान सभा में यह मामला उठेगा, तब उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी तक भी पूरे मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती शांति पहाड़िया जी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : और पुलिस ने बिना उन बैरवाओं की मर्जी...

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं साहब, मेरा आरोप है। मेरा आरोप यह है कि पुलिस ने जान बुझकर अपनी मर्जी से नामजद मुल्जिम कर दिया, किसी बैरवा से नहीं पूछा गया। मेरा निवेदन है कि दूल्हे के बाप से और दूल्हन के पिता और बारातियों से पूछ कर मुल्जिम बनाए जाएं और मुल्जिमों को नामजद किया जाए। इस पर मेरी पर्ची थी, पर्ची का तो आपने कबाड़ा कर दिया, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये माननीया।

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं हमारे गृह मंत्रीजी से पूछना चाह रही हूं कि कोटखावदा तहसील चाकसू (जयपुर) सीतारामजी नैनीवाल के चोरी हुई है। हमारी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कोटखावदा में एक चोरी हुई है और वहां एक महीने के अन्दर-अन्दर कोई 10 चोरियां हुई हैं और वो चोरी पुलिस इलाके में एक भी नहीं पकड़ पा रही है। इस तरह की चोरियां और अपहरण से सारे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है एक बात दूसरी बात ऐसी है हमारे विपक्ष के भाई ने एक हथियार देना शुरू कर दिया, उसको त्रिशुल बोलते हैं लेकिन त्रिशुल नहीं है बाकायदा वो हथियार है उसको धार दिलवा-दिलवा कर हर एक को बांट रहे हैं। ये वो लड़के ले रहे हैं जिनका कोई सलेक्शन नहीं हुआ है या उनकी सर्विस नहीं लगी है। इनको ऐसी चीज नहीं बांटनी चाहिए जो हमारे देश के लए खतरनाक हो। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल जी।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि...

श्री उपाध्यक्ष : आपका स्वास्थ्य तो ठीक है?

डा. किरोड़ी लाल : कि जो बारात में दूल्हे को उतारने जैसी गम्भीर घटनाएं हो जाती हैं, सरकार ने ऐसे निर्देश दे रखे हैं कि इस ढंग की कोई पुनरावृत्ति हुई तो जिले के अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी? क्या आपने अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही की है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो सीताराम जी के चोरी हो गयी उस चोरी का भी बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : [illegible] सदस्य, [illegible]

श्री सुरेन्द्र व्यास : वो भी [illegible] [illegible] साहब।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : वो तो मैं होम डिपार्टमेंट के जवाब में दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुकदमा धारा 143, 341, 323, 376, 379 एवं एस.सी./एस.टी. एक्ट 31/10 में रजिस्टर किया गया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 376 क्या बोला आपने?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 379 इतना ज्ञान मेरे को है 376 और 379 में क्या फर्क है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां 379 नहीं–नहीं, मेरे से सुनने में गलती हो गई।

एक माननीय सदस्य : आप सक्षम हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं तो सक्षम हूं लेकिन थोड़ा ज्ञान रखता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं आप पहले वो बोले, हो सकता है सुनने में गलती हो गई।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 379 हारमोनियम चोरी करने का इसमें इल्जाम लगाया गया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां ठीक है, साहब।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जिस वक्त रात को यह एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी थी उसके बाद इसकी तफतीश, हमने डीवाई.एस.पी. एस.सी./[illegible], टोंक को कहा कि आप इसकी [illegible] करेंगे। ज्यों ही इस बात की सूचना [illegible] कि इस तरह की घटना वहां हुई है [illegible] अतिरिक्त जिलाधीश, एस.पी., एडिशनल एस.पी. मौके पर पहुंच गये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Not the local Dy. S.P.

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं जो बोल रहा हूं वो तो आप सुन लें। मौके पर पहुंचे, सारी व्यवस्थाएं कीं, शादी ढंग से सम्पन्न करवाई। बारात के सकुशल पहुंचाने का काम पुलिस और प्रशासन ने किया है। बारात भी घर पहुंच गई उसके बाद अनुसंधान जारी किया गया और अनुसंधान के तहत जो नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसमें 7 मुल्जिम बताये गये हैं उसमें से 6 मुल्जिमों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कब गिरफ्तार किया?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सुबह।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुबह कितने बजे गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तारी का टाइम बता दो आप। फर्द गिरफ्तारी होगी आपके पास।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : फर्द गिरफ्तारी, एफ.आई.आर. और मेडिकल रिपोर्ट सारी आ रही हैं। लेकिन मेरे पास अभी जो सूचना एकत्रित की उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सारी चीजों को आने में समय लगता है। और जो चोटें आई हैं, जैसा डाक्टर साहब ने पूछा है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : टाइम ऑफ अरेस्ट बता दीजिए, सूचना तो आई होगी, करीब 10 बजे का टाइम है। It is somewhere around 10-O' clock.

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हो सकता है, आज सुबह मुझे बताया गया कि आज सुबह गिरफ्तारी हुई है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Much after publication of the news. The Police did not move at all. पुलिस ने अपनी इतनी सी इतिश्री समझ ली कि बारात वापस निकाल दी और अपना कर्तव्य पूरा कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उनको बोलने दीजिए।

श्री रामप्रताप : जानबूझ कर छिपाया जा रहा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : किसी को छिपाने का और किसी को बचाने का सवाल नहीं है।

श्री रामप्रताप : (व्यवधान) आपके पास इतने साधन हैं, माननीय गृह मंत्रीजी सबसे पहली चीज यह थी और यही आपको पता नहीं है फिर काहे का स्टेटमेंट दे रहे हो आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसमें जो दोषी व्यक्ति हैं, सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी। किसी को नहीं बख्शेगी। और इस घटना की पुनरावृत्ति के लिये जो राज्य सरकार की नीति है, अधिकारियों से पूछा जायेगा कि ऐसी घटना क्यों घटी?

श्री रामप्रताप : यह जुमला आपका रटा रटाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि चोटें किन हथियारों से लगी है। आपने मेडिकल मुआयना कराया तो उसकी जानकारी दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट आ रही है, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आपको और जानकारी दे दूंगा।

श्री रामप्रताप : इतनी सी तो अखबार से हमें ही पता है। और क्या नई चीज आपने बताई?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए प्लीज, हो गया।

श्री रामप्रताप : यह तो हमें ही पता है हो क्या गया इसमें। उपाध्यक्ष महोदय, हुआ क्या है, इतना गम्भीर विषय है और इसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी को पता ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ इतनी सी बात मालूम करनी है कि अधिकारियों के विरुद्ध आप क्या-क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरी पर्ची भी थी साहब, एक सवाल तो पूछ लेने दीजिए।

श्री रामप्रताप : पर्ची गई भाड़ में, पर्ची को छोड़ो... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र जी, आप बोलिए एडजोर्नमेंट मोशन पर। माननीय सदस्य विराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : साहब, एक सवाल पूछ लेने दो।

श्री उपाध्यक्ष : जितनी उनके पास इनफोरमेशन थी वह उन्होंने दे दी और जवाब आ गया, अब क्या चाहते हो आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उसको जानकारी है, पूरा राजस्थान देखा हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बरथला में पुलिस इस घटना के कितनी देर बाद पहुंची?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, शाम को यह स्टेटमेंट दुबारा होना चाहिये। अभी मंत्रीजी के पास पूरी सूचना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जो इनफोरमेशन मंत्री जी के पास थी वह उन्होंने दे दी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : केवल मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने आपसे कहा कि मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी मैं आपको दे दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : शाम को आप एक स्टेटमेंट दे दो। एफ.आई.आर. की नकल भी दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने मंगवाई है, आ जाने के बाद दे दूंगा। सब दे दूंगा। मेरे को किसी चीज की आपको जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं है, इस मामले में किसी तरह की कोई लीपापोती नहीं करना चाहते और सख्त से सख्त कार्यवाही हम करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपकी लीपापोती नहीं मानता हूं लेकिन गलती तो हुई है। Responsibility has to be fixed with someone.

श्री रामप्रताप : गृह मंत्री जी के पास कोई सूचना नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने आपको कहा है राज्य सरकार की नीति के आधार पर जिन भी अधिकारियों की जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, ईमानदारी से आप बता दो कि आप संतुष्ट हैं क्या? इस तरह से गृह मंत्री जी को इतने गम्भीर विषय के बारे में जानकारी नहीं हो, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया यह तो मैं ही दे देता।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्रीजी से यह जानना चाहता था कि इस घटना के कितनी देर बाद पुलिस वहां पहुंची।

श्री रामप्रताप : एकदम आदमी के माइण्ड में स्ट्राइक करनी चाहिये। इसमें एक दन पूरा हो गया।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : राजपूत जाति के लोगों ने... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : केवल राजपूत जाति नहीं है इसमें मीणा भी हैं, गुर्जर भी है। यह केवल राजूपत नहीं हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कोई गुर्जर नहीं है... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : किसी जाति विशेष पर आरोप लगाना गलत है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी राठौड़, आप बोलना चाहते हैं क्या?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री जीतमल खांट : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए प्लीज, दिलावर जी प्लीज।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री मदन दिलावर :× × ×

श्री रामप्रताप : × × ×

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे पास जो जानकारी है केवल खरोंच आई है, मामूली चोटें आई हैं। मैं मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ही कह सकता हूं क्या हुआ।

श्री रामप्रताप : × × ×

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसीलिए, मैंने जो जानकारी उपलब्ध हो सकती थी, वह उपलब्ध कराई। आखिर मेडिकल रिपोर्ट की कापी, एफ.आई.आर. की कापी मंगवाने में समय लगेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज, हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए मैंने बिना पर्याप्त समय मांगे स्टेटमेंट देने का फैसला किया है।

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए, आप विराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow anything now, please.

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज, I will not allow it now. अब कोई अलाउ नहीं करेंगे, दिस इज द एण्ड, आप विराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपसे यह निवेदन किया था कि स्टेटमेंट आने दीजिए, पूरी इंक्वायरी होने दीजिए। आपने कहा कि अभी का अभी कराओ। जितनी इंफोरमेशन माननीय गृह मंत्री जी के पास थी वह उन्होंने दे दी। एडिशनल इंफोरमेशन आयेगी वह कार्यवाही कर देंगे। अब और क्या चाहते हो आप? (व्यवधान) आपसे फोर्स किया कि स्टेटमेंट दिलाओ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि प्रातःकाल हम

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सबने पढ़ा और सरकार ने भी पढ़ा। तब से लेकर 6 घंटे गुजर गये। हमारे उप मुख्य मंत्री वहां से हैं, गृह मंत्री जी के पास सारे साधन हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं उसको कह रहा हूं कि इनको बोलने दीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जब हमारे पास में आजकल सब साधन इस प्रकार के हैं कि हम कहीं से भी कोई सूचना विदिन टेन मिनट में मंगा सकते हैं। अब आपने इसमें देखा न एफ.आई.आर. की नकल आई, मेडिकल की तो हो सकती है कि रिपोर्ट अभी कम्प्लीट हो रही होगी या नहीं हुई, बात समझ में आ सकती हे। एफ.आई.आर. की नकल आपके पास आ सकती थी। उन लोगों को गिरफ्तार करने का काम जो आज हुआ, 5 तारीख की यह घटना है, 6 का पूरा दिन बीच में निकल गया। क्या इसके बीच आपका प्रशासन कार्यवाही नहीं कर सकता था? यह सारी जानकारी तो आपको तुरन्त इकट्ठी करके आपके पास आनी चाहिये थी। चाहे हम यहां पूछें या नहीं पूछें, सवाल खड़ा हो या नहीं हो, आपका धर्म बनता है कि इस प्रकार से कमजोर वर्ग पर हमला हो, इतने सालों के बाद भी जब हम बार बार चिल्लाते हैं, चाहे आप हो या हम हो, जब भी यह विषय आता है हम इस विषय को जरूर उठाते हैं। और राजस्थान का नम्बर तो इस प्रकार के अपराधों में हिन्दुस्तान में नम्बर वन पर आया हुआ है। इतना सब होने के बाद हमारा धर्म बनता है कि हम यह सब सूचना इक्ट्ठा करें, आज इतने क्विक साधन हैं कि आप सारी सूचना इकट्ठा कर सकते हैं फिर भी आपका डिपार्टमेंट बिलकुल निष्क्रिय रहा। यह उनका धर्म बनता था। आप अगर उनको नहीं भी कहे तो भी आपके विभाग के हैड को यह सारी चीजें आपको लाकर स्वयं को 8-9 बजे देनी चाहिये थी, बात होनी चाहिये थी। आपके विभाग की इस विषय पर चर्चा होने चाहिये थी। यह कोई सामान्य विषय था क्या? अगर इस प्रकार से हम ढिलाई बरतेंगे तो प्रशासन तो कुछ भी नहीं करेगा। इस समय विधान सभा का सत्र चल रहा है फिर भी उसके बाद इतनी ढिलाई है तो सामान्य दिनों में क्या करेगा आपका प्रशासन वहां बैठा हुआ? और यहां आपके जो जिम्मेदार अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने यह सब चीजें पहले से लाकर बात क्यों नहीं की और आपको इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 6 तारीख को रात को डेढ़ बजे इत्तला मिली, 5

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

तारीख की रात बीत जाने के बाद जो रिपोर्ट लगाई है, वह 6 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई है और 7 तारीख को हमने सारा एक्शन कर लिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री जीतमल खांट : × × ×

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आई विल नोट अलाउ, अंकित नहीं हो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार के पास जो अवेलेबल था वह आपको बता दिया।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री रामप्रताप : × × ×

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्लीज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : इनको पूछ लेने दीजिए।

श्री जीतमल खांट : × × ×

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री जी, एक बात बताइये, यह रिपोर्ट लिखित है या जबानी? आप कहते हैं कि मौके पर पुलिस पहुंच गई, एफ.आई.आर. लेट क्यों हुई, जब पुलिस वहां पहुंच ही गई...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : पुलिस मौके पर व्यवस्था करने की दृष्टि से गई थी। (व्यवधान) एक मिनट सुनने की कोशिश करें तो ठीक रहेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह जो धारा है... (व्यवधान) एक मिनट...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह रिपोर्ट रात को... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, यह जो धारा है, कागजों में है कि नहीं, पुलिस की दखलअंदाजी का कानून, अपराध है कि नहीं? फिर पुलिस क्या इन्तजार कर रही थी?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह मुकदमा 6 तारीख को डेढ़ बजे दर्ज हुआ था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यही मैं पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसके आधार पर तफतीश शुरू की थी और सी.ओ., एस.सी., एस.टी., सैल को सौंपी गई थी और आज सब मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा यह सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : खतम करो इसको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजाए प्लीज। बहुत हो गया, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं बोलें। 295 पढ़ दो आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र जी, (व्यवधान) आप बैठिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। मैं कोई अलाउ नहीं करूंगा। आई विल नोट अलाउ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अलाउ नहीं करूंगा, आई विल नोट अलाउ। आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कोई अलाउ नहीं करूंगा। आप बिराजिए प्लीज, आप बैठिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। अलाउ नहीं करूंगा, कोई अलाउ नहीं करूंगा इसमें। (व्यवधान) राजेन्द्र राठौड़ प्लीज। चालू करिए। (व्यवधान) आई विल नोट अलाउ यू।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आई विल नोट अलाऊ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं बोलने नहीं दूंगा, आप बिराजिए। (व्यवधान) आप काल्ड अपोन हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बोल रहे हो तो बैठ जाओ (व्यवधान) एक मिनट क्या होता है? आप बिराजिए (व्यवधान) आप काल्ड अपोन हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप बिराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं करूंगा।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : You please honour the Chair. You sit down. Let in speak.

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं पूछने नहीं दूंगा। आज बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आई विल नोट अलाउड। (व्यवधान) इसका कोई एण्ड नहीं है। तीन दफा क्वेश्चन पूछ लिया, इन्होंने जवाब दे दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : × × ×

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र जी। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया 295... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं कि नहीं? (व्यवधान) बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपको मुझे परम्परा सिखाने की जरूरत नहीं है। आप बिराजिए प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, बहुत हो गया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बोलिए। बोलना ही चाहते हैं तो बोलने दो, मैं क्या करूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी घटना आज सदन के सामने है बहुत दु:खद घटना है। इसके जो तथ्य थे वह हमारे गृह मंत्रीजी ने आपके सामने रख दिए हैं। कुछ विवरण और... (व्यवधान)

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र जी। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : कुछ विवरण आने बाकी हैं, जो यहां पर गृह मंत्री जी ने... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी (नीमका थाना) **:** × × ×

श्री बनवारी लाल बैरवा : दौसा से आने वाले माननीय विधायक जी बैठिए। मेरा आग्रह यह है कि जो कुछ भी जुल्म हो जाता है, जुल्म होने से पहले अगर जानकारी होती है तो सरकार उसके लिए निश्चित रूप से कोई व्यवस्था करती है लेकिन यह कुछ ऐसा जुल्म है जिसके लिए पूरे समाज को शर्मसार होना चाहिए। शर्मसार इसलिए होना चाहिए कि हिन्दू समाज के सवर्ण वर्ग की तरफ से उन लोगों पर यह अत्याचार हो रहा है जिनको आप अवर्ण कहते हैं या अनुसूचित जाति के लोग कहते हैं। तो सब लोग यहां पर बैठे हैं, जब हिन्दुत्व का ध्वज हाथ में लिए फिर रहे हैं। (व्यवधान) बात सुनिए।

श्री अरुण सिंह (डीग) **:** × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री अरुण सिंह : × × ×

श्री बनवारी लाल बैरवा : अटरू से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजिए, क्योंकि आप गुणवत्ता की बहुत बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दिलावर जी। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : त्रिशूल लिए फिरते हैं।

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री बनवारी लाल बैरवा : त्रिशूल लिए फिरते हैं और किन के लिए निकाल रहे हैं। (व्यवधान) वह जो हमला करने वाले लोग थे कोई विदेश से नहीं आए थे, विदेश से कोई नहीं आया था। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री बनवारी लाल बैरवा : विदेश से कोई नहीं आया था, उसी गांव के लोग थे, सवर्ण लोग थे। और सवर्ण लोगों की जिम्मेदारी, सवर्ण लोगों का ठेका सामने बैठे हुए प्रतिपक्ष के...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री बनवारी लाल बैरवा : इन मनोवृत्ति के खिलाफ, जो कुंठित प्रवत्ति है, विकृत प्रवृत्ति है उसके खिलाफ आप लोगों को यहां बोलना चाहिए। उसके लिए आप दोषी हैं, आप भागीदार हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) **:** × × ×

श्री बनवारी लाल बैरवा : जो सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए वह सरकार कर रही है। सब मुलजिमानों गिरफ्तार हो गए। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी ने जिन तथ्यों से अवगत कराया वह सही है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप सब लोग बोल रहे हैं, सुनाई तो कुछ पड़ता नहीं है। (व्यवधान) मेरा सीधा आरोप है आप लोगों के ऊपर कि यह मनोवृत्ति है, विकृत मनोवृत्ति है, यह आप लोगों ने फैलाई है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री सांवर लाल : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री जीतमल खांट : × × ×

श्री धर्मपाल चौधरी : × × ×

श्री बनवारी लाल बैरवा : हिन्दुत्व के अलम्बरदारों, आप इस बात को सुन लें। आप अपने भाइयों पर जो आपके देश का निर्माण कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं जो आपको कमा कर दे रहे हैं उनके ऊपर, आप उनकी दो क्षण की खुशियां बरदाश्त नहीं कर सके। आप लोगों के लिये शर्म की बात है। (व्यवधान) आप आन्दोलन चलाइये इस बात का कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। आप इस बात को समझें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, बोलिये।

श्री जीतमल खांट : × × ×

श्री नन्दलाल बंशीवाल : × × ×

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप घंटों की बात कर रहे हैं। आप यह सदियों से जुल्म करते आ रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए उसके लिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय धर्मपालजी। इनको रोकिये ना, बंद कीजिए ना। माननीय राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हाउस आर्डर में नहीं है, कैसे बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में आर्डर आप कराएं, मैं करता हूं क्या, इनको कहिये ना बैठें। आपका सदस्य बोल रहा है। (व्यवधान) मैं आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछने दूंगा, आप बिराजिये। आप बिराजिये प्लीज, मैं नहीं पूछने दूंगा। माननीय राजेन्द्र जी राठौड़, आप बोलिये, आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे?

श्री धर्मपाल चौधरी : × × ×

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री सांवर लाल : × × ×

श्री जीतमल खांट : × × ×

श्री अशोक तंवर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, माननीय राजेन्द्रजी राठौड़, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हाउस आर्डर में तो लाएं, उपाध्यक्ष महोदय, हाउस आर्डर में नहीं है। क्या बोलूं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो वैसे ही गला बैठ रहा है, हाउस आर्डर में तो आए।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा गला बैठ रहा है, आप शुरू करिये ना।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौन सुनेगा मेरी बात। (व्यवधान) करोड़ों रुपये के घोटाले की बात कौन सुनेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाएंगे आप शुरू करेंगे तो। (व्यवधान) मंत्रीजी आ गये, आप शुरू करें ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप शुरू करिये ना। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : × × ×

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री अशोक तंवर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, अंकित नहीं हो रहा है। कोई जवाब नहीं आएगा। (व्यवधान) राठौड़ साहब, आप बोलिये, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं, इधर से यह कहना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, क्या बोलूं, बहुत गम्भीर मामला है। हाउस आर्डर में तो आए। मैं मेरी बात कहूं, हाउस आर्डर में तो आए। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : × × ×

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। हां शुरू कीजिए। माननीय राजेन्द्रजी, शुरू कीजिए। (व्यवधान) आप बैठिये। नहीं बोलने दूंगा। माननीय राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्लीज कह रहा हूं, सुरेन्द्रजी, आप समझिये इस बात को। Don't agitate me. बोलिये, शुरू करिये। हाउस आर्डर में आ जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत गम्भीर मामले की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मैं आपसे संरक्षण भी चाहूंगा। जो तथ्य सदन के सम्मुख मैं प्रस्तुत कर रहा हूं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज, आप बैठिये ना, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह तथ्य सरकार के पास पहुंच जाएं उसके लिये आवश्यकता है कि हाउस आर्डर में आए।

श्री उपाध्यक्ष : हां आ गया, अब आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आयी है, घोटाला करना सरकार की आदत हो गयी। विश्व बैंक के विद्युत सुधार कार्यक्रम में 850 करोड़ रुपये ऋण लिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप पढ़ें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे स्थगन प्रस्ताव पर मेरे को 5 मिनट बोलने की अनुमति दी है।

श्री उपाध्यक्ष : हां बोलिये ना। मैं इजाजत दे रहा हूं ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हो क्या रहा है कि विभिन्न विद्युत कम्पनियों ने पिछले एक वर्ष में जितने ट्रांसफार्मर और कैबल खरीदे उसमें इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी ने जुलाई, 2002 को 11600 ट्रांसफार्मर खरीदे,

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अजमेर विद्युत वितरण कम्पनी ने 5045 खरीदे और जोधपुर वितरण कम्पनी ने 6000 ट्रांसफार्मर खरीदे। ट्रांसफार्मर जब इन विद्युत कम्पनियों के स्टोर में आ गये और स्टोर में आने के पश्चात् जब ये विभिन्न उपभोक्ताओं के पास पहुंचे, सरकार के जलदाय विभाग के कुओं पर ये ट्रांसफार्मर लगाये गये तो इन ट्रांसफार्मरों की बर्न रेट बहुत ज्यादा आयी। और जब यह शिकायत हुई तो सरकार ने इसके लिये सैम्पल चेकिंग करवायी। उपाध्यक्ष महोदय, सैम्पल चेकिंग जो सरकार ने करवायी, उसमें जयुपर में 13 फर्मों द्वारा, अजमेर में 11 फर्मों द्वारा और जोधपुर में 9 फर्मों द्वारा जो ट्रांसफार्मर दिये गये वे घटिया पाये गये। घटिया पाने पर इन ट्रांसफार्मरों को वापस मंगवाया गया और जिन्होंने ट्रांसफार्मर सप्लायी किये उन पर, अजमेर की कम्पनी ने 24 लाख रुपये और जयपुर की कम्पनी ने 14 लाख रुपये पैनल्टी लगायी।

ट्रांसफार्मर घटिया पाये गये, उन फर्मों को ब्लैक लिस्टेड किया गया और उसके पश्चात् यह परिवर्तन हुआ कि पुराने ऊर्जा मंत्रीजी की जगह नये ऊर्जा मंत्रीजी आ गये। मैं, ऊर्जा मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं कि घटिया ट्रांसफार्मर और केवल कि जिन फर्मों को आपने खुद ने जांच के बाद ब्लैक लिस्टेड किया, कुछ अधिकारियों को इसमें निलम्बित भी किया गया, आपने उन्हीं फर्मों को वापस आदेश क्यों दिया जिनको आपने खुद ने ब्लैक लिस्टेड किया?

उच्च स्तर पर भारी घोटाला करके, और अगर आप का दामन साफ है तो मैं कहना चाहूंगा ऊर्जा मंत्रीजी सदन में बिराजे हैं, आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। आप मुझे यह बताएं कि इण्डियन ट्रांसफार्मर कम्पनी, प्रतिष्ठा इलैक्ट्रोनिक्स, दीपक इलैक्ट्रोनिक्स, आई.सी.आई. ट्रांसफार्मर कम्पनी, स्वास्तिक कॉपर ट्रांसफार्मर कम्पनी, मोर ट्रांसफार्मर कम्पनी, अनुपम उद्योग और महेश्वरी ट्रांसफार्मर कम्पनी, ये कम्पनियां वे कम्पनियां हैं जिन्होंने 1-2 नहीं, लगभग 17-18 हजार ट्रांसफार्मर सप्लायी किये और उनकी जो सैम्पल चेकिंग खुद इन्होंने करवायी ये ट्रांसफार्मर नकली पाये गये।

इनको ब्लैक-लिस्टेड किया गया और सरकार ने जिन कम्पनियों को ब्लैक-लिस्टेड किया, मंत्रीजी, जब यह फाइल आपके पास आई तो किस कारण से आपने इन ब्लैक-लिस्टेड कम्पनियों को वापस कह दिया कि आप वापस ट्रांसफार्मर के आदेश दे सकते हैं।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 2001 में कैबल खरीदी गई और सरकार ने, कम्पनी ने खुद ने जो इसकी डी.सी. प्रयोगशाला है, उसमें जांच कराई, कैबल नकली पाई गई। 15.24 लाख रुपये की शास्ति इस कम्पनी पर लगाई गई। पर उसके बाद जब यह पत्रावली इन मंत्री महोदय के पास आयी, नकली कैबल जिन्होंने बेची उस ब्लैक-लिस्टेड हुई कम्पनी को भी इन्होंने वापस क्रय-आदेश दे दिये। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार का पैसा, विश्व-बैंक का पैसा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

850 करोड़ रुपये का ऋण लिया विश्व बैंक से, यह पैसा सारा का सारा उपभोक्ता को देना पड़ेगा। विद्युत की दरें तो आप बढ़ा ही रहे हैं परन्तु आज आप राजस्थान के किसान को लूट रहे हैं, राजस्थान के गरीब को लूट रहे हैं। और नकली ट्रांसफार्मर बिक रहे हैं और नकली ट्रांसफार्मर, जिसमें आप कर्मचारियों को तो निलम्बित करते हो। आपने अधिशासी अभियन्ता स्तर के पांच लोगों को निलम्बित किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छोटा मामला नहीं है। वे निलम्बित हैं और इन्होंने उन्हीं ब्लैक-लिस्टेड ट्रांसफार्मर, जिन्होंने बेचा, जिन्होंने घटिया कैबल बेची उनसे दुबारा आप, उन ब्लैक-लिस्टेड कम्पनियों पर आपने पहले शास्ति लगाई और उसके बाद उन्हीं को सफेद लिस्ट में पुनः कर दिया। ब्लैक-लिस्टेड से उनको निकाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं ऊर्जा मंत्रीजी, आपके पास जवाब है क्या? आपके पूर्व ऊर्जा मंत्रीजी ने स्वयं ने बयान दिया था। अखबारों में छपा था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे मित्र हैं। आपने पब्लिकली यह बयान दिया कि ट्रांसफार्मर कम्पनियां जिन्होंने नकली ट्रांसफार्मर सप्लाई किये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और आज आपके बाद में जिस तरह का कुकृत्य हुआ है, राजस्थान के साथ लूट है, आज किसान के साथ लूट है। मैं चाहूंगा कि इसका जवाब मिले और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसमें सीधी शक की सुई वर्तमान ऊर्जा मंत्रीजी, आपकी तरफ जा रही है। करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ है। आपके ब्लैक-लिस्टेड की गई इन कम्पनियों को वापस किस तरह आदेश दे दिया, कृपया मुझे बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री हरीशचन्द कुमावत। इसका जवाब नहीं आता। आप दे चुके इंफोरमेशन। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री अमराराम चौधरी : जवाब दे रहे हैं साहब, जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि मेरे पास इस सम्बन्धी कोई फाइल नहीं आई और... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : हमारा भी ध्यान रखना।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने कोई इस सम्बन्ध में आदेश नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर यह कैसे हो गया? फिर कैसे हो गया?

श्री रामनारायण चौधरी : आप बात तो सुनिये साहब, प्रभु आप बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी जानकारी में नहीं है तो फिर कैसे हो गया? नहीं आपकी जानकारी में है न सारी बात?

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, बात तो सुनिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : सुनो तो सही। यह कोई सवाल नहीं है। बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कम्पनी की कोई फाइल मेरे पास नहीं आती। वह सब कम्पनी लेवल पर ही डिस्कस होती है।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई प्रश्न नहीं है, आप बैठिये। आपका नहीं है। आप विराजिये प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : यह जो आपने जानकारी पढ़ी है, जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा खराब ट्रांसफार्मर देने वाली, लगायी शास्ति का विवरण 1 से 13, 13 के ऊपर शास्ति लगाई गई है, जो माफ नहीं की गई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं-नहीं, पर आपने ब्लैक-लिस्टेड से निकाल कैसे दिया?

श्री रामनारायण चौधरी : आप मेरी बात तो सुनो। मेरी सारी बात... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपने इनको किया ब्लैक-लिस्टेड...

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी बात तो सुन लीजिए आप। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : जोधपुर में भी यही ट्रांसफार्मर गये तो फिर जोधपुर की फर्म भी, उसको सस्पैंड क्यों नहीं किया गया?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री केसाराम चौधरी : मतलब जोधपुर में बिलकुल ही नहीं किया सर, मुख्य मंत्रीजी का वरदहस्त था इसलिए वहां कोई जांच ही नहीं हुई। वही ट्रांसफार्मर है।

श्री रामनारायण चौधरी : बात तो सुनिये आप।

श्री केसाराम चौधरी : मगर जोधपुर में इन अधिकारियों को सस्पैंड नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनका जवाब सुनना चाहते हो या नहीं?

श्री रामनारायण चौधरी : अजमेर विद्युत कम्पनी, खराब ट्रांसफार्मर देने वाली फर्म हैं, एक से लेकर ग्यारह फर्में हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह मैंने पढ़ दी।

श्री रामनारायण चौधरी : और उनके ऊपर 24 लाख 84 हजार 455 की शास्ति लगाई गई है। जयपुर विद्युत वितरण निगम में... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या लगाई है शास्ति?

श्री रामनारायण चौधरी : शास्ति, जुर्माना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां-हां, कब लगी थी यह?

श्री रामनारायण चौधरी : क्या बताया? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चन्द्रभानजी के टाइम में।

श्री रामनारायण चौधरी : पिछले सैशन में लगी है। नहीं, चन्द्रभानजी के बाद।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चन्द्रभानजी के बाद लगी है।

श्री रामनारायण चौधरी : हां-हां, रामनारायण चौधरी के मंत्री बनने के बाद, उसके कार्यकाल सम्भालने के बाद और किसी भी बदनाम कम्पनी को कोई आर्डर नहीं दिया गया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने ब्लैक लिस्टेड को वापस दे दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : कहीं नहीं दिया हमने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट सुनो तो सही, उनकी सुनो तो सही आप।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं दिया है ब्लैक-लिस्टेड को । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी क्या है?

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं दिया है। किसी ब्लैक-लिस्टेड को नहीं दिया गया है। किसी की शास्ति माफ नहीं की गई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने सूची पढ़ी है। मंत्रीजी, मैंने सूची पढ़ी है, रिकार्ड पर है कि वह फर्मों के नाम, मैं रिकार्ड पर लेकर आया हूं कि जिन फर्मों को जिनको पहले ब्लैक-लिस्टेड किया, शास्ति लगाई और उसके बाद आपने उन फर्मों को वापस ट्रांसफार्मर खरीदने का, उन्हीं को आर्डर दे दिया। उन्हीं ट्रांसफार्मर..(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी जानकारी से माननीय सदस्य,... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन्हीं फर्मों से ट्रांसफार्मर, वही ट्रांसफार्मर जो घटिया ट्रांसफार्मर है, वह खरीद रहे है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के हिसाब से ब्लैक-लिस्टेड फर्म को कोई आर्डर दुबारा नहीं दिया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जांच करवाएंगे न पूरी? जांच करवाएंगे?

श्री रामनारायण चौधरी : जांच करवा लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह कहो कि आप इसकी... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हां, मैं जांच करवा लूंगा। आपने जो कह दिया है तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किस स्तर के अधिकारी से?

श्री रामनारायण चौधरी : जिस अधिकारी ने जहां आर्डर दिया है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किस स्तर के अधिकारी से जांच करवाएंगे?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप अब।

श्री रामनारायण चौधरी : वह जांच करवा ली जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी से जांच करवाएंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कहो उससे करवा लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और अगर मेरी बात सत्य पायी गई तो आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कह रहा हूं कि आप कहो उससे जांच करवा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बात खतम हो गई अब क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, कितने दिनों में जांच आ जाएगी।

श्री रामनारायण चौधरी : चीफ इंजीनियर से जांच, अब बात तो सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, बीस हजार ट्रांसफार्मर खरीदे जा रहे हैं। आप कब तक करवा लेंगे, इतना बता दो कि कब तक करा लेंगे जांच? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जांच करवा लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कब तक?

श्री रामनारायण चौधरी : एक सप्ताह में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी : और सुनिये, इन्होंने एक और लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत, विराजिये, माननीय, हो गया न, हो गयी जांच, ठीक अब क्या है?

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चीफ इंजीनियर से जांच करवाएंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : जयपुर विद्युत वितरण निगम में खराब देने वाली फर्मों के नाम लगाई गई शास्ति एक से तीन तक...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह सब बाद में आप, जांच के बाद बता देना न अब।

श्री रामनारायण चौधरी : अधिकारियों के नाम एक से आठ और एक से 13 यह...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आरोप–पत्र नहीं दिया। मंत्रीजी, इन अधिकारियों को आरोप–पत्र नहीं दिये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, इनको सस्पैंड किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आरोप–पत्र भी नहीं दिये, सस्पैंड किया, आरोप–पत्र नहीं दिये।

श्री रामनारायण चौधरी : उनको सस्पैंड किया गया, यह अजमेर विद्युत, जयपुर और अजमेर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आपने जांच की कह दी, अब क्या बात है? आपने कह दिया जांच करवाएंगे, रिपोर्ट दे दूंगा। अब काहे का... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : बिजली खतम हो गई, फेल हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से जिला नागौर की जन कल्याण गोपाल गौशाला मारोठ को भूमि का आबंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(2) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में किये गये अतिक्रमणों को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती पूनम गोयल, सदस्य की ओर से ग्राम कुन्हाड़ी, जिला–कोटा में कृष्णा विहार व लक्ष्मण विहार कालोनी को नियमित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से डूंगरपुर में मालपुरा गांव के 36 काश्तकारी की 74 बीघा भूमि को अवाप्त करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से जिला पाली के दुआरिया बांध का कार्य पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य की ओर से राज्य की जिला परिषदों के अधीन विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन वरीयता सूची बनाकर नियुक्ति देने के सम्बन्ध में।

(7) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से जिला जयपुर में भू–माफिया गिरोह द्वारा खातेदारी भूमि हड़पने के मकसद से एक किसान के किये गये अपहरण के सम्बन्ध में।

श्री हरीशचन्द कुमावत।

श्री रामप्रताप : हमारी पर्ची का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पर्ची खतम हो गई। पर्ची इसके बाद आएगी लेकिन आपकी नहीं आएगी। पर्ची आएगी इसके बाद पर आप दोनों की नहीं आएगी।

श्री रामप्रताप : हमारी क्यों नहीं आएगी?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप दोनों की नहीं आएगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : हमारी क्यों नहीं आएगी? हमारा कसूर क्या है?

श्री रामप्रताप : आप समझा तो दो न साहब, क्यों नहीं आएगी?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा हो चुकी है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, मेहरबानी करके हमें बताइये कि साहब, क्या कसूर है, हमने कोई सवाल पूछा नहीं, कोई बात करी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। श्री हरीश कुमावत।

श्री रामप्रताप : नहीं, कोई बात नहीं लेकिन आप बता तो दो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मगर आप बता दो साहब, क्या कारण है।

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारण तो बता दो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : दलितों पर अत्याचार हो और उसकी बात हम यूं नहीं कह सकते, हम मंत्रीजी से सवाल–जवाब नहीं कर सकते।

श्री रामप्रताप : नहीं आएगी, ठीक है लेकिन पता तो चले न किस वजह से नहीं आएगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप हमें यह तो बता दें कि पर्ची क्यों नहीं आएगी?

श्री रामप्रताप : आप हमें संतुष्ट तो कर दीजिए कि इस वजह से नहीं आ रही।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : संतुष्ट कर दीजिए आप हमें। हम मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अभी 295 चल रहा है। आप विराजिये।

श्री रामप्रताप : क्या?

श्री उपाध्यक्ष : अभी 295 चल रहा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप संतुष्ट तो कर दीजिए। उसके बाद आप मौका देंगे न साहब? आप..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। विराजिये। श्री हरीश कुमावत

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जन कल्याण गोपाल गौशाला, मारोठ, जिला नागौर में भूमि आबंटन नहीं किये जाने विषयक

श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन-कल्याण गोपाल गौशाला, मारोठ को भूमि का आबंटन न करने तथा नागौर जिले की गौशालाओं को 01 अक्टूबर से अनुदान न दिये जाने के सम्बन्ध में विधान सभा कार्य संचालन प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

महोदय, राजस्व नागरिक अधिकार पत्र में गौशालाओं को भूमि आबंटन प्रकरण का निस्तारण का समय निर्धारित किया हुआ है, परन्तु उसकी अवहेलना कर वर्ष 2001 से जन कल्याण गोपाल गौशाला, मारोठ को भूमि आबंटन के प्रकरण को लम्बे समय तक लम्बित रखा। पहले मारोठ के खसरा नम्बर 786 को आबंटन करने में आपत्ति बताई। श्रीमान् शासन सचिव ने इसका अल्टरनेट पूछा तो जिला कलक्टर नागौर ने जनवरी, 2002 में वैकल्पिक भूमि मारोठ के खसरा नम्बर 779, रकबा 2.06 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय सिवाय चक होना बताया। माननीय मुख्य मंत्री के सचिव महोदय द्वारा वस्तु स्थिति से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को अवगत कराने के लिए जानकारी चाही तो श्रीमान् शासन सचिव, राजस्व ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक प. 4(73) राज./3/01, दिनांक 4.2.2002 को जानकारी दी कि जिला कलक्टर ने खसरा नम्बर 779 की भूमि आबंटन हेतु उपलब्ध होना बताया है जिसके निस्तारण हेतु राजस्व सचिव महोदय की ओर से अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 23.1.2002 द्वारा जिला कलक्टर को इसके निस्तारण हेतु निर्देश दे दिये हैं तथा इस हेतु राजस्व सचिव महोदय ने जिला कलक्टर से वार्ता कर ली है। जिला कलक्टर वैकल्पिक भूमि के आबंटन की कार्यवाही कर रहे हैं, परन्तु इसके छह माह बाद तत्कालीन जिला कलक्टर, नागौर ने वैकल्पिक भूमि से गौशाला को भूमि आबंटन न कर उनका आवेदन दिनांक 9.8.2002 को निरस्त कर दिया। श्रीमान् शासन सचिव महोदय ने दिनांक 28.1.2003 को जिला कलक्टर, नागौर को निर्देश दिये कि इस गौशाला को भूमि आबंटन करने के सम्बन्ध में कोई

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

समुचित भूमि अपने स्तर पर तलाश कर निर्विवाद भूमि आबंटन करने की कार्यवाही सम्पन्न करें। ताकि विवाद का हल हो

(13.00 बजे)

सके। जिला कलक्टर नागौर ने उसकी अनुपालना में मारोठ के खसरा नं. 315 गैर मुमकिन ओरण से आबंटन के लिये 0.80 हैक्टेयर भूमि चिन्हित कर, भूमि की किस्म परिवर्तन के प्रस्ताव राजस्व विभाग को दिनांक 25.2.2003 को भिजवाये है, जो राजस्व विभाग में विचाराधीन हैं।

तत्कालीन जिला कलेक्टर नागौर ने शासन सचिव राजस्व के मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी को वैकल्पिक भूमि को देकर 6 माह तक उसका आबंटन क्यों नहीं किया? यदि कोई तहकीकात करनी थीं तो वैकल्पिक भूमि होना बताने से पूर्व क्यों नहीं की? माननीय मुख्य मंत्रीजी तक को गुमराह क्यों किया? परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि अभी तक मारोठ में उपलब्ध श्मशान भूमि जो खसरा नं. 699 व 698 की करीब 29 बीघा है। मारोठ की सात हजार की जनसंख्या के लिये पर्याप्त है परन्तु उसका सीमांकन नहीं किया गया है। इस कारण पड़ोस की सिवाय चक भूमि, जो इसकी सीमा पर उपलब्ध है, थोड़ी जगह श्मशान हेतु उपयोग में ले लिया गया, जिसका रकबा एक बीघा से अधिक नहीं हो सकता, वहां 22½ बीघा भूमि सिवाय चक खुली उपलब्ध है। परन्तु तत्कालीन जिला कलक्टर, नागौर ने 6 माह का समय लगाकर तत्कालीन सहायक जिला कलक्टर नावां तथा वर्तमान उपखण्ड अधिकारी नावां के मार्फत भ्रांति पैदा करवाकर संस्था के आवेदन को निरस्त कर दिया तथा संस्था को सुनने का अवसर न देकर सामान्य न्याय की प्रक्रिया को भी नहीं अपनाया गया। माननीय मुख्य मंत्री तक को गुमराह करना व राजस्व नागरिक अधिकार पत्र में निर्धारित आबंटन अवधि के निर्देशों की अवहेलना करना, जन कल्याण गोपाल गौशाला को भारत सरकार से पशुओं के लिए पानी का हौज, चारा हेतु भण्डार गृह निर्माण कार्य करना, कर्मचारियों हेतु अस्थायी निवास निर्माण आदि विकास कार्य के लिए दी गई 4 लाख 71 हजार 330 रुपये की प्रथम किस्त के उपयोग से रोकना व द्वितीय किस्त पाने का रास्ता बंद करना, गौशाला द्वारा स्थाई भूमि होने पर अब तक जैविक खाद गौ-मूत्र तथा गोबर से खाद व कीटनाशक दवाइयों के निर्माण से रोकने का गम्भीर दोष किया है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये तथा अब इस गौशाला को भूमि आबंटन शीघ्र कराया जावे।

राजस्थान सरकार सहायता विभाग द्वारा दिनांक 18.9.2002 को आदेश देकर अक्टूबर, 2002 से अकालग्रस्त क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण एवं शहरी गौ-शालाओं को स्वीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी तो नागौर जिले के अधिकारियों को 21 दिन का गौ-शालाओं का अनुदान रोकने का अधिकार नहीं मिला। इनके अधीन तहसीलदार तथा उप-खण्ड अधिकारी प्राप्त निर्देशों की अनुपालना करने में विलम्ब करें तो वे दोषी हैं। उनके कारण गौ-शालाओं

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

का अनुदान रोकना गलत है। इसलिए पंजीकृत सभी गौ–शालाओं को 21 दिन का अनुदान भुगतान नहीं किया गया है। अब किया जावे। इस न्यास संगत प्रस्ताव को नहीं मानने पर मैं सदन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह जिस तरह का गम्भीर विषय है, कल आपने बड़ी सहृदयता से कहा था कि माननीय सदस्य, जब अपनी बात रखेंगे तो सरकारी पक्ष भी अपनी तरफ से बात रखेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नहीं कहा। नहीं, अपने आपको करेक्ट कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम जाएं तो जाएं कहां?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप पहले अपने आपको करैक्ट कीजिये। मैंने यह बात नहीं कही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक बात है। आपने यह कहा था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा। मैंने जो कहा जो जानते हैं क्या कहा। Don't misquote me please.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बोलो मर्जी आये सो कह दिया। मैंने यह नहीं कहा, मैंने आपसे यह रिक्वैस्ट की थी, आपसे रिक्वैस्ट की थी जो जानते हैं। मैंने अभी फिर दिन में आपसे और रिक्वैस्ट की है माननीय हरीश जी से, कि आप बोल लो उसके बाद आप मिल लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन इतना ही है कि हमारे....

श्री उपाध्यक्ष : It was decided yesterday. आपको कह दिया मैंने, आप नहीं मिले थे इसलिए और इसका समाधान कोई... (व्यवधान) यह मैंने उनको कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा हमेशा प्रतिपक्ष पर बनी रही है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी तो कृपा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम जाएं तो जाएं कहां? हमारे पास और कोई जरिया भी नहीं है। माननीय सदस्य मुख्य मंत्रीजी से मिल आये। मुख्य मंत्रीजी के यहां से स्पष्ट निर्देश चले गये। राजस्व सचिव के यहां से स्पष्ट निर्देश चले गये। भूमि वहां उपलब्ध है और भूमि एक ऐसे ट्रस्ट को दिलाना चाहते हैं जिसका गौ–सेवा के काम में बड़ा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : आप किसलिए खड़े हुए हैं? आप क्यों खड़े हुए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निवेदन इतना है हम जाएं कहां, किस जगह जाएं? आप आसन पर बिराजे रहे हैं। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि सरकारी पक्ष बैठा है हालांकि सरकार इस सदन के प्रति गम्भीर नहीं है। सरकार को चिन्ता नहीं है। संवेदनशीलता का ढोंग रचते हैं। आप निर्देश फरमाएं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा आपसे आग्रह है। (व्यवधान) आप सुनिये। मैं निर्देश दे चुका हूं, आप बिराजो। मेरा आपसे आग्रह है जो कुछ मैंने आपसे निवेदन किया। आप जाइये उसका कोई रास्ता निकल जाएगा। आप बिराजें। माननीय ज्ञानदेव जी आहूजा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहां जाएं?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके कक्ष में चले जाएं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरे कक्ष में क्या पड़ा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो, उपाध्यक्ष महोदय, वह जगह बता दें जहां से हमें न्याय मिल जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब को मालूम है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : न्याय की गुहार ही कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान) माननीय ज्ञानदेव जी। (व्यवधान) आप, एक्शन तो कभी भी हो सकता है, समाधान की बात करो न। समाधान के लिये कह रहा हूं।

श्री हरीशचन्द कुमावत : बीस दिन से कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब यह 20 दिन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने कल कहा और आज लगवा दिया। फिर आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि..(व्यवधान)

श्री हरीशचन्द कुमावत : यह तो अपने आप लग गया।

श्री उपाध्यक्ष : अपने आप लगता तो फिर कल लग जाता न। अपने आप कहां लगता है। हमने लगवाया है। आपकी रिक्वैस्ट पर लगवाया है। आपने कल कहा इसलिए लगवाया है। बिराजो। (व्यवधान)

श्री हरीशचन्द कुमावत : यह नियम से आया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपा नहीं, नियम है। लेकिन आपने कहा इसको प्रायोरिटी से ले। कोई कृपा की बात नहीं है इसमें, बिराजो। श्री ज्ञानदेव जी।

(भाजपा के माननीय सदस्य, श्री हरीशचन्द कुमावत द्वारा वेल में धरना)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय सदस्य ने इतना गम्भीर विषय रखा है और अनिश्चितकालीन भूख–हड़ताल के लिये बैठने की बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ज्ञानदेव जी, बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जैसे व्यक्ति आसन पर बिराजे हो और एक माननीय सदस्य को धरना देना पड़े। मैं समझता हूं आपके मन में करूणा है, आपके मन में दया है। आप सरकार को निर्देश दें इसमें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप सरकार को निर्देश दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकारी पक्ष से कोई तो कहे। सरकारी पक्ष से कोई कहे कि आप वहां चले, हम बात करेंगे। चाहे उनके संदेश प्राप्त हो जाएं, हम चले जाते हैं। उनसे बात कर लेते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकारी मुख्य सचेतकजी, बाकी कामों में तो... (व्यवधान) करते है इस मामले में कहें। एक माननीय सदस्य धरने पर बैठे है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : और नहीं तो आप गायों पर तो दया करो। गायों के अनुदान का मामला है। गौ-शाला की भूमि आंबंटन का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : गौ-शाला का नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : नहीं, 21 दिन के अनुदान की बात कही। अनुदान भी रुका हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : जमीन होगी तब अनुदान मिलेगा न। जमीन ही नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : जमीन का भी है, अनुदान का भी है। दोनों मामले हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो प्लीज।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हम तो बिराज जाएंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : साहब, कृपा कर दें जरा। मंत्री महोदय को, सरकार को निर्देश दे दें। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सदस्य जो गम्भीर मुद्दा लेकर आये हैं, उनकी समस्या का समाधान तो कराओ। आप कृपा दृष्टि कराओ थोड़ी।

श्री उपाध्यक्ष : कैसे करें समाधान?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपसे कुछ आशा है, आपसे कुछ उम्मीद है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह बोल रहे हैं न। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, विषय काफी संवेदनशील और गम्भीर है। आ जाओ हरीश जी।

श्री उपाध्यक्ष : बैठे-बैठे। समाधान निकले। सब चीज का समाधान होता है, ऐसी बात थोड़े ही है। (व्यवधान)

(श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य, भाजपा का धरना समाप्त)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सदस्य की भावना यही है कि जिस विषय को लेकर वहां के दानदाता लम्बे समय से गौशाला का संचालन कर रहे हैं और अपने ही सोर्सेज से कर रहे हैं और नियमों के तहत जमीन के आबंटन के लिये कहा ताकि वहां गौशाला ठीक तरह से, परमानेंट रूप से काम कर सके। लगभग सारी कार्यवाही भी पूरी हो गयी, ऐसा नहीं है कि कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन पता नहीं, जिला कलक्टर को इसमें क्या आपत्ति है कि मुख्य मंत्रीजी की तरफ से निर्देश चले गये कि दे दी जाये।

सचिव की तरफ से चला गया कि इनको जमीन दे दी जाये। कभी वह नम्बर बदल कर जगह बदल देते हैं, कभी कुछ और कर देते हैं फाइल में और इधर से उधर करके उस जगह के बारे में बराबर लेट कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रहे हैं। इसी बात का इनको दु:ख है कि जब सारा प्रशासनिक तंत्र भी चाहता है कि यह जन सेवा का जो काम ट्रस्ट कर रहा है, उस ट्रस्ट को कोई जगह मिले। वह जगह भी नहीं मिली और दूसरा यह कि उसके कारण से केन्द्र सरकार से उस गौशाला को पैसा मिला पांच लाख रुपये कि आप इसकी बाउण्ड्रीवाल बनाओ। जब जमीन ही उसके पास नहीं होगी तो वह बाउण्ड्रीवाल किसकी बनाएगा? वह पैसा भी लैप्स होगा। और उसके साथ ही इस गौशाला को अनुदान मिलना चाहिये, वह अनुदान भी नहीं मिल रहा है। तो आखिर माननीय सदस्य उस क्षेत्र से आते हैं और वहां के इतने दानदाताओं से सहयोग लेकर एक पवित्र काम को वह चला रहे है, उसके पश्चात्... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, भूमि देना तो इंकार नहीं किया सरकार ने। प्रश्न तो जो भूमि लेना चाह रहे हैं उसका कोई विवाद है, उसका कोई रास्ता निकालेंगे। यह तो सरकार ने नहीं कहा कि भूमि नहीं देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : विवाद नहीं है। सबसे बड़े दु:ख की बात तो यह है कि सरकार की बात को जिला कलक्टर टाल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हैं विवाद नहीं है। यह स्वयं कह रहे हैं कलक्टर ने कोई एतराज किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कोई विवाद नहीं है, जगह खाली है। नम्बर भी खाली है, सब कुछ खाली है।

श्री उपाध्यक्ष : है तो कल पता लगा है। रास्ता निकालेंगे, यही तो कह रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सदस्य का क्या है कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हो, बोलो न?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, हम तो चाहते हैं कि निर्णय हो, हम तो चाहते हैं रास्ता निकले।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सदस्य से मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं कि वह अभी दो-चार घंटे इन्तजार करें। कोई न कोई रास्ता निकलेगा उसके बाद ही अपना अनशन शुरू करें, नहीं तो नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : अनशन तो कभी भी कर सकते हैं। फिर रास्ता पहले निकलने दो न।

श्री हरीशचन्द कुमावत : अनशन तो मेरा कल से ही चालू है, साहब। अनशन तो मेरा कल से ही चालू है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, हो गयी न बात। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में अतिक्रमण हटाये जाने विषयक

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) **:** उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़, जिला अलवर में अतिक्रमण हटाने के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र रामगढ़ में भारी अतिक्रमण हो रहा है जैसे बगड़ तिराहे

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

पर पुलिस चौकी द्वारा बगड़ तिराहे पर ही बगड़मेव के रास्ते पर दुकानें बन जाना। मुबारकपुर नीकच खोयरा कस्माली रोड पर अतरिया बांध पर भारी अतिक्रमण मोहम्मदपुर के रास्ते पर अतिक्रमण नौगांवां से आगे हरियाणा बार्डर पर भारी अतिक्रमण रामगढ़ अलावड़ा, चोमा, तिलवाड़ रोड पर भारी अतिक्रमण। क्षेत्र की बहुत सारी सिवाय चक चरागाह, मन्दिर माफ जमीन, नजूल सम्पत्ति, कस्टोडियन की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार बार क्षेत्र से सम्बन्धित तहसीलदार, एस.डी.एम. एवं कलक्टर साहब को अवगत कराता रहा हूं, प्रार्थना करता रहा हूं किन्तु कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि श्मशानों, कब्रिस्तानों एवं स्कूलों तक की जमीन पर कब्जा हो चुका है। नाडका का स्कूल, केसरोली का स्कूल, अलावड़ा का श्मशान, बीजवा का श्मशान सहित सींगरा का श्मशान आदि ऐसे कई स्थान हैं जहां अतिक्रमण हो चुका हैं। मुझे कई गांवों के मुस्लिम भाइयों ने भी लिख कर दिया है कि उनके कब्रिस्तानों पर कब्जा हो चुका है। सबसे अधिक शर्मनाक बात तो यह है कि अलवर जिले के पूर्व कलक्टर, श्री बी.एन.शर्मा आदीना का ग्राम पंचायत खिलौरा में अपने आदेश में आदीनाका ग्राम हेतु एवं इससे संलग्न गांव छज्जू का बास की हिन्दु जनता के प्रार्थना पत्र आदेश देते हुए तीन बीघा का अलाटमेंट किया किन्तु दुःख के साथ निवेदन है कि इस तीन बीघा श्मशान की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। मेरे बार बार प्रार्थना करने के बावजूद तहसीलदार, रामगढ़, एस.डी.एम. रामगढ़ एवं कलक्टर, अलवर इस अतिक्रमण को हटाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस कलक्टर आदेश को दूसरे कलक्टर साहेबान क्रियान्वित करने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, मेरे क्षेत्र से जुड़े बहादुरपुर कस्बे में 45 × 24 फीट सड़क पर भी कब्जा हो चुका है। स्वयं कलक्टर साहब ने इस सड़क पर से अतिक्रमण हटाने की बजाय मात्र 15 × 10 फीट सड़क बनाकर अतिक्रमण को मान्यता दे दी। इसी प्रकार चिकाली में मस्जिद बनाकर कब्जा, बकतल चौकी पर मस्जिद बनाकर कब्जा और भी कई सरकारी जमीनों पर मजार, मदरसे, ईदगाह आदि बनाकर कब्जा हो गया है।

अतः मेरा नियम 295 के अन्तर्गत आग्रह है कि मेरे क्षेत्र में इन भारी अतिक्रमणों को हटवाया जावे और कार्यवाही की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गोयल। (अनुपस्थित) श्री नाथूराम अहारी।

ग्राम मालपुरा (डूंगरपुर) में कृषि भूमि अवाप्ति पर पर्याप्त मुआवजा नहीं दिये जाने विषयक

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं मालपुरा गांव के 36 काश्तकारों की 74 बीघा भूमि को अवाप्त करने के बारे में ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

(श्री नाथूराम अहारी)

उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका डूंगरपुर में मालपुर गांव की 120 बीघा भूमि वर्ष 1989 में अवाप्त करायी गयी। इस जमीन में नया हास्पिटल, पुलिस लाईन, बी.एड. कालेज तथा स्टेडियम आदि सरकारी भवन बनाये बाकी 74 बीघा भूमि, जो खातेदारों की थी उसे नगरपालिका ने 1989 में अवाप्त किया। अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा एक करोड़ 70 लाख के करीब बना था। यह मुआवजा काश्तकारों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। काश्तकारों के जीवन–मरण का सवाल है। इस जमीन के नहीं रहने से ये सारे काश्तकार बेसहारा हो जायेंगे। इन्हें अगर मुआवजा देना ही है तो नगरपालिका की पास की भूमि के बराबर दिया जाना आवश्यक है। नगरपालिका ने 13 वर्षों से काश्तकारों को लटका रखा है। काश्तकारों को उचित मूल्य नहीं देना इनके लिए शोषण है क्योंकि 13 वर्षों से न तो किसान काश्त कर सकता है और न ही बेच सकता है। आखिर में इन लोगों को कौन न्याय देगा? इस सम्बन्ध में बी.जे.पी. के राज में तात्कालिक स्वायत्त शासन मंत्री, श्री भंवरलालजी शर्मा को भी डूंगरपुर ले गया था लेकिन वहां के बी.जे.पी के नेताओं ने कोई फैसला नहीं होने दिया और लोग आज दिन तक न्याय की तलाश में बैठे हुए हैं। इस सम्बन्ध में मैं बार बार विधान सभा में ध्यानाकर्षण द्वारा प्रश्न उठाता हूं लेकिन इन गरीबों की कोई नहीं सुनता है। मैं पुन: निवेदन करता हूं कि मालपुर के 36 गरीब काश्तकारों को तत्काल बाजार रेट से मुआवजा मय ब्याज के चुकाएं या 35 प्रतिशत जमीन देकर उचित फैसला कराएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसारामजी चौधरी।

पाली जिले के दुआरिया बांध का कार्य अकाल राहत के तहत शीघ्र पूरा करवाने विषयक

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सरकार का जिला पाली के दुआरिया बांध को पूर्ण कराने के विषय में विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना के जरिये ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला पाली में दुआरिया बांध परियोजना का सर्वे वर्ष 1979–80 एवं पुन: सर्वे 1990–91 में हुआ। यह बांध पूर्व में भी अकाल राहत कार्यों के तहत बनाया गया था। मेरे द्वारा विधान सभा के षष्ठम् सत्र में 25 अप्रैल, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न के उत्तर में भी सरकार ने इस बांध में जल आवक को देखते हुए सिंचाई का अच्छा स्रोत मानकर इस बांध को पूर्ण करने के लिए लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया था। लेकिन दो वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी आज तक सरकार ने इस लोक महत्व के सिंचाई बांध को अकाल की मार झेल रहे पाली जिले के किसानों, जनता एवं मवेशियों के लिए किसी प्रकार की राहत नहीं देने से क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अब चूंकि जिले में अकाल राहत के कार्य

(श्री केसाराम चौधरी)

भी चल रहे हैं, इसके तहत ही इस बांध को पूर्ण कराने के आदेश करें जिससे वहां के किसानों एवं क्षेत्रीय जनता को लाभ मिल सके व आन्दोलित जनता के अन्दोलन व आक्रोश को रोका जा सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

जिला परिषदों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार वरीयता सूची बनाकर नियुक्ति देने विषयक

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से ध्यानाकर्षण करना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि वर्ष 1998 में 15 अंक (10 सम्बन्धित जिले एवं 5 ग्रामीण क्षेत्र) के बोनस अंकों के आधार पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों की एक मैरिट लिस्ट बनी थी। बोनस अंकों के आधार पर की गयी राजस्थान सरकार के पंचायत राज विभाग की नियुक्तियों को माननीय उच्च न्यायालय में उन प्रार्थियों ने चुनौती दी जो मैरिट में बोनस अंकों (15 परसेंट) के आधार पर नियुक्ति पाने वाले अध्यापकों से वरीयता में ऊंचे थे।

माननीय उच्च न्यायालय ने बोनस बैंक अवैध घोषित किये और राज्य सरकार को बिना बोनस अंकों के वरीयता सूची के आधार पर नियुक्ति देने का आदेश प्रदान किया। इस आधार पर अपीलकर्ताओं को नियुक्ति दे दी गयी परन्तु बाकी अध्यापक जो एम.ए., बी.एड. हैं, आज भी सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं।

इसी बीच कैलाश चन्द्र शर्मा एवं अन्य कई सर्वोच्च न्यायालय में चले गये। सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसला दिया, वह काफी लम्बा-चौड़ा है लेकिन उसका आपरेटिव पार्ट जो है, वह यों है :-

"The claims of the writ petitioners should be considered afresh in the light of judgement viz-a-viz the candidates appointed on or after 18.11.1999 or those in the select list who are yet to be appointed on such consideration if these writ petitioners are found to have superior merit in case the bonus marks of v® ' and or 5% are excluded they should be offered appointments if necessary by displacing the candidates appointed on or after 18.11.99."

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत विभाग के निदेशक ने आदेश निकाला :

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अनुपालना में सभी जिला परिषदों को दिनांक 10.10.2002 को परिपत्र जारी किया-नये सिरे से वरीयता सूची जिले तथा ग्रामीण क्षेत्र के बोनस अंक प्रदान नहीं करते हुए बनाई जाए। जिला परिषद् में उपलब्ध स्वीकृत रिक्त पदों पर वरीयता क्रम से इन्हें नियुक्ति प्रदान की जावे। यदि वांछित स्वीकृत पद रिक्त रहीं है तो 18.11.1999 के पश्चात् प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित चयनित आशार्थी जो सेवा में हैं, के बोनस अंक हटाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में पात्र

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आशार्थियों के साथ पुन: नयी वरीयता सूची में शामिल कर कम वरीयता वाले आशार्थियों को हटाते हुए अधिक वरीयता वाले आशार्थियों को वरीयता क्रम में नियुक्ति प्रदान करने हेतु 30 दिन का समय दिया था परन्तु 185 दिन बीत गये यह संवेदनशील और जवाबदेह सरकार उन गरीबों की सड़कों पर जूतियां तुड़वा रही है।

इस भंयकर दुर्भिक्ष के समय गरीब मां बाप जिन्होंने अपना पेट काटकर इन्हें पढ़ाया, लिखाया प्रशिक्षण दिलवाया, नौकरी के लिए फर्म व साक्षात्कार का खर्चा वहन किया और ऊपर से कोर्ट केस की मार भी झेली। क्या सरकार अगले विधान सभा चुनाव तक इन्हें यों ही आज नियुक्ति देंगे, कल नियुक्ति देंगे कह कर टालमटोल कर जाने की तैयारी कर रही है? यदि ऐसा है तो इनके साथ आप घोर अत्याचार करेंगे और न्यायालय की अवमानना के दोषी भी बनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

ग्राम भोजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के कृषक का भू-माफिया लोगों द्वारा कथित अपहरण करने विषयक

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, भू-माफिया गिरोह द्वारा खातेदारी भूमि हड़पने के मकसद से अपहरण किये जा चुके किसान की आज तक पुलिस द्वारा खोजबीन में रूचि नहीं लेने बाबत नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना।

महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि जिला जयपुर में भू-माफिया गिरोह द्वारा खातेदार कृषकों एवं कृषि भूमि पर बताये गये प्लाटधारियों को आर्थिक, मानसिक शोषण के साथ जोर जबरदस्ती एवं अपहरण मारपीट डराने धमकाने के मामलों की संख्या में गत चार वर्षों में लगातार निरन्तर वृद्धि होती रही है। छोटे मोटे भू-माफिया पकड़े भी गये लेकिन नामी-गिरामी ऊंची राजनैतिक पहुंच धनबल बाहुबल के भू-माफिया गिरोह आज भी अपने काम को अन्जाम देकर सरकार की नजरों के नीचे रहते हुए पकड़ से बाहर बने हुए हैं। इसी कड़ी में ग्राम भोजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर वासी कृषक खातेदार श्री भोजाराम का कुछ बाहुबली राजनैतिक दबदबा वाले भू-माफिया गिरोह ने लगभग एक वर्ष पहले अपहरण कर लिया था जिसकी प्रथम दृष्टया तो थाने ने एफ.आई.आर. ही दर्ज नहीं की गई। कोर्ट इस्तगासा के ज़रिये पुलिस थाना सदर में एफ.आई.आर. नम्बर 210/2002 अपहृत के परिज़नों ने दर्ज करवायी। अपहृत कृषकों के परिजनों के साथ मारपीट कर हाथ पैर तोड़ दिये गये। परिजनों ने माननीय गृह मंत्रीजी ने अभी 7 फरवरी, 2003 को गुहार लगायी जिसमें डी.आई.जी. पुलिस को लिखित आदेश के उपरान्त आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पुलिस ने अपहृत श्री भोजाराम को साधु प्रवृत्ति का मानकर जांच से पल्ला झाड़ लिया। इस

(श्री कन्हैया लाल)

मामले को लेकर एक सर्वसमाज की सभा भी हो चुकी जो जनाक्रोष का स्पष्ट उदाहरण है। जनभावना का यह आक्रोश कभी भी भयानक रूप धारण कर सकता है।

अतः लोक महत्त्व के विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि तत्काल कार्यवाही कर अपहृत किसान श्री भोजराम को भू–माफिया के चंगुल से मुक्त करवा कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल खांट।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

प्रशिक्षित बेरोजगार नर्स कम्पाउण्डरों द्वारा रोजगार हेतु धरना

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिणी राजस्थान के उपयोजना क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, खैरवाड़ा इत्यादि के प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नर्स कम्पाउण्डर 05 फरवरी, 2003 से धरना लगाये हुए स्टेच्यू सर्कल पर बैठे हुए हैं। 24वां दिन हो गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे सम्भाग के 17 माननीय विधायकों ने मुख्य मंत्री महोदय को प्रशिक्षण प्राप्त आशार्थियों को नियुक्ति देने एवं बैकलाग कोटे की भर्ती के सम्बन्ध में एक पत्र पेश किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार के रहते हुए हम जानते हैं कि नयी नौकरियों में कई प्रकार की पाबन्दियां लगी हुई हैं और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि नयी नौकरियां भले ही नहीं मिले लेकिन जिन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया 1993 से लेकर अब तक दस वर्षों से बेरोजगार बैठे हुए हैं। राजकीय मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर से प्रतिवर्ष 40 आशार्थियों का उपयोजना जनजाति विशेष बैच के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा दुःख है कि इस सरकार के चार वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जनजाति क्षेत्र से एक भी बेरोजगार नर्स कम्पाउण्डर की नियुक्ति नहीं हो पायी है। लोग बार–बार सरकार को पत्र लिखते रहे, अपनी परिस्थितियों से अवगत कराते रहे। प्रशिक्षित आशार्थियों ने मजबूर होकर धरना दिया है। चौबीस दिन बीत गये। सरकार इसके प्रति कोई गम्भीर कदम उठाने की स्थिति में है या नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा हमारे वित्त मंत्रीजी सदन में मौजूद हैं, 17 माननीय सदस्यों ने जिस तरीके से मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन देकर अपनी भावना को व्यक्त किया है, यह बात सामने आती है कि फाइनेंस की स्थिति कमजोर है, बार–बार यही कहा जाता है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपना चुनावी बजट पेश किया है। कई तरीके की रियायतें दी हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 1993 से 2000 तक के 212 प्रशिक्षित आशार्थी बैठे हुए हैं। कई आशार्थियों की आयु पार कर जाने की सम्भावना है जिससे जीवन में हमेशा निराशा आ जाएगी। मैं आपके माध्यम से

(श्री जीतमल खांट)

निवेदन करना चाहूंगा कि अगला समय चुनाव का समय आ रहा है, माननीय वित्त मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। जिन बच्चों के मां बाप ने कितनी मेहनत करके उन बच्चों को पढ़ाई से लेकर प्रशिक्षण के लिए परिश्रम किया होगा और यहां तक भेजकर इतना लम्बा समय बीत जाने के पश्चात् वो आशार्थी आज निराशा के भाव से बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, वित्त मंत्रीजी, 1993 से 2000 तक 212 नर्स कम्पाउण्डर बेरोजगार बैठे हुए हैं। चौबीस दिन बीत चुके हैं। आगे होली का समय नजदीक आ रहा है। ये लोग यहां तक धमकी दे रहे हैं कि अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हम यहां आत्मदाह कर सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। तो वित्त मंत्रीजी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन गरीब और असहाय व्यक्ति जो उस इलाके से आये हुए हैं। स्थिति खराब है।

श्री धर्मपाल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह आदिवासी क्षेत्र का मामला है और 212 व्यक्तियों को ही नौकरी देनी है। (व्यवधान) वित्त मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आदिवासी/जनजाति क्षेत्र का मामला है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : 24 दिन से लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो। आई विल नाट अलाउ यू।

श्री धर्मपाल चौधरी : × × ×

श्री जीतमल खांट : × × ×

श्री कनकमल कटारा : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री नन्दलाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय सदस्य इतने सीनियर मैम्बर हैं।

श्री जीतमल खांट : × × ×

श्री कनकमल कटारा : × × ×

श्री धर्मपाल चौधरी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपको पर्ची पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। श्री कन्हैया लाल जी। आप बिराजें।

श्री नन्दलाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। आप सुन लीजिए, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री नन्दलाल मीणा : × × ×

श्री जीतमल खांट : × × ×

(श्री जीतमल खांट, श्री भाणजी भाई, श्री कनकमल कटारा का सदन कूप में धरना)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय सदस्य, आप इतने सीनियर मैम्बर हैं। यह बात तय हो चुकी है कि पर्ची पर न तो कोई मंत्री जी जवाब देंगे, आप अपनी बात कह दीजिए उसके बाद मंत्रीजी चाहेंगे

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

तो जवाब दे देंगे वरना जवाब नहीं देंगे। दूसरी बात यह कि बजट पर बहस हो रही है, आप इस प्रश्न पर अपने बजट भाषण पर बोल लीजिए। आपको अवसर है ना तो नियमों से बोलिए। Why do you want to distrub unnecessarily? आप बिराजें ना। आप बोल लेना ना, आपको अलाउ कर रहे हैं ना।

श्री नन्दलाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, अलाउ कर रहे हैं ना।

श्री नन्दलाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए ना। आप क्यों समय जाया कर रहे हो? आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं ना। आप बोल लेना। श्री कन्हैया लाल जी।

श्री धर्मपाल चौधरी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पर्चियां नहीं आएंगी। यह तय हो चुका था हाउस में कि पहले पर्चियां लो चाहे गवर्नमेंट की रिप्लाई तो आप सबने कहा कि हां पहले गवर्नमेंट का रिप्लाई लें। नहीं, नहीं आएगी। श्री कन्हैया लाल जी। (व्यवधान) आप बिराजो प्लीज।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आएगी, आपकी पर्ची नहीं आएगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। आप बजट भाषण पर जवाब दे देना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट, मैं कह देता हूं। मुझे तथ्य पता नहीं लेकिन आप कह रहे हैं 1993 से बेरोजगार, जैसा प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सन् 1993 से बेकार बैठे हैं। मैं उस विगत में नहीं जाना चाहता कि पांच वर्ष आपकी सरकार थी आपने क्या किया लेकिन मैं एक तो यह बता दें यह आयुर्वेद के हैं या?

अनेक माननीय सदस्य : आयुर्वेद के।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बस ये ही मुझे जानकारी करनी है।

श्री धर्मपाल चौधरी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : जवाब देंगे ना। बजट पर जवाब देंगे जब दे देंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपको अवसर है। अपनी बात पूरी कहिए जब अंकित हो, अभी अंकित भी नहीं हो रही, आप बोले जा रहे हो। क्या फायदा हो रहा है उससे? आपको अवसर देंगे आप बोलिए अच्छी तरह से, इसमें रोक थोड़े ही रहे हैं आपको। माननीय कन्हैया लालजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : हर चीज पर सरकार कोई स्टैटमेंट नहीं देती। बिराजिए आप। आपने कल तो तय किया और आज वापस भाषण देने लग गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। कन्हैया लालजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। जीरो आवर में कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। आप बिराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कोई सुनने का सवाल हीं नहीं है। आप बिराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप हाउस में उपस्थित थे। पर्ची की बात मैंने स्वयं ने कही। मैंने कहा पर्चियां आ रही हैं उस पर स्टैटमेंट बाद में देने दीजिए। आप सबने कहा कि नहीं पहले गवर्नमेंट का स्टैटमेंट।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह कहा कि फिर पर्ची नहीं आएगी। आपने कहा कि नहीं आएगी। इसलिए पर्ची नहीं आएगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इट इज आन रिकार्ड। आप बिराजिए। एक मिनट भी नहीं दूंगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : हाउस की मंशा के विपरीत मैं कुछ नहीं कर सकता। हाउस ने यह बात कही है उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कृपा करके बिराजिए। कन्हैयालाल जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन है हम भी चाहते हैं सदन की कार्यवाही अच्छी तरह चले। माननीय तीन सदस्य यहां धरने पर बैठे हैं, बाहर भी धरना चल रहा है। वित्त मंत्रीजी, आप इतना ही आश्वासन दे दें कि आप पूरे प्रकरण को दिखवा कर इसमें न्यायसंगत बात करेंगे, प्रयास करेंगे। कुछ तो कह दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने इसीलिए जानकारी प्राप्त की थी, वह नर्स कम्पाउण्डरों का नाम ले रहे थे तभी मैंने पूछा कि यह मेडिकल साइड के, उन्होंने कहा है तो मैं मेडिकल सैक्रेटरी से जानकारी लूंगा क्या पोजिशन है और यह जो भर्ती हुई थी उस भर्ती में कैसे नहीं आ सके...(व्यवधान) एक मिनट सुन लें।

अगर आप यह भर्ती हुई थी तो उस भर्ती में यह क्यों नहीं आ सके, क्या कारण रहा, कुछ लोग आए कुछ रह गये। दो बातें हैं, क्योंकि मेडिकल की बात में तो नर्स और कम्पाउडरों का तीन हजार तो पहले भर्ती हुए वहां पर अकाल के दौरान और बाद के अन्दर कम्पाउण्डर्स की अभी भी निकली हुई है वैकेन्सीज। तो मैंने कहा, बोले कि यह आयुर्वेद के हैं, मैं भी आयुर्वेद से... (व्यवधान) अब आप बिराजो।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना बहुत। माननीय कन्हैया लालजी बोले।

(श्री जीतमल खांट, श्री भाणजी भाई, श्री कनकमल कटारा का धरना समाप्त)

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में स्वीकृत अकाल राहत कार्यों में कथित धांधली

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र बस्सी में जो अकाल राहत कार्य चल रहे थे उनको दो या तीन दिन में सरकार ने मुझे 264 कार्य स्वीकृत किए थे उसमें से 48 कार्य तो उसी समय अस्वीकृत कर दिये उसके बाद में मेरे क्षेत्र में जो कार्य किये गये पक्षपात करके 43 कार्य फिर बंद कर दिये गये। वहां कार्य नहीं चलाये। उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन के अन्दर मेरे यहां क्षेत्र के अन्दर मात्र 300 गांवों में 65 गांवों के अन्दर काम चल रहा है, बाकी गांवों में कोई काम नहीं है और सारे गांवों के अन्दर त्राहि–त्राहि हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हर पंचायत के अन्दर, हर गांव के अन्दर जो लोग काम कर रहे थे, वर्तमान में जितने भी काम हैं, दस आदमी लगे हुए हैं या तो कहीं एक काम पर या बीस आदमी या कहीं तीस आदमी, मैं कह रहा हूं मेडिकल के दस प्रतिशत से ज्यादा काम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के जितने भी बी.पी.एल. परिवार हैं, बी.पी.एल. परिवारों का चौथा हिस्सा भी काम नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम मेरे क्षेत्र के जो काम कैंसिल कर दिये गये हैं या जिन गांवों में काम नहीं चलाये हैं उन गांवों में काम शीघ्रातिशीघ्र करके मेरे यहां पर कार्य चलाए जायं।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चारा डिपो खोले। स्वीकृत किये, लेकिन स्वीकृत करने के बाद मेरे क्षेत्र में कानोता, सामरिया, थालियावास, देवगाऊ, बास्को, बडवा इनके अन्दर चारा एक एक ट्रक आने के बाद दुबारा चारा नहीं आया। मेरे क्षेत्र के अन्दर लोगों ने अपने पशुओं को तिलक लगाकर छोड़ दिया है और चारा नहीं मिल पा रहा है। न कोटखावदा के अन्दर चारा आया है, खाली दो ट्रक कोटखावदा में आया उसके बाद नहीं आया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मजदूर, जिनका काम भी बंद कर दिया गया है वह मजदूरी मांगने गये, दो महीने दस दिन हो गये उनको और आज तक मजदूरी नहीं मिल रही है। नांगल बोहरा है, किशनपुरा का काम है, तलाई का काम है और किशनपुरा में एक नाले का काम था और नांगल बोहरा बीड की तलाई का काम था। बडवा तलाई और रोड का मामला था उस पंचायत में। अपरेटा के अन्दर तलाई का काम था, यानि सारे कामों का अब तक भुगतान नहीं हुआ। इसके अलावा और भी काम हैं। मेरे क्षेत्र के 35 ऐसे काम हैं जिनका दो महीने तक भुगतान नहीं हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा था दस दिन में ही भुगतान हो जाएगा। लेकिन दस दिन दूर, जब मजदूरी मांगने गये तो उनको कहा कि आप मजदूरी मांगते हो, एक दम इतना हल्ला मचा रहे हो। और उनको कूपन दे दिये गये लेकिन

(श्री कन्हैया लाल)

आज तक भुगतान नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको शीघ्रातिशीघ्र मजदूरी दी जाए जिसमें बी.पी.एल. परिवार के लोग जहां-जहां हैं उनमें ज्यादातर एस.सी., एस.टी. के हैं।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 44वां प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंहजी विश्नोई, कृषि मंत्री।

श्री रामसिंह विश्नोई (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

पंचायत मुख्यालय लालगढ़ (बस्सी) में पशु चिकित्सा इकाई खोलने विषयक

1. पंचायत मुख्यालय लालगढ़ तहसील बस्सी जिला जयपुर में पशु चिकित्सा इकाई खोलने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

कोटखावदा से रामनगर (तहसील चाकसू) तक की सड़क हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

2. जिला जयुपर तहसील चाकसू स्थित कोटखावदा से रामनगर तक की सड़क हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा दिलाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

घाटगेट (जयपुर) से गोकुलपुरा (बस्सी) तक रोडवेज की बस लगाये जाने विषयक

3. जयपुर के घाटगेट से गोकुलपुरा तहसील बस्सी तक रोडवेज की बस लगाये जाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के आज के कठिन हालात में हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो अच्छा और शानदार बजट पेश किया है उसके लिये राजस्थान की नेता की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट पर चर्चा के दौरान मैं माननीय कांग्रेस अध्यक्ष और लोक सभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधीजी के प्रति भी राजस्थान

(श्री संयम लोढ़ा)

(13.43 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

की जनता की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राजस्थान की जनता की कठिनाई का विशेष तौर पर उल्लेख किया और देशवासियों का ध्यान राजस्थान की जनता की तकलीफ की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया।

माननीय सभापति महोदय, सोनियाजी के उस पूरे उद्बोधन में से सिर्फ प्राकृतिक आपदा से सम्बन्धित कुछ पंक्तियां आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। सोनिया जी ने कहा ''मुझे आशा थी कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता दर्शायी जाएगी। वर्ष 2001 में लगभग आठ करोड़ लोग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए और बारह हजार करोड़ रुपये की क्षति हुई। अनेक राज्य सूखे की चपेट में हैं और इनमें से सर्वाधिक प्रभावित राज्य राजस्थान है जिसमें निरन्तर चार वर्षों से सूखा पड़ रहा है। लेकिन मैं यह भी कहूंगी कि इस राज्य के प्रति मुझे केन्द्र सरकार का रवैया समझ में नहीं आ रहा है।

सर्वप्रथम काम के बदले अनाज में भी उतार चढ़ाव आया। आरम्भ में यह दस किलोग्राम प्रति दिन था और बाद में इसे अपनी मर्जी से कम करके पांच किलोग्राम कर दिया गया और फिर वापस छह किलोग्राम प्रति दिन कर दिया गया।

राजस्थान में अभिजात गरीब लोगों को जुलाई, 2003 तक रोजगार प्रदान करने के लिये 42.25 लाख टन गेहूं की मांग की है, केन्द्र ने इस मांग पर केवल 21 लाख टन गेहूं का आबंटन किया है और वह भी कुछ दिन पहले ही। भावी आबंटन के बारे में भी अनिश्चितता बनी हुई है जिसके कारण राज्य अपने राहत कार्य की योजना नहीं बना पा रहे हैं। जब खाद्यान्न का अपार भण्डार पड़ा है तो केन्द्र सरकार प्रभावित राज्यों पर तमाम तरह के प्रतिबंध क्यों लगा रही है? मैं केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन सभी राज्यों के बारे में बात कर रहा हूं जो सूखे से प्रभावित हैं। ऐसे अनेक राज्य हैं जहां सूखा पड़ा है लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि राहत आयोग के उत्तरदायित्व की अपेक्षा करते हुए आबंटन का उप प्रधानमंत्री के स्तर पर केन्द्रीकरण किया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में अकाल की भयावह स्थिति है और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान 3 मार्च को जो वक्तव्य भारत की लोक सभा में दिया, उस समय भी उन्होंने राजस्थान के अकाल को भयंकर माना है। आज राजस्थान के करोड़ों बाशिन्दे और पशुधन संकट में हैं। राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद इस विकट आपदा से मुकाबले का प्रयास कर रही है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से आज तक भारत सरकार द्वारा राजस्थान को फूटी कौड़ी नहीं दी गयी। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि की स्थापना किसलिये की गयी? जब प्रदेश में गम्भीर अकाल की स्थिति हो तो भारत सरकार का यह संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि वह राज्यों की मदद करे। भारत ने संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत नियुक्त ग्यारहवें वित्त आयोग ने दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किये गये राष्ट्रीय आपदा राहत कोष को इसलिये समाप्त किया था कि गम्भीर आपदा की स्थिति में राज्यों को पर्याप्त सहायता मिल सके, सहायता की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, ग्यारहवें वित्त आयोग ने एन.एफ.सी.आर. स्कीम को अपर्याप्त मानते हुए अपनी रिपोर्ट में जो कहा था, मैं सदन में उसका उल्लेख करना चाहूंगा। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 9.22 में कहा था–

ÒÒThis does not, however, mean that in view of the calamity of rare severity should be left to be attended by the State from their own resources alone. The super cyclone in Orissa, October, 1999, and the drought prevailing currently in some states are a pointer to the fact that a State faced with the severe natural calamity will not be able to provide relief to the affected areas and population all alone and will depend on the assistance from other State and the Central Government. In a situation like this. The decisions will necessarily have to be made on an emergent basis without waiting for an assessment of the damage by a central team followed by confabulation in inter-ministerial group and decision by the NCRC. There is, therefore, a need to develop a system in which it should be possible to take suo-motu cognizance of the occurrence of calamities of rare severity by the Central Government without waiting for any memorandum from the State Government or for the deputation of a central team for getting an on the spot assessment of the damage and of the extent of relief required. In our view this task can be entrusted to an independent body of experts who should monitor the occurrences of natural calamity on a regular basis in all the States. For this purpose a National Centre for Calamity Management may be established under the Ministry of Agriculture to monitor the natural calamities relating to cyclone drought, earthquake, fire, flood and hail-storm."

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने वित्त आयोग की इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 15 दिसम्बर, 2002 को राष्ट्रीय आकस्मिक निधि योजना लागू की और इस योजना का पैरा क्या कहता है, माननीय सभापति महोदय, पैरा नम्बर तीन...

''Natural calamity of cyclone drought, earthquake, fire, flood and hail-storm considered to be severe nature requiring expenditure by the

(श्री संयम लोढ़ा)

State Government in excess of the balances available in its own calamity relief funds by the National Centre for Calamity Management will qualify for relief assistance under the Scheme." और इससे साफ जाहिर है कि आपको राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से गम्भीर आपदा की स्थिति में सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने अगस्त, 2002 में 7500 करोड़ रुपये का ज्ञापन प्रस्तुत किया, लेकिन उसके विपरीत मिला क्या, सिर्फ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 11 करोड़ 66 लाख रुपये गौ-शाला के लिये। काश्तकार को इनपुट अनुमान देने की योजना की भारत सरकार ने जोर-शोर से घोषणा की, राजस्थान सरकार ने 857 करोड़ रुपये की मांग की और इसके विपरीत मिला कितना, 155.68 करोड़ रुपये और वह भी सिर्फ बड़े काश्तकारों के लिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार राजस्थान के आम काश्तकारों में असंतोष फैलाना चाहती है? आज ऐसी कठिन परिस्थितियां हैं कि जब राजस्थान लगातार पांचवें साल सूखे का सामना कर रहा है और जिस निधि की स्थापना की गयी है वह केन्द्र सरकार को इस बात का अधिकार देती है कि ऐसी तकलीफ के वक्त में देश की जनता की मदद के लिये वह अधिभार लगाये। लेकिन क्या भारत सरकार ने इस दिशा में कोई पहल की? भारत सरकार ने कोई कोशिश की कि वह किसी तरह का अधिभार लगाकर इस सूखे के समय में, इस तकलीफ के समय में लोगों की मदद करे? मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री लोक सभा में यह कहते हैं कि राजस्थान को फलां-फलां चीज दी गयी है। जिस सूखे में लगातार पांचवें साल अकाल हो, क्या उस सूबे के अकाल की तुलना देश के दूसरे राज्यों से की जा सकती है? आन्ध्र प्रदेश लीजिये, वहां कब-कब सूखा पड़ा? भारत सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन अनाज आन्ध्र प्रदेश की सरकार को दिया। उसके सामने हम कहां खड़े होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देश में हमारे फोरफादर्स के द्वारा संघीय ढांचे की स्थापना की गयी थी और संकट के सम्बन्ध में अगर कोई सरकार, जो देश की निर्वाचित सरकार है, देश के करोड़ों लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार है, अगर राज्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेगी तो संघीय ढांचे के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जायेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आकस्मिक निधि योजना से, आज मार्च का महीना आ गया है, आज तक एक रुपये की भी राशि स्वीकृत नहीं करना इस बात को दर्शाता है कि किस राजनीतिक आधार पर काम किया जा रहा है। और इस योजना को लागू करते वक्त जिस केन्द्र की स्थापना की बात की गयी थी नेशनल सेंटर फॉर कैलेमिटी मैनेजमेंट, मैं पूछना चाहूंगा कि आज तीन महीने गुजर गये, भारत सरकार ने इसकी स्थापना क्यों नहीं की, सिर्फ इसलिए कि राहत का भी

(श्री संयम लोढ़ा)

राजनीतिकरण किया जा सके। देश के उप प्रधानमंत्री टास्क फोर्स के चेयरमैन बन करके सारे अधिकार अपने हाथ में लेकर बैठ गये और आज राजस्थान की जनता को जिन कठिनाइयों को भुगतना पड़ रहा है वह सबके सामने हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब अकाल पर चर्चा हो रही थी तब माननीय अकाल राहत मंत्रीजी का वक्तव्य सिर्फ इसलिए नहीं सुना गया कि उनके जवाब के माध्यम से इनकी असलियत सामने आ जाती। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने लगातार पांचवें साल जिस तरह से अकाल का प्रबन्धन किया है वह प्रदेश की जनता और देश के लोगों के सामने हैं। 1991 में जब अकाल पड़ा, राजस्थान के 30041 गांव अकाल से प्रभावित थे, राजस्थान के 2 करोड़ 89 लाख लोग अकाल से प्रभावित थे, और तीन करोड़ 56 लाख पशु धन प्रभावित था। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना पैसा खर्च किया, आप हिसाब लगाये तो एक साल के अकाल राहत कार्यों पर एक व्यक्ति पर एक रुपया, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। भारत सरकार ने 93 करोड़ रुपया दिया, तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसमें से 88 करोड़ रुपया यह अपनी जेब में डालकर बैठे रहे और मात्र 5 करोड़ 40 लाख रुपया खर्च किया। वह भी 2 करोड़ 89 लाख लोगों और 3 करोड़ 54 लाख पशुधन पर, इसका मतलब अगर पशु और आदमी दोनों को गिने तो एक आदमी के या एक पशु के हिस्से में 90 पैसे आते हैं। पूरे एक साल में 90 पैसे, आज जब उछल-उछल कर राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पर यह आरोप लगाने की कोशिश करते हैं और जब आंकड़ों की तह में जाते हैं तो बेहद तकलीफ होती है।

सभापति महोदय, यह लगातार आरोप लगाया जाता रहा है कि अकाल में कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले साल में कांग्रेस की सरकार ने 27470 अकाल राहत कार्य खोले। दूसरे साल में 50291 अकाल राहत के काम खोले और तीसरे साल में 49960 अकाल राहत के काम खोले और प्रतिपक्ष के हमारे साथी जिस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, मैं कहना चाहूंगा कि 2001 में जो काम किये गये, उनमें वाटर हार्वेस्टिंग का प्रतिशत 46.75 था, सम्वत 2056 में उसका प्रतिशत था 52.56, जल ग्रहण के क्षेत्र में जो अकाल के माध्यम से काम हुआ। यह तो हमारी प्रदेश का और राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य रहा कि बरसात नहीं हुई। अगर बरसात हो जाती तो राजस्थान की जनता को अकाल राहत के तहत किये गये कामों का वह लाभ मिलता जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

सभापति महोदय, यह कहा जाता है कि हमने पक्के काम नहीं किये। मेरे पास आंकड़े हैं कि हमने किस रूप में काम किये। सम्वत् 2055, 1998-99 राजस्थान के अन्दर जो ग्रेवल सड़कों का काम हुआ, जो उस पर व्यय किया गया वह 6851 लाख रुपये डब्ल्यूबीएम फेमिन के अन्दर

(श्री संयम लोढ़ा)

926 लाख रुपये, और हमारी सरकार ने यह तय किया कि अकाल और स्कीम्स को डवलप करके नयी परिसम्पत्तियों का सृजन करेंगे। कितनी नयी स्कूल बिल्डिंग्स बनायी 1998-99 में 3243 राजस्थान के अन्दर, कई स्कूलों की हमने बाउण्डरी बनायी। 3946 की स्कूलों में हमने 2522 नये कमरे बनाये। इसके अलावा उस साल में 173 आंगनबाड़ी केन्द्र बनाये गये। 3844 दूसरे अन्य काम किये गये। इसी प्रकार 1999-2000 में 10102 लाख रुपये ग्रेवल सड़कों पर खर्च किये गये, 1576 लाख डब्ल्यूबीएम पर खर्च किये और आप यह बार-बार आरोप लगाते हैं पक्के काम नहीं कराये, इस साल में भी जो नये स्कूल भवन बनाये गये वे 3259 हैं। स्कूलों की बाउण्डरी के काम 622 हैं और स्कूलों के कमरे 828 हैं, एनीकट्स 1301 हैं और इसके अलावा हजारों दूसरे काम किये गये हैं। इसी तरीके से 2000-2001 में भी 1841 स्कूलों के नये भवन बनाये गये हैं। इसी तरीके से 2000-2001 में भी 1841 स्कूलों के नये भवन बनाये गये, 1238 स्कूलों में बाउण्डरीवाल बनायी गयी। 1357 कमरे बनाये गये और आंगनबाड़ी केन्द्र जो अकाल के माध्यम से बनाये गये वह 1370 थे। और कुल तीनों सालों के दौरान करीब 2000 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(14.00 बजे)

हां, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : और कितना बुलवाना है?

श्री संयम लोढ़ा : अभी कांग्रेस पार्टी का बहुत टाइम है।

डा. सी. पी.जोशी (नीति निर्धारण मंत्री) : हमारा टाइम है उसमें से दे दे।

श्री संयम लोढ़ा : कांग्रेस पार्टी का पर्याप्त समय बाकी है, सभापति महोदय।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान में एक भी पक्का काम नहीं कराया है कहीं भी।

श्री सभापति : विराजिए, माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी : आपके विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी पाठशालाएं बनी कि नहीं बनी? एक भी नहीं बनी?

श्री कन्हैया लाल : आप इनको पूछ रहे हो?

डा. सी. पी. जोशी : राजीव गांधी पाठशालाएं एक भी नहीं बनी क्या?

श्री कन्हैया लाल : नहीं, राजीव गांधी पाठशालाएं बनी हैं।

डा. सी. पी. जोशी : तो फिर? वही तो बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं?

श्री कन्हैया लाल : नहीं-नहीं, अकाल राहत में नहीं साहब।

डा. सी. पी. जोशी : किसी में तो खोली है।

श्री कन्हैया लाल : राजीव गांधी पाठशालाएं खुली हैं, यह बात सही है।

डा. सी. पी. जोशी : और क्या बोल रहे हैं?

श्री कन्हैया लाल : इसमें नहीं, अकाल में नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, ये कहते हैं कि अकाल राहत के अन्दर पक्के कार्य नहीं हुए राजस्थान में। अकाल राहत के अन्दर 28 लाख रुपये से जोएला नदी पर रपट बनी है, पचास साल से उस इलाके की जनता इन्तजार कर रही थी कि हम नदी के इस पार खड़े रह जाते हैं, हमारे जाने की सुविधा नहीं बनती है, 28 लाख रुपये की रपट का काम मेरे इलाके में फेमिन के अन्दर हुआ। आप सच्चाई को नकार नहीं सकते।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : 60 लाख रुपये का कारोही बांध खण्डेला में बना है अकाल राहत में।

श्री संयम लोढ़ा : फेमिन में मैटीरियल दिया गया, अकाल राहत के अन्दर मैटीरियल दिया गया।

श्री महादेव सिंह : पूरे राजस्थान में अकाल राहत में यदि सबसे बड़ा बांध बना है तो कारोही बांध 60 लाख रुपये में बना है।

श्री संयम लोढ़ा : जालौर जिले के अन्दर करीब एक करोड़ रुपये की इस तरह की रपटों का निर्माण हुआ है फेमिन के अन्दर। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय उस दिन जब अपना उद्बोधन दे रहे थे, बहुत जोर-शोर से कह रहे थे कि वह लंगोटी पहने हुए बच्चा, वह भूखा रह जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के आजाद होने के बाद इतनी सरकारें आईं, इतने मुख्य मंत्री आए, हर सरकार ने यह दावा किया कि हम लोक कल्याणकारी सरकार हैं। लेकिन कौनसी सरकार का मुख्य मंत्री है जिसने यह सोचा कि गरीब परिवार का व्यक्ति जो फाकाकशी का सामना कर रहा है, उसके परिवार में भी कोई गम्भीर बीमारी से पीड़ित हो सकता है, उसके परिवार के भी जान के लाले पड़ सकते हैं। और अपनी गरीबी के डर से, इलाज के खर्च के खौफ से वह गरीब आदमी, उस भय से मर सकता है। किसी ने उनकी तकलीफ की, चिंता की? किसी ने उसकी पीड़ा की चिंता की? एक मात्र व्यक्ति है, वह लोक देवता अशोक गहलोत, जिसने उन गरीबों की चिंता की।

आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान का वह गरीब आदमी जिसके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, उसका वाल्व खराब है, उसे हृदय रोग की बीमारी है, उसे जानलेवा बीमारी है, कौनसा ऐसा रास्ता था जिसके जरिये वह इलाज करवा सकता था, क्या किसी नेता का इस ओर ध्यान गया?

सभापति महोदय, 55 साल के इतिहास में अगर किसी नेता का इस तरफ ध्यान गया तो राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत का गया जिसने मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की। क्या देश में कोई इस तरह का उदाहरण है कि जब प्रदेश के किसी मुख्य मंत्री ने समाज के सबसे पीछे बैठे हुए आदमी, समाज के सबसे कमजोर आदमी, समाज के सबसे गरीब आदमी के स्वास्थ्य की चिंता की हो? सभापति महोदय, मैं निवदेन करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस की सरकार जिसने समाज के सबसे अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की सुध ली, उनके

(श्री संयम लोढ़ा)

परिवारों की सुध ली, उनके आने वाले भविष्य की सुध ली, उनके भविष्य के सपनों की सुध ली और उसके बाद वह योजना लागू की गई। पूरे राजस्थान के लोगों को उससे लाभांवित करने का मौका मिला। और जब यह जानकारी आई कि बहुत से लोग जो बी.पी.एल. नहीं है, उनके परिवार के लोग भी इस तरह की तकलीफ में हो सकते हैं, इस तरह की कई कठिनाई हो सकती है तब हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्री सहायता कोष में भी वह प्रावधान किया कि उस परिवार की सहायता इसके माध्यम से की जाए। क्या पूरे देश के अन्दर इस तरीके की योजना की कोई मिसल दी जा सकती है? राजस्थान के कमजोर से कमजोर आदमी की खिदमत करने की कोशिश की तो सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने की।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि असहाय, वृद्ध, नि:शक्त, जब कांग्रेस की सरकार हुकूमत में आई थी, क्या सुविधा मिलती थी उनको? क्या प्रतिपक्ष के लोग इस बात से इंकार करेंगे कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता है कि उस राशि को उन्होंने दुगुना किया। आखिर इस तरीके के फैसले से राज्य पर कितना बड़ा आर्थिक भार पड़ता है। सभापति महोदय, यह सब लोग जानते हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी की संवेदनशीलता है कि उन्होंने इस दिशा में ध्यान दिया। सभापति महोदय, आज भी सदन में इस बात को लेकर बात आई कि कांग्रेस की सरकार दलित लोगों के वोट ले लेती है पर उन पर ध्यान नहीं देती। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार अस्तित्व में आई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हजारों बच्चे जो समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहते थे, कितने पैसे खर्च होते थे, 375 रुपये, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस की सरकार को जिसने आते ही 375 से 675 किया। आज आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को कठघरे में खड़ा करना चाहते हैं पर आप क्यों भूल जाते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ही वह एकमात्र सरकार है देश में जो गरीब मजदूरों को 60 रुपये मजदूरी का भुगतान करती है। क्या देश में कोई दूसरा उदाहरण मौजूद है?

जिस हिन्दुत्व की बात आप लोग करते हैं, जिस हिन्दुत्व का झण्डा उठाकर आप लोग घूमते हैं, हमारे पड़ोस गुजरात में हिन्दुत्व का वह नायक बैठा हुआ है, कितने रुपये देता है हिन्दु मजदूरों को..? (व्यवधान) 40 रुपये।

सभापति महोदय, मैं गुजरात के सीमावर्ती जिले से आता हूं। हमारे रिश्तेदार हैं गुजरात में, लोग सुबह चाय हमारे यहां पीते हैं और खाना खाने वहां जाते हैं। समझना पड़ेगा इस बात को, यह सोच का फर्क है, यह विचार का फर्क है, यह दर्शन का फर्क है। कांग्रेस की सरकार समाज के कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशील है और उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान के कमजोर वर्ग के हित में अनेकानेक फैसले किए।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग, मैं जिस समाज से आता हूं, मैं जिस बिरादरी से आता हूं, गांव में, कस्बे में, जहां भी हमारी बसावट है, हमारे लोगों के पास धर्मशालाएं हैं, हॉस्टल हैं, मातृश्री भवन हैं, दूसरी अनेक संस्थाएं खड़ी की हुई हैं लेकिन उन लोगों के पास क्या सुविधाएं थी? गांवों में क्या उनके पास कोई बैठने की जगह थी? उनके परिवार में मौत होती थी, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते, सड़क पर बैठते थे, उनके परिवार में बारात आती। बारात कहां पर रुकती है? गांव में किसी मन्दिर में बैठते थे, सड़क पर बैठी रहती। किसी आदमी ने इस चिंता को समझा, इस पीड़ा को समझा, इस तकलीफ को समझा कि समाज की मुख्य धारा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को लाने के लिए हमें कोई काम करना चाहिए? अनेक लोक कल्याणकारी सरकारें आईं पर सोचा तो राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने सोचा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को धर्मशाला और हास्टलों के लिए फ्री जमीन देने का फैसला किया। आज पूरे राजस्थान में चेतना का वातावरण बना है कमजोर वर्ग के लोगों में।

श्री कन्हैया लाल : आपने तो सिरोही में अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों को जमीन देने के लिए मना कर दिया और जो दलित वहां रह रहे हैं सामने आपके सिरोही में, क्या हालत है उनकी, पानी गंदा बह रहा है, कीचड़ पड़ा हुआ है, क्या हालत है?

श्री संयम लोढ़ा : आपकी बात का जवाब देता हूं, सभापति महोदय। किस तरीके से कोई व्यक्ति सदन में असत्य बोल सकता है, उसकी मिसाल है माननीय सदस्य। माननीय सभापति महोदय, जिस अनुसूचित जनजाति के छात्रावास की बात कर रहे हैं, उसका शिलान्यास मेरे करकमलो के द्वारा हुआ।

श्री कन्हैया लाल : अब कर दिया होगा।

श्री संयम लोढ़ा : उसकी जमीन का अलाटमैंट मैंने करवाया और मेरे कर कमलो से उसका शिलान्यास हुआ पिछले साल।

श्री कन्हैया लाल : कोई आज कल ही कर दिया हो तो पता नहीं। पिछले साल का क्या, मैं अभी जाकर आया हूं।

श्री संयम लोढ़ा : पिछले साल मेरे कर कमलों से हुआ है। आप जिस दिन आए थे उससे 10 दिन पहले मेरे करकमलो से उसका शिलान्यास हुआ।

श्री कन्हैया लाल : नहीं, नहीं। उस दिन विरोध कर रहे थे लोग-बाग। क्या बात कर रहे हो आप?

श्री संयम लोढ़ा : आपकी पार्टी के लोग होंगे मैं रिकार्ड पर बात कर रहा हूं।

श्री कन्हैया लाल : क्या रिकार्ड पर बात कर रहे हो?

श्री संयम लोढ़ा : मैं रिकार्ड पर बात कर रहा हूं, सदन में कह रहा हूं यह बात।

श्री कन्हैया लाल : सदन की बात ठीक है लेकिन आपने बिलकुल, मैं कल बता देता हूं आपको, अभी फैसला नहीं हुआ, मैं बता देता हूं अभी आपको।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं जो सदन में वक्तव्य दे रहा हूं। पूरे पश्चिमी राजस्थान में मीणा छात्रावास के लिए पहला लैण्ड अलाटमेंट किसी ने करवाया तो मैंने करवाया। और अगर यह बात गलत हो जाए तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूं और अगर यह गलत साबित हो जाएं तो ये विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दे कि मैंने उसका शिलान्यास नहीं किया।

श्री कन्हैया लाल : सबसे पहला तो जयपुर में माननीय भैरोंसिंह शेखावत ने किया था, एक रुपये में टोकन मनी पर जमीन अलाट की थी।

श्री संयम लोढ़ा : आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं जोधपुर सम्भाग की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा : पूरे जोधपुर सम्भाग में पहला अलाटमेंट किसी ने करवाया तो मैंने करवाया है, शिलान्यास किया तो मैंने किया और जिस समय मैं शिलान्यास समारोह में गया मैंने लोगों को प्रेरित किया कि कांग्रेस के लोग हैं और आप सबको इनकी मदद करनी चाहिए। और इसी फंक्शन के दौरान मैंने तीन लाख रुपये छात्रावास बनाने के लिए इकट्ठे करवाये। आप जैसा असत्य मिथ्यावाचन करने वाले लोग..

श्री कन्हैया लाल : आप असत्य बोल रहे हैं। अभी मैं पूछता हूं। या तो आपने गलत जगह किया..

श्री संयम लोढ़ा : मैं कह रहा हूं या तो आप इस्तीफा दे देना या मैं दे दूंगा।

श्री कन्हैया लाल : क्या बात कर रहे हो आप? जो दलितों की हालत आपके क्षेत्र में है कहीं भी नहीं है। आप असत्य बोल रहे हो।

श्री संयम लोढ़ा : अगर मैंने शिलान्यास नहीं किया और अलाटमेंट नहीं कराया हो तो आप इस्तीफा दे देना या मैं दे दूंगा। मैं आपको चुनौती देता हूं।

श्री कन्हैया लाल : मंजूर है। आप ऐसी बात करते हो, वहां हालत क्या हो रही है। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : इस्तीफा देना पड़ेगा।

श्री कन्हैया लाल : आपने पक्षपात की दृष्टि से उनके सामने न कोई नाली बनायी, न सड़क बनायी। यह हालत हो रही है और दलितों के गुणगान कर रहे हो।

श्री संयम लोढ़ा : वहां शिलान्यास मैंने किया था। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : क्या गुणगान गाओगे। उनकी जो हालत आपके सामने हो रही है...

श्री महादेव सिंह : आप पहले जानकारी करके आएं।

श्री कन्हैया लाल : उनकी जो हालत मैं देखकर आया हूं वहां पर निकलने की ही जगह नहीं है और बढ़-बढ़ कर दलितों की बात कर रहे हैं। खुद के क्षेत्र में हालत का पता नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, इनका आठ साल तक शासन रहा और सिरोही के मैनवाड़ा में पांचवीं तक का स्कूल था, वह आठवीं तक का किया तो संयम ने किया। अगर गलत हो तो बता देना आप।

श्री सभापति : माननीय सदस्य लोढ़ा साहब, आप व्यक्तिगत बात बोलेंगे...

श्री संयम लोढ़ा : ये बीच में इंटरवीन कर रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। आप इनको तो रोकिए।

श्री सभापति : मुझे तो सुन लो आप। आसन की तो सुन लो आप। आप व्यक्तिगत बात करोगे तो यह मामला बढ़ता जाएगा। इसलिए आप भी अपनी भाषा को ऐसा रखो और उनको उठने का अवसर ही मत दो।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैंने सरकार के एक बिंदु की बात की, राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने जो फैसला किया उसकी बात की। इन्होंने बीच में खड़े होकर टोकाटाकी करना शुरू कर दिया। इसमें मेरा क्या दोष है।

श्री सभापति : दोष किसी का नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : और वह भी मिथ्या, असत्य..

श्री कन्हैया लाल : दलितों की हिमायत की असत्य बात कर रहे हो आप।

श्री संयम लोढ़ा : मैं हिमायती हूं और रहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अलाटमेंट मैंने करवाया और जिस अनुसूचित जाति, जनजाति की बात करते हो, मेघवाल, हीरागर, भील, मीणा सब समाजों के छात्रावास की जमीनें मैंने दिलायीं। आप अपने वचन पर कायम रहना। अगर आप गलत साबित हो जाएं तो आप इस्तीफा लाकर सभापति जी को दे देना।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को लेकर आरोप लगाते थे, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने कई क्षेत्रों में बेहतरीन और ऐतिहासिक काम किये हैं। यह मैं नहीं कहता, दिल्ली में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, राजग सरकार कहती है। क्या ऊर्जा मंत्री सुरेश प्रभु राजस्थान आये तो उन्होंने यह नहीं कहा कि देश में विद्युत सुधार कार्यक्रम को लागू करने में राजस्थान सबसे अग्रणी प्रदेश है? क्या इस बात से प्रतिपक्ष के लोग इंकार कर सकते हैं कि देश के अंदर जो विद्युत उत्पादन बढ़ा है इन चार वर्षों में राजस्थान सबसे अग्रणी प्रदेश है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रधानमंत्री जी ने रावतभाटा में भैरोसिंह जी की उपस्थिति में यह बात की थी।

श्री रामनारायण विश्नोई : प्रधानमंत्री जी कोई आपको गालियां थोड़े ही निकालेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू। (व्यवधान) कभी आप भारत सरकार की आलोचना करते हैं और...

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय विश्नोई जी, अगर कार्य नहीं हुआ होता तो प्रधानमंत्रीजी कतई नहीं कहते।

श्री रामनारायण विश्नोई : प्रधान मंत्रीजी मर्यादा के अन्दर करते हैं यह सारी बात। बाकी इनकी जो स्थिति है वह हमसे छुपी हुई नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह जो कार्य हुआ था, क्योंकि काम हुआ है...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : आप तो यह बता दें प्रधानमंत्री जी सच कह रहे थे या नहीं कह रहे थे।

श्री रामनारायण विश्नोई : बिजली की स्थिति आपसे और हमसे छुपी हुई नहीं है, क्या हालत हो रही है। जो बिजली का सुधार हुआ है वह हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कोरी वाहवाही से कुछ नहीं होता।

डा. महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्रीजी कोटा में सच कह रहे थे या नहीं कर रहे थे, इतना बता दे माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है महेश जी जोशी साहब, मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू। यह नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार में आपको किसी बात में अच्छा कहा जाए उस पर उछलते हो और जितनी मदद कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद नहीं देते हैं। इससे बड़ा +++, इससे बड़ा बेवफाइपना, इससे बड़ा +++ इससे बड़ा थैंकलेस कुछ हो सकता है?

डा. महेश जोशी : आप बहुत बड़े शायर हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नेकी कर दरिया में डालने की बजाय नेकी करो और जूते खाओ, मैं भी खाऊं और तू भी खा वाली बात है। वे अच्छा कहे तो उसके लिए कहते हो?

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेव जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अगर उन्होंने हजारों करोड़ की मदद दी... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय प्रधानमंत्री जी कोटा में सच कह रहे थे और लोकसभा में जो सोनिया गांधी को उन्होंने उत्तर दिया कि राजस्थान के साथ भेदभाव नहीं हुआ, वो भी सच कह रहे थे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वो भी बोलो।

डा. महेश जोशी : तो हम सिद्ध कर रहे हैं ना कि वो सच नहीं कह रहे थे। हमने सिद्ध किया इस बात को कि वो यह सच नहीं कह रहे थे। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप भेद करेंगे तो दूसरे भी भेद करेंगे।

डा. महेश जोशी : क्या भेद करेंगे? आप अपने नेता के बारे में क्या कह रहे थे?

श्री मानिक चन्द सुराना : आप अगर इस तरीके से भेद करेंगे...

डा. महेश जोशी : हम तो करेंगे भेद।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप कह रहे हैं प्रधान मंत्रीजी सच कह रहे थे। हम कह रहे हैं हां, सच कह रहे थे, वहां भी सच कह रहे थे कोटा में और लोक सभा में भी सच कह रहे थे।

डा. महेश जोशी : तो आप मानिए ना। राजस्थान के मामले में आपके नेता जो

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. महेश जोशी)

कहते हैं और आप नहीं मानते तो कहां मान रहे हैं सच कह रहे थे।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप क्यों बुरा मान रहे हैं कि लोक सभा में सच कहा गया। आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया; उन्होंने उजागर कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, आप किससे बहस कर रहे हो?

एक माननीय सदस्य : आप किससे बहस कर रहे हो। इनकी सुनते हैं क्या प्रधान मंत्रीजी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। इनको क्या पता है। आप विराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, यहां जो चुनौती दे रहे हैं मैं इनको चुनौती देता हूं एम.एल.ए. कोटे में से एक सामुदायिक केन्द्र दिया हो, एम.एल.ए. कोटे में से इन्होंने धर्मशाला दी हो। मैं चुनौती देता हूं मैंने ज्यादा दी या इन्होंने दी। या तो आप इस्तीफा देना या मैं दूंगा। सरकारी पैसे को बरबाद कर रहे हो, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, सरकारी पैसे की लम्बी-चौड़ी परिसम्पत्तियां बता रहे हो। अब तक मैं चुपचाप आपकी बात सुन रहा था, लेकिन जो धमकी दे रहे हो...

एक माननीय सदस्य : इन सबका इस्तीफा पहले लिखवा कर रखवा लो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, मैं चुनौती देता हूं संयम लोढ़ा को...

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेव जी, विराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने ज्यादा धर्मशाला दी हैं, बी.पी.एल. परिवारों को, अनुसूचित जाति के परिवारों को मैंने ज्यादा धर्मशाला दी हैं या आपने दी हैं।

श्री महादेव सिंह : माननीय सदस्य, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या विधायक कोटे का पैसा सरकारी पैसा नहीं होता?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दुरुपयोग मत करो सरकारी पैसे का।

श्री महादेव सिंह : क्या विधायक कोटे का पैसा सरकरी पैसा नहीं होता? विधायक कोटा कोई व्यक्तिगत पैसा होता है? क्या आपके घर का पैसा है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह सब खाने के अलावा कुछ भी नहीं है।

श्री महादेव सिंह : आपने विधायक कोटे से पैसा लगाया वह कहां दिक्कत है।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : यह विधायक कोटे का पैसा भी राज्य सरकार ही दे रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मोदी जी, आपके अपने खाते में से आपका मुनीम नहीं दे रहा। लाला जी, बनिया जी, आपके खाते में से आपका कोई मुनीम नहीं दे रहा। यह मेरा अधिकारी है। जैसा आप कह रहे हो केन्द्र सरकार से... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : एम.पीज. को 2-2 करोड़ दे रखे हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : यह हमारी सरकार ने किया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमारी सरकार? अब गयी और हमारी आयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय विश्नोई जी, अगर कार्य नहीं हुआ होता तो प्रधानमंत्रीजी कतई नहीं कहते।

श्री रामनारायण विश्नोई : प्रधान मंत्रीजी मर्यादा के अन्दर करते हैं यह सारी बात। बाकी इनकी जो स्थिति है वह हमसे छुपी हुई नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह जो कार्य हुआ था, क्योंकि काम हुआ है...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : आप तो यह बता दें प्रधानमंत्री जी सच कह रहे थे या नहीं कह रहे थे।

श्री रामनारायण विश्नोई : बिजली की स्थिति आपसे और हमसे छुपी हुई नहीं है, क्या हालत हो रही है। जो बिजली का सुधार हुआ है वह हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कोरी वाहवाही से कुछ नहीं होता।

डा. महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्रीजी कोटा में सच कह रहे थे या नहीं कर रहे थे, इतना बता दे माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है महेश जी जोशी साहब, मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू। यह नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार में आपको किसी बात में अच्छा कहा जाए उस पर उछलते हो और जितनी मदद कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद नहीं देते हैं। इससे बड़ा +++, इससे बड़ा बेवफाइपना, इससे बड़ा +++ इससे बड़ा थैंकलेस कुछ हो सकता है?

डा. महेश जोशी : आप बहुत बड़े शायर हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नेकी कर दरिया में डालने की बजाय नेकी करो और जूते खाओ, मैं भी खाऊं और तू भी खा वाली बात है। वे अच्छा कहे तो उसके लिए कहते हो?

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेव जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अगर उन्होंने हजारों करोड़ की मदद दी... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय प्रधानमंत्री जी कोटा में सच कह रहे थे और लोकसभा में जो सोनिया गांधी को उन्होंने उत्तर दिया कि राजस्थान के साथ भेदभाव नहीं हुआ, वो भी सच कह रहे थे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वो भी बोलो।

डा. महेश जोशी : तो हम सिद्ध कर रहे हैं ना कि वो सच नहीं कह रहे थे। हमने सिद्ध किया इस बात को कि वो यह सच नहीं कह रहे थे। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप भेद करेंगे तो दूसरे भी भेद करेंगे।

डा. महेश जोशी : क्या भेद करेंगे? आप अपने नेता के बारे में क्या कह रहे थे?

श्री मानिक चन्द सुराना : आप अगर इस तरीके से भेद करेंगे...

डा. महेश जोशी : हम तो करेंगे भेद।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप कह रहे हैं प्रधान मंत्रीजी सच कह रहे थे। हम कह रहे हैं हां, सच कह रहे थे, वहां भी सच कह रहे थे कोटा में और लोक सभा में भी सच कह रहे थे।

डा. महेश जोशी : तो आप मानिए ना। राजस्थान के मामले में आपके नेता जो

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. महेश जोशी)

कहते हैं और आप नहीं मानते तो कहां मान रहे हैं सच कह रहे थे।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप क्यों बुरा मान रहे हैं कि लोक सभा में सच कहा गया। आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, उन्होंने उजागर कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, आप किससे बहस कर रहे हो?

एक माननीय सदस्य : आप किससे बहस कर रहे हो। इनकी सुनते हैं क्या प्रधान मंत्रीजी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। इनको क्या पता है। आप विराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, यहां जो चुनौती दे रहे हैं मैं इनको चुनौती देता हूं एम.एल.ए. कोटे में से एक सामुदायिक केन्द्र दिया हो, एम.एल.ए. कोटे में से इन्होंने धर्मशाला दी हो। मैं चुनौती देता हूं मैंने ज्यादा दी या इन्होंने दी। या तो आप इस्तीफा देना या मैं दूंगा। सरकारी पैसे को बरबाद कर रहे हो, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, सरकारी पैसे की लम्बी-चौड़ी परिसम्पत्तियां बता रहे हो। अब तक मैं चुपचाप आपकी बात सुन रहा था, लेकिन जो धमकी दे रहे हो...

एक माननीय सदस्य : इन सबका इस्तीफा पहले लिखवा कर रखवा लो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, मैं चुनौती देता हूं संयम लोढ़ा को...

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेव जी, विराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने ज्यादा धर्मशाला दी हैं, बी.पी.एल. परिवारों को, अनुसूचित जाति के परिवारों को मैंने ज्यादा धर्मशाला दी हैं या आपने दी हैं।

श्री महादेव सिंह : माननीय सदस्य, मैं पूछता चाहता हूं कि क्या विधायक कोटे का पैसा सरकारी पैसा नहीं होता?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दुरुपयोग मत करो सरकारी पैसे का।

श्री महादेव सिंह : क्या विधायक कोटे का पैसा सरकरी पैसा नहीं होता? विधायक कोटा कोई व्यक्तिगत पैसा होता है? क्या आपके घर का पैसा है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह सब खाने के अलावा कुछ भी नहीं है।

श्री महादेव सिंह : आपने विधायक कोटे से पैसा लगाया वह कहां दिक्कत है।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) **:** यह विधायक कोटे का पैसा भी राज्य सरकार ही दे रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मोदी जी, आपके अपने खाते में से आपका मुनीम नहीं दे रहा। लाला जी, बनिया जी, आपके खाते में से आपका कोई मुनीम नहीं दे रहा। यह मेरा अधिकारी है। जैसा आप कह रहे हो केन्द्र सरकार से... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : एम.पीज. को 2-2 करोड़ दे रखे हैं।

श्री मोहन लाल मोदी : यह हमारी सरकार ने किया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमारी सरकार? अब गयी और हमारी आयी।

श्री मोहन लाल मोदी : पहले 20 थे, फिर 40 किये, अब 60 कर दिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये चुनौती नहीं दे।

श्री मोहन लाल मोदी : काहे को चुनौती दे रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको एक खान और दिलवा देंगे सरकार से।

श्री मोहन लाल मोदी : खान तो छीन ली, कहां दिला देंगे।

श्री ज्ञानेदव आहूजा : माननीय सी.पी. जोशी साहब, माननीय सभापति जी ने कहा वह बात सही है व्यक्तिगत चुनौती नहीं दे। जो बोलना है बोले। अब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा था संयम लोढ़ा जी को। लेकिन बार-बार चुनौती न दे, कितनी धर्मशालाएं आपने बनायी या हमने बनायी, हिसाब हो जाए।

श्री सभापति : माननीय ज्ञानेदव जी, आप कभी कोई चुनौती को मानते हो क्या? विराजो आप तो।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए मैं फालतू बात का नोटिस नहीं लेना चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने जो बोला फालतू बोला, इसके अलावा कुछ नहीं बोला।

श्री सभापति : माननीय आहूजा जी।

श्री संयम लोढ़ा : नोटिस लेने लायक व्यक्ति हो तो नोटिस भी ले।

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेव जी। अब हो चुका। अब आगे नहीं। (व्यवधान) माननीय महोदय जी, विराजिए। माननीय ज्ञानदेव जी, विराजें आप, बहुत हो गया।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, क्या इस बात से काई इंकार करेगा कि दिसम्बर, 2002 तक कांग्रेस की सरकार ने राज्य में 1208 मेगावाट बिजली उत्पादन में वृद्धि की। माननीय सभापति महोदय, जैसा प्रधानमंत्री ने, सारे राजनीतिक दलों से और खुद की पार्टी के लोगों से यह अपील की थी कि विद्युत सुधार कार्यक्रम जो लागू किया जा रहा है उसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय मसला है जिस पर सबको मिलकर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने प्रधानमंत्री की भावना, उनके निर्देशों, उनके आदेशों का खुला उल्लंघन करते हुए राजस्थान की जनता को भड़काने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि राजस्थान की जनता इनके बहकावे में नहीं आयी क्योंकि राजस्थान की जनता को मालूम है कि अपने आठ साल के शासन में इन्होंने राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, प्रसारण हानि, जब यह सरकार अस्तित्व में आयी 1999-2000 में 43 प्रतिशत थी। आज अथक प्रयासों से वो 38 प्रतिशत पर आ चुकी है। माननीय सभापति महोदय, विद्युत क्षेत्र एक ऐसा कठिन क्षेत्र है जिसमें काम करने के कई कड़वे जहर भी जो लोग शासन में हैं उनको भुगतने पड़ते हैं। माननीय सभापति महोदय, क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने एनर्जी आडिट का

(श्री संयम लोढ़ा)

सिस्टम डवलप नहीं किया? क्या 11 के.वी. के 8500 फीडर पर ऊर्जा अंकेक्षण की व्यवस्था नहीं की? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जो नया जाल बिछाया गया किसानों को अच्छी गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध कराने के लिए, चाहे 400 के.वी.ए. के जी.एस.एस. हों, 220 के.वी.ए. के जी.एस.एस. हों, 132 के.वी.ए. के जी.एस.एस. हों, 35 के.वी.ए. के जी.एस.एस. हों, पूरा राजस्थान गवाह है इस बात का, माननीय सभापति महोदय, कि राजस्थान में 400 के.वी.ए. के 2, 220 के.वी.ए. के 7, 132 के.वी.ए. के 40 और 33 के.वी.ए. के 478 केन्द्रों की स्थापना की गई है। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से इस समय बिजली आपूर्ति को लेकर कठिनाइयां हैं। लेकिन राजस्थान की जनता यह जानती है कि लगातार पांचवें साल अकाल पड़ने से, पानी नहीं आने से राजस्थान में 500 मेगावाट के उत्पादन में कमी आई, इस बात को महसूस करती है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को इस बात की बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिहाज से ऊर्जा के क्षेत्र में इस सरकार ने जो अभूतपूर्व काम किया है, उसका लाभ आने वाले भविष्य में राजस्थान की जनता को मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में देश मे सबसे बेहतरीन काम किया है। यह बात भी मैं नहीं कहता, देश के मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी कहते हैं। और तब पूरे देश के अन्दर दशकीय शैक्षिक उपलब्धि पुरस्कार हिन्दुस्तान का राजस्थान की कांग्रेस की सरकार का, माननीय सभापति महोदय, मिला। भारत सरकार ने अपनी अगली योजना में जो अपने लक्ष्य तय किये हैं, मुझे खुशी है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जो सोचते हैं, भारत सरकार उसको फालो करती है। देश का एजेंडा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के माध्यम से तय हो रहा है। 1998 में जब अशोक गहलोत ने सरकार सम्भाली, चाहे 24 हजार करोड़ रुपये का कर्जा था, चाहे अकाल की कठिनाई थी पर उन्होंने अपना यह संकल्प व्यक्त किया कि हम 2003 तक राजस्थान के प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और उस दिशा में प्रयास शुरू किये। आज भारत सरकार ने अब अपना नैक्स्ट लक्ष्य तय किया है कि हम 2007 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो शिक्षा सहयोगी की अवधारणा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने दी, देश के कितने राज्य हैं जिन्होंने इस अवधारणा को फालो किया। वेस्ट बंगाल, केरल, गुजरात, राजीव गांधी शिक्षा सहयोगियों को लेकर कई बातें कही जाती हैं। माननीय सभापति महोदय, सरकार अपनी परिस्थिति के मुताबिक उनकी सुविधाओं में इजाफा कर सके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा सहयोगियों को सबसे बेहतरीन सुविधाएं अगर देश में कहीं प्राप्त हो रही हैं तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में क्या मानदेय मिलता और हिन्दुत्व का झण्डा उठाकर घूमने वाले गुजरात में शिक्षा सहयोगियों को क्या मानदेय मिलता है? भारत सरकार अपने

(श्री संयम लोढ़ा)

सर्वशिक्षा अभियान में शिक्षा सहयोगी को क्या मानदेय देती है? उन सबसे राजस्थान के शिक्षा सहयोगी का मानदेय ज्यादा है। किसी राज्य में बढ़ोतरी की व्यवस्था नहीं है, राजस्थान में बढ़ोतरी की व्यवस्था है, किसी राज्य में अवकाश की व्यवस्था नहीं है, राजस्थान में अवकाश की व्यवस्था है, किसी राज्य में मेटरनिटी लीव की व्यवस्था नहीं, राजस्थान में मेटरनिटी की व्यवस्था है। आज, माननीय सभापति महोदय, अशोक गहलोत की रहनुमाई में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा रहा है और हमें उम्मीद है उनके दृढ़ संकल्प के जरिये आने वाले समय में राजस्थान देश का अग्रणीय प्रदेश हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय था जब पूरे देश के अन्दर देश के अलग-अलग 5 प्रदेशों में शिक्षा में निजी क्षेत्र का प्रवेश हो रहा था, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इन सारे राज्यों ने शिक्षा में निजी क्षेत्र को अलाउ किया और आज यह सारे राज्य देश में शिक्षा के एक बहुत बड़े केन्द्र बन गये। बहुत अफसोस का विषय था कि जिस दौरान उन राज्यों में निजी क्षेत्र का प्रवेश हो रहा था राजस्थान में जो सरकार काम कर रही थी उसने इस दिशा में नहीं सोचा और हम पिछड़ गये लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को जिन्होंने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश को बढ़ावा दिया। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में 30 इंजीनियरिंग कालेज है और जिसमें 23 कालेज निजी क्षेत्र के हैं। हम जब सरकार में आये तब 1400 और कुछ सीटें इंजीनियरिंग कालेज में हुआ करती थी, आज राजस्थान में 7684 छात्र- छात्राओं की क्षमता इंजीनिरिंग कालेज के अन्दर है। राजस्थान को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ाने का काम किसने किया? राजस्थान की कांग्रेस की सरकार इस साल भी 16 नये इंजीनियरिंग कालेज को एन.ओ.सी. दी है कि वह राजस्थान में अपने कालेज की स्थापना कर सके जिससे राजस्थान देश के उन विकसित राज्यों के साथ-साथ आगे जाकर खड़ा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, एम.सी.ए. मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन राजस्थान में आज जब हम सत्ता में आये तब इसके दो सेंटर हुआ करते थे। दो कालेज। आज इनकी संख्या 15 तक पहुंच चुकी है और इस साल सरकार ने सात कालेज की और एन.ओ.सी. दी है। एम.बी.ए. जब हम सत्ता में आये राजस्थान में मात्र 6 केन्द्र हुआ करते थे, आज वह संख्या 6 से बढ़कर 16 तक पहुंच चुकी है और सरकार ने इस साल 9 नये एम.बी.ए. कालेज के लिए एन.ओ.सी. दी है। फार्मेसी, हम जब सरकार में आये, राजस्थान में फार्मेसी के सिर्फ दो कालेज हुआ करते थे, आज वह संख्या 13 पहुंच चुकी है और इस साल में 10 नये कालेज की स्थापना के लिए कांग्रेस की सरकार ने एन.ओ.सी. दी है। माननीय सभापति महोदय, क्या ये उदाहरण पर्याप्त नहीं है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत इस प्रदेश को, जो किन्हीं कारणों से पीछे रह गया उसको हर क्षेत्र में आगे ले जाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं और उन प्रगतिशील और विकसित राज्यों

(श्री संयम लोढ़ा)

के समकक्ष राजस्थान को खड़ा करने के इच्छुक हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार की वजह से राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर कितना कुठाराघात हुआ। सामान्य वर्ग के योग्य लोग जो नौकरी में आने की पात्रता रखते थे उनके साथ कितना कुठाराघात हुआ। माननीय सभापति महोदय, आपको राजस्थान विश्वविद्यालय का ध्यान होगा, जहां वाइस चांसलर ने बाथरूम के पर्चे लिख-लिख कर लोगों का अपाइंटमेंट लैटर दे दिये और हमारे उन सरकारी कार्यालयों के अन्दर अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को अस्थाई आधार पर लगाकर ऐसी फोज खड़ी कर दी जिससे उन सारे लोगों को हक छीन लिया, हक मार दिया जो नौकरी में वास्तविक रूप से आने के हकदार थे। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को जिन्होंने सरकार बनाने के बाद पहला यह कानून लाये कि हम इस तरह के एम्प्लायमेंट को बन्द करते है। और इस तरह का एम्प्लायमेंट दिया जाएगा तो अधिकारी को 6 महीने की सजा होगी। और उसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिले, आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों की पालना हो। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति को लेकर, जनजाति को लेकर प्रतिपक्ष की बातें करने की तो बहुत आदत है लेकिन आपको भलीभांति विदित है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में आरक्षित वर्ग का आदमी जो निर्वाचित पद पर बैठा हुआ था किसी तरीके से उसको अविश्वास प्रस्ताव के जरिये हटवा-हटवा कर सामान्य वर्ग के लोगों को उस पर बैठाया गया, यह कोई आपसे छिपा नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की इस सरकार ने राजीव गांधी भावनाओं के अनुरूप यह व्यवस्था की कि जो आरक्षित पद पर निर्वाचित होकर आने वाला व्यक्ति अगर वह हट भी जाएगा तो उस पद पर उसी वर्ग का व्यक्ति कार्यभार ग्रहण करेगा और राजस्थान में कांग्रेस की इस सरकार ने समाज के इस कमजोर वर्ग का नेतृत्व आगे बढ़ाने के प्रावधान भावना को संरक्षण देने का प्रयास इसके माध्यम से किया। माननीय सभापति महोदय, मेरे इलाके के बहुत लोग देशावर में रहते हैं, राजस्थान से बाहर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जब यहां पर आते हैं और मिलते हैं, मुझे अभी एक शादी में मेरे एक साथी मिले, उन्होंने मुझे कहा कि ग्रामीण सड़कें राजस्थान की जितनी बढ़िया हैं उतनी देश में कहीं की बढ़िया नहीं हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को और सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को कि उन्होंने 24 हजार किलोमीटर की सड़क उन्नयन परियोजना का काम किया वरना हमारे इलाके में कहां पेवर की सड़कें देखने को थी। यह तो धन्यवाद है राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को कि जिन्होंने इन योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी योजनाएं बनती हैं, डिले हो जाती हैं पर पी.डब्ल्यू.डी., जिसने स्वत: शास्ति की योजना इसमें लागू की जिससे कि योजना का क्रियान्वयन समय

(श्री संयम लोढ़ा)

पर हो सके और इस योजना पर 85 प्रतिशत क्रियान्वयन पूरा कर लिया गया है। राजस्थान में सड़क पर निवेश को आकर्षित करने के लिए, सड़कों को और बेहतरीन बनाने के लिए राजस्थान सड़क विकास नियामक अधिनियम लागू किया गया और उसके माध्यम से राजस्थान में कई निजी निवेशक भी आकर्षित हुए, कई नई परियोजनाएं चिन्हित की गई और उनमें से कई परियोजनाओं पर प्रोसेज स्टार्ट कर दिया गया तो मैं समझता हूं कि लोगों की आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने की है।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने पूरा ध्यान दिया। राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना बनाई गई जिसमें 733.60 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे और 590 करोड़ रुपये विश्व बैंक के माध्यम से इसमें प्राप्त होंगे। इसी तरीके से अनेक लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जब हम सरकार में आये, 24 हजार करोड़ रुपये का कर्जा विरासत में मिला। कैसा वित्तीय कुप्रबन्धन राजस्थान में फैला हुआ था। आज देश के अनेक राज्य आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे पड़ोस के राज्य पंजाब और असम में अपने कर्मचारियों का वेतन चुकाने के लिए भवन गिरवी रखने पड़े। लेकिन राजस्थान में यह कठोर वित्तीय प्रबन्धन ही वह कारण है कि इतने गहरे संकट के बावजूद राजस्थान को उस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने यहां आर्थिक सुधार पर ध्यान दिया। चाहे राजस्थान में अकाल की लगातार स्थिति रही लेकिन कर संग्रहण के प्रति जिस प्रतिबद्ध तरीके से काम किया गया वह अपने आप में एक मिसाल है। वर्ष 2001–2002 में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस साल साढ़े तेरह प्रतिशत की वृद्धि हुई। सभापति महोदय, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पूरे देश में जो पिछले 9 महीने की कर वृद्धि है, राजस्थान उसमें पहले नम्बर पर है।

मैंने आपके सामने निवेदन किया कि हर क्षेत्र में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने अभूतपूर्व काम किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में राजस्थान की जनता ने जो भरोसा कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत में, हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी में व्यक्त किया है वह भरोसा दिनों-दिन मजबूत होगा और उनके नेतृत्व में राजस्थान नई प्रगति की ओर अपने कदम आगे बढ़ायेगा।

माननीय सभापति महोदय, बजट में अनेक अच्छे प्रावधान किये गये मैं उसके लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और अपनी ओर से एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं कि सरकार ने हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। इस बार इस सरकार का यह आखिरी बजट है। इस सरकार ने शिक्षण संस्थाओं की क्रमोन्नति

(श्री संयम लोढ़ा)

के अनेक फैसले किये, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य कह रहे हैं कि आखिरी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब, हो सकता है कि आप शुरूआत में कहीं पिछड़ जाएं लेकिन जिनमें प्रतिबद्धता होती है वे अंत में जा करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। भारत भी वर्ल्ड कप में पहला मैच आस्ट्रेलिया से हार गया था लेकिन आपने देखा कि उसने किस तरीके से रफ्तार पकड़ी और आज पूरी दुनिया यह मान रही है कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। हम भी वाई इलेक्शन में हार गये, फिर नगर निगम के चुनाव हुए, इनकी ठुकाई की। पंचायती राज के चुनाव हुए, इनकी ठुकाई की और आगे जो मैन फाइनल मैच आने वाला है वह भी अशोक गहलोत की रहनुमाई में हम ही जीतेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का आगे लाने की दिशा में प्रयत्नशील है। इस साल के बजट में आपने हमें पहले सैकण्डरी स्कूल दी, जनता के दबाव में हमें ब्वॉयज स्कूलों को क्रमान्नत करना पड़ा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की हर तहसील में लड़कियों के लिए आप 10वीं का स्कूल खोले। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, पांच तारीख को माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपना बजट भाषण पढ़ा। ऐसे बजट भाषण को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान की गरीब जनता से इस सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। मैं इसलिए कहा रहा हूं कि गरीब आदमी के कल्याण के लिए इस बजट में किसी तरह के प्रावधान नहीं किये गये हैं बल्कि यह तो कहने का प्रयत्न किया है कि हमने पिछली बार यानि जो चालू वित्तीय वर्ष है उसमें कर का संग्रहण 13 फीसदी बढ़ाया है। मुझे खुशी है इस बात की कि इन्होंने कर संग्रहण को बढ़ाया है। लेकिन इस अकाल के समय में जहां व्यक्ति पीड़ित था, आदमी के पास पैसे नहीं और अनेक प्रकार के टैक्सेज के नाम से जो इन्होंने उगाहा है उससे आदमी का घर, झोपड़ा और महिलाओं के जेवर गिरवी तक हो गये हैं। आज भी वसूली स्थगित करने के बाद निरन्तर रूप से जारी है और लोगों को धमकाया जा रहा है कि आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा अन्यथा आपको नकल नहीं दी जाएगी, आपके और काम रोक दिये जाएंगे। इस प्रकार की अनेकानेक बातें की जा रही हैं।

इस बजट भाषण में यह भी कहा गया और पहले जब इस सरकार ने पहला बजट भाषण दिया था तो उसमें कहा गया था कि जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने कर्जे के बोझ से इस प्रदेश को लाद दिया और 24 हजार करोड़ का कर्जा लगभग इस सरकार ने लिया है। हम सत्ता में आयेंगे तो हम कर्जा नहीं लेंगे, हमारे स्वयं के वित्तीय संसाधानों के आधार पर इस प्रदेश का विकास करेंगे। सम्माननीय

(श्री मदन दिलावर)

सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 16 हजार करोड़ रुपये के लगभग कर्जा लिया था 10 सालों में और उस कर्जे में वह भी शामिल है जो ये 7-8 हजार करोड़ रुपये छोड़ गये थे उसका ब्याज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुकाया था, वह भी इसमें शामिल था। वह कुल मिलाकर लगभग 24 हजार करोड़ रुपये इन्होंने लिखा है, होता है। लेकिन स्थिति क्या रही, इस पांच सालों में, 24 हजार करोड़ रुपये होता है कर्जा इस प्रदेश के ऊपर आजादी से ले करके चार साल पहले तक, और इन चार सालों में कर्जा होता है 24 हजार करोड़ रुपये। आखिर में यह 24 हजार करोड़ रुपया गया कहां? इसका हिसाब राजस्थान की जनता मांग रही है। विकास कहीं दिखाई देता नहीं, लोगों को कोई कल्याण की योजनाएं दिखाई देती नहीं। आखिर में यह 24 हजार करोड़ रुपया कहां गया है, इसका जवाब मांग रही है। लेकिन गांव-गांव, ढाणी-ढाणी देखने का हम सभी सदस्य प्रयास करते होंगे, हमने चार साल तक इस राजस्थान में सड़क कोई भी ठीक होती नहीं देखी। पिछले छह महीने को यदि छोड़ दे तो, इतने गड्ढे और इतने सारे यात्रियों को परेशानी, वहां लोगों को परेशानी लेकिन इनके बजट में कोई पैसा नहीं खर्च करके माननीय प्रधानमंत्रीजी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने दिल्ली से जो राशि भेजी सड़क निधि योजना में और अनेक योजनाओं में, उसके अन्दर ही इन्होंने सड़क को ठीक किया। अन्यथा इनके भरोसे रह जाते तो राजस्थान सड़कों की दृष्टि से और बदहाल स्थिति की ओर चला जाता। परन्तु ये कहते हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। इन्होंने पिछली योजना बनाई थी, उसको आप उठाकर देखें और फिर जब इस योजना का आकार छोटा किया है, उसको उठाकर देखें। माननीय सभापति महोदय, 1900 करोड़ रुपये की कटौती की है। 1900 करोड़ रुपये की कटौती करके यदि ये अकाल पीड़ितों पर लगाते तो मानते कि इन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया है लेकिन अकाल पीड़ित के कल्याण के लिए लगाया नहीं एक धेला और योजना में 1900 करोड़ रुपये की कटौती की है। आपने तो कर का संग्रहण बहुत किया था ना तो फिर योजना में कटौती कैसे हो गई? आपने तो कल्याण की बात की थी ना, आपने तो छाती ठोक कर कहा था ना कि इस योजना को पूरा करेंगे, फिर आखिर में वह पैसा कहां गया? जवाब देना होगा राजस्थान की जनता को, 1900 करोड़ रुपये कहां गये? खर्च तो किया होगा नहीं। 13 प्रतिशत तो कर बढ़ा है। माननीय सभापति महोदय, जनता का खून चूसकर यह कर बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है।

मुझे ध्यान है, एक मेरे मित्र की गाड़ी जो उसकी खड़ी हुई थी, उसके गैरेज में खड़ी हुई थी। आर.टी.ओ. का कर्मचारी जाता है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने टारगेट्स दिये हैं कि इतने केस बनाने हैं, इतने लाख रुपये हमको देने हैं। आपकी गाड़ी कहीं पर खड़ी रहो, इतनी रसीद हमसे कटानी होगी नहीं तो इसका चालान बनेगा। उसने पूछा, चालान किस बात का, गाड़ी तो मेरे घर में खड़ी है, मैंने रोड पर गाड़ी चलाई

(श्री मदन दिलावर)

नहीं है और आप किस आधार पर इसका चालान बना रहे हो। लेकिन उससे हजारों रुपये लगा करके वहां से अपना पिंड छुड़ाया क्योंकि उसको गाड़ी चलानी थी, रोड़ पर निकलते ही उसका चालान करते। अनेक प्रकार से लोगों की जबरदस्ती लूटने का प्रयत्न करके, उनके मन को दुखाकर, कई लोगों के जेवर गिरवी रख करके इस अकाल पीड़ित जनता से कर संग्रहण किया है जो निन्दनीय है। इन्होंने कहा कि हमने अकाल का कुशल प्रबन्धन किया है, बहुत अच्छा प्रबन्धन किया है। बहुत जय जयकार हो रही है पूरे देश में। मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी इस बात को कहते हुए थकते नहीं। क्या जय जयकार हो रही है? प्रदेश के अलावा देश के किसी भाग में जय जयकार होने से क्या होगा। जय जयकार यहां के मजदूर कर रहे हैं क्या या अकाल पीड़ित लोगों के तड़पते हुए बच्चे कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे है। ऐसे लोगों ने आपके कुप्रबन्धन के कारण से तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया अन्न के दाने को तरसते-तरसते। यह आपका कुशल प्रबन्धन है कि जहां लोग मर जाये। एक तरफ आप कहते हैं कि सूचना आपकी जिम्मेदारी हमारी, क्या है, किसके लिये कहा गया, क्यों कहा गया? मैंने एक सूचना दी थी कि अटरू तहसील के छिजावा गांव में भुखमरी के हालात हैं। कभी भी लोग मर सकते हैं, दम तोड़ सकते हैं, आत्मदाह कर सकते हैं। नौ तारीख को सूचना देता हूं और मुख्य मंत्रीजी को फैक्स करता हूं, मुख्य सचिव को फैक्स करता हूं। सम्भागीय आयुक्त को फैक्स करता हूं और अन्न के अभाव में तोलाराम माली आत्मदाह कर जाता है, क्या हो गया? सूचना आपकी, जिम्मेदारी हमारी। किसके किए कहा। यह थोथा नारा देने के लिए कितने बोर्ड इस राजस्थान की धरती पर लगाये, कितना पैसा खर्च किया। यही आपका कुशल प्रबन्धन था, यही कुशल प्रबन्धन है? आप कितने लोगों का और मरवा दोगे? यह तो सूची मेरे पास है जो बता रहा हूं। लोगों ने इनके कुशल प्रबन्धन में पत्ते खाये, पेड़ों की छाल खाई, पेड़ों की जड़ें खाई और आज किसान इस बदहालत स्थिति में आ गया है कि एक व्यक्ति मजदूरी पर लगाने के लिए दूसरे व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से वार करने लग गया है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खून का प्यासा हो गया है। यह विकराल स्थिति जब इस राजस्थान में अकाल की है और हम मांग करते हैं कि अकालग्रस्त घोषित करो इस राजस्थान को। पता नहीं, वित्त मंत्रीजी हें-हें करके सदन में कहते हैं कि अकालग्रस्त...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अकालग्रस्त वाली बात हो गई, आप तो बजट पर बोलो ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हृदय विदारक बात बोल रहे हैं, ये दिल का दर्द बता रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : बजट पर ही बोल रहा हूं, बजट पर ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति : थोड़ा बजट पर ही बोलिये।

श्री मदन दिलावर : मैं बजट में चाहता था, राजस्थान की जनता चाहती थी...(व्यवधान)

श्री सभापति : थोड़ा बजट पर बोलिये आप।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान् राजस्थान की जनता चाहती थी, हम चाहते थे कि राजस्थान अकालग्रस्त घोषित हो, हमको रियायते मिले, रोजगार की गारंटी मिले, हमारा बेटा भूखा नहीं सोये। सब भोजन करके सोना चाहते थे लेकिन इस सरकार ने हमको भूखा सोने के लिए मजबूर कर दिया है।

हमसे कहा गया कुशल प्रबन्धन, हमसे भारत सरकार से लाखों टन अनाज और करोड़ों रुपया लेकर कहा गया कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। बन्धुओं, भूखा तो कभी सोयेगा नहीं, भूख से नींद कभी आती नहीं, कैसे नींद आ सकती है भूखे को और ये कह रहे हैं कि भूखा नहीं सोने देंगे, भूखा तो कदापि नहीं सोयेगा, आप कहो या मत कहो। वह भूख के कारण रात भर जब उसके पेट में चूहे कूदेंगे तो जागता रहेगा। श्रीमान् कुशल प्रबन्धन में जहां पखवाड़ा 15 दिन का होता था, वह पखवाड़ा 10 दिन का हो गया और 10 दिन में से 9 दिन मजदूरी दी गई। नौ दिन की मजदूरी 450 रुपये दिये गये और 450 रुपये में से यदि किसी के परिवार में से...

डा. के. सी. चौधरी : हफ्ता 10 दिन का हुआ है पखवाड़ा नहीं, हफ्ता 10 दिन का हुआ है।

श्री मदन दिलावर : किसी के परिवार में सात व्यक्ति हैं और उसको प्रत्येक टाइम भोजन करना है तो एक रुपये पांच पैसे एक डाइट पर आता है। और गरीब का आटा 350 ग्राम जो किसान का बेटा खाता है एक टाइम का, वह तीन रुपये में आता है। तीन रुपये का तो आटा है, एक रुपये पांच पैसे ये दे रहे हैं। बताओ, वह पेट भरकर भोजन करेगा क्या? क्या वह भूखा नहीं सोयेगा? भूखा नहीं सोयेगा तो क्या करेगा, भूख के मारे रात भर कुलबुलायेगा और एक दिन कुपोषण का शिकार होकर मर जायेगा। यह राजस्थान की सरकार का प्रबन्धन है। और इस प्रकार से आज इस राजस्थान में लाखों लोग कुपोषण के शिकार हो गये हैं लेकिन सरकार किसी प्रकार का उन पर ध्यान नहीं दे रही है। अकाल की पीड़ा को ये क्या समझें, किसान समझता है।

बिजली के भाव 37 पैसा कर देंगे राजस्थान में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ गई तो 37 पैसा कर देंगे। लेकिन आपके ऊर्जा मंत्रीजी खड़े होते हैं तो कहते हैं कि यह 94 पैसा हो गया, यह बढ़ गया है। खम्भा 1000 रुपया करने के लिए कहा गया था, उसको 11250 रुपये करते हैं और अनेक-अनेक प्रकार से आपकी चोर योजना चलाई गई, फिर चारा योजना चलाई गई। अनेकानेक योजना चलाने के बाद क्या किसान को बिजली मिल गई? पैसा लेने के बाद बिजली मिली क्या? श्रीमान् बिजली नहीं मिली। आठ घंटे की बात कही गई पहले, फिर छह घंटे की बात कही गई। बिजली नहीं मिली, बिजली का बिल निरन्तर आता गया। किसान के ऊपर बोझ बन गया, किसान चुकाने कि स्थिति में नहीं, किसान कुछ कर सकता नहीं। किसान की लहलहाती फसल पर पानी के समय बिजली विभाग के लोग, सरकार के कसाई

(श्री मदन दिलावर)

फरमान पर जाते हैं और बिजली का कनेक्शन काट देते हैं, खड़ी फसल सूख जाती है और ये लोग ध्यान नहीं देते। अच्छा यह था कि इस साल बिजली का बिल जितना भी काश्तकार का है, माफ करना चाहिए था। क्या माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने जब सुकाल था, गरीब पर कर्जा बढ़ गया था, उस समय 10,000 रुपये तक का कर्जा माफ नहीं किया था? माफ किया था। कर्जा माफ करके किसानों को राहत दी गई थी। ये तो खुद कहते हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा अकाल है और जब सबसे अकाल है तो बिजली का बिल माफ क्यों नहीं किया जा रहा है? उन बहनों को अपना जेवर बेचने कि लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है, उन बहनों को अपना मंगलसूत्र बेचने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? उस खेत से बिजली का कनेक्शन क्यों काटा जा रहा है, उस किसान को लुटवाने का प्रयत्न यह सरकार क्यों कर रही है, इस पर विचार करना होगा।

परन्तु किस को पड़ी है, क्या लेना-देना है गरीबों से। एक मर जायेगा गरीब तो कह देंगे, कोई नहीं मरा है, भारतीय जनता पार्टी ढिंढ़ोरा पीट रही है। उससे जिंदा हो जायेगा? वित्त मंत्रीजी, क्या जिंदा हो जायेगा, उसका पेट भर जायेगा क्या, आपके किये +++ हुए मिट जायेंगे क्या? आपने जो राजस्थान के इस धन को आग लगाई, पलीता लगाया वह ठीक हो जायेगा क्या? भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा।

यही नहीं हुआ श्रीमान्, एक इन्होंने क्या झुनझुना देने का प्रयत्न किया है बेरोजगारी को, बेरोजगार बी.पी.एल. परिवार के लोग हैं ना, उसको हम तीन सौ रुपये प्रति माह भत्ता देंगे। खाओ कसम कि सब बेरोजगारों को देंगे जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, खाओ। नहीं देंगे। क्योंकि इनको पता है कि सरकारी नौकरियों में पंजीकरण आवश्यक नहीं है और पंजीकरण आवश्यक नहीं है इसलिए पिछले सालों से बेरोजगार लोगों ने पंजीकरण नहीं करवाया है। यह जानते हैं इस बात को और पंजीकरण नहीं करवाया है इसलिए उनका नाम वहां होने का सवाल ही नहीं उठता। और यह मांगेंगे उनसे, लाओ, तीन साल पहले आपका पंजीकरण था क्या? पंजीकरण नहीं है। पंजीकरण नहीं है तो तुमको तीन सौ रुपये नहीं देंगे। क्यों बुद्धू बनाया, वित्त मंत्रीजी, आप ही समझदार हैं इतने, वह गरीब पढ़े-लिखे नहीं है, वह जान रहे हैं कि कितना +++ वित्त मंत्री है..(व्यवधान) कितना असत्य, मिथ्या वाचन करने वाले वित्त मंत्री हैं... (व्यवधान) और इस प्रकार से गरीब लोगों को भरमाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह भरमाने का प्रयत्न है। श्रीमन् इन्होंने यहां तक भी कहा, आप तो कर्मचारियों को हमारा विरोधी समझते थे, उनको भड़काने का यत्न किया गया। हम क्या भड़कायेंगे, हम तो किसी को नहीं भड़काते और भड़काते तो कभी का ठीक कर देते आप लोगों को। हम नहीं भड़काना चाहते हैं...

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : माननीय ज्ञानदेव जी, आपको मालूम है क्या +++ किसे कहते है?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने कहा +++ पहले बोलती थी, अब +++ ही बोल रही है, आप कभी बोले ही नहीं। आप कभी विधान सभा में, आज तक कभी विधान सभा में बोले ही नहीं, आप कहां से अचानक खड़े हो गये।

श्री महादेव सिंह : मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, आप विधान सभा में लेट आये, मैं पन्द्रह वर्ष पहले बोल चुका आप जितना तो, आप तो कल आये हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पिछले सवा चार साल में कभी बोले नहीं, आज तक बोले नहीं कभी।

श्री महादेव सिंह : मैं सन् 1980 से विधान सभा में हूं, आप कल 1998 में आये हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं तो पहली बार आया हूं, मैं नहीं दावा करता..

श्री महादेव सिंह : तो मैं बोल चुका पन्द्रह साल तक।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लेकिन आज तक बोले ही नहीं कभी..

श्री सभापति : माननीय महादेव सिंहजी।

श्री महादेव सिंह : अब तो आप जैसे जो +++ हैं न, उनको मौका दिया है हमने बोलने का।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कभी चोंच खुली नहीं आपकी, कभी मुंह खुला नहीं..

श्री महादेव सिंह : हम तो पहले बोल चुके बहुत ज्यादा और आप जैसे नये-नये आये हैं न यह +++ उन +++ को बोलने के लिए मौका दिया है हमने।

श्री सभापति : माननीय महादेव सिंहजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ है कि +++ जनता ने चुना है।

श्री महादेव सिंह : बहुत +++ लोग जो बोलना नहीं जानते, उनको यह मालूम नहीं कि एक सदस्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे +++ जो सदस्य हैं उनको मौका दिया हम लोगों ने।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ सुनो, हमको भी जनता ने चुना है। यह +++ जो +++ लोग हो न, हमको भी जनता ने चुना है।

डा. महेश जोशी : माननीय महादेव सिंहजी, आप उनसे उनका परिचय क्यों पूछ रहे हो, आप मत पूछो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जोशीजी, परिचय तो आपको पूछना पड़ेगा क्योंकि आठ महीने बाद आपका मंत्री बनूंगा।

श्री महादेव सिंह : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं काश्तकार के घर में पैदा हुआ हूं, काश्तकार के घर पशु रखते हैं...

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, आर्डर में लाये।

श्री महादेव सिंह : और पशु रखने वाला छाछ बनाता है और छाछ से निकलने वाला +++ है, इनको मैं यह बताना चाहता हूं। अब यह +++ अब आज बोलने लगे हैं, सन् 1980 से 1998 तक

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री महादेव सिंह)

मैं बहुत बोल चुका। लेकिन ऐसे लोग आ गये न, यह +++ आ गये, तो इनको बोलने के लिए मौका दिया है मैंने।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है खण्डेला और मण्डेला आये +++ मेरी बात सुनो, इतनी बात कहने की जरूरत क्या है, सवा चार साल बोले नहीं, मैंने देखा नहीं और अब अचानक खड़े हो गये, +++ की तरह, मौसम को देख करके आप भी खड़े हो गयें। आप मंत्री नहीं बनोगे, न मुख्य मंत्री मंत्री बनायेंगे।

श्री महादेव सिंह : मंत्री तो बनेंगे तो सत्ता पक्ष वाले ही बनेंगे। आप जैसों को कोई मौका ही नहीं देगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं तो हम तो बैठे हैं।

श्री महादेव सिंह : आप गिनती के तीस हो, तीस को कोई मौका नहीं देगा और मेरे साथी जो सत्ता पक्ष में हैं वही बने हैं और नहीं बनेंगे।

श्री सभापति : अब बन्द करो, अब बन्द करो।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, कर्मचारियों के लिए कहा गया...

श्री सभापति : इस वार्तालाप को बंद करो, हां, चालू रखिये आप।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, हम क्यों भड़कायेंगे।

श्री सभापति : आप चालू रखो न अपना भाषण।

श्री मदन दिलावर : कर रहा हूं न, भाषण ही है वह। हम क्यों भड़कायेंगे। हम तो किसी को नहीं भड़कायेंगे। यह भाषण ही है मेरा। क्यों भड़कायेंगे, क्यों।

श्री सभापति : मैं कहता हूं भाषण दीजिये आप अपना।

श्री मदन दिलावर : हां, वही है, ठीक है। क्यों भड़कायेंगे हम? वो तो भड़क गये, उनके बच्चों के पेट पर लात मारी है ना आप लोगों ने, जब भड़क रहे हैं, उनकी आत्मा से पूछो। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत उनको बोनस देते थे, कहां गया बोनस, कौन खा गया? आपने तो कर ज्यादा वसूला बताया न। आपने तो 24 हजार करोड़ रुपये भी लोन ले लिया न। उन गरीब कर्मचारियों को जो वेतन पर अपना गुजारा करते हैं जिससे अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनका आपने बोनस छीन लिया, समर्पित अवकाश का पैसा छीन लिया और पिल पड़े कर्मचारियों के ऊपर। मास्टर रात को क्यों नहीं रहते है?

मेरे यहां तो एक अधिकारी रात को जा-जाकर टार्च लगाकर मास्टरनियों के चेहरे देखता है, तू है क्या कमलेश, तू ही है क्या? रात को क्या जरूरत पड़ गई स्कूलों में जाने की, रात में पढ़ते हैं क्या? कर्मचारियों के साथ किस प्रकार से उन लोगों को परेशान किया है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। क्या कुशल प्रबन्धन रात में कर्मचारियों के चेहरे देखने से ठीक होगा?-यह होगा। इस प्रकार का दृश्य है, श्रीमन्। और गरीबों के लिए तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। यह अकाल है ना

+++ : अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

(व्यवधान) फुटपाथियों के लिए क्या किया, सांसियों, मोदियों के लिए क्या किया, रोड पर खुले में पड़े हुए हैं। बरसात आती है तो अपना कबूला लेकर इधर दौड़ते हैं, उधर भागते है, कोई इधर से उनको दौड़ाता है, कभी कोई उधर से दौड़ता है, आखिर को आपको दिखाई नहीं दिया कि मेरे प्रदेश का सबसे गरीब व्यक्ति जो फुटपाथ पर है, जिसको न ओढ़ने का है, न बिछाने को है, न रोटी है, न बरतन है, उनके लिए आपने कभी सोचा? माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने एक आयोग बनाया था उनके लिए, उस आयोग को भी आपने समाप्त कर दिया है। उनके कल्याण की बात आपने सोची नहीं। कह रहे हैं कि यह तो बहुत कल्याणकारी सरकार है, पारदर्शी बता रहे हैं। बहुत पारदर्शी सरकार है यह तो। यह कह देते हैं कि हम सब की वसूली स्थगित कर देंगे। काहे की वसूली स्थगित कर रहे हो? सिंचित क्षेत्र में अकाल घोषित किया आपने, 41 हजार गांव हैं उसमें सिंचित क्षेत्र भी आता है। 41 हजार... (व्यवधान) हां, आपको ले चलना था क्या।

डा. महेश जोशी : मैं तो वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, माननीय सदस्य, आपने इतना गम्भीर आरोप लगाया है कि रात में महिलाओं के चेहरे पर टार्च डाल-डाल कर रात को स्कूल में जाकर देख रहे थे...

श्री मदन दिलावर : एक मिनट, हां, जवाब देता हूं।

डा. महेश जोशी : नहीं, मैं तो माननीय वित्त मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस पर बहुत ध्यान दे क्योंकि बड़ा गम्भीर आरोप है। प्रत्यक्षदर्शी खुद माननीय सदस्य हैं क्योंकि जिस वक्त वह टार्च डालते रात को गये थे, वहीं मौजूद थे।

श्री मदन दिलावर : बताता हूं, बताता हूं।

डा. के. सी. चौधरी : आप कितनी बार गये रात में प्रत्यक्षदर्शी के रूप में देखने।

श्री सभापति : चौधरी साहब, विराजिए।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, यह आरोप गलत...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...जब ही पकड़ा गया एक मंत्री के घर पर...(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यही चरित्र है ना कांग्रेस सरकार का।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री मदन दिलावर : मेरा आरोप गलत निकल जाये ना, मैं राजस्थान की विधान सभा में कल नहीं आऊंगा।

डा. के.सी. चौधरी : आपकी सारी ही चीज गलत है, आरोप ही क्या, जितना बोल रहे हैं वह सभी गलत है, खाली एक आरोप की बात छोड़ो, टोटल गलत है। कहानियां मैन्युफेक्चर करते हैं, माननीय सदस्य, कहानियां मैन्युफेक्चर करने में मास्टर हैं...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : हम तो आपके आरोप को गलत मान ही नहीं रहे हैं...

श्री मदन दिलावर : सुनो।

डा. महेश जोशी : हम तो कह रहे हैं कि आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप वहां पहले से मौजूद थे।

श्री मदन दिलावर : हां, बता रहा हूं न। मैं था या नहीं था, बता रहा हूं। सभापति महोदय, माननीय उप सचेतकजी ने पूछा है मैं वहां था या नहीं था। मैं था। जहां पर मेरी बहन, मेरी मां और वह शिक्षिका मेरे को यह कहने के लिए आई, सुबह दस बजे मुझे बताया, दिलावरजी, आज उस स्कूल में जा करके हमारे साथ इस प्रकार की घटना की है अधिकारियों ने, रात में जाकर हम को देखकर टार्च लगातार देखने का प्रयत्न किया है। उन बहनों ने मेरे को यह दुखड़ा सुनाया, वहां मैं मौजूद था। क्या कहना चाहते हो और किस बात का जवाब लेना चाहते हो...(व्यवधान)

श्री सभापति : चौधरी साहब, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतना अच्छा भाषण है और यह डिस्टर्ब करना चाहते हैं।

श्री सभापति : नहीं, नहीं कर रहे हैं यह, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : सिंचित क्षेत्र में जब आपने 41 हजार गांवों में अकाल, उनको अभावग्रस्त घोषित कर दिया है तो फिर उसका आपने यह लगान या कर्जा, और यह सिंचाई शुल्क माफ क्यों नहीं किया भाई? उनके खेत में फसल नहीं होगी, उनके खेत में पानी नहीं जायेगा, उनके खेत से घर पर अनाज का एक दाना नहीं आयेगा, लेकिन आपका सिंचाई शुल्क छूटेगा नहीं, आपका आपका सिंचित क्षेत्र का लगान छूटेगा नहीं। यह फिर काहे के लिए नाटक कर रहे हो अभावग्रस्त घोषित करने का, क्यों नाटक कर रहे हो। सहकारिता विभाग के आपने अल्पकालीन जो ऋण थे वह मध्यकालीन में नहीं बदले हैं। क्यों साहब? हां, कन्क्लूड कर रहा हूं अभी। लम्बी अवधि के जो यह ऋण हैं, किसी ने ट्रेक्टर लिया, किसी ने और किसी काम के लिए ऋण लिया, उनका आप ब्याज माफ करके वसूली स्थगित क्यों नहीं

(15.00 बजे)

कर रहे हो? ट्रेक्टर के ऋण की वसूली होगी, उसकी जमीन बिकेगी, गरीब का बेटा भूखा रहेगा लेकिन तुम्हारे ऋण की वसूली बराबर जारी रहेगी। लोगों की कुर्की हो रही है। ट्रेक्टर्स बिक रहे हैं। मकान बिकने की स्थिति में है। मां-बहनों के जेवर गिरवी रख रहे हैं, बेटा भूखा है लेकिन वो जेवर बेचकर भी, मंगलसूत्र बेचकर भी तुम्हारा ऋण चुकाने के लिए मजबूर हो रही है। राजस्व विभाग की इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में स्पेशल आबंटन हुआ और भूमिहीन लोगों को आबंटन हुआ। वह कोई आबंटन निःशुल्क तो हुआ नहीं था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लिखो, मंत्री महोदय। यह सारा लिखो।

श्री सभापति : लिखने का इंतजाम है।

श्री मदन दिलावर : सशुल्क आबंटन हुआ। तो जब वहां कुछ फसल ही नहीं हो रही है तो उस आबंटन के बदले में जो आपकी राशि देनी थी उसकी किस्त कहां से देंगे इस पर तो तुम्हारा ध्यान जाता नहीं।

(श्री मदन दिलावर)

ध्यान जाता है मदन दिलावर त्रिशुल लेकर आ गया। क्या कर दिया? क्या हो गया त्रिशुल लेकर आ गया तो? भगवान शिवजी का त्रिशूल लेकर आता हूं तो तुम्हारे पेट में शूल चलते हैं। गरीब की बात कहता हूं तो तुम्हारे पेट में शूल चलते हैं। समाज कल्याण की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। श्रीमान्, 316 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर? कौन विश्वास करेगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछली आपकी जितनी योजना थी आपने बजट प्रस्तुत किया था उसकी पूरी पालना आपने नहीं की इसलिए इस पर भी विश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता है जिस पर विश्वास किया जाए।

श्री सभापति : अब विराजिये।

श्री मदन दिलावर : नहीं, अभी तो बहुत सारा बाकी है।

श्री सभापति : अब विराजिये।

श्री मदन दिलावर : अभी नहीं। अभी तो मेरा स्टार्ट हुआ है।

श्रीमान्, समाज कल्याण में इन्होंने क्या किया? समाज कल्याण में जहां शिशु गृह में 425 बच्चे भर्ती हुए, सौ से ऊपर बच्चे मौत के शिकार हो गये हैं। उनकी आप ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं कर सकते थे? उनके बारे में विचार नहीं कर सकते थे? 8-8, 10-10 वर्षों से अंशकालीन कर्मचारी, रसोइये और चौकीदार छात्रावासों में काम कर रहे हैं, 600 रुपये में काम कर रहे हैं। वित्त मंत्रीजी, आपको 600 रुपये दे देते हैं आपका पेट भर जाएगा महीने में? आपके बच्चों का भी पेट भर जाएगा? तो आखिर में नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है उनको? क्या कारण है कि उन गरीब कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है? यही नहीं, पैराटीचर्स, शिक्षा सहयोगी हैं, मुक्तांगन विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, इनको स्थायी करने की आपने घोषणा नहीं की। चाल साल पूरे होने पर वो अपने-आप स्थायी हो जाएगा। क्यों? कोई ताबीज है आपके पास ऐसा जो घुमा देंगे और स्थायी हो जाएंगे? कौन सा ताबीज है जो अपने-आप स्थायी हो जाएंगे? बजट में प्रावधान करना चाहिए था। उनको स्थायी करेंगे तो कितना पैसा अतिरिक्त लगेगा, उसका प्रावधान करना चाहिए था। क्यों नहीं प्रावधान किया गया? इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है। आप चाहते हैं हम जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर देगी। हमको तो करना ही करना है। इस राजस्थान का कल्याण करने का जिम्मा तो हमारे ऊपर आना ही आना है वो तो हमको पूरा करना ही पड़ेगा।

इसलिए, सभापति महोदय, चिकित्सा में कह दिया आपने कि चिकित्सा विभाग में डाक्टरों की भर्ती नहीं करेंगे परन्तु यदि किसी चिकित्सालय में डाक्टर नहीं है तो तीन सौ रुपये रोज में डाक्टर ले आइये परन्तु दो हजार रुपये महीने से ज्यादा नहीं देंगे। क्या आये दो हजार रुपये महीने में? मतलब किसी चिकित्सा में 6 दिन डाक्टर बैठेगा। अब आपका गुलाम है जो तीन सौ रुपये रोज में आएगा? दो हजार रुपये में अपने क्लिनिक को डिस्टर्ब करेगा। यानी लोगों को लाभ नहीं देने का षडयंत्र किस

(श्री मदन दिलावर)

प्रकार से लोगों को गुमराह किया जा सकता है। इसलिए दो हजार रुपये का, करते ना 10 हजार रुपये देंगे। बैठाएंगे हम लाकर डाक्टर। लेकिन लोगों को राहत नहीं देने का षडयंत्र इस सरकार का है इसलिए इस प्रकार की बातें यह सरकार करती रहती है। यह चिकित्सा की व्यवस्था नहीं करना चाहती है। कोटा मेडिकल कालेज से लगा हुआ जो हास्पिटल एक हजार बेड्स का हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गयी तों उसका निर्माण ही रुक गया। आज तक कोई बजट का प्रावधान नहीं, उस पर विचार नहीं। एक हजार बैड हास्पिटल कितना बड़ा होता है। आखिर में क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या आपको गरीबों के नाम पर? वहां दवाइयां नहीं मिलती, वहां इलाज नहीं होता क्या? लेकिन आप तो इस राजस्थान के लोगों के विरोधी हैं न, गरीब लोगों के विरोधी हैं इसलिए कैसे उस मरीज का इलाज हो जाए, कैसे वो रोगी ठीक हो जाए इसकी चिन्ता आपको नहीं करनी है और इसलिए नहीं किया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब तो बिराजिये आप।

श्री मदन दिलावर : सम्माननीय सभापति महोदय, सिंचाई पर तो बिलकुल संकट पैदा कर दिया।

श्री सभापति : अब तो बिराजिये। बिराजिये आप।

श्री मदन दिलावर : सिंचाई पर तो आपके इतना संकट पैदा कर दिया कि हाड़ौती का तो नामो-निशान मिटा दिया। पानी कहां हैं? गंगानगर और कोटा के अलावा, हाड़ौती के अलावा पानी कहां दिखायी देता है आपको? पानी कहीं नहीं है लेकिन आपको तो केवल पता नहीं क्या सूझ रहा हे कि स्वायत्त शासन के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। कितनी जमीन बेच दे, कितनी मंदिर की जमीन को हड़प ले। कितने भ्रष्टाचारियों को बचा ले। कोटा में क्या हुआ? मैं कल भी कह रहा था कि 132 एकड़ जमीन में से 50 बीघा जमीन एक व्यक्ति खा जाता है। इस मंत्रिमण्डल का इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। नाराज हो जाएंगे माननीय सदस्य इसलिए क्योंकि सच तो सुहाता नहीं। मैं नहीं कहूंगा कि किसी मंत्री ने 50 बीघा जमीन में कितनी बड़ी राशि ली है, यह मेरा आरोप नहीं है। यह कथन है मेरा, आरोप नहीं है।

श्रीमान्, यही नहीं, यह भी इन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी गुमटियों का आबंटन कर दिया है गरीब लोगों को। इनके आंकड़े उठा कर देखना। मैंने देखा है एक दिन 75 गुमटी आबंटन की तो मैंने देखा कि इसमें कितने लोग हैं कोटा में, 63 मुसलमान हैं। मुझे आपत्ति नहीं है मुसलमानों से उनको भी देना चाहिए लेकिन क्या पात्रता रखते थे? पात्रता नहीं रखते थे वो केवल एक मंत्री के इर्द-गिर्द घूमते थे, उनके लिए चंदा इकट्ठा करते थे, आफिसों से वसूलियां करते थे और वसूलियां करते थे, इनके बदले में उनको गुमटी मिल गयी और कह दिया गया कि

(श्री मदन दिलावर)

यहां उनकी थड़ी रहेगी। ट्रांसफर कराना है तो इस गुमटी पर आ करके, किसी को दिलाना हो तो इस गुमटी पर आ करके इतना पैसा यहां दे जाना, इतना पैसा दे जाना। तो इन लोगों को तो गुमटियां इस आधार पर आबंटित की गई हैं कि इस सरकार में बैठे हुए मंत्रियों के लिए किस प्रकार से उगाही की जा सकती है, इसलिए गुमटी आबंटित की गयी है।

श्री सभापति : अब बिराज जाइये आप।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, अहमदी सिंचाई परियोजना बारां की महत्त्वपूर्ण योजना है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : अहमदी सिंचाई परियोजना जो बड़ी महत्त्वपूर्ण योजना है जिसमें पहले लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं वन विभाग की आपत्ति थी कि यहां इतने पौधे हैं। बाद में वन विभाग और सिंचाई विभाग ने सामूहिक रूप से उनकी गणना की तो पौधे नहीं मिले क्योंकि पहले गणना की गयी थी वो 6-6 इंच के पौधों की, पेड़ों की और घास की भी गणना कर ली गयी थी इसलिए कहा गया, श्रीमान्।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग कीजिये।

श्री मदन दिलावर : इसलिए क्योंकि वो गणना हो करके सारा आ गया है, वन विभाग के सैक्रेटरी के पास पड़ा हुआ है, वन मंत्रालय में पड़ा हुआ है। यह इस आपत्ति को निरस्त करते हुए भारत सरकार के पास भेजे ताकि वो अहमदी सिंचाई परियोजना का निर्माण प्रारम्भ हो सके।

श्री सभापति : श्री यशवन्त सिंह रामू।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, मुझे थोड़ी-सी बात और कहनी है।

श्री सभापति : माननीय यशवन्त सिंह रामू। आप विराजिये।

श्री मदन दिलावर : आप बहुत दयालु हैं।

श्री सभापति : 40 मिनट हो गये। आप विराज जाएं।

श्री मदन दिलावर : केवल दो मिनट।

श्री सभापति : दो मिनट दे दो इनको।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, यह सरकार गरीब विरोधी, क़िसान विरोधी, फसल बीमा योजना नहीं लागू कर पायी। यह मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी, महिला विरोधी और इन्होंने तो कह दिया कि विकलांग विरोधी भी है क्योंकि नव दम्पत्तियों के लिए हम 5 हजार से 20 हजार रुपये करते हैं। हमारा नव दम्पत्तियों के लिये नहीं था। पहले 5 हजार रुपये कोई भी शादी करने में दोनों में से यदि एक भी विकलांग हुआ तो उसको 5 हजार रुपये दिये जाते थे। अब इन्होंने कहा कि दोनों नव दम्पत्ति विकलांग होने चाहिए, जोड़ी ऐसी होनी चाहिए तभी 20 हजार रुपये मिलेंगे। ऐसी बहुत कम

(श्री मदन दिलावर)

जोड़ी मिलती हैं, वित्त मंत्री जी। आप उनके लिए ये बैरीकेड्स मत लगाइये। यह राइडर मत लगाइये। उनको सीधा-सीधा कहिये कि विकलांग व्यक्ति शादी करेगा तो उसको 20 हजार रुपये दिये जाएंगे। यदि भूल गये तो उसको संशोधित कर लेना कृपा करके। इन्होंने यह भी कहा इस बजट में कि हम तो विधवा महिलाओं की पुत्रियों के लिए 5 हजार रुपये देंगे। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब के आदेश से मैंने ही लागू किया था और मेरा समाज कल्याण अधिकारी जाता था शादी के दिन उस पांच हजार रुपये को वहां

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ले करके जाता था। अभी 3-3 साल तक उनको पैसा नहीं मिलता है। बाद में पैसे का क्या, इसलिए पैसा मिलना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्री रामू। हो गया। बहुत हो गया।

श्री मदन दिलावर : इसलिए मैं कहता हूं कि यह बजट भाषण केवल कल्पना का पुतला है, इस पर राजस्थान की जनता विश्वास नहीं करेगी।

श्री सभापति : बिलकुल ठीक बात है।

श्री मदन दिलावर : इसलिए कह रहा हूं, यह इस कांग्रेस सरकार का, इस सदी का अन्तिम बजट भाषण है। यह निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रामू।

(15.10 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी ने जो 2003-2004 बजट रखा है उस पर वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे साथ तो वह किस्सा हो रहा है कि घर पर छोरा कुंवारों और पड़ोसन को ब्याह। इसका मतलब है कि वित्त मंत्री जी, हम आपसे उद्योग की तो आशा नहीं रखते क्योंकि अलवर का सरिस्का, सवाई माधोपुर में रणथम्भौर, धौलपुर में क्रोकोडाइल पार्क, करौली में केलादेवी पार्क, भरतपुर में घना और बंधबरेठा। इसलिए उद्योगों की तो हम आपसे उम्मीद नहीं रखते, लेकिन जो आप हमारे साथ चार साल से भेदभाव करते चले आ रहे हो, आप पूर्वी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हो। पूर्वी राजस्थान का इस पूरे बजट में हमने कहीं नाम नहीं देखा, भरतपुर, धौलपुर का और उसका। यह पूर्वी राजस्थान के जो 7 जिले हैं इनके साथ जो आपने कुठाराघात किया है, आपने सिंचाई के नाम पर मात्र 1952 से लेकर आज तक जीगर बांध और धौलपुर में पार्वती बांध पर मात्र कुछ लाख रुपये दिये हैं। सिंचाई के नाम पर एक रुपया आपने नहीं दिया। कम से कम आपको यह सोचना चाहिये कि जहां से आप आते हो उसकी तरफ का ध्यान रखें। सबसे ज्यादा राजस्व हमारे पूर्वी राजस्थान से आपको मिला है और उसका खर्चा पश्चिमी राजस्थान में होता है। माननीय अमराराम जी, आपको अकाल के

(श्री यशवन्त सिंह (रामू)

नाम पर, कभी किसी के नाम पर आप पैसे ले लेते हो। 7 जिलों के साथ जो आप भेदभाव करते हो क्योंकि मुझे हरिसिंहजी ने कहा था कि साहब, आप अपनी मर्यादा में बोलना। लेकिन तकलीफ होती है, आप बोलिए महुवा साहब, आपको कितना पैसा मिला? यह शर्मा जो बैठे हुए हैं, यह हरिसिंहजी बैठे हुए हैं, यह अरुण सिंह जी बैठे हैं, आप इनके दिल पर हाथ रखकर पूछो तो इनकी आत्माएं रोती हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : प्लान मद का पैसा तो सबको मिलता है।

श्री अरुण सिंह (डीग) : नहीं मिलता है, हरिसिंह जी, नहीं मिलता है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : हरिसिंह जी, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि कितना पैसा हमको मिलता है। आपके दौसा से आने वाले माननीय सदस्य अब आये हैं, आप बताओ कौनसी बड़ी स्कीम इन्होंने मंजूर की पूर्वी राजस्थान में? इन्होंने इन्दिरा गांधी नहर पर हजारों रुपया खर्च कर दिया लेकिन इन्होंने पूर्वी राजस्थान में एक धेला भी पैसा दिया क्या? आपने तो इस पूरे प्रदेश का बेड़ागर्क कर दिया। आपने भी हमारे साथ भेदभाव किया, यह नहीं कि कांग्रेस ने ही किया है, आपने भी भेदभाव किया।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट वैसे राजस्थान की जनता के लिये राजस्थान के हित में है। पूर्वी राजस्थान के साथ तो भेदभाव किया वित्त मंत्रीजी इस पर बयान देंगे। और मैं आपसे आशा करता हूं कि...

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय वित्त मंत्रीजी, पिछली बार भी जब हमने पूर्वी राजस्थान की बात करी थी जहां से आप खुद आये हैं, तब आपने यह कहा था कि 20-20 किलोमीटर की सड़कें अलग से पूर्वी राजस्थान के जितने भी विधायक हैं उनको दी जायेंगी। लेकिन हमने अबकी बार जब विधान सभा में इस बात का क्वेश्चन लगाया तो उसमें जवाब आया कि वित्तीय साधन नहीं होने के कारण से आपको यह नहीं मिल सकती। आप भी पूर्वी राजस्थान से हैं तो आपसे हमारी विनती यही है कि आप भी उसमें शामिल हैं और आपके पास खजाने की चाबी है तो पूर्वी राजस्थान की खातिर...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कहां से बोल पड़े। माननीय सदस्य आप कहां से बोल पड़े बीच में।

श्री हरिसिंह (महुवा) : भरतपुर से मथुरा सड़क का प्रावधान इसी बजट में रखा गया है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : वह पिछले बजट में हुआ है।

श्री अरुण सिंह : वह पिछले साल के बजट में है, बी.ओ.टी. में टेण्डर हो गये। यह बजट ड्रामा है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दीजिए और एक इतना सा

(श्री यशवन्त सिंह (रामू)

हम पर उपकार कर दीजिए कि इसको मत्स्य प्रदेश बनवा दीजिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। हमें नहीं चाहिये आपका एक धेला भी। आप हमें मत्स्य प्रदेश बनवा देंगे तो चीफ मिनिस्टर भी आपको ही बना देंगे।

श्री अरुण सिंह : जनमत संग्रह कराओ।

श्री धर्मपाल चौधरी : मुख्य मंत्रीजी ने भी अपने क्षेत्र के लिये दिया तो आप भी इस पूर्वी राजस्थान के लिये जब आप बजट भाषण की समाप्ति पर इसको पास कराओगे तो पूर्वी राजस्थान को कोई न कोई तोहफा दोगे हम आपसे यह उम्मीद करते हैं।

श्री अरुण सिंह : माननीय वित्त मंत्रीजी, आप इतने कंजूस क्यों हो। आपका हाथ यहां दिल पर लगाओ, हो तो आप भी वहां के। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह हमारे साथ भेदभाव होता है इसलिए पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का झगड़ा चलता है। हम मांग कर रहे हैं कि हमें मत्स्य प्रदेश में रखा जायें।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : अपने-अपने, क्षेत्र की बात करो। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का झगड़ा क्या है। आपको ध्यान ही है। राजस्थान कैसे निर्मित हुआ है। इस राजस्थान के इतिहास को आप नहीं जानते और राजस्थान की बात करते हो।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह झगड़ा इसलिए डाल रहे हैं कि सारा पैसा (व्यवधान) पूर्वी राजस्थान के लोग...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ...(व्यवधान) लेकिन हमारे साथ कुठाराघात हुआ तो हम ऐसे ही चिल्लायेंगे। एक रुपया नहीं मिलता हमें।

श्री कनकमल कटारा : पूरे राजस्थान के ऊपर सोचना चाहिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है कि चार साल से पूर्वी राजस्थान में अकाल नहीं पड़ा। वहां के किसान ने अपनी जमीन में पैदा करके राजस्थान का पेट भरा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह क्या दोनों की जोइंट स्पीच है? आपका नवम्बर आये जब आप बोलना।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह जोइंट स्पीच नहीं है। आप भी पूर्वी राजस्थान में आते हो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : और जाओ कांग्रेस में, यशवन्त सिंह जी रामू। कांग्रेस में जायेंगे, कांग्रेस में।

श्री अरुण सिंह : आपकी अन्तरआत्मा हमारे साथ है, हम जनमत संग्रह चाहते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : अन्दर से तो आप भी हमारे साथ हैं, पूर्वी राजस्थान के हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इन माननीय सदस्य को कितनी पीड़ा हो रही है, यह कांग्रेस में जाकर अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : हमारे क्षेत्र की बात नहीं कह सकते।

श्री सभापति : वह बोल रहे हैं, आप उनको बोलने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह घुटन महसूस कर रहे हैं। आपने कांग्रेस में ले लिया इनको कोई राहत नहीं दी, यह घुटन महसूस कर रहे हैं। इनके मन में कितनी पीड़ा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य को मैं जानकारी दे दूं कि वित्त मंत्री सारे राजस्थान का होता है, किसी क्षेत्र विशेष का नहीं होता। राजस्थान को तोड़ने की बात मत करो एक रखने की बात करो।

श्री अरुण सिंह : हम कह रहे हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्वी राजस्थान का।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : हमने कहा है कि पूर्वी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : जब सरकार ने अकाल को विकास से जोड़ दिया, अकाल हमारे पड़ा नहीं विकास होगा नहीं।

श्री सभापति : अब आप विराजो, माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान न करें, आप विराजो।

श्री धर्मपाल चौधरी : साहब विराज रहे हैं, इसमें क्या हुआ। अपने क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। वह हमारे वित्त मंत्रीजी हैं उनसे हम कोई बात कह रहे हैं, हमारे पूर्वी राजस्थान के हैं।

श्री सभापति : आप कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप विराज जाये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी को मालूम है बजट लीक प्रकरण रामू ने किया था। बजट लीक प्रकरण वित्त मंत्रीजी अभी भूले नहीं हैं, रामूजी।

श्री अरुण सिंह : वित्त मंत्रीजी पैदा हुए धौलपुर के, पहले धौलपुर के फिर राजस्थान के।

श्री सभापति : विराजिए; Not a common address.

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सभापति महोदय, आप अगर बोलने दे तो बोलने दो और नहीं बोलने दो तो नहीं बोलेंगे। कम से कम हमारे पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे। जब आप कभी पश्चिमी राजस्थान की बात करते हो तो पूर्वी राजस्थान का एक भी व्यक्ति नहीं बोलता और जब पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो पता नहीं आपके क्या आग लगती है। सारा अकाल के नाम पर पैसा आप ले जाते हो। यहां विद्युत मंत्री और वित्त मंत्रीजी बैठे हैं, मैंने कल भी हाउस में कहा था हमारे यहां भगवान की दया से थोड़ी बहुत फसल है और इनके डिपार्टमेंट ने उसको चौपट कर दिया।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : माननीय सदस्य महोदय, राजस्थान का इतिहास पढ़िए। राजस्थान कैसे बना है आपके यहां से शुरू हुआ, छोटा राजस्थान बना, वृहद् राजस्थान बना, युनाइटेड स्टेट आफ राजस्थान बना और फिर राजस्थान बना है। उस इतिहास में आप जाइए राजस्थान कैसे

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

बना है। बड़ी तकलीकों से राजस्थान बना है, उसकी गरिमा को देखिए आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय कल्लाजी, बोलने दीजिए, क्यों रोक रहे हैं, लैट हिम से। उनको बोलने दीजिए।

श्री अरुण सिंह : जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य पहले राजपूताना था, राजस्थान नहीं था।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : पहले आप राजस्थान का इतिहास पढ़िए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आपके दुःख तकलीफ क्यों होती है, कल्ला साहब आप बोलते हो हम आपके बीच में बोले क्या? अदरवाइज आप हमको नहीं बोलने दोगे तो हम भी कसम खाते हैं कि आपको पश्चिमी राजस्थान के बारे में एक शब्द नहीं बोलने देंगे।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : नहीं, निश्चित आप बोलिए, आप राजस्थान के विकास पर बोलिए। अपनी कांस्टीट्यूएंसी के विकास पर बोलिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : विकास पर जब बोले जब विकास का पैसा दे। पूरे चार साल के बजट में भरतपुर का नाम नहीं, पूर्वी राजस्थान का नाम नहीं, 7 जिलों का इसमें कोई लेना-देना नहीं, बोले तो बोले किस पर?

श्री अरुण सिंह : विकास नहीं विनाश हो रहा है। वित्त मंत्रीजी, आपके राज में विनाश हो रहा है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : थोथी हमसे सराहना कराओ कि हमने यह कर दिया हमने वो कर दिया...

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपका समय यूं चला जाएगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कांग्रेस का समय ऐसे ही चला जाएगा क्या? **कांग्रेस के** विधायक हैं यह।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : समय जाता है इनका।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब चार साल जिस भाषा को बोलते रहे अब इनको ज्यादा कन्ट्रोल भी...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपकी बात को माननीय वित्त मंत्रीजी बहुत गम्भीरता से ले रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बोलो-बोलो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी को कहना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अभी तो एक जगह से विद्रोह का स्वर फूटा है, वह समय आएगा जब यहां से वहां तक फूटेगा और आपने जो लोगों पर बंदिश लगा रखी है वह बंदिश भी टूटेगी। सारे वसुन्धरा एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए आएंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हमारी पार्टी में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को तरजीह दी जाती है।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : आपकी भविष्यवाणी गलत होगी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हम कोई रोक नहीं लगा रहे।

श्रीमती ममता शर्मा : याद रखिएगा ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मन की इच्छा होगी वह बोलेंगे, कोई पाबंदी नहीं लगा रखी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो निकली ही हमसे हो, आप क्यों बोल रही हो।

श्रीमती ममता शर्मा : किसने कह दिया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी बुनियाद कहां है?

श्रीमती ममता शर्मा : आप हनुमान कब से हो गए, यह बताइये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी बुनियाद कहां से है?

श्रीमती ममता शर्मा : रहने दीजिए, बुनियाद तो पता नहीं किसकी कहां से है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी तो पृष्ठभूमि संघ परिवार है।

श्रीमती ममता शर्मा : किसकी तरह से कर रहे हैं आप...(व्यवधान) सिंधिया साहब की कहां से थी और कहां से है, जो है उनकी...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खुद की हां से है, यह तो पूछो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति : जारी रखिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : जारी रख रहा था, इनको थोड़ी बहस कर लेने दीजिए। सभापति महोदय, पिछले साल जब पूर्वी राजस्थान के सारे के सारे विधायक धरने पर बैठे थे तो वित्त मंत्रीजी ने, माननीय सचेतक साहब ने, माननीय डेयरी मंत्रीजी ने हमको यह कहकर खड़ा किया कि आप कोई न कोई पैकेज की घोषणा करेंगे। (व्यवधान) इन्होंने कहा हम आपको सड़कों में 20 किलोमीटर सड़कें एक्स्ट्रा देंगे। हुआ क्या, आप भी जानते हैं वित्त मंत्रीजी। जो जहां थी वह ही वहां है। कच्ची सड़कें बनती नहीं, अकाल नहीं है, अकाल की लेबर के नाम पर हमारे यहां जीरो लेबर लगा रखी है, आप कुछ तो न्याय करो।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री सहायता कोष की स्थापना की है वह वाकई तारीफे काबिल है। जब मैं कांग्रेस में नहीं था, विपक्ष में था जब भी मैंने इनकी सराहना की थी, क्योंकि इसमें गरीब बच्चे जो अपना इलाज नहीं करा सकते उनको गुर्दे बदलने के लिए, वाल्व बदलने के लिए, कैंसर के लिए 35,000 से एक लाख रुपये की सहायता करते हैं। उस परिवार की सारी दुआएं मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को लगेगी और वह दुबारा इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बनेंगे।

सभापति महोदय, अभी दिलावर साहब कह रहे थे कि विकलांगों, बेरोजगारों के लिए जो गुमटियां आबंटित की हैं वह गलत तरीके से की गई हैं। किसी पर कहां, कि उस पर दुकान खोल रखी है ट्रांसफर की, उन पर खोल रखी है उनकी, उन पर

(श्री यशवन्त सिंह (रामू)

खोल रखी है उनकी। दिलावर साहब से कहना चाहूंगा कि कम से कम ऐसे आदमियों की जो विकलांग हैं, गरीब हैं, जिनको दुकानें आबंटित हुई हैं, आप उनका सहारा लेकर कहते हैं कि उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं। आपको विदित होगा जहां यह लाटरी खुलती है उसके मैम्बर आप भी हैं। एम.एल.ए. मैम्बर हैं उसमें जहां खुलती है, नगरपालिका और एम.एल.ए. सदस्य ...(व्यवधान) आप गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इनकी सरकार थी जब इन्होंने गड़बड़ की। पूरे समाज कल्याण को खा गए। छोगाराम बाकोलियाजी से कह रहा था। (व्यवधान) वह कह रहे थे दिलावर जी ने इतने घोटाले किए हैं कि अगर रिसर्च की जाए तो यह सीधे जेल ही जाएंगे, बचने वाले नहीं हैं।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : आप जांच करो, आप जांच करो।

श्री सभापति : अपनी जगह से।

श्री मदन दिलावर : जांच में दोषी पाया जाऊं तो फांसी दो, सजा दो।

श्री सभापति : आप अपने स्थान से बोलो।

श्री मदन दिलावर ; मैं तो अपने स्थान पर जा रहा हूं, पर बोलूंगा।

श्री सभापति : आप अपने स्थान से बोलो। माननीय सदस्य, अब आप बीच में नहीं बोले।

श्री मदन दिलावर : इस सरकार को कह रहा हूं, यह सरकार ईमानदारी से जांच करे जांच में दोषी पाया जाता हूं तो इस देश में जो भी बड़ी से बड़ी सजा हो, वह सजा मुझे दे।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : दिलावर साहब, यह बता दीजिए कि आपके खिलाफ कितने केस चल रहे हैं?

श्री मदन दिलावर : हां...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आप तो यह बता दीजिए आपके क्षेत्र में आपके खिलाफ कितने मुकदमे चल रहे हैं?

श्री मदन दिलावर : मेरे ऊपर अनेक केस हैं। मेरे ऊपर केस इस बात का है कि मैंने गरीबों की लड़ाई लड़ी, मेरे ऊपर इस बात का केस है कि अकाल पीड़ितों की लड़ाई लड़ी, मेरे ऊपर केस इस बात का है कि गुण्डों को ठोका। मेरे ऊपर केस इस बात का नहीं है आपकी तरह कि किसी की +++ यह केस नहीं है, और अनेकों केस हैं।

डा. के. सी. चौधरी : यह बता दीजिए, मैंने तो यह पूछा है, कौन-कौनसी दफाओं में आपके ऊपर कैसेज हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

डा. के. सी. चौधरी : आप हमारी बात करो, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का एक भी केस नहीं है।

श्री सभापति : माननीय चौधरी साहब।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

डा. के. सी. चौधरी : आप पर केस उन जगहों पर लगे हुए हैं, किन-किन दफाओं में?

श्री सभापति : आप बिराजिए, आप वरिष्ठ हैं।

श्री मदन दिलावर : 153-ए आई.पी.सी., एक केस तो 153-ए आई.पी.सी. में है।

श्री सभापति : आप जारी रखें।

श्री मदन दिलावर : मैंने कहा हिन्दुस्तान हिन्दूओं का देश है।

श्री सभापति : आप जारी रखो।

श्री मदन दिलावर : वन्दे मातरम। भारत में यदि रहना होगा वन्दे मातरम कहना होगा। भारत माता की जय।

श्री सभापति : आप जारी रखें।

श्री मदन दिलावर : यह बोलने पर ही मेरे ऊपर केस बनाया है।

श्री सभापति : आप जवाब दे देना इनका, आप जारी रखिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के वित्त मंत्रीजी ने प्रतिभावान छात्रों के लिए राज्य में चुने हुए विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश की जो व्यवस्था की है वह भी सराहनीय कार्य है।

एक सबसे बड़ा कार्य वित्त मंत्रीजी ने किया कि जो विधवा औरतें हैं, जिनका कोई धनी-धोरी नहीं है, आगे पीछे नहीं है, उनकी बच्चियों की शादी के लिए जो सहायता की घोषणा की है, वह विधवा औरतें वास्तव में वित्त मंत्रीजी आपको इतनी दुआएं देंगी कि आप दुबारा उप मुख्य मंत्री बनोगे। अगर आप हमारे पूर्वी राजस्थान को अलग कर दोगे, अगर आप हमारे पूर्वी राजस्थान को अलग कर दोगे तो आप मुख्य मंत्री बनोगे और यह उप मुख्य मंत्री बनेंगे।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जब इनकी सरकार थी जब सड़कों की हालत क्या थी, अगर कोई औरत प्रेगनेंट होती है और वहां से चलती थी तो सड़क पर ही बच्चा पैदा हो जाता था, अस्पताल नहीं जाती थी, इतने बड़े-बड़े गड्डे थे। आज सड़कों की जो स्थिति है, सड़कों का जो विकास हुआ है वह पूरे हिस्दुस्तान में सड़कों के नाम पर राजस्थान का पहला नम्बर है।

मैं आपसे छोटी-सी बात इनके बारे में भी कहना चाहूंगा, जो गांव के पार्शन हैं, गांव के जो पार्शन हैं, बीच में गांव में जो रह गए हैं, मिसिंग लिंक जो भी रह गई है... (व्यवधान) मिसिंग लिंक नहीं साहब, गांव के हिस्से में जो आपने सी.सी. के लिए हिस्सा छोड़ा है, मतलब गांव में 100 फुट, 150 फुट, जो भी रहता है... (व्यवधान) माननीय खादी मंत्री जी, कभी भी सी.सी. रोड नहीं बनेगी, आप गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते। इनके सारे के सारे टैण्डर हो गए, आज तक वह सड़क नहीं बनी।

वित्त मंत्रीजी, एक और बात मैं आपके माध्यम से, पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर नहीं है, मैंने लिखकर उनको भी फैक्स किया। आपने एक एम.एल.ए. कोटे में, एक सड़क

(श्री यशवन्त सिंह (रामू)

पर किया कि 4 किलोमीटर सड़क बनेगी लेकिन ठेकेदार ने उस सड़क को सिर्फ 4 किलोमीटर ही बनाया, उसकी जांच की जाए। भरतपुर जिले में तो इसमें काफी घपला हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : यह बड़ा गम्भीर मामला है, अगर आपकी जानकारी में एक-दो केस भी हैं... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मेरे नदबई से...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज ही दे, कल दे। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आपको बाई नेम बता रहा हूं, नाम लिख लीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मुझे दे दे, मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा, आप मुझे दे दे।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : बिलकुल, इसमें इतना घपला हुआ है हद से ज्यादा, ऊर्जा मंत्रीजी चले गए क्योंकि उनकी बारी आने वाली थी। वित्त मंत्रीजी, आप इस पर ध्यान दे। ऊर्जा का विभाग है उसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस सीजन में किशन को पूरे 6 घंटे मिली, लेकिन आप हमारी तरफ से भी थोड़ा-सा यह आग्रह करें, आप भी जानते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं। आप भी जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके सबके बच्चे पढ़ते हैं। जितने भी सदस्य बैठे हैं कि शाम को ये कम से कम 4 या 5 घंटे, चाहे एक फेस दें, पर नियमित रूप से लाइट दें जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और बच्चों की पढ़ाई पर कोई आंच नहीं आए।

श्री सभापति : मानीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। 30 मिनट हो गये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप कहे तो बैठ जाता हूं।

श्री अरूण सिंह : एक मिनट तो दे।

श्री सभापति : एक मिनट।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : एक मिनट नहीं, माननीय सभापति महोदय, कल भी यह कह दिया था कि कल बुलवाएंगे। आप भी कह दो कल बोल लेना, इसमें कोई वह नहीं है। पूर्वी राजस्थान से पहली बार बोल रहा हूं। किसी को बोलने तो दे।

श्री सभापति : नहीं, पहली बार नहीं बोल रहे हैं। बोल चुके हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : पहली बार ही बोल रहा हूं। इस पार्टी में पहली बार ही बोल रहा हूं मैं तो।

माननीय वित्त मंत्रीजी, ये तो बोलने नहीं दे रहे हैं। आप हमारी थोड़ी सी 2-4 बातें सुन लीजिए और हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। क्योंकि आपने जो इस साल यह कहा है कि हम एक भी स्कूल नहीं खोलेंगे, चिकित्सालय नहीं खोलेंगे या पशु औषधालय नहीं खोलेंगे। हम आपसे इतना-सा अनुरोध करना चाह रहे हैं कि चाहे एक स्कूल दे, आपके मेरे नदबई के बारे में स्थिति बता दूं कि पूरे विधान सभा क्षेत्र में 3 हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, पूरे

(श्री यशवन्त सिंह (रामू)

विधान सभा क्षेत्र में और 6 सैकण्डरी स्कूल हैं। अब बताइये 10-10, 15-15 किलोमीटर से बच्चे पढ़ने आते हैं उनको स्कूलों की व्यवस्था कराएं। कम से कम एक-एक स्कूल का आप प्रावधान रखे और एक-एक को क्रमोन्नत करने का कष्ट करें। (व्यवधान) एक-एक स्कूल तो दे दे आप। पिछली बार माननीय वित्त मंत्रीजी आपने पशु चिकित्सालय जो खोलने की घोषणा की थी यहां, उस पर रोक लगा रखी है। उसको भी हटवा दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हाई-कोर्ट की वजह से उनके रिक्रूटमेंट पर बैन लगा हुआ था। मैंने कहा जैसे ही खुल जाए, खोल दीजिएगा। मैंने पशुपालन मंत्रीजी को कह रखा है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : एक छोटा सा अनुरोध चिकित्सा मंत्रीजी से है कि हमारे यहां, माननीय वित्त मंत्रीजी बड़े दयालु हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग कीजिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सुने तो सही साहब, सहयोग कर रहा हूं। आप थोड़ा स्कूलों का भी कह दे माननीय वित्त मंत्रीजी। एक-एक स्कूल तो दे ही दे। कह ही डाले वित्त मंत्रीजी। प्रोविजन तो बना लेते हैं हम, कोई बात नहीं है।

माननीय सभापति, आपने जो समय दिया, ये कह रहे हैं उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारे पूर्वी राजस्थान को कोई अलग से पैकेज दे जिससे कि आपकी वाह-वाही हो सके। नहीं तो, 4 साल में आपने इन पूरे बजटों में कुछ नहीं दिया। आप इसका ध्यान रखे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री आर.पी. शर्मा।

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय सभापति महोदय, बजट पर वाद-विवाद में अपने को सम्मिलित करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी प्रदेश के बजट का जो रिफ्लेक्शन है, वह भारत सरकार की आर्थिक स्थिति के बगैर उसका जो असर है वह जरूर पड़ेगा। मैं आपको इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार निवेदन करना चाहता हूं। 1980-86 में जहां गरीबों की संख्या 30 करोड़ थी वहीं 1997 में यह संख्या बढ़कर 34 करोड़ हो गयी और आज वर्तमान में सम्पूर्ण भारत में 40 करोड़ व्यक्ति गरीब हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं आज भारत में 40 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आमदनी 40 रुपये प्रतिदिन है और 32 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आमदनी 30 रुपये प्रतिदिन है और एक करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सम्पूर्ण रूप से साधन सम्पन्न हैं। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश के 6 प्रतिशत व्यक्ति इस देश के 60 प्रतिशत जो संसाधन हैं उनका उपभोग कर रहे है और 80 प्रतिशत व्यक्ति केवल 20 प्रतिशत संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। इन बातों को कहने से मेरा अर्थ यह है कि किस तरह की विषमता भारत में गरीबी के रूप में संसाधनों के उपभोग के रूप में तथा

(श्री आर. पी. शर्मा)

मैं यहां कहना चाहता हूं कि आज भी 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सही पीने का पानी नहीं मिल रहा है, 41 करोड़ व्यक्ति गन्दगी में जीवन यापन कर रहे हैं और 25 करोड़ व्यक्तियों को आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही साथ हमारे भारत में 4 करोड़ छोटे-मोटे कारखाने बंद हैं और 20 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं। जैसा कि मैंने कहा कि किसी प्रदेश के बजट का सीधा रिफ्लेक्शन भारत की आर्थिक स्थिति से पड़ता है। मैंने ये आंकड़ों में आपको यह समझाया है कि भारत की अगर हम गरीबों की स्थिति को देखे तो भारत में 20 करोड़ व्यक्ति गरीब होना, बेरोजगार होना बहुत बड़ा सोच का विषय है। उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिले, पीने का पानी नहीं मिले, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो इसके पीछे मेरे कहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की सरकार जो हमारे फैडरल स्टेट है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह सम्पूर्ण भारत के विकास के लिये कार्य करे। इसका मतलब इतनी गरीबी होना, ये सब आंकड़े इस बात का सबूत है कि भारत सरकार ने प्रदेशों के और भारत के विकास के लिये जो कारगर कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह नहीं की। और तो और, इससे बड़े दुःख की बात क्या हो सकती है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें कांग्रेस राज भी शामिल है क्या?

श्री आर. पी. शर्मा : हां, मैं भारत सरकार बोल रहा हूं। मैंने किसी का नाम नहीं बोला।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कांग्रेस भी शामिल है ना इसमें, इसे थोड़ा क्लीयर कर दे।

श्री आर. पी. शर्मा : सम्माननीय, मेरे श्रद्धेय, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने सुना नहीं, मैंने भारत सरकार शब्द यूज किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां तो उसमें सभी शामिल हैं ना?

श्री आर. पी. शर्मा : इसमें शामिल है। तो अब मैं आपको सुना दूं, 1980-86, जहां हमारे 30 करोड़ गरीब थे आपके शासनकाल में वह 40 करोड़ हो गये। मैं आपको डिटेल में सुना दूं, फिर आप कहेंगे कि मैं बहस कर रहा हूं। आपसे बहस करना मेरा फर्ज नहीं बनता है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं जैसा मैंने अभी कहा, और तो और, बड़े दुःख की बात है कि जहां सम्पूर्ण भारत के 80 प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर आधारित हों उस कृषि में भारत सरकार के बजट पर, सम्पूर्ण बजट खर्चे का 3 प्रतिशत अगर खर्च किया जाता है तो इससे दुर्भाग्य की बात इस देश को नहीं हो सकती है। मैं आपको इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारी भारत सरकार ने जिस तरह का बजट दिया है उस बजट में, चाहे उन्होंने किसी तरह की बढ़-चढ़ कर बात कही हो लेकिन उससे भी इस देश की, खास तौर से किसानों की, मजदूरों की आर्थिक प्रवृत्ति पर कुप्रभाव पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि किसी प्रदेश का बजट, भारत सरकार का बजट या उसकी आर्थिक नीतियों से रिफलक्ट करता है मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री आर. पी. शर्मा)

वास्तविक स्थिति हमको अपने सामने रखनी चाहिए। हमने राजस्थान का जो बजट 5 तारीख को पेश किया, माननीय वित्त मंत्रीजी ने पेश किया, सम्मानीय अशोकजी गहलोत, मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में, उस बजट में आपको अच्छी तरह मालूम है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। पिछले 5 वर्षों से राजस्थान अकाल-सूखा से प्रभावित है। फिर भी हमें खुशी है इस बात को कहते हुए कि राज्य सरकार का जो बजट इस बार पेश हुआ है वह बजट, उसमें उन कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ा गया है जो गरीब से जुड़ती हैं, जो शोषित से जुड़ती हैं जो पीड़ित से जुड़ती हैं। इस बजट में विकास के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिये, इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ा गया है जिससे कि इस प्रदेश में विकास की गंगा बहे। हम सब अच्छी तरह जानते हैं, आज हम उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में रह रहे हैं। और वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग में हमको आज अगर कोई प्रदेश आज अपना विकास करना चाहता है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। राज्य सरकार अपने संसाधनों से विकास के कार्य करने में सक्षम नहीं है। ऐसी सूरत में हम विनिवेश के लिये पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को किस तरह से जोड़े, उसके लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारे इस बजट में जन-कल्याणकारी योजनओं के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो महत्त्वपूर्ण खर्चे आबंटन किये गये हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वे निश्चित रूप से उसमें आगे आने वाले इस राजस्थान के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां बड़े जोर-शोर से कहा गया कि, हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान के ऊपर 24000 करोड़ का कर्ज था जो 1998 में था, आज वह बढ़कर, 24000 करोड़ बढ़कर आज वह 48000 करोड़ हो गया है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं और माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि राजस्थान के 29 प्रदेश हैं, उन प्रदेशों पर जो टोटल कर्ज है, वह 683 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और उस कर्ज में भी हम अगर सीरियलटी से देखते हैं तो राजस्थान के ऊपर केवल 6 परसेंट, केवल 6 परसेंट कर्ज है राजस्थान के ऊपर है। अगर हम पूरे डिटेल देखे, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उस 683 लाख करोड़ रुपये का हम ब्यौरा देखे तो सबसे अधिक कर्ज अगर है, उत्तर प्रदेश पर 12.8 परसेंट, 87000 करोड़ रुपये, उसके बाद पश्चिम बंगाल 10 परसेंट, उसके बाद महाराष्ट्र 9 परसेंट, इसके बाद आन्ध्र प्रदेश 7.4 परसेंट, इसके बाद गुजरात 6.8 परसेंट, इसके बाद बिहार 6.5 परसेंट, इसके बाद तमिलनाडु 6 परसेंट और राजस्थान 6 परसेंट इन 29 प्रदेशों में जहां 683 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है उसमें ऐसे प्रदेश राजस्थान में केवल 6 परसेंट का कर्ज होना इसका

(श्री आर. पी. शर्मा)

मतलब हमारा आठवां स्थान है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन विकट परिस्थितियों में राजस्थान ने कम कर्ज लेकर भी और प्रदेशों के मुकाबले, जैसा मैंने आपको समझा कि उत्तर प्रदेश जैसे, महाराष्ट्र जैसे विकसित गुजरात जैसे विकसित प्रदेश हैं, उन पर ज्यादा कर्ज होना जबकि उन पर कभी अकाल की विभीषिका का कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। फिर भी राजस्थान जो लगातार पांच साल के अकाल से जूझ रहा है, उसके बावजूद भी कम कर्ज लेना यह हमारी वित्तीय मितव्ययता और वित्तीय प्रबन्धन को दर्शित करता है। फिर भी हमारे विकास का कोई काम नहीं रुका, यह भी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे, निश्चित रूप से यह बिलकुल सही बात है, आज हमारे पास जो कर्ज है 40,891 करोड़ रुपये का, उस पर हमारे ऊपर 4,793 करोड़ रुपये का सालाना ब्याज का खर्च है। लगभग 13 करोड़ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आता है लेकिन जब आकलन करें, जैसे मैंने कहा और प्रदेशों का जिन प्रदेशों पर न तो कोई प्रकृति का प्रकोप हुआ और न वे अकाल से प्रभावित हैं, उन प्रदेशों की तुलना में हमारा कर्ज और हमारा ब्याज, यह हमारा औरों से कम है।

मैं इन सब हालात में, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना, जैसा मैंने कहा कि हमने कल्याणकारी और सामुदायिक व सामाजिक विकास के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के क्षेत्र में जो महत्त्वपूर्ण काम इस राज्य की सरकार ने किये हैं वह किसी से छिपे हुए नहीं हैं। अगर हम आंकड़े देखे, आठवीं योजना जो 1992 से 1997 तक थी, सिंचाई और बाढ़ पर हमने लगभग जो हमारी योजना 11,500 करोड़ रुपये की थी, उस वक्त हमने लगभग 1800 करोड़ रुपये खर्च किये थे। नवीं योजना में हमने कुल 22 हजार करोड़ रुपये खर्च किये हैं, बाढ़ और सिंचाई पर। हमारी जो दसवीं योजना है, उसमें हमारा 3500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है सिंचाई और बाढ़ के ऊपर। इसके साथ, ऊर्जा के क्षेत्र को देखे तो, जो बहुत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, आधारभूत ढांचे का, किसी प्रदेश के विकास की धुरी है, जहां हमने लगभग 3000 करोड़ रुपये खर्च करने का, हमारा 28.3 परसेंट था, 1992 से 1997, आठवीं योजना में वह हमारा खर्चा बढ़कर लगभग हो गया 3200 करोड़ रुपये नवीं योजना में और अब जो हमारा करीब 7800 करोड़ रुपये का हमारा प्लान है दसवीं योजना में ऊर्जा पर खर्च करने का। उसी तरह से सामाजिक सेवाओं में हमने 21.4 परसेंट, 21 परसेंट और 30 परसेंट, नवीं और दसवीं योजना में खर्च करने का आधारभूत हमने एक प्रोग्राम लिया है, वह निश्चित रूप से सामाजिक क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में बहुत बड़ा एक कदम है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति, जैसा मैंने अभी कहा कि किसी से छिपी हुई नहीं है, उदारीकरण और वैश्वीकरण का युग है और

(श्री आर. पी. शर्मा)

इसमें जिस तरह से पूंजीपति लोगों का या बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट का जिस तरह से आक्रमण है उसमें भी हिन्दुस्तान की सरकार ने अमरीका और विश्व बैंक के सामने घुटने टेक दिये हैं वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हिन्दुस्तान में कुल-मिलाकर पांच सौ बड़ी कम्पनियां हैं उन बड़ी कम्पनियों में 244 कम्पनियां केवल अमरीका में है और 46 कम्पनियां जापान की हैं। और 23 कम्पनियां जर्मन की हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो आज वैश्वीकरण के सामने, विश्व-बैंक के सामने जिस तरह से भारत की सरकार ने सभी शर्तें मानकर यह जो आज काम हो रहा है, उसमें मैं कह सकता हूं कि अमरीका के सामने हमने घुटने टेक दिये हैं।

मैं बजट के सम्बन्ध में खास तौर से, जैसा मैंने कहा कि अगर हम आय-व्यय का ब्यौरा देखे, मेरे एक साथी अभी कह रहे थे कि निश्चित इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमने जो राजस्व आय में आमदनी बढ़ाई है, उसके साथ हम देखे हमारे साथी कह रहे थे कि पैसा गया कहां? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसमें दो-राय नहीं है कि राज्य सरकार ने इन विषम परिस्थितियों में, कम पैदा होने के बाद, अकाल पड़ने के बाद भी राजस्व आय में वृद्धि की है। लेकिन जिस तरह से वेतन और पेंशन के खर्चे बढ़े हैं। वह आपसे और हमसे छिपे हुए नहीं हैं। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वह आप सभी भी अच्छी तरह जानते हैं। जहां हमारा 1998-99 में कर राजस्व हमारा 3900 करोड़ था वह बढ़कर 2002 में 5671 करोड़ रुपये हो गया और 2002-2003 में हमारा राजस्व 6481 करोड़ हुआ है। इसका मतलब लगभग पचास परसेंट की वृद्धि राजस्व आय में होना इस सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ हम देखे कि यहां 1997-98 में वेतन का खर्चा 3395 करोड़ रुपये था, वह आज बढ़कर 6040 करोड़ रुपये हो गया है। उसी तरह से पेंशन पर जो-खर्चा 596 करोड़ रुपये था 1997-98 में, आज 1913 करोड़ रुपये होना प्रस्तावित है। यह एक बहुत बड़ा हमारा जो भार हमारे पेंशन का और तनखाह का बढ़ा है, इसकी वजह से हमारी जो राजस्व आय बढ़ी है वह सब इसमें समाहित हुई है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि मैंने जैसा कहा कि भारत सरकार...(व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त कीजिए। आप इधर आ बैठे क्या? (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : कम कर दूं? मैंने कहा कि भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार की मदद करे। मदद तो करना तो बहुत दूर रहा बल्कि भारत सरकार ने जो हमारे केन्द्र से राज्य का केन्द्रीय करों में प्रावधान था उस पैसे में से भी हमको 1648 करोड़ रुपये तीन साल में कम दिये। इसके साथ जो राजस्व की राशि हमारी होती है राजस्थान की वह भी केन्द्रीय सरकार ने 866 करोड़ रुपये कम ट्रांसफर किये इससे बड़ी बात किसी केन्द्र सरकार की हो नहीं सकती।

(श्री आर. पी. शर्मा)

मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जैसा कहा कि इसके बावजूद भी हमारी राज्य सरकार ने आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए विनिवेश बढ़े, व्यवसायी यहां उद्योग-धन्धा डाले इसके सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण काम किये, चाहे सड़कों के क्षेत्र का मामला हो, नवीं योजना में यहां 4.8 परसेंट सड़कों पर खर्च करने का प्लान था, दसवीं योजना में इस राशि को बढ़ाकर हमने 8 परसेंट किया है, यह बहुत बड़ा काम है।

माननीय सभापति महोदय, इसका परिणाम यह हुआ है कि जनवरी, दिसम्बर, 1998 से 2003 तक 2093 करोड़ रुपये का हमने व्यय सड़कों पर किया है जिससे 6805 किलोमीटर लम्बी नई सड़कें बनेगी। 19333 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार हुआ है, नवीनीकरण हुआ है और 32 हजार किलोमीटर ग्रेवल सड़कें बनी हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने, पहली राजस्थान की सरकार है जिसने पूरे भारत का 69 परसेंट पैसा उपयोग में लिया है। इसके लिए हमारी राजस्थान की सरकार और हमारी सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सभी अधिकारी, जिन्होंने क्योंकि उस योजना के अन्तर्गत जो स्टेट सबसे पहले अपनी योजना देगा उसी को कार्य सौंपा जाना प्रस्तावित था तो राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार जिसके कर्मचारियों ने, हमारे मंत्रियों ने मिलजुलकर बड़ी पहल की इसमें बहुत योजनाएं पहले दी और केवल अकेले राजस्थान ने 69 परसेंट पूरे हिन्दुस्तान के पैसे का उपभोग किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय और हमारे मंत्रियों का और हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों का। इसी के साथ-साथ मैं हमारी जो मिसिंग लिंक्स रोड 3200 किलोमीटर की बनने का प्रस्तावित है। इसके साथ-साथ ऊर्जा के क्षेत्र में... (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साहब, पांच मिनट और लूंगा तसल्ली से प्लीज, आप मेहरबानी करे तो बोलूं नहीं तो नहीं बोलूं।

श्री सभापति : समय के हिसाब से है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोला हुआ मान लिया जाए।

श्री आर. पी. शर्मा : राठौड़ साहब बोलेंगे तो मैं भी यही कह दूंगा। प्लीज, पांच मिनट में ही खतम कर दूंगा।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री हरीश चन्दजी भूख हड़ताल पर हैं। मैं उनको पूछने आया हूं। कल से हैं। भूख हड़ताल जारी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका स्थान कहां है? मेरे को तो यह मालूम नहीं कि आपका स्थान है कहां?

श्री मदन दिलावर : भूख हड़ताल जारी है। मैं तो इनका स्वास्थ्य देखने के लिये आया था।

श्री सभापति : आप कभी यहां से बात करते हैं, कभी वहां से करते हैं।

श्री मदन दिलावर : मैं इनका स्वास्थ्य पूछने के लिये आया हूं।

श्री सभापति : आपका स्थान है कहां?

श्री मदन दिलावर : यह कल से लगातार भूख हड़ताल पर हैं।

श्री सभापति : स्थान से बोलो आप तब तो ध्यान आता है। दूसरे स्थान से बोलेंगे तो ध्यान नहीं आता। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य की जो डिमाण्ड है, उस पर चिन्ता करें ताकि इनकी भूख हड़ताल समाप्त हो सके।

श्री सभापति : आप विराज जाओ।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सड़क का मैंने बताया, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने पूर्व में ही बहुत बड़े काम किए हैं और इस बजट में भी 1146 करोड़ का प्रावधान करना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण काम है जिसमें हमें सूरतगढ़ और कोटा थर्मल से जून में और अगस्त में 500 मेगावाट बिजली उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ 2301 किलोमीटर नई लाइनें प्रस्तावित है। 400 किलोवाट के 2, 220 के.वी. के 3, 132 के.वी. के 18 और 33 के.वी. के 120 नये सब ग्रिड स्टेशन बनाने प्रस्तावित हैं। इसमें निश्चित रूप से बिजली की उपलब्धता और बिजली की क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ 500 गांव, 150 हरिजन बस्तियां और 15 हजार कुटीर ज्योति कनेक्शन देने प्रस्तावित हैं। यह बहुत बड़ा काम इस सरकार के पीरियड में होने जा रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : काश्तकारों को तो कनेक्शन नहीं दे रहे हैं।

श्री आर. पी. शर्मा : प्रस्तावित है, अभी देंगे। अप्रैल से बजट शुरू होगा। काश्तकार का नहीं है। सिंचाई के क्षेत्र में जैसा हमारे साथी कह रहे थे यह पहली राज्य सरकार है जिसमें सिंचाई के लिये नदियों का पानी में इन्टर स्टेट से मिले इसके लिये समझौते किये। और केवल समझौते ही नहीं किये बल्कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिये 417 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करके लगभग 68 हजार हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने की योजना जो हाथ में ली गयी है इस बजट में वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ पेयजल के क्षेत्र में जैसे मैंने पहले भी निवदेन किया था गुवर्नर स्पीच के समय कि आज जरूरत इस बात की है कि हम दीर्घकालीन पेयजल योजना बनाकर पेयजल की समस्या का समाधान करें। इस सम्बन्ध में सरकार ने 3536 करोड़ रुपये की दीर्घकालीन पेयजल योजना हाथ में लेकर जो महत्वपूर्ण काम किया है। मुझे खुशी है इस बात की कि इसमें भरतपुर के लिये खास तौर से 166 करोड़ रुपये की चम्बल लिफ्ट पेयजल योजना बनाकर इसमें काम भी शुरू हो गया है। इस काम के लिये मैं पुनः कह सकता हूं कि राजस्थान में इस सरकार ने जो दीर्घकालीन पेयजल समस्या

(श्री आर. पी. शर्मा)

का समाधान किया है, इस सम्बन्ध में जो महत्त्वपूर्ण काम किये हैं, वह भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।

खनन के क्षेत्र में हमें खुशी है कि जैसा मैंने कहा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इतनी खराब है कि इसमें दो तिहाई एरिये में रेगिस्तान है और एक तिहाई एरिया ही कृषि योग्य है। लेकिन इस बात का राजस्थान को सौभाग्य प्राप्त हो अगर हमें इस रेगिस्तान में पैट्रोल, डीजल और गैस की उपलब्धता हो गयी तो मैं कहता हूं राजस्थान हिन्दुस्तान के सबसे विकसित प्रदेशों में विकसित हो जाएगा। इसके लिये खनन क्षेत्र में इस सरकार ने गुढ़ामालानी और कोसलू में जो दो कुएं मिले हैं, जिनमें दो हजार बैरल प्रतिदिन के भण्डार मिलने की उम्मीद है और साथ ही हमें लिग्नाइट के भण्डार मिले हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं इस प्रदेश में अगर खनन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण काम नहीं होता तो इस प्रदेश में यह काम भी हमारा अधूरा रह जाता जो सरकार ने हाथ में लिया है।

डेयरी के क्षेत्र में, पूरे स्टेट में मैं कहता हूं हिन्दुस्तान का सबसे रिच प्रदेश राजस्थान है, इसमें थोड़ा काम करने की जरूरत है डेयरी के क्षेत्र में। हिन्दुस्तान में पिछले दो वर्षों से डेयरी के दूध उत्पादन में प्रथम रहा। इसके साथ प्रतिदिन एक करोड़ 40 लाख रुपये किसानों को दूध खरीदने में भुगतान करना, यह बहुत बड़ा काम डेयरी के क्षेत्र में भी इस सरकार में आज हुआ है।

शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा काम "सर्व शिक्षा" का प्रोग्राम है। हायर एजुकेशन का प्रोग्राम है। सबसे महत्वपूर्ण काम इस बजट में जो दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, हमें बड़ी तकलीफ होती थी इस बात की कि विद्यालयों में फर्नीचर का अभाव हुआ करता था। इस सरकार ने पहली बार यह सोच रखा है कि फर्नीचर के अभाव को दूर करने के लिये हमारे प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल, सीनियर सैकण्डरी स्कूल और कालेज इत्यादि के लिये लगभग 20 करोड़ रुपये के प्रावधान फर्नीचर सुविधा के क्षेत्र में किये गये हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री आर. पी. शर्मा : करता हूं, साहब। जब दिलावर जी बोल रहे थे तब आपको ध्यान नहीं था। मेरे पर ही ध्यान आ रहा है क्या? दिलावर जी बोल रहे थे तब किसी को ध्यान नहीं था।

श्री सभापति : नहीं, आप भी बोल चुके हो 25 मिनट।

श्री आर. पी. शर्मा : नहीं, 25 मिनट नही हुए।

श्री सभापति : आपके कहने से क्या होगा, ध्यान मैं रख रहा हूं।

श्री आर. पी. शर्मा : नहीं, मुझे भी ध्यान है। मेरे समय का मुझे भी ध्यान है।

श्री सभापति : मुझे भी ध्यान है। आसन ध्यान रखता है।

श्री आर. पी. शर्मा : अब मुझे भी ध्यान है मेरे समय का। माननीय सभापति महोदय, नहीं मैं बोलूंगा। प्लीज, मैं पांच

(श्री आर. पी. शर्मा)

मिनट लूंगा। आप मुझे रोकेंगे तो मैं बोलना बन्द कर दूंगा।

श्री सभापति : पांच मिनट तो आपने पहले भी कहा था।

श्री आर. पी. शर्मा : नहीं हुए पांच मिनट। आप घड़ी लगाकर पांच-छह मिनट देख लेना, मैं अपने आप बंद कर दूंगा। चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किये गये हैं। डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको डिटेल सुनना पसन्द नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा। चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किये गये हैं। चाहे मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष हो, चाहे मुख्य मंत्री सहायता कोष हो। इसके साथ-साथ पहली बार नगर निकाय संस्थाओं के लिये जो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश है उसमें 33 करोड़ रुपये देना प्रस्तावित है। यह बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने इस प्रदेश के नगर विकास न्यास के क्षेत्र में किया है।

इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण फैसले किये इस सरकार ने, उनकी मैं सराहना करना चाहता हूं। सबसे बड़ा काम जो बी.पी.एल. परिवार है, उसके एक बच्चे को 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो राशि देना प्रस्तावित है। माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा यह बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य है निश्चित रूप से, लेकिन इसमें जो क्लाज लगाया हुआ है कि 12 हजार रुपये की आमदनी हो, तीन साल तक उसका रजिस्ट्रेशन हो, यह जो क्लाज है इसको निश्चित रूप से इसमें करप्शन बढ़ेगा और इसमें पारदर्शिता खतम होगी। जो गरीब बी.पी.एल. के लोग हैं, जिनकी हम मदद करना चाहते हैं, उसमें निश्चित रूप से एक तरह से रोष पैदा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं हर बी.पी.एल. के परिवार हैं उसको 300 रुपये बिना किसी शर्त के एक व्यक्ति देने का जो 12वीं पास हो, यह कंडीशन रख सकते हैं, इसका प्रावधान किया जाये।

साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं आज भारत में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उसी तरह राजस्थान में भी रोजगार की पोजीशन अच्छी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह सुविधा बी.पी.एल. और ए.पी.एल., जिनकी आमदनी 12 हजार से कम हो, उनको देने के लिये भी राज्य सरकार को इस बजट में सोचना चाहिये। यह मेरा सुझाव है।

इसके साथ मंदिर-देवालयों के लिये जो एक करोड़ रुपये अलग से दिये गये हैं। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। मदरसों की शिक्षा के क्षेत्र में 50 लाख रुपये दिये गये, यह सराहनीय कार्य है। इसी तरह से विधवा महिलाओं के लिये पांच प्रतिशत का कोटा, महिलाओं के कोटे में से कम करके किया गया है, वह भी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। इसके साथ नये डाक्टर के सम्बन्ध में भी जो 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और नोट एक्सिडिंग 2000 का जो प्रोविजन है, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं इसको दो हजार रुपये के बजाय आप मेहरबानी करके कम से कम तीन हजार रुपये तक कर दें। कम से कम तीन हजार रुपये तक ऐसे व्यक्ति को जो गांवों में डाक्टरी में है। उसको नौकरी नहीं

(श्री आर. पी. शर्मा)

मिल रही है, एक महीने में मिले, यह मेरा सुझाव है कि 300 रुपये अगर प्रतिदिन और तीन हजार रुपये विच एवर इज लैस करके आप इसको कर दें। यह मैं कहना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ खेल परिषद् में एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देना, यह बहुत बड़ा कल्याणकारी सुझाव है। इसके साथ कर्मचारी शिक्षा, कल्याण निधि की जो स्थापना की गयी है, निश्चित रूप से उन कर्मचारियों के लिये, जिनकी आय का साधन कम है और जिनके बच्चे पढ़ने में होनहार हैं, होशियार हैं, ऐसे कर्मचारियों के लिये बहुत बड़ी सोच हमारी सरकार ने रखी है। जो हमारे कर्मचारी हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिये यह भी निश्चित रूप से सराहनीय है।

इसके साथ पेंशन के सम्बन्ध में जो पेंशनर्स के लिये पांच करोड़ की निधि स्थापित की गयी है, वह ठीक है।

इसके साथ सिनेमा के क्षेत्र में जो छूट दी गयी है, उसमें टैक्स कम किया गया है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का प्रवेश कर कम किया गया है।

इसके साथ स्टीनलैस स्टील में आधा प्रतिशत प्रवेश कर में कमी की गयी है। और खास तौर से भरतपुर के क्षेत्र के लिये जो बहुत बड़ा काम इस बजट में हुआ है कि खळ और खळ से सम्बन्धी जो सामान है, उन पर बिक्री कर समाप्त कर दिया गया है। निश्चित रूप से भरतपुर क्षेत्र के जो तेल उद्योग हैं, खास तौर से हिन्दुस्तान में जो सबसे ज्यादा रखता है एडिबल आयल के सम्बन्ध में, उनके लिये बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा।

इसके साथ ही भूमि और भवन कर समाप्त किया गया है। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने एक सूझ और सोच का जो काम किया है वह हमारा लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स खतम करना है। जिस लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स की वजह से 10 जिलों में जो चल रहा था, मात्र 20 करोड़ रुपये की आमदनी थी, उस पर हम अगर खर्चा देखें, इसके बराबर आता था, लेकिन जिस तरह का इंस्पैक्टर राज था, आम जनता परेशान थी, उसको खतम करने में जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से यह काम माननीय वित्त मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है, निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा सराहनीय और हिम्मत का काम है।

मैं माननीय वित्त मंत्रीजी, इस सम्बन्ध में आपसे एक बात कहना चाहता हूं हमारे जो भी व्यवसाय हैं मंडी शुल्क, उसमें सबसे पहले प्रभावित होता है।

मण्डी शुल्क हमारा एक प्रतिशत है आज कृषि उपज़ मण्डी शुल्क, जब कृषि उपज मण्डी शुल्क लगाया गया था जब सैल प्रोसिड की जो आय थी वह सरसों के 500,600,700 रुपये क्विंटल की रेट थी, आज भाव जिस तरह से दुगुने तिगुने हो गये हैं और एक प्रतिशत कृषि उपज मण्डी का कर होना, उससे निश्चित रूप से सैल्स टैक्स में चोरी होती है और कृषि उपज मण्डी टैक्स में चोरी होती है। निश्चित रूप से चोरी को बढ़ावा मिलता है।

मैंने कई व्यवसायियों से, चैम्बर्स आफ कामर्स के लोगों से बात की है। उन्होंने

(श्री आर. पी. शर्मा)

मुझे सुझाव दिया है कि अगर कृषि उपज मण्डी टैक्स जो है, इसको अगर आधा प्रतिशत कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से इससे कृषि उपज मण्डी की आमदनी में कोई कमी नहीं होगी, सैल्स टैक्स से आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं - "मोर टैक्स लैस रेवेन्यू और लैस टैक्स मोर रेवेन्यू" तो आप इसके बारे में परीक्षण करवा लीजिये।

(16:00 बजे)

इस परीक्षण में आप अगर यह मानते हैं कि इसके कम करने से हमारे सैल्स टैक्स की अमदनी बढ़ती है, मण्डी टैक्स की आमदनी बढ़ती है, मंडी टैक्स की आमदनी बढ़ती है, किसानों को सहूलियत मिलती है तो निश्चित रूप से यह कदम भी सराहनीय होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, सभापति महोदय, अंत में हमारा 2003-2004 का जो बजट माननीय वित्त मंत्रीजी ने पेश किया है, हमारे मुख्य मंत्रीजी श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पेश किया है यह एक कल्याणकारी बजट है और यह हमारे प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ऐसा सोचना है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने 2003-2004 का जो बजट पेश किया है इससे ग्रामीण जनता की आशाओं पर ओले पड़ गये है और खास तौर से उन लोगों का ध्यान रखा है जिनके पिक्चर हाल है। अब पिक्चर तो जिनकी देखने की आदत है, अगर उसमें आठ आना कम होगा तो भी वह देखेंगे, उनको क्या लाभ हुआ? भूमि भवन कर कुछ बड़े-बड़े लोगों के ही लगता था जिनके बड़े मकान थे और गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, मैंने इनके बजट में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु देखे हैं। सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण में इन्होंने कमी की है। यह 2002-2003 में 244.89 करोड़ से घट कर अब 196.38 करोड़, इस प्रकार से 2002-2003 में 244.89 करोड़ का प्रावधान रखा था। उसमें से इन्होंने 186.43 करोड़ का खर्च किया। प्राकृतिक आपदा में भी 2002-2003 और 2003-2004 में 230.19 करोड़ से घटकर 181.90 करोड़ यानि इसमें 20.98 प्रतिशत की कमी की गयी। कृषि एवं समूह क्रियाकलाप में भी आपने 2002-2003 और 2003-2004 792.83 करोड़ से घट कर 703.85 करोड़, इस प्रकार 11.22 प्रतिशत की कमी की गयी। वन एवं वन्य जीव में 2002-2003 और 2003-2004 में 299.11 करोड़ से घटकर 221.70 करोड़ यानि 25.1 प्रतिशत की कमी की गयी। विशेष कार्यक्रम क्षेत्र के अन्दर भी आपने 2002-2003 और 2003-2004 में 35.85 करोड़ से घटकर 32.82 करोड़ यानि 8.45 प्रतिशत इसकी कमी की गयी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपने 6.36 करोड़ से घटाकर 4.29 करोड़ यानि 32.55 प्रतिशत की कमी की। यह

(श्री अमराराम चौधरी)

ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु है जिससे इस बजट से कोई विकास नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, आज हमारे करीब 48 हजार से अधिक गांव ऐसे हैं जहां अकाल है लेकिन कोई अकाल घोषित नहीं किया गया। ना इस बजट में कोई ऐसा प्रावधान देखने में आया। लोगों की जो औसतन मजदूरी है उसमें भी जो मिनिमम बेजेज 60 रुपये है उससे घट करके 40-50 से नीचे आ गयी है। इस प्रकार से आपने इस बजट के अन्दर जो यह सारी बातें रखी हैं उसमें खास तौर से शिक्षा के बारे में निवेदन है कि आप पश्चिमी राजस्थान में हमारा शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि लगातार दो साल से मैं निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम उप तहसील मुख्यालय पर तो सैकण्डरी स्कूल बना दो लेकिन इन्होंने स्कूल नहीं बनायी। जहां 5000 की आबादी है, कम से कम वहां हायर सैकण्डरी स्कूल खोलो, एक भी स्कूल हमारे नहीं खोली गयी। सिर्फ दो मिडल स्कूल खोली गयी जहां अध्यापक नहीं है। इन्होंने ओथ ली थी कि बिना द्वेष और भेदभाव के काम करेंगे।

पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी बैठे हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन्होंने जो सड़कें बांटी है वह बराबर बांटी हैं लेकिन जो स्कूलें बांटी गयी हैं एक क्षेत्र में तो कम से कम 7 मिडल स्कूलें दो, 4 सैकण्डरी स्कूल दो, 3 हायर सैकण्डरी दो, और पास वाले क्षेत्र में कुछ नहीं रखो। क्या वहां आपके बच्चे नहीं हैं, सारे बी.जे.पी. के ही लड़के है? उस क्षेत्र में पढ़ने सारे बच्चे स्कूल में बी.जे.पी. के ही जाते है बाकी जगह तो कांग्रेस के आते है। मैं यह कह रहा हूं कि स्कूलों में, शिक्षा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजनीतिक भेदभाव किया। आपने ओथ ली थी राज्यपाल महोदय के समक्ष और उस ओथ की यदि पालना नहीं होती है। अभी आप कह रहे थे, कोई तो पूर्व का मुख्य मंत्री बना रहे थे, मंत्री होता है तो पूरे राजस्थान का होता है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। कई मंत्री हैं, ठीक हैं, चाहे हम किसी पार्टी में हैं वह हमको अपने प्रोग्राम देते हैं लेकिन कई मंत्री ऐसे होते हैं जो अपने पार्टी वालों को ही देते हैं जैसे कोई पार्टी के ही मंत्री हैं, जनता के तो है ही नहीं। आज मान लीजिये हम थोड़े-बहुत लोग बी.जे.पी. में हैं लेकिन सारी जनता किस विचारों की है? तो यह सोच कर जिस प्रकार से स्कूलें खोलने में भेदभाव किया गया उससे लोगों के बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो गया। हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे थे, कई गांवों मे ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, किसना जैसा लड़का जिसके बाप नहीं था, बकरी चराता था और लोग उसको नेकर के पैसे देते थे कि भाई, तेरे नेकर फटी हुई है, पहना दे वह आज बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। भूंडवे का लड़का अभी पूरे हिन्दुस्तान में फर्स्ट आया। ऐसी प्रतिभाएं गांवों के अन्दर हैं लेकिन आप ग्रामीण अंचल की उपेक्षा कर रहे हैं। स्कूलें नहीं खोलने से वह लड़के क्या करते हैं? पांचवीं, छठी पढ़ कर ही पढ़ाई छोड़ कर चले जाते हैं।

सभापति महोदय, यह राजीव गांधी पाठशालाएं बनायी हैं, हमारे तो कोई लड़के आई.ए.एस., आर.ए.एस. कभी बनेंगे भी

(श्री अमराराम चौधरी)

नहीं। कारण यह है कि आज़ मास्टर भी नहीं हैं। किसी गांव में कोई मास्टर है ही नहीं। राजीव गांधी पाठशाला में पढ़ने भेज दिया वहां मास्टर कहते हैं कि मेरे तो 1200 रुपये आये हैं, मैं दूसरा काम भी करूंगा, वह वहां तो आता ही नहीं है। सब्जैक्ट टीचर वहां नहीं है। साईंस का नहीं है, इंग्लिश का नहीं है, हैडमास्टर नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। कहीं कोई एक-दो है सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी तो वहां क्या है? हम इसमें खुशी मना ले लेकिन गांव के जो किसान हैं उनके बच्चों का क्या हाल हो रहा है? जात-पात की बात नहीं है या कोई एरिया की बात नहीं है, जो पिछड़े लोग है वहां पर सब साधन हो। हमारे माननीय सदस्य अमीन साहब के यहां 7 मिडल स्कूलें हुईं। मैंने कहा, हैडमास्टर कितने हैं? तो कहा कि हैडमास्टर तो नहीं लगे। अब एक मिडल स्कूल में एक लैडी टीचर और वह भी तीन महीने के लिए छुट्टी पर चली जाए डिलिवरी हो तो। वहां कोई पी.टी.आई. नहीं, कोई मास्टर नहीं फिर क्या होगा? तो आपने पहले जो स्कूलें खोलीं वहां भी यही हालत है। और आपने नये बजट में कुछ नहीं रखा। अब क्या सुधार करने जा रहे हैं वह तो आप जानो। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप इस प्रकार से काम करो कि दुनिया आपको याद करे लेकिन आप कर नहीं रहे हो।

सुराना साहब ने भी कहा कि कृषि कुण्ड बनने चाहिए। मेरा निवेदन यही है कि जब तक आप स्थाई हल नहीं ढूंढ़ोगे अकाल का, कि अकाल नहीं पड़े, जब तक आप रचनात्मक काम नहीं करोगे तब तक इस देश के अन्दर राजस्थान में अकाल पड़ते रहेंगे और उसके लिए टांकों का निर्माण, मेरा यह कहना है कि एक लाख गैलन के टांके बनाओ आप। उसका तला सीमेन्ट का बनाओ। बरसात तो खूब होती है। हालांकि अभी नहीं हुई है, आने वाले समय में होगी और ज्यादा होगी। अगर एक आदमी के पास सोलह बीघा जमीन है और वह चारों तरफ पेड़ लगायेगा, दो भैंसे रखेगा और ढाई बीघा में नींबू बोयेगा और ढाई बीघा में सब्जी बोयेगा, चारों तरफ मीठे नीम के गूंदे के पेड़, आंवले के पेड़ लगायेगा तो फिर आपको फोरेस्ट विभाग रखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप पांच लाख रुपये सब्सिडी और पांच लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाये बैंकों से। यह योजना बनाओ। और 16-16 बीघा के अन्दर इस प्रकार की एक योजना बनाकर काश्तकारों को काम देओ तो ये तो लड़के पढ़े लिखे दौड़ रहे हैं वे नौकरियों के लिए नहीं आयेंगे।

आज यूरिया और डी.ए.पी. खाद की सब्जियां मिल रही हैं। मैं कहता हूं की ऐसी सब्जी दूसरे दिन ही खराब हो जाती है, गन्दे पानी की तो उसी दिन खराब हो जाती है। जो शहर का गन्दा पानी जा रहा है उससे सब्जी पैदा होती है। आज कनाट पैलेस में एक काश्तकार आर्गेनिक खाद से तैयार की हुई भिण्डी लेकर आता है, सभापति महोदय, वह पचास रुपये किलो जा रही है। आज इस बात से चिन्तित हैं

(श्री अमराराम चौधरी)

कि हमें प्योर गेहूं मिले और प्योर सब्जी मिले। अगर यह हो जाए तो हमें डाक्टर्स रखने भी जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। यह सब प्रदूषण के कारण और प्रदूषित सब्जी खाने के कारण हम लोग बीमार हो रहे है इसलिए आप एक ऐसी योजना बनाये। मैं देखता हूं कि एग्रीकल्चर में इंजीनियर बेकार बैठे हैं, कितने पीएच.डी. किए हुए लड़के बेकार बैठे हैं उनको कोई नौकरी नहीं है। आप उनको मुरब्बा अलाट करे और वे अपनी योग्यता का जब खेत में परिचय देंगे तो उनको नौकरी की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन आप मुरब्बा अलाट करते नहीं हैं।

मेरा एक और निवेदन है। आज जगह-जगह कर्मचारी लोग है। सरकार जो वायदा करती है, यहां सहकारिता मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक के लिए समझौता जनवरी, 1999 में आपने किया था और उनके लिए कहा था कि सिर्फ बैंक सहकारी है उसी के बराबर वेतन मिलेगा। आपने उनको तो एरियर भी दे दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

अनेक माननीय सदस्य : है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं है। गिन लिया मैंने। गिनकर बता रही हूं। पूरा नहीं है। आप लीजिए। पूरा नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं है कोरम।

श्री सभापति : 17 ही रह गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको गिनती नहीं आती। दिखता नहीं है? पूरा नहीं है। कोरम नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, सत्तारुढ़ पार्टी के लोग कितने गम्भीर हैं, अपने द्वारा रखे गये बजट पर कितने गम्भीर हैं। आप देखिए। 153, 154, 155 में से कितने लोग हैं। (व्यवधान) हाथ उठाने से नहीं चलेगा। +++ आप लोग गम्भीर नहीं है।

श्री अरुण सिंह : कोरम नहीं है (व्यवधान)

(कोरम घंटी)

श्री अमराराम चौधरी : सभापति महोदय, केन्द्रीय सहकारी बैंक जो हैं उनके लिए आपने जो समझौते किये थे उन समझौतों के बारे में आप नये सिरे से क्या करने जा रहे हैं। आपका रजिस्ट्रार है। जब एक बार फैसला हो चुका और आपने सिर्फ बैंक वालों के एरियर तक भी दे दिया तो फिर उनके लिए दोहरी नीति क्यों? मेरा निवेदन है कि आप ऐसे कर्मचारी रखते हैं, ग्रामीण सेवा करते हैं, उनका समझौता हुआ है उनको उनके समान वेतन देना चाहिए नहीं तो आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। मैं समझता हूं आप जैसे सहकारिता मंत्री और अब तो आप फुल फ्लेश स्टेट से बन गये हो तो फिर आपको इनका फैसला तुरन्त कर देना चाहिए।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अमराराम चौधरी)

मेरा एक निवेदन आपसे और भी है। आज कितने ही बेरोजगार दर-दर भटक रहे हैं। जब से मैं विधान सभा में आया हूं, मैंने हमेशा यही निवेदन किया है कि बेरोजगारी मिटानी है और अपना फण्ड बढ़ाना है। इसके लिए आप जब भर्ती करें तो उसकी छह महीने की आधी तनखाह की एफ.डी. करो। मास्टर भर्ती करो कोई बात नहीं। बारह सौ रुपये क्यों पांच हजार रुपये दो और पांच हजार रुपये में से ढाई हजार रुपये बैंक में छह महीने के लिए उसके जमा कराते रहो ताकि वह जब रिटायर होगा तब उसको वह मिलेगा। नहीं तो रिश्वत खानी पड़ेगी उसको कांस्टेबल को और मास्टर को दूसरा कोई काम करना पड़ेगा और उसके तीस साल की सर्विस के बाद लाखों रुपये ब्याज के उसको मिल जाएंगे और देश के विकास के अन्दर इस प्रान्त के विकास के अन्दर वह पैसा काम आयेगा। लेकिन ऐसी योजनाओं को आप लेते नहीं। आप तो 1200 रुपये देकर, आप 1600 कर दोगे, 1400 कर दोगे उससे होने वाला नहीं है। वह एक पेंट.ही नहीं पहन सकता। (व्यवधान) आपकी जैसी पेंट शायद दो हजार रुपये में देते है। मेरा निवेदन है कि जब कई लोग एक ड्रेस में दो-दो हजार रुपये खर्चे कर रहे है तो उसका पतलून बनाने में भी खर्चा होगा फिर उसकी बीवी आ गयी।

आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आप भयंकर अकाल मानते है पश्चिमी क्षेत्र में और वहां के जो लड़के हैं 50-50 हजार रुपये देकर कर्जा लेकर उन्होंने बी.एड. किया है। आज बेरोजगार डोल रहे हैं। हमने स्कूल्स खोलीं लेकिन खोलने के बाद अब लोगों ने पढ़ाना बन्द कर दिया। आप तो साक्षरता पर लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। इस प्रकार की कई योजनाएं आपकी चल रही हैं। पहले प्राइमरी स्कूल्स काफी थे। यह सारा पैसा आपने लगाया लेकिन इसका लाभ मिल रहा है या नहीं? एक्चुअल में जाकर देखा जाए तो वहां पर बहुत खराब हालत है।

फेमिन के अन्दर निवेदन करना चाहता हूं। बाड़मेर के अन्दर अर्थ वर्क, मैटीरियल का पैसा आप दे नहीं रहे हो। अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे यहां मैटीरियल के इतने पैसे हो गये 25 प्रतिशत में। मेरे एक दो क्षेत्र हैं जहां मुरड़ मिल जाएगा। हर जगह तो मुरड़ मिलेगा नहीं और कई वर्षों से बैठे हुए थे कि हमारे प्लान में तो सड़कें आती नहीं। हमें पानी ढाणी में पहुंचाना है। पानी पहुंचाने के लिए हमें सड़कें चाहिए लेकिन मैटीरियल आप देते नहीं हैं फिर क्या है अर्थ वर्क। हमारे यहां अगर रेत इधर से ऊधर डाली तो वह तो उड़ जाएगी। आंधी चलती है। अभी थोड़े दिन पहले भी आंधी शुरू हो गयी थी वापस सर्दी आ गयी तो यह हालत है। मैं यह अर्ज कर रहा हूं।

दूसरा, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विभाग से जो बीज वगैरह दिये जाते हैं। अरण्डी का बीज दिया है वे फर्जी बीज दिये जा रहे हैं बीज निगम की तरफ से। उनसे पैदा ही नहीं होता। काश्तकारों का लाखों रुपये का नुकसान उस बीज ने कर दिया। इस प्रकार से फर्जी बीज देते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री अमराराम चौधरी)

बस अब संक्षेप में ही मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस बजट के अन्दर कोई भी जिला वगैरह नहीं रखा गया है। नये जिले के बारे में, ब्यावर के बारे में यह कह रहे थे हमारे चौधरी साहब यहां बैठे हुए कि ब्यावर में जिला बनेगा, बालोतरा की जिले की बहुत मांग है। बालोतरा तो जूडिशियरी का जिला आज का नहीं है, हिन्दुस्तान आजाद हुआ तभी से जूडिशियरी का जिला है, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है और वह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर जूडिशियरी का है तो सारे आफिसेज वहां हैं। रीको का आफिस वहां है, एक्स.ईएन. आफिस वहां है, आर.एस.ई.बी. का आफिस वहां है, सारे हैं और भौगोलिक दृष्टि से भी आज 28 हजार वर्ग किलोमीटर के अन्दर मेरा निवेदन है कि पूरा बाड़मेर है तो बालोतरा को आप इस बजट के दौरान जिला घोषित कराने की कृपा करावें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप मंत्री रहे थे उस वक्त करवा देते ना।

श्री अमराराम चौधरी : मेरा निवेदन यह है कि करौली में मेरे भाई पहले गये इसलिए उनका बन गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप मंत्री रहे थे तब करवाते।

श्री अमराराम चौधरी : छह महीने में क्या करते, अब आप करवा दो। आप हमारे साथी हो ना। आपको अगर मेरे प्रति सहानुभूति है, आप साथी हो, साढ़े तीन साल तो आपके साथ ही रहे हैं अगर सहानुभूति है तो आप रखवाओ बजट में।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको आपके प्रति सहानुभूति नहीं थी क्या?

श्री अमराराम चौधरी : है, कैसे छह महीने में यह क्या करते। हमारे महिला कालेज हुई छह महीने के अन्दर जो करना था वह किया लेकिन मैं आपको निवेदन कर रहा हूं अगर आप करोगे तो वाहवाही ले लोगे। आप ही करो ना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हरेक तहसील तहसील हैडक्वार्टर को आपने सब डिवीजनल हैडक्वार्टर बना ही दिया। अब हरेक डिस्ट्रिक्ट हैड्क्वार्टर बना दो। आप तो जोशी जी हर तहसील को जिला बना दो।

श्री सी. पी. जोशी : (व्यवधान) जिला बनाया मंत्री नहीं बने, यह मंत्री नहीं बनते जिला बना देते। काहे को मंत्री बने हैं?

श्री अमराराम चौधरी : दो चार महीने में नहीं, आप पांच साल से लगातार हो। कुछ न कुछ दो स्कूलें तो खोलते आप यूं बातें कर रहे हो। आप भी तो कुछ करते देवता सी.पी. जोशी साहब, 1980 के अन्दर हमारे साथ आए हो, अब आप पच्चीस हैण्ड पम्प कर देना। और आपसे निवेदन है आप यह कह रहे हो तो पच्चीस तो हैण्ड पम्प करो, कायलाना का पानी बालोतरा पहुंचाओ, खारा हो गया, प्रदूषित हो गया। यह करो आप। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री अरुण सिंह जी।

श्री अरुण सिंह (डीग) **:** सभापति महोदय, मैं बजट 2003-2004 का तीव्र विरोध करता हूं। सभापति महोदय, कम से

(श्री अरुण सिंह)

कम वित्त मंत्री तो उपस्थित होने चाहिए। यह बजट हमारा जो पूर्वी राजस्थान है, यहां चार पांच जिले हैं। यह बजट भाषण, इस किताब में इन जिलों का नाम ही नहीं है। भरतपुर की जो सिंचाई प्रणाली है वह विश्व में मशहूर थी पर उस सिंचाई प्रणाली के लिए वह सिस्टम, स्वागत है वित्त मंत्री साहब। हमारा जो सिंचाई सिस्टम था, एक यूनिक सिस्टम था पर राजस्थान का सारा जो पैसा अलाट होता है सिंचाई विभाग का वह गंग कैनाल पर जाता है, इन्दिरा गांधी कैनाल पर जाता है। हमारा भी एक बहुत पुराना सिस्टम है स्टेट टाइम का और बाबू राजबहादुर जो पूर्व केन्द्रीय मंत्री थे उन्होंने गुडगांव कैनाल की योजना स्वीकृत की। भरतपुर जिले में जो जमुना के पानी को हमारे प्यासे जिले में लाने का माननीय

(16.25 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

वित्त मंत्री ने इस गुडगांव कैनाल प्रोजेक्ट में सवा एक करोड़ रुपया दिया। केन्द्रीय सरकार बधाई की पात्र हैं, भैरोंसिंह बधाई के पात्र हैं और श्रीमती कमला, जो सिंचाई मंत्री हैं और उप मुख्य मंत्री हैं, उनके प्रयासों से यह हमारा यमुना अन्तराज्यीय समझौते का जो केन्द्रीय सरकार ने 175 करोड़ मंजूर किया है। मैं उन तीनों को बधाई देता हूं तो कम से कम इस सिस्टम के लिए वित्त मंत्री जी आप कुछ और पैसा तो दिलवाओ।

माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री यहां उपस्थित हैं। इनको मैं इतनी बधाई नहीं देता हूं। बहुत हार्ड वर्किंग मंत्री हैं पर इनका जो सैक्रेटरी है आर.के. मीणा, उनको बधाई देता हूं कि वह हमारे जिले के लिए मेहनत भी करते हैं। बृज क्षेत्र के हैं टोडाभीम के और मुझे आशा है डाक्टर सी.पी. जोशी साहब, मेरे यहां भरतपुर जिले में एक चम्बल योजना आप लोगों ने स्वीकार की। यह तो स्वर्गीय यदुनाथ सिंह की एक बहुत पुरानी मांग थी। आपकी इस सरकार ने इसमें पैसा दिया। पर इस योजना को इम्पलीमेंट करने के लिए एक एडीशनल चीफ इंजीनियर की पोस्ट भरतुपर जिले में माननीय वित्त मंत्री जी आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। पैसा तो यह देंगे।

डा. सी.पी. जोशी : प्रस्ताव मैं नहीं दूंगा।

श्री अरुण सिंह : भरतपुर जिले में एक मेवात बोर्ड है पर मुझे बहुत दुःख है वित्त मंत्री जी, छह जिले आते हैं मेवात बोर्ड में। मेरा डीग भी आता है और आपने इस साल बजट में कटौती की, एक करोड़ की कटौती की, मेवों के साथ और मेवात के साथ। आपके एक साथी कलिग श्री चौधरी तैय्यब हुसैन के साथ एक धोखाधड़ी की थी, एक अन्याय था। आपने एक डांग विकास बोर्ड, आपका क्षेत्र भी आता है उसमें, उसको खतम ही कर दिया। एक करोड़ रुपया बयाना, धौलपुर, बाड़ी, करौली, डांग क्षेत्र को पैसा आता था वह समाप्त ही कर दिया। पैदा हुए आप पूर्वी राजस्थान में और आप हमारे क्षेत्र को समाप्त ही कर रहे हैं क्योंकि महल तो यहां आपका बन गया आगरा में और जयपुर में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तो भरतपुर में एक कोठी दे दो। मैं वहां रह जाऊंगा।

श्री अरुण सिंह : आ जाओ। मेरे पास तो खुद के पास मकान नहीं है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : इनके पास खुद के पास मकान नहीं है, यह तो सर्कट हाउस में रहते हैं।

श्री अरुण सिंह : पर्यटन के लिए मैं जरूर आपको बधाई देता हूं। पर्यटन राजस्थान के लिए और राजस्थान की इकोनोमी के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है। आपनें दस से तेरह करोड़ रुपये का प्रावधान किया पर मेरी एक मांग है, हमारी भी एक बृज संस्कृति है, एक बृज सर्कट, हमारे डीग के महल आ जाएंगे, घना आ जाएगा, सरिस्का आ जाएगा, फतेहपुर सीकरी आ जाएगा, बंध बारेठा आ जाएगा, आपके धौलपुर क्षेत्र में भी बहुत सुन्दर सुन्दर स्थान हैं, एक बृज सर्कट के लिये भी आप पर्यटन मंत्री से कह कर कुछ घोषणा तो करवाओ।

फोरेस्ट के क्षेत्र में जो नेगलेक्ट हुआ है अशोक गहलोत के राज में नेशनल पार्क जैसे हमारा घना है, वहां चिड़िया नहीं है, वहां तो पन्द्रह हजार गाय बैठी हुई हैं और चर रही हैं। अशोक गहलोत की और भरतपुर की, वन मंत्रीजी जब भरतपुर पहुंची वह भी वहीं बेहोश हो गयीं। एक पंछी नहीं है, वहां पन्द्रह हजार गाय..(व्यवधान) बैल भी हैं, पन्द्रह हजार उस बर्ड सैंक्चुअरी को नष्ट कर रही थीं। अलवर में सरिस्का..(व्यवधान) बेहोश ही हो गयी...

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपके होते हुए?

श्री अरुण सिंह : माननीय वित्त मंत्रीजी, आपके मुख्य मंत्री तो भले इन्सान हैं मैं भी कहता हूं। आपके मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत एक भले इन्सान हैं पर वह भी एक जादूगर हैं। वह ऐसा जादूगर है कि 156 हो गये, यह दो तीन और तोड़ लिये। इस प्रचण्ड बहुमत में कैसे वह सबको सेटिस फाई करें? गाड़ी घोड़े दे दिये, झण्डे दे दिये, पर राज मंत्रियों के नहीं, आई.ए.एस. की चलती है, ब्यूरोक्रेट्स की चलती है...(व्यवधान) हां मेरा मित्र वित्त सचिव है कौरानी साहब। पर आपकी नहीं चलती है, कौरानी की चलती। सी.पी. जोशी साहब का सचिव श्री रामखिलाड़ी मीणा, हमारे बृज का है, तो हमारा तो ध्यान रखता है। पी.डब्ल्यू.डी. सैक्रेटरी is one of the most +++ राजस्थान में हरेन्द्र मिर्धा की भी नहीं चलती है। हरेन्द्र मिर्धा की नहीं चलती है। हां, परसादीलाल मीणा..(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उषा शर्मा की चलती है।

श्री अरुण सिंह : Mr. Prasadi Lal is one of the most honest Minister. मैं इनकी तारीफ करता हूं। पर सहकारिता के चुनाव भी नहीं करा सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा मैं बारह साल से इस हाउस का सदस्य हूं, इनका भी राज देखा है। +++ पर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय के लिये ऐसी टिप्पणी...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री केसाराम चौधरी : कार्यवाही से निकाला जाए यह शब्द।

श्री सभापति : एक्सपंज हो गया। एक्सपंज हो गया है...(व्यवधान) निकाल दिया है।

श्री अरुण सिंह : माननीय राजेन्द्र सिंहजी, अशोक गहलोत ने अब केवल एक +++

श्री केसाराम चौधरी : अशोक गहलोत ईमानदार है क्या?

श्री सभापति : हो गया, हो गया। विराजिये। एक्सपंज कर दिया गया है। अब बिराजो।

श्री अरुण सिंह : अब अशोक गहलोत पर आ जाओ। अशोक गहलोत साहब आज की तारीख में झूठ बोलने में भैंरोसिंह ठाकुर से भी आगे हैं...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : इसको भी एक्सपंज कराइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : +++ असंसदीय है, इसको निकाला जाए। मुख्य मंत्री के लिये कहा है, माननीय सभापति महोदय, अब हंसी मजाक की बहुत बात हो गयी... (व्यवधान) This should be expunged.

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषा पर संयम रखिये। यह सदन है, इस तरह से बात नहीं करते हैं यहां। एक्सपंज कर दीजिये।

श्री अरुण सिंह : माननीय सभापतिजी, मैं क्षमा मांगू...

श्री सभापति : क्षमा मांगों कि नहीं मांगों, पर आइन्दा ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो।

श्री अरुण सिंह : आइन्दा और अब यह तो हमारा लास्ट टर्न है, क्या पता है जीतें दुबारा...(व्यवधान) मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री सी. पी. जोशी : क्षमा मांग ली है, बोलने दे।

श्री सभापति : रिकार्ड में नहीं रहेगा यह। रिकार्ड में तो नहीं रहेगा। बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं, बोलने में क्या दिक्कत है।

श्री अरुण सिंह : क्षमा चाहता हूं इस पर।

श्री सभापति : हां, बोलिये।

श्री अरुण सिंह : तो वित्त मंत्री भी बैठे हैं और मंत्री भी बैठे हैं, यह जो नौकरशाही है, इस नौकरशाही को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग लेनी चाहिये बहन श्रीमती मायावती से। उत्तर प्रदेश में आप लोग डैपुटेशन पर जाओ और सीखों श्रीमती मायावती किस तरीके से इन आई.ए.एस. को ठीक करती हैं...

श्री राजेन्द्र चौधरी : श्रीमती नहीं हैं।

श्री अरुण सिंह : बहन जी।

एक माननीय सदस्य : बहन जी दूसरी..

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : +++

श्री अरुण सिंह : कर सकते हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : +++

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अरुण सिंह : +++ गठबन्धन है तो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अभी तो कह रहे हो आप उसे..

श्री अरुण सिंह : वित्त मंत्री महोदय, अन्त में मुझे आपसे अनुरोध करना है..

श्री सभापति : विराजिये... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह सदन है, यहां कोई +++ की बातचीत नहीं करें...

श्री सभापति : नहीं, नहीं कर सके... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर आप कह रहे हैं, स्पष्ट करो आप।

श्री सभापति : +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्पष्ट करो आप, यह पहली घोषणा है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : +++

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने लगा रखी है क्या?

श्री सभापति : माननीय रामू...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं स्पष्ट करें, साहब इन्होंने वास्तव में प्रस्ताव भेज रखा है क्या?

श्री सभापति : विराजिये।

श्री अरुण सिंह : +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभी तो बहनजी कहा मायावतीजी को, +++

श्री सभापति : आप बैठिये। अब समाप्त करें।

श्री अरुण सिंह : एक अनुरोध और है वित्त मंत्रीजी, कि भरतपुर को डिवीजनल हैडक्वार्टर बनवाओ..

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह भी एक्सपंज करा दीजिये।

श्री सभापति : इसको भी एक्सपंज कर दें।

श्री अरुण सिंह : भरतपुर जिले को हैडक्वार्टर बनवाओ और डीग को एक अलग जिला बनवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : विराजिये। श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, किसी भी राज्य का बजट केवल खर्चे का ब्यौरा मात्र नहीं होता है, उसमें जनता की आशाएं और आकांक्षाएं प्रतिबिम्बित होती हैं। इस बार के राजस्थान के बजट में जनता की कोई आशा और आकांक्षा हमें नजर नहीं आई। मैं यह बात इसलिए कह रही हूं कि फूटी कौड़ी तो आपके पास है नहीं, डवलपमेंट का खर्चा कहां से होगा।

मैं आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगी कि सच पूछिये तो ऐसे बजट की अब कोई रेलेवेंसी नहीं रह गयी है, ऐसा प्रतीत होता है। एक वर्ष का 4793 करोड़

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

रुपया ब्याज के रूप में हमें चुकाना है। राजस्व बढ़ा नहीं सकते हैं, खर्चे में कमी नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे यह बताइये कि चार साल से लगातार पड़ते हुए अकाल और फिर वेतन आयोग ने तो आपकी कमर तोड़ कर रख दी। उस हालात के अन्दर जैसे तैसे आपने यह बजट पेश किया है। उसमें इस जनता को कोई भी आशा और उम्मीद नहीं नजर आ रही है। रोजगार की कोई व्यवस्था आपने अपने बजट भाषण में की नहीं। आने वाली गर्मियों में पानी का संकट इस तरह से खड़ा हो जाएगा त्राहि-त्राहि मच जाएगी।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रही हूं कि आपका गैर विकास व्यय तो बढ़ता जा रहा है और आपका विकास व्यय घटता जा रहा है। 1999-2000 के हमको जो आंकड़े आपने उपलब्ध कराए उसके मुताबिक विकास व्यय उस समय पूरे बजट का 57.55 हुआ करता था और 2001-2002 में यह रह गया 56.14, जो यह दर्शाता है कि यह आर्थिक दृष्टिकोण से बीमार राज्य है। मैं इसलिए यह आपको निवेदन करना चाहूंगी कि आपका जो कैपीटल आउटले है एक्सपेंडिचर का वह वन फोर्थ है, 24 परसेंट है। कैपीटल एक्सपेंडिचर तो आपका 11400 है और कैपीटल आउटले 3444, हो गया न वन फोर्थ और एक साल के अन्दर आपको 8 हजार करोड़ रुपये कर्ज का चुकाना पड़ता है। इसमें ब्याज एवं आपकी उधारी जो आप उधार देते हैं, जो कर्जे का ब्याज के रूप में चुकाते हो वह सब मिलाकर 8 हजार के करीब हो जाता है और रेवेन्यू डेफिसिट जो होनी चाहिए वह कैपीटल आउटले से बहुत कम होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आर्थिक रूप से यह राज्य एक बीमार राज्य है।

आपने अपने बजट के अन्दर पूंजीपतियों को, सिनेमा मालिकों को और होटिलियर्स को और जो मल्टीप्लैक्स बिल्डिंग्स हैं इनको छूट दे दी भूमि और भवन कर के अन्दर। हमारे जैसा साधारण आदमी उसने तो वन टाइम अपना भवन और भूमि कर चुका दिया, मैं सब लोगों से बात करती हूं तो सब लोग मुझे यही कहते हैं कि रोज-रोज की परेशानी में कौन पड़ेगा इसलिए हमने तो चुका दिया। लेकिन इस का फायदा कौन उठायेगा, यह 28 करोड़ रुपया जो आप इस गरीब जनता की जेब से निकालेंगे, उन्हीं से तो निकालेंगे तब इनको छूट दी है 28 करोड़ की छूट, इनको आपने दी किस के बलबूते पर दी है। उन चार साल से लगातार अकाल की विभीषिका से जूझते हुए लोगों की जेब से आप 28 करोड़ रुपया निकालेंगे। उन्हीं की जेब से निकालेंगे यह पैसा तो।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि पूंजीपतियों को, सिनेमा मालिकों इनको तो दिया और बाकी चार साल से अकाल पीड़ितों को आपने क्या दिया? ऊर्जा के अन्दर आपने 1146 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है खर्च करने का और अलग-अलग उसका बताया है कि इतना तो हम जनरेशन पर खर्च करेंगे इतना तो प्रसारण तंत्र में करेंगे, इतना हम करेंगे

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

नये कनेक्शन देने में यह बताया है कि 146 करोड़ रुपया आप खर्च करेंगे ग्रामीण इलाकों में और उसमें आपने अपना 500 का टारगेट तो बता दिया गांवों के विद्युतीकरण का, और 150 हरिजन बस्तियों को आप कनेक्शन देंगे और 15 हजार बताये हैं कुटीर ज्योति के कनेक्शन। और हर बार, हर बजट के अन्दर कूपों के ऊर्जीकरण के टारगेट आया करते थे, यह पहली बार है कि आपने कृषि हेतु कुओं के ऊर्जीकरण का कोई टारगेट फिक्स नहीं किया है और कृषि हेतु कनेक्शन की न कोई नीति बनायी है। पिछले चार साल में लगातार आपने कृषि के कनेक्शन देने के बारे में अपनी कोई नीति नहीं बनायी। मैं पूर्व में भी कह चुकी हूं फिर दोहराना चाहती हूं कि...

डा. चन्द्रभान : हर बार टारगेट नहीं देते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पूर्व ऊर्जा मंत्री जी, यदि आप चुपचाप रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बीच-बीच में आपकी बात सुनाई देती है।

डा. चन्द्रभान : आप मैडम ऐसा कह रही हैं जैसे कोई कनेक्शन दिये ही नहीं हों। इस सरकार ने चार साल में एक लाख एग्रीकल्चर कनेक्शन दिये हैं और अभी भी 30 हजार कनेक्शन पैंडिंग हैं वह सरकार देगी। हर बजट में नहीं आता है, कई बार बजट में आ जाता है। यह कुओं का ऊर्जीकरण हर बजट में नहीं आता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब आप बिराजें तो ज्यादा अच्छा होगा।

डा. चन्द्रभान : यह कह रही हैं कि दिये ही नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह सक्षम हैं सब बातों का जवाब देने में। वित्त मंत्री जी सक्षम हैं और वह सब बातों का जवाब देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इन्होंने दे दिया बात का जवाब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं कहूंगी, क्या जवाब देंगे, यह बात तो मेरी पूरी आने दीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजें, माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन यह कर रही थी कि इन्होंने दिये होंगे लाख कनेक्शन, मैं नहीं कहती दिये होंगे, लाख से भी ज्यादा दे दिये होंगे। लेकिन कोई नीति नहीं बनायी। केवल स्पेशल कनेक्शन, कभी चारे के नाम पर, कभी नर्सरी के नाम पर और कभी चोर के नाम पर आपने दिये होंगे। लेकिन साधारण आदमी का 1990 का, आई चैलेंज, मैं आपको चैलेंज करती हूं पूर्व ऊर्जा मंत्री जी, 1990 के 30 मार्च से पहले तक जिसने एप्लीकेशन दे रखी है ऐसा काश्तकार मेरे गांव में आज भी कनेक्शन के लिये इन्तजार में है।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, यह बार-बार मुझे इंगित कर रही हैं, जितने एक लाख कनेक्शन दिये गये हैं इनमें से 60 से 65 प्रतिशत जनरल कैटेगरी के हैं, 30 से 35 प्रतिशत कैटेगरी के हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई जनरल कैटेगरी के नहीं हैं, सारे स्पेशल कैटेगरी के हैं। यह अन्याय हुआ है।

डा. चन्द्रभान : अब आप देख लें..(व्यवधान) आपके कहने से क्या होता है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं चैलेंज कर रही हूं न, मैं चैलेंज कर रही हूं।

डा. चन्द्रभान : हां, करें।

एक माननीय सदस्य : यह अथोरिटी है।

श्री सभापति : आप अपनी बात कहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप यूं करेंगे तब तो कोई बात नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य : आप अपनी बात कहे।

श्री सभापति : इनको इंगित क्यों करो, आप अपनी बात कहे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही हूं कि दिये होंगे एक लाख कनेक्शन, मैं कह रही हूं कि एक लाख कनेक्शन स्पेशल स्कीम के अन्दर दिये है। 1990 से 30 मार्च से पहले का साधारण कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का एक व्यक्ति मेरे अपने गांव के अन्दर बैठा हुआ है, जिसको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ऐसे में कैसे माने इस बात को।

डा. चन्द्रभान : हो सकता है, 12-13 साल से भी पैंडिंग है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज 13 वर्ष हो गये, जनरल कैटेगरी का नम्बर ही नहीं आ रहा है और यह ज्यादती और कि शर्त लगायी गयी थी उस समय कि दो साल बाद यह नर्सरी के कनेक्शन इनको हम साधारण कैटेगरी, साधारण टैरिफ में ले आयेंगे, आज दिन तक नहीं आये।

डा. चन्द्रभान : नर्सरी वाले तो आ गये सब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं आये, अभी भी नहीं आये हैं।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, ऐसा है इंटरवीन करते हैं तो अदरवाइज लगता है। नर्सरी के जितने कनेक्शन थे वह सब जनरल हो गये। स्पेशल कैटेगरी के जो हैं वह समयानुसार जनरल हो जायेंगे। और कोई पैंडिंग है तो कर दिये जायेंगे। दो साल जिसको हो गये उसको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दो साल का समय दिया गया था। दो साल बीत गये लेकिन नहीं हुआ है।

डा. चन्द्रभान : नहीं, हो गये सब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज दिन तक नहीं हुआ है। जगह-जगह से मांग उठ रही है।

श्री सभापति : बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी : सही कह रही हैं, बिजली के बारे में बिलकुल ठीक कह रही हैं।

डा. चन्द्रभान : तो कर देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगी। यह अननेसेसरी इंवाइट करते हैं ट्रबल अपनी, क्यों करते हैं ऐसा मेरी समझ में नहीं आता,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

चुपचाप बैठे-बैठे सुने। आप तो ऊर्जा मंत्री हो नहीं, जो कोई ऊर्जा मंत्री है वह जवाब देंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्रोटेक्शन पूरा है, आप इनको इंगित न करें, आसन की तरफ कहे, आपको पूरा प्रोटेक्शन है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, सदन में यह सबसे खूबसूरत आदमी हैं इसलिए निगाह चली जाती है, सदन के सबसे खूबसूरत आदमी है इसलिए मेरी निगाह चली जाती है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, आप आसन पर बिराजे हुए हैं, आप झुंझुनूं के हैं, आप पूर्व ऊर्जा मंत्री रही हुई है, आप झुन्झुनूं से हैं, पूर्व ऊर्जा मंत्री झुंझुनूं से है, वर्तमान ऊर्जा मंत्री झुंझुनूं से हैं, यह झुंझूनूं का चक्कर है सब।

श्री सभापति : आप भी हमसे अलग नहीं हो, आप भी हममें शामिल हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने ऊर्जा मंत्री को गिना दिया लेकिन आसन पर बैठे हुए माननीय सभापति महोदय को नहीं गिनाया।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय सदस्या, मैंने सबसे पहले उन्हीं को सम्बोधित किया कि आप झुंझुनूं से हैं, मैंने यह कहा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि हर बार के बजट के अन्दर कृषि हेतु कुओं के कनेक्शन के टारगेट आते हैं, कभी 25 हजार, कभी तीस हजार लेकिन इस बार 15441 ही कर दिया, कभी 30 हजार लेकिन कभी भी 20 हजार से कम आज दिन तक टारगेट कम नहीं आये। आठ बार तो मुझे यहां बैठते-बैठते हो गये। हमेशा आता है। हर बजट के अन्दर आता है टारगेट। मगर इस बार टारगेट नहीं आये तो क्या यह मानकर चला जाये कि न तो कभी सरकार ने कृषि हेतु कुओं को कनेक्शन देने की नीति बनाई है और न कोई टारगेट है। क्या यह मानकर चला जाये। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि राजस्थान इंफैंट मोर्टेलिटी के अन्दर यह आपके दिये हुए ही आंकड़े हैं, आपका नम्बर 17 स्टेट्स के अन्दर 13वां आता है, सबसे ज्यादा इंफेंटाइल मोर्टेलिटी तो है उड़ीसा की, फिर मध्य प्रदेश की, फिर उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान। मैं यह बात इसलिए कह रही हूं कि इस बारे में हम जब तक नही सोचेंगे, हम केवल आबादी को कम करने की बात करें और इंफेट मोर्टेलिटी के बारे में नहीं सोचे, उसे कम नहीं करें तो यह भी किसी भी कल्याणकारी स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। हमको यह भी सोचना चाहिए कि जब हम एक तरफ बात करते हैं आबादी के नियंत्रण की तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो आया है, जो पैदा हुआ है वह अपना जीवन भी पूरा करे और उसकी औसत आयु भी ठीक से हो। यह हमारे राज्य की जिम्मेदारी होती है। इन सब बातों के ऊपर भी आपको सोचना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों के मामले में बड़े गर्व के साथ यह कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने 600 करोड़ रुपये खर्च करके इलाकों के अन्दर 3-3 करोड़ रुपये की सड़कों का

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उन्नयन किया, उनको ठीक बनाया। मैं तो खैर उन बदनसीब लोगों में से हूं जिसके यहां 120 किलोमीटर नहीं बनी है, मेरे तो केवल 80 किलोमीटर बनी है। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन कर रही हूं कि आपका स्थान सड़कों में भी पन्द्रहवां है, आप कितना ही गर्व करें कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया। आज भी सत्रह स्टेट्स में आप ऊपर से पन्द्रहवें नम्बर पर हैं, नीचे से दूसरे नम्बर पर हैं। इसलिए अभी इन सब बातों के बारे में बहुत कुछ करने की और भी आवश्यकता है। यही नहीं समझ लें कि हमने बहुत कुछ कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन कर रही थी कि जो कुछ आपने पूर्व वर्षों में खर्च किया है, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपके गैर विकास में जो व्यय हुआ है 2001-2002 में वह था 7,88,168 रुपये और आपने अब उसको कम करके कर दिया है 8,50,905 रुपये। खैर, यह तो ठीक बात है कि गैर विकास के ऊपर आपका जो व्यय हुआ है वह कम हुआ है लेकिन विकास के लिए भी आपका कम हो गया है। विकास में भी आपका पूर्व के मुकाबले कम हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सकल घरेलू उत्पादन में राजस्थान फिर सत्रह में से बारहवें नम्बर पर है। 2001-2002 में हमारा सकल घरेलू उत्पादन था 89,72,762 रुपये और घटकर 2002-2003 में हो गया 87,37,175 रुपये, मतलब 89 से हमारा 2 लाख के आसपास कम हो गया। उसी तरह से पर कैपिटा इनकम भी हमारी कम हो गई, 2001-2002 में हमारी जो पर कैपिटा इनकम करेंट प्राइसेस पर 13,825 रुपये थी वह घटकर 13,066 रुपये हो गई। हमारी पर कैपिटा इनकम की हालत। औद्योगिक घरेलू उत्पादन भी हमारा घट गया। औद्योगिक घरेलू उत्पाद जो हमारा पहले था 50,561,293 वह घटकर रह गया 46,66,602 प्रति व्यक्ति आय, इंडेक्स प्राइस पर 8819 के बजाय अब हमारी हो गई 7930 रुपये। इन हालात में यह कैसे माना जा सकता है, जो कुछ मैंने आपको ब्यौरा दिया कि इस बजट में कहीं कुछ भी हमने पिछले चार सालों में कोई प्रोग्रेस की राजस्थान में या हम जनता को किसी तरह का विश्वास दिला सकते हैं कि हम जनता के लिए कुछ करेंगे और हम आर्थिक तौर से बेहतर होंगे।

सही बात तो यह है कि यह जो बजट पेश हुआ है, इस पर चुनाव की छाया है और उस चुनावी छाया में आपने टैक्स नहीं लगाए हैं, लेकिन गरीब को आपने कोई राहत भी नहीं दी है। टैक्स आपने लगाए, छूट दी है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों को, सिनेमा मालिकों को, होटेलियर्स को, इनको तो आपने छूट दी है लेकिन मैं आपको एक राजधर्म की बात बताती हूं। राजा को क्या करना चाहिए, जिसके पास कुछ है, उससे लेकर जिस गरीब के पास कुछ नहीं है, जिसको आवश्यकता है उसे देने की आवश्यकता है, उसे देना चाहिए लेकिन आपने तो कुछ वह किया नहीं है। चार साल से अकाल पीड़ित किसान को मारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, खाद की कीमतें

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बढ़ाईं, डीजल की कीमतें बढ़ाईं, आपके लिए जरूरी था कि उन हालात के अन्दर आप मरहम पट्टी करते किसान की और कुछ रिलीफ आप उसे देते लेकिन आपने तो उसे नजरअंदाज कर दिया।

आपका जो ग्रामीण विकास का पैसा है, उसमें भी आपने कटौती कर दी। जो पिछली बार ग्रामीण विकास का पैसा था, इस बार आपका प्रावधान उससे कम है। माननीय वित्त मंत्रीजी, आपका धर्म था कि जिस प्रकार से सूर्य भगवान अपनी तेज किरणों से, अपनी प्रचण्ड किरणों से समुद्र का पानी सोखते हैं, समुद्र का पानी भाप के जरिये ऊपर बादलों में उड़ाते हैं, फिर उस जगह पर बरसते हैं मीठा बनाकर, खारा पानी उड़ाते हैं, खारे पानी को उठाकर मीठा बनाकर उस जगह, जहां मरू प्रदेश है, जहां आवश्यकता है, वहां पर पानी बरसाते हैं। तो आपका भी फर्ज था वित्त मंत्री के नाते कि आप उन जेबों से कुछ निकालते जिनकी हैसियत थी और उनको देते जिनको वास्तव में आवश्यकता थी। 26 से लेकर 30 प्रतिशत आबादी जो बी.पी.एल. है, बिलो पावर्टी लाइन है, उनको आपको रिलीफ देनी चाहिए थी, उनकी बहबूदी के लिए आपको कुछ न कुछ करना चाहिए था, उनको केवल भगवान भरोसे और केवल भारत सरकार के भरोसे छोड़ना आपका धर्म नहीं था। आपने तो कह दिया केवल 15 रुपये नकद के आधार पर, आपने अकाल राहत में मजदूरी दे रहे हैं, 10 दिन आप मजदूरी देते हैं। मुझे आप बताइए कि 10 दिन की मजदूरी पर वह बी.पी.एल. परिवार का व्यक्ति कैसे अपना जीवन यापन कर सकता है, जिसके घर में 10 प्राणी हों, उनके लिए आपको सोचना चाहिए था लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने तो वही किया छूट दी, किसको दी पूंजीपतियों को, साधन सम्पन्न लोगों को। केवल विकास के नाम पर, विकास के नाम पर न आपने कोई स्कूल खोला? खैर, हमारे तो आप खोलते नहीं, कोई बात नहीं लेकिन राजस्थान का तो विकास होता, हमारे इलाके में नहीं होता तो न सही लेकिन बाकी जग्रह तो होता। न आपने विकास का कोई काम किया, न स्कूल खोले न आपने हास्पिटल खोले। हां, इस बात के लिए तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि कम से कम आपने इतना तो किया कि स्कूल खोल दिए और टीचर्स नहीं हो तो कम से कम अब मैं वहां पर सोचती हूं कि आप टीचर्स तो भेजेंगे वहां, उन हास्पिटल्स को जिनको आपने खोला, उनमें कुछ सुविधाएं आपने बढ़ाने की बात कही है। यह तो खैर, अच्छा है। आपने अच्छा काम किया है, करना चाहिए था। इन्हीं शब्दों के साथ, इन परिस्थितियों में जिस प्रकार का बजट आपने पेश किया है, उसे किसी भी तरह समर्थन देने के लिए मैं बहुत असमर्थ हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : एप्रूव तो हो जाएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह तो होगा, वह तो होगा, मैं इन बजट की निन्दा करती हूं, विरोध करती हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाए (स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, एक इधर से भी।

श्री सभापति : बुलवा दूंगा, बुलवा दूंगा, क्यों नहीं बुलवाऊंगा?

श्रीमती मधु दाधीच (अनुपस्थित)।

माननीय श्री रमजान खानजी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री रमजान खान (पुष्कर) : सभापति महोदय, 2003-2004 के बजट पर बहस सदन में चल रही है और इस बजट के सम्बन्ध में एक जनवरी, 2003 के बाद से ही लोग सोचने लग गए थे कि सरकार इस बार 2003-2004 का बजट किस प्रकार का पेश करेगी, इसका अनुमान पहले से लोगों को था और उस अनुमान के अनुसार आपने इस बजट के माध्यम से कई लोगों को खुश करने की कोशिश की और इसमें कुछ कर्मचारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, इनको भी आपने, गांव वालों को तो खैर छोड़ो, मगर कर्मचारी वर्ग और व्यापारी वर्ग को खुश करने की कोशिश की। दो-तीन कर्मचारियों से मेरा मिलना हुआ, वास्तविक हकीकत से मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों से मिलना हुआ तो कर्मचारियों ने कहा कि इस बजट से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको 70 दिन की हमारी जो हड़ताल थी, वह आज याद है, हमारा बोनस खा गई यह कांग्रेस की सरकार, वह हमारे को याद है, हमारी पी.एल. का सब सत्यानाश कर दिया, वह हमारे को याद है। हमारे डी.ए. वगैरह टाइम से नहीं दिए और अब भी दो टुकड़ों में करके दे रहे हैं, तीन प्रतिशत अब जुलाई में जाकर देंगे ताकि चुनाव नजदीक आ जाएंगे तो याद रहेगा कि डी.ए. दिया है। तो यह सब बातें हमको ध्यान है, हमारी पीठ पर बहुत बड़ा जख्म है। इसलिए सरकार यह सोचे कि हम कर्मचारियों को राजी कर लेंगे, यह सम्भव नहीं है। हम तो समय का इन्तजार कर रहे हैं, कब समय आये और इन्होंने जो हमारे साथ सलूक किया है उसका हम बदला चुकाएं। तो वह समय का इंतजार है। इसी तरह से व्यापारी वर्ग भी कह रहा है। इसलिए वित्त मंत्रीजी, आप लोगों को इसमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा बजट देकर कोई बहुत बड़ा काम कर लिया।

(17.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम

(श्री रमजान खान)

से कहना चाहूंगा पिछले बजट में भी आपने धार्मिक और पर्यटन स्थलों को सड़कों से जोड़ा है। उसमें भी पुष्कर का आपने ध्यान नहीं रखा है। इस वर्ष भी 2003-2004 के बजट में भी 15 पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों को जोड़ा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 15 पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल हैं इनके अन्दर अगर विचार किया जाए पूरे राजस्थान के अन्दर तो तीर्थराज पुष्कर सभी धार्मिक स्थलों का गुरु है और सबसे बड़ा पर्यटन स्थल भी अगर है तो वह पुष्करराज ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यह समझता हूं कि हिन्दू धर्म की मान्यता के हिसाब से पुष्करराज के अन्दर तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों जाना ही है, क्योंकि जब तक वहां नहीं जाया जाएगा इंसान का मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए वित्त मंत्रीजी, अब आपको सोचने की बात है। जिस ढंग से इस बजट के अन्दर आपने पुष्कर को नजरअंदाज किया है यह आपके लिए शोभाजनक बात नहीं है। इधर गुजरात की तरफ से, बाड़मेर की तरफ से, जैसलमेर की तरफ से जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं, ईमानदारी की बात है, ये ब्यावर होकर पीसांगन व गोविन्दगढ़ होकर पुष्कर जाते हैं, क्योंकि यह शार्टकट रूट है। अजमेर होकर जाते हैं तो कम से कम 20-25 किलोमीटर का उनको चक्कर लगाना पड़ता है। ब्यावर से लेकर पुष्कर तक की वाया पीसांगन वाली जो सड़क है वह इतनी खराब और खतरनाक है कि शायद उसके ऊपर पैदल जाना भी मुश्किल होता है। कहीं-कहीं आपने एम.एल.एज. की अभिशंसा के ऊपर नाबार्ड के तहत जो सड़कें बनायी हैं इसमें मैंने 10-12 किलोमीटर बनाने की कोशिश की, मगर वो ऊंट के मुंह में जीरा है। जब तक आप इस सड़क को इस बजट में शामिल नहीं करेंगे और तीर्थराज पुष्कर की मर्यादा को नहीं रखेंगे तब तक यह बजट कोई मायने नहीं रखता है। मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इस बजट के अन्दर पर्यटन और धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए पुष्कर को भी सम्मिलित करेंगे।

सभापति महोदय, आपने बजट में यह भी कहा है कि ग्रामीण जनता की उन्नति ही राज्य का पर्याय है। अकाल के बारे में चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं अकाल के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो प्रबन्धन की बात करते हैं इस प्रबन्धन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि एक गांव के अन्दर वित्त मंत्रीजी 50 या 60 लेबर काम पर लगी हुई है और उनको चैक करने के लिए सात अधिकारी एक दिन में जाते हैं। कलक्टर साहब, ए.डी.एम. साहब, एस.डी.ओ. साहब, बी.डी.ओ. साहब, जे.ईएन. साहब, ए.ईएन. साहब, प्रधान साहब, एम.एल.ए. साहब, वो सब शामिल हैं। (व्यवधान) पी.डी. साहब भी जाते हैं। अब क्या होता है। सभापति महोदय, कोई पहाड़ी के ऊपर बेरा खोदा जा रहा है, मेरे यहां पुष्कर के अन्दर मेवाड़िया के पास एक पहाड़ी है। मैं अभी दौरे के अन्दर गया था।

(श्री रमजान खान)

वहां पर 2-4 मजदूरों से बात की। उन्होंने कहा कि साहब, क्या काम करें, आधा घंटा पहाड़ी पर जाकर थोड़ी सी गैंती चलाते हैं और मेट चिल्लाता है जल्दी आओ, जल्दी आओ, कलक्टर साहब आ गये चैकिंग के लिए। फिर चढ़ते हैं और फिर कहते हैं, बोलो साहब, यह हाजिर, यह हाजिर। हां साहब, हाजिर साहब, हाजिर साहब। फिर ऊपर जाते हैं, जाओ भाई साहब अब काम करो। फिर आधा घंटा होता है, फिर बी.डी.ओ. आ जाता है, फिर एस.डी.ओ. आ जाता है। इस तरह करके पूरे दिन भर लैफ्ट राइट होता रहता है। इस प्रकार का प्रबन्धन आपने किया है और यहां राज्य सरकार से आपको निर्देश जाते हैं, कि एक-एक मस्टररोल को, एक-एक लेबर को 5-5, 6-6 दफे जब तक चैक नहीं करें उनका पीछा मत छोड़ो। यह स्थिति आपने बना रखी है प्रबन्धन की।

सभापति महोदय, आपको विचार करना चाहिए एक ग्राम पंचायत की आबादी 10 हजार है और एक ग्राम पंचायत की आबादी एक हजार है। अब आप एक हजार में भी 115 मजदूरों को काम दे रहे हैं और 10 हजार में भी 115 को दे रहे हैं। अब इस इम्बैलेंस की वजह से इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। सरपंच 10 हजार पब्लिक की आबादी के अन्दर किस प्रकार से 115 आदमियों को एडजस्ट करे, इस पर आपको विचार करना चाहिए। ईमानदारी की बात है, हालत इतनी खराब है कि इस राजस्थान की जनता को आपने भिखारी बना दिया। किसी भी गांव में आप चले जाओ, हर गांव के अन्दर जहां कहीं भी आप जाते हो कहते हैं, साहब 10 मजदूर और बढ़ा दो, साहब 15 मजदूर और बढ़ा दो। कोई भी अधिकारी जाओ, एम.एल.ए. जाओ, प्रधान जाओ, मंत्री जाओ, कोई भी जाओ एक ही याचिका गांव के अन्दर आज चल रही है। मजदूर बढ़ाओ, मजदूर बढ़ाओ, मजदूर बढ़ाओ। जब तक आप एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार नहीं देंगे इस फेमिन का कोई मतलब नहीं निकलता।

सभापति महोदय, मुझे एक बड़ा अचम्भा हुआ। मेरे गांव का एक सरपंच कल मेरे से मिलने के लिए आया। उसने कहीं अखबार में राजेन्द्र जी राठौड़ की वह बात पढ़ी होगी। उसने यह कहा कि बड़ी ताज्जुब की बात है अभी तक अकालग्रस्त घोषित ही नहीं किया प्रदेश को। मैंने कहा कि नहीं किया, अभावग्रस्त घोषित किया गया है, अकालग्रस्त घोषित नहीं किया। वह बोला, इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। आप खुद मानते हो कि इस शताब्दी का सबसे बड़ा भयंकर अकाल है। आप और हम जितने भी बैठे हुए हैं हम लोगों ने इस तरह का अकाल वित्त मंत्रीजी नहीं देखा है और खुदा करे कि इस तरह का अकाल हमको नहीं दिखाये। इस तरह का भयंकर अकाल है और आप अकालग्रस्त घोषित करने में इतना हिचकिचा रहे हो। यह राजस्थान की जनता आपकी बात को विशेष कर जब राजस्थान की विधान सभा में उठी है इस

(श्री रमजान खान)

पर गौर करना शुरू कर दिया है। पहले तो कई लोग ऐसे थे, अकालग्रस्त घोषित हो गया, अकालग्रस्त घोषित हो गया, किसी ने परवाह नहीं की, पर जब राजस्थान की विधान सभा में हम लोगों ने इस बात को उठाया और उसके बाद यह मैसेज गांवों में गया है तो सब लोग आपको धिक्कार रहे हैं, इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। जब आप जवाब दे तो निश्चित रूप से राजस्थान को अकालग्रस्त घोषित करना

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चाहिए। खतम करूंगा साहब, सात मिनट तो कुल ही हुए हैं। आप देख लें सात मिनट हुये हैं। किसी को आधा घंटा और किसी को सिर्फ सात मिनट में आप घंटी बजा देते हो।

श्री सभापति : मिनट तो 17 हो गई है।

श्री रमजान खान : कम से कम 15 मिनट के बाद तो बजाना चाहिए।

श्री सभापति : मिनट तो 17 हो गये हैं, बोलिए आप।

श्री रमजान खान : आपकी घंटी भी तो दिल को हिलाती है।

श्री सभापति : नहीं हिलेगा। ऐसी घंटी मैंने बजायी ही नहीं, हल्की ही बजायी है।

श्री रमजान खान : अब वित्त मंत्रीजी, आपने इस बजट में सबको रेवड़ियां बांटी है। यह बात सही है और सबको खुश करने की भी कोशिश की। चुनाव आ रहे हैं, छह महीने के बाद हर सरकार करती है, आपकी जगह अगर हम भी होते तो करते, मगर एक बात आपने इसमें नहीं की जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है।

वित्त मंत्रीजी, राजस्थान का जो अल्पसंख्यक समुदाय है यह आपको 90 प्रतिशत वोट देता है। हकीकत है, हमको तो आप डराते हो कि यह साम्प्रदायिक पार्टी है इनको मत देना, हमको दो और वे आपको देते हैं। फिर जब आपकी सरकार बनती है तो इतने खुश होते हैं, ईमानदारी की बात है जैसे सरकार ही उनकी बन गई, इतने वे खुश होते हैं। यह मैं हकीकत कह रहा हूं। अब उनके साथ इस बजट में जो मजाक किया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सभापति महोदय, आपने इस बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कुछ नहीं किया और जो किया वह लाइन भी आपने गलत लिखी है। आपने यह कहा है कि मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड के लिए 50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को पूछना चाह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड को आपने कब पैसा दे दिया जो आप अतिरिक्त प्रावधान कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सिर्फ मदरसा बोर्ड के लिए है। मदरसा बोर्ड का प्रोविजन है। वक्फ बोर्ड को तो मैं पहली दफा इसमें से कुछ दूंगा और आवश्यकता पड़ेगी आपकी बात को ध्यान में रखते हुए इस रकम को और बढ़ा दूंगा।

श्री रमजान खान : वह तो आपकी मेहरबानी, बहुत धन्यवाद। मगर पहली बार दे रहे हो इसलिए अतिरिक्त शब्द के ऊपर मुझे एतराज था। अतिरिक्त शब्द आपको हटाना चाहिए, क्योंकि पहली बार है, आप स्वयं मंजूर कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मदरसा बोर्ड गत बजट के अन्दर घोषित किया मगर जनवरी में जाकर आपने मदरसा बोर्ड बनाया, मगर हकीकत में वह मदरसा बोर्ड तो नहीं है। वित्त मंत्रीजी, वो तो केवल अपने विचार रख सकता है, सलाह दे सकता है, सलाहकार बोर्ड है। और यह आपका कागज है, यह मदरसा बोर्ड सलाह देने का कार्य करेगा और वो जनवरी में घोषित किया है, 50 लाख रुपये दिये हैं, उसमें उसका एक पैसा भी खर्च हुआ नहीं। अभी तक कोई कार्यालय गठन हुआ नहीं। और जब तक मदरसा बोर्ड को आप संवैधानिक दर्जा नहीं दोगे, खाली सलाह देने के लिए मदरसा बोर्ड रखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको संवैधानिक दर्जा दीजिए।

अब आपने अल्पसंख्यकों के लिए 1999-2000 का आपका जो पहला बजट था उसमें 619 पैराटीचर के लिए किया। 1999-2000 में आपने एक भी पैराटीचर नहीं लगाया। आपने 2000-2001 में 619 पैराटीचर लगाये और उसके बाद 2001-2002 में राजीव गांधी पाठशाला के समकक्ष 500 मदरसों के लिए आपने 72 लाख रुपये दिये। वित्त मंत्रीजी, आप हिसाब लगा लेना, वक्फ बोर्ड से भी पूछ लेना, 72 लाख रुपये में से 32 लाख रुपये अभी खर्च नहीं हुए और वह पैसे यों के यों ही लैप्स हो गये और वापस नया बजट आ गया। 2002-2003 में भी आपने कुछ नहीं दिया। उर्दू एकेडमी के लिए एक पैसा आपने नहीं दिया और तो और विश्व बैंक से आपको 434 करोड़ 59 लाख रुपये 2000-2001 में मिले थे उसमें से भी आपने मदरसों के लिए एक भी पैसा बजट में अलाट नहीं किया और इसी वर्ष शिक्षाकर्मी के लिए भी 42.92 करोड़ रुपये का आपने प्रावधान किया था उसमें से भी एक पैसा आपने मदरसा बोर्ड को नहीं दिया। 2000-2001 में 500 मदरसों के लिए 72 लाख रुपये को मैंने आपको निवेदन कर दिया। यह 32 लाख रुपये उसमें से खर्च हुए, बाकी हुए ही नहीं। अब वक्फ बोर्ड में तो वित्त मंत्रीजी, आपका यह प्रावधान है कि मदरसा बोर्ड वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब रजिस्टर्ड होने के लिए गांवों के मदरसा वाले उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं और वक्फ बोर्ड में कहते हैं एक हजार रुपये दो, अब वह गांव वाले मदरसा के लिए एक हजार रुपये देना उनके लिए वक्फ बोर्ड के अन्दर सम्भव ही नहीं है और वह एक हजार रुपये ले लेकर, मैं आपको हकीकत कह रहा हूं 4-5 लाख रुपये उन्होंने इकट्ठा कर लिया और बगैर रजिस्ट्रेशन के। आप कोई रियायत देते नहीं हो। अब उनकी मजबूरी है कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उसके हिसाब से एक-एक हजार रुपये का, कौन से नियम के तहत, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि कौन से नियम के तहत मदरसों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपका वक्फ बोर्ड एक-एक हजार

(श्री रमजान खान)

रुपये वसूल कर रहा है? अब यह उर्दू टीचर के लिए आपने 1999-2000 के बजट की घोषणा की, करीबन 400 उर्दू टीचर जिसके लिए तो आपकी सरकार धन्यवाद की पात्र है। मगर 5 साल बीतने वाले हैं, सभापति महोदय, साल के अन्दर 400 टीचर्स आज तक आप लगा ही नहीं पाये, करीबन ढाई सौ टीचर कुल लगे हैं। वित्त मंत्रीजी, आप पूछ लेना एक टीचर की कहीं दूसरी जगह एस.टी.सी. या उसकी मैरिट लिस्ट में नियुक्ति हो गई उसको भी आपने उर्दू टीचर मान लिया। एक-एक प्रार्थी की तीन-तीन जगह नियुक्ति हो गई उसको भी उर्दू टीचर मान लिया। 400 उर्दू टीचर लगे नहीं हैं और जहां उर्दू टीचर के सब्जेक्ट हैं वहां पर कई जगह आपने हिन्दी टीचर लगाकर उसकी खानापूर्ति कर दी तो इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं रहता है और माइनोरिटी तो आपके लिए तहेदिल से समर्पित है मगर अब नहीं है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप भी जाओ हमारे साथ।

श्री रमजान खान : नहीं, आने की जरूरत नहीं है। अब वह समझने लग गई है और मैं आपको सही कह रहा हूं 24 अक्टूबर, 2002 को अजमेर के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के झण्डे के तले माइनोरिटी की रैली हुई थी राजस्थान की। और वित्त मंत्रीजी, आप पता लगा लेना सी.आई.डी. से 20 हजार लोग भारतीय जनता पार्टी के झण्डे तले थे और अब सम्भागीय स्तर पर रैली हो रही है, माइनोरिटी की, वह भी आप पता लगा लेना 10-10 हजार, 15-15 हजार से कम उपस्थित नहीं होंगे। उसके अन्दर यह जो कच्चा चिट्ठा है इसकी पूरी घोषणा वहां पर की जाएगी और उनको बताया जाएगा कि आपने क्या किया इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया इसको थोड़ा जब आप घोषणा करें तो कुछ न कुछ इसके लिए भी करें वरना फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सभापति महोदय, बस दो मिनट ही बोलूंगा।

यह ए.डी.बी. की योजना का भी जिक्र इस आपके बजट की किताब में किया है। इसको मैं मेरा सौभाग्य समझूं या दुर्भाग्य समझूं इसके अन्दर पुष्कर को भी आपने जोड़ दिया छह शहरों के साथ, पुष्कर के लिए पता लगा लेना वित्त मंत्रीजी, कि एक भी पैसा अभी तक अलाट नहीं हुआ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह स्वीकृति अभी आई है, हमने प्रस्ताव किया था, ओरिजनल प्रस्ताव में नहीं था, यह बहुत बाद में स्वीकृति आई है पुष्कर की।

श्री रमजान खान : नहीं, नहीं मैं तो आपको निवेदन कर रहा हूं, मैंने स्वायत्त शासन मंत्री से पूछा था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तो शुक्रिया अदा कीजिए।

श्री रमजान खान : तो ठीक है, आप अगर कर दोगे तो मेहरबानी होगी, आपका बड़ा धन्यवाद, इसके ऊपर फिर मैं बोलता ही नहीं हूं जब आप फरमा रहे हैं।

पी.एच.ई.डी. मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं कि चले गये? दुर्भाग्य है कि

(श्री रमजान खान)

पी.एच.ई.डी. मंत्री जी चले गये। इस बजट में आपने वित्त मंत्रीजी बधिर, निःशक्तजनों, कुष्ठ आश्रमों को वाणिज्यिक दर के स्थान पर घरेलू दरों पर बिजली उपलब्ध करवा दी। यह आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि वाणिज्यिक दर बहुत ज्यादा हैं, चार गुणा ज्यादा बिजली का बिल आता है। मैंने बार-बार निवेदन किया है और कई बार मुख्य मंत्रीजी और पी.एच.ई.डी. मंत्री जी को लिख-लिख कर दिया है कि जो पी.एच.ई.डी. के नार्म्स में नहीं आते हैं, सार्वजनिक जल योजना जो चालू गांव वालों ने की है और कुछ विधायकों ने अपना कुछ फण्ड देकर टंकी ट्यूबवैल बना दिया उसका जो खर्चा है वह टंकियों के चारों तरफ टूंटियां लगा दी उसका जो बिजली का बिल है वित्त मंत्रीजी, वह वाणिज्यिक दर से वसूल किया जा रहा है। और इस अकाल के टाइम में लोगों को, गांव वालों को देना पड़ता है। गांव वालों के पास इतना पैसा है नहीं और मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो राजस्थान का नहीं जानता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है मगर मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस तरह पैसे के बिल नहीं भरने के कारण चार कनेक्शन काट दिये गये और अब वह की वह ही परेशानी हो गई, उनको पानी की और कैसे तो पानी पीयें और कैसे क्या करें। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि जो पी.एच.ई.डी. के नार्म्स में नहीं आते हैं, और गांव वाले अपने स्तर पर चलाते हैं या कोई सार्वजनिक संस्था चलाती है, ऐसी पेयजल योजना पर इस अकाल के टाइम में वाणिज्यिक दर से बिल वसूल नहीं किये जायं और उनको भी घरेलू दर से बिजली के बिल वसूल किये जायं। यह मेरा विनम्र निवेदन है। इस बजट के अन्दर आप इसका प्रावधान कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, यह बहुत ही उपयोगी बात अर्ज कर रहा हूं मैं आपको।

बीसलपुर बांध का, यह बीसलपुर बांध के लिए आपने जयपुर शहर के लिए 690 करोड़ का किया हमारे को कोई एतराज नहीं है कि बीसलपुर बांध से किस को पानी पिलाओ, सब को ही पिलाओ। परन्तु सभापति महोदय, जिस जिले के लिए बीसलपुर बांध बना उस जिले के किसी भी गांव का नाम नहीं, किसी शहर का नाम नहीं। उस जिले के लिये इस योजना के अन्तर्गत एक भी पैसे का आपने प्रावधान नहीं किया। फिर क्या फायदा है यह तो अजमेर जिले के लिए बनी थी। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कुछ न कुछ अजमेर जिले के गांवों के अन्दर भी खारा पानी है, फ्लोराइडयुक्त पानी है उनके लिए भी आपको कुछ न कुछ बजट के अन्दर प्रावधान करना चाहिए। आपने बहुत से गांवों के लिए प्रावधान किया है, बहुत से जिलों के लिए प्रावधान किया है, बहुत करोड़ रुपये इसके अन्दर दिये हैं परन्तु इस अजमेर जिले के लिए आपने कुछ नहीं दिया। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि अजमेर जिले को भी इस बीसलपुर में इस 2003-2004 के बजट में शामिल कीजिए।

राजकीय डिस्पेंसरीज के बारे में बात हो गई। यह एक अच्छी बात है कि अगर डाक्टर नहीं है तो तीन सौ रुपये देकर

(श्री रमजान खान)

डाक्टर रख लो, दो हजार या तीन हजार ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकते हो। इसमें एक लाइन एक जोड़ दो कि ए.एन.एम. और मेल नर्स वह भी अधिकतर गांवों की डिस्पेंसरीज, वित्त मंत्रीजी, हैं नहीं, आप अगर डाक्टर को तीन सौ रुपये देते हो तो उनको सौ रुपये दो कि डेढ़ सौ रुपये दो, उसके अन्दर वह आ जाएगी। और अगर मेल नर्स और ए.एन.एम. का भी आपने डाक्टर के साथ-साथ प्रावधान कर दिया तो इसकी वजह से गांव के अन्दर बहुत राहत मिलेगी। मैं आपको सही कह रहा हूं कि कई जगह, मेरे विधान सभा क्षेत्र की मैं कह सकता हूं, कई जगह ए.एन.एम. और मेल नर्स के पद खाली पड़े हैं या फिर वह गांव में रहना नहीं चाहते, डेपुटेशन जिला हैडक्वाटर्स पर करवा लेते हैं इसलिए गांव वालों को बहुत परेशानी होती है। तो इसके अन्दर अगर आप ए.एन.एम. और मेल नर्स का भी प्रावधान कर रहे हो तो आपकी मेहरबानी होगी। सभापति जी, आपने मुझे समय दिया उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद पर अन्त में मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, यह जो बजट 2003-04 का माननीय वित्त मंत्रीजी ने रखा है, सिवाय छलावा और कपट के कुछ भी नहीं है। मैं इस बजट का जो प्रावधान है, हालांकि कह रहे हैं कि चुनावी बजट है लेकिन चुनावी बजट में किसको क्या मिला है इसकी कोई स्पष्ट घोषणा है ही नहीं।

मैं सबसे पहले कांग्रेस का जो पूर्व में घोषणा पत्र था उसकी ओर वित्त मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊं, इनके बड़े-बड़े रिश्तेदार और समधी तक बड़े-बड़े उद्योगपति हैं। मैं वहां से शुरू करूं। बन्द उद्योगों को चालू करने के लिए सरकार ने कहा था सरकार जब आई, बनी जनता को धोखा दे करके। अब बंद उद्योग तो चालू ही नहीं पाये, भरतपुर और धौलपुर, धौलपुर के स्वयं वित्त मंत्रीजी हैं और भरतपुर जिला साथ में है। भरतपुर का बिड़लाजी का सिमको इण्डस्ट्री जो बाबू राजबहादुर जी लाये थे, जो डब्ल्यू जो रेल्वे क्रासिंग बनती है मोदी जो की, और एक्सप्लोजिव फैक्ट्री स्वयं धौलपुर में है, ये सब तो बंद हैं ही, अलवर के बड़े-बड़े उद्योग, जयपुर सिंटेक्स, माडर्न सिंटेक्स, माडर्न सूटिंग्स, धनंजय सूटिंग्स और इनसे भी बड़े-बड़े उद्योग पेपर मिलें और कई सिंथेटिक्स उद्योग बन्द हो गये। राजस्थान का जो औद्योगिक नक्शा है उस औद्योगिक नक्शे को किस प्रकार से बरबाद किया है उसके कुछ आंकड़े जो मैं एकत्रित करके लाया हूं सभी जिलों से मैंने मंगवाये हैं। ये कहते हैं कि हमने रीको की ओर से, उद्योग मंत्री जी डा. चन्द्रभांन जी भी बोला करते हैं कि बड़ा विस्तार हुआ है, इसमें दिया है कि 251 इकाइयां बेची उनमें से 247 चालू हो गई और कुल तीन हजार-दो हजार लोगों को रोजगार देकर सरकार तो बल्ले-बल्ले और बाकी सब थल्ले-थल्ले। ये बड़ी बड़ी डींग मारते हैं, डींग मारने की जरूरत नहीं है। माननीय वित्त मंत्रीजी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

अजमेर में किशनगढ़, परबतसर और अजमेर, तीन औद्योगिक क्षेत्र हैं। किशनगढ़ में 42 प्रतिशत उद्योग बंद हैं, परबतसर में 61 प्रतिशत उद्योग बंद हैं और अजमेर का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 80 प्रतिशत उद्योग बंद हैं। उसके बाद अलवर का नम्बर हम लोग लगाये तो अलवर का जो एम.आई. है उसमें 82 प्रतिशत उद्योग बंद हो गये, अलवर का जो बहरोड़ है उसमें 90 प्रतिशत उद्योग बंद हो गये, नीमराना में 20 प्रतिशत उद्योग बंद हो गये। अभी जो नया औद्योगिक क्षेत्र है खुशखेड़ा वहां पर भी 12 प्रतिशत उद्योग बंद हो गये। भिवाड़ी जो सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र माननीय भैरोंसिंह जी ने बनाया था, आज विश्व के नक्शे पर है, वहां पर 45 प्रतिशत उद्योग बंद हो गये। वहां रीको और रीको के अलावा बीडा बनाया गया था, भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट अथोरिटी, एक ट्रस्ट बनाया गया था, उस बीडा के सैक्रेटरी अश्विनी मेहता ने कहा कि यहां कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, न पानी का, न बिजली का, न टेलीफोन का प्रबन्ध है। अब ये कहते तो बार-बार हैं सिंगल विंडो, अब विंडो, फिंडो और गिंडों से काम नहीं चलेगा, काम तो चलेगा कि प्रैक्टिकल धरातल क्या है। मैं आगे संक्षेप में कुछ आंकड़े बताऊं। इसी प्रकार से बाड़मेर में 74 प्रतिशत उद्योग बंद हैं बालोतरा में 63 प्रतिशत और आगे बढ़े तो बांसवाड़ा में 54 प्रतिशत और उससे आगे भीलवाड़ा के सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, सम्पूर्ण टैक्सटाइल को इस चार-सवा चार साल में बरबाद कर दिया। भीलवाड़ा जो मेनचेस्टर था, भीलवाड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र का लंदन और बकिंघम की तरह टैक्सटाइल का मेनचेस्टर था उस मैनचेस्टर में 54 प्रतिशत, 59 प्रतिशत और 54 प्रतिशत, इस तरह से तीन औद्योगिक क्षेत्र भीलवाड़ा के हैं वहां उद्योग बंद हो गये। बीकानेर में 71 प्रतिशत और उससे आगे बढ़े तो दूसरा औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में है 88 प्रतिशत, चूरू में और जहां के पण्डित जयदेव प्रसाद जी एक ही कांग्रेस के सच्चे व्यक्ति हैं, चूरू और रतनगढ़ में भी 88 प्रतिशत उद्योग बंद हो गये और आगे धौलपुर, इनका स्वयं का है वहां छोटे-बड़े 90 प्रतिशत उद्योग बंद हो गये। अगर यह सच्चाई नहीं है तो वित्त मंत्री जी अपने भाषण में बाद में बोले।

इसी प्रकार से जयपुर का बगरू, बस्सी, विश्वकर्मा, सरनाडूंगर, मालवीया, बिन्दायका, जैतपुरा, सीतापुरा और कनकपुरा टेटल औद्योगिक क्षेत्र का 75 प्रतिशत उद्योग बंद हो गये हैं।

इन्होंने एकल खिड़की की योजना और बंद उद्योगों को चालू करने की जो डींग मारी थी उस डींग का यह है। जैसलमेर मे 78 प्रतिशत और उससे आगे जोधपुर जो माननीय मुख्य मंत्रीजी जादूगर मैंडेक्स जादूगर पी सी सरकार और लाल से भी आगे बड़े जादूगर हैं उनके 68 प्रतिशत उद्योग बंद हो गये हैं। ये आंकड़े हैं और इन आंकड़ों में सत्यता नहीं हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप मुझे कंवींस करके दिखाये। कोटा में 77 प्रतिशत, कोटा का इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रियल एरिया और उसके अलावा 79 प्रतिशत। उसके आगे राजसमन्द का 80 और इसी प्रकार से सीकर

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

80, कहीं 72, कहीं 68, कहीं 65, ये सारे औद्योगिक आंकड़ें जो मैं इकट्ठे करके लाया हूं, इनकी माननीय वित्त मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी को जानकारी देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, लेबर और इण्डस्ट्री मेरा विषय रहा है इसलिए मैंने शुरूआत वहां से की है बाकी विषयों पर भी मैं बोलूंगा। राजस्थान के विकास को रोकने वाला यह बजट है। इसमें इण्डस्ट्रियल कल्चर और इण्डस्ट्रियल डिसिप्लीन को खराब किया गया है झूठी बातें कह करके कि इतनी इकाइयां बिकी और इतनी चालू हो गईं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का सीधा उल्लंघन है। उसमें 4068 में से मात्र 2384 मामले निपटाये गये, इस प्रकार 1684 मामले शेष हैं। असफल प्रतिवेदन में 1125 मामले शेष हैं। हड़ताल, तालाबंदी, ले-आफ इन सब में पूरे आंकड़े मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दो लाख सत्तर हजार मानव श्रम दिवसों का नुकसान हुआ। 12 लाख 25 हजार श्रम दिवसों का ताला बन्द में नुकसान हुआ, ले-आफ में एक लाख 99 हजार 836 श्रम दिवसों का नुकसान हुआ। इन सारे श्रम दिवसों का जो नुकसान है, ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, अपने ही डेटाज आप इक्ट्ठे करेंगे तो पायेंगे कि इतने श्रम दिवसों का नुकसान तालाबन्दी, ले-आफ और हड़ताल में आप कर चुके हैं। श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरण का 10-15 साल में तो केस निपटते हैं और उन केसों में भी स्थिति यह होती है, बिहार, यू.पी., बंगाल और केरल के मजदूर हैं, 10-15 साल थक जाते हैं। उसमें माननीय वित्त मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी से मेरी मांग है कि फास्ट्रेक अदालतों का निर्माण करे जैसे बाकी जगह हैं लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल की तो वहां भी केस निपटाये। मैं केसों के कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। 19,765 केस पूर्व वर्ष के हैं और 2,345 इस वर्ष के प्राप्त हुए, कुल 22,112 केस, इनमें से 19,800 मामले लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल में शेष हैं। यह मजदूरों के साथ अन्याय है, किसानों के साथ अन्याय है। इसी प्रकार धारा 29 तथा 33-सी, अब इसके बारे में श्रम मंत्रीजी बैठे हैं जरा बता दे कि 33 (सी) और 29 क्या होता है, बता नहीं सकते, मैं लेबर लीडर रहा हूं 20 साल तक इसलिए आपको निवेदन करता हूं कि पूर्व वर्ष में 253 प्रकरण थे और इस वर्ष 473 हो गये। 473 में से 378 मामले शेष हैं। ये तो इनके 33(सी) और 29 के मामले हैं। कर्मकार क्षतिपूर्ति का यही मामला है। ई एस आई लोकल कमेटी, माननीय श्रम मंत्रीजी बैठे हैं, ई एस आई की लोकल कमेटी राजस्थान सरकार बनाती है। ई एस आई केन्द्र की योजना है। यह लोकल कमेटी नहीं बुला रहे हैं। दो साल से जो जो औद्योगिक क्षेत्र हैं। उनमें लोकल कमेटी घोषित नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 में इन्होंने कुल 31 रजिस्ट्रेशन इस साल किये हैं 150 कागज ही गायब कर दिये श्रम विभाग वालों ने। मजदूरों को धोखा देकर के 150 ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन भेजे गये उन कागजों को ही गायब कर दिया और 48

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

रजिस्ट्रेशन मालिकों से मिलकर के श्रम विभाग के अधिकारियों ने रद्द कर दिये, कैंसिल कर दिये। यह मजदूर भुगतान अधिनियम है। इसी प्रकार इंस्पैक्टर राज और अफसर राज इन्होंने जो चलाया है, 60, 64, 68 का मिनिमम बेज कहीं भी ढंग से नहीं मिल रहा है, यह स्थिति है। मजदूर भुगतान अधिनियम के केसों की गति इस प्रकार से है।

माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक नियोजन अधिनियम, 1946 और इस प्रकार से इन्होंने जो मजदूरों और किसानों को धोखा दिया है इसका जवाब तो जनता इनसे लेगी। और तो और पत्रकारों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। जो पत्रकारों के कार्यकारी पत्रकार हैं, अन्य समाचार पत्र, कामगार एवं विविध प्रावधान है, यह अधिनियम 1955 में बना है, और श्रमजीवी पत्रकार...

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि 60, 64, 68 रुपये जो मिनिमम वेजेज है वह नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप ऐसी शिकायतें मुझे दीजिये, हम तत्काल कार्यवाही करेंगे, दूसरे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : निश्चित दूंगा आपको। मैं सभापति महोदय के सामने कमिटमेंट कर रहा हूं। ऐसे भिवाड़ी और अलवर के औद्योगिक क्षेत्र जहां मैं स्वयं रहता हूं, पत्रकारों का, कार्यकारी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कामगार एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1955 में बना। श्रमजीव पत्रकार, अन्य पत्र कर्मचारी जिनकी सेवा शर्तें और उनके जो उपबंध हैं उसकी धारा 9, 13 (ग) के अधीन गठित मणिसाना बेज बोर्ड अवार्ड की सिफारिशों को भारत सरकार ने तो लागू कर दिया। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने तो पत्रकार और प्रेसों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह घोषित कर दिया, पांच दिसम्बर को केन्द्र सरकार ने अमेंडमेंट करके लागू कर दिया लेकिन इस अधिसूचना को राजस्थान सरकार लागू नहीं कर रही है। उद्योग मंत्री के अन्तर्गत कोई कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की रिपोर्ट टाइम पर नहीं आ रही है।

इसी प्रकार से मोटर यातायात श्रम अधिनियम, 1961 है। बोनस भुगतान, बोनस 20 प्रतिशत तक हम लोग दिलाते थे तब माननीय देवपुरा जी श्रम मंत्री थे और उनके साथ बैठकर सैटलमेंट हुआ था। 20 प्रतिशत की तो छोड़ो, आज 33 प्रतिशत भी जो नियमों के अन्तर्गत है, वह भी नहीं मिलता है माननीय उद्योग मंत्री और श्रम मंत्री महोदय। इसी प्रकार से विक्रय बढ़ोतरी कामगार अधिनियम, 1976 का उल्लंघन हो रहा है, केन्द्रीय अन्तरराज्यीय प्रवासी कर्मचार अधिनियम, 1999 का उल्लंघन हो रहा है। और इसी प्रकार से दुकान वाणिज्य संस्थान मात्र 23 कस्बों और शहरों में आपने लागू कर रखा है। आपके इंस्पैक्टर्स फालतू घूम रहे हैं। राजस्थान में आज कितने ऐसे शहर हैं 8–

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

10-15-25 हजार की आबादी के कस्बे और शहर हो गये हैं, उन पर आप यह लागू नहीं कर रहे हैं। रात को 10-10, 11-11 बजे तक कर्मचारियों से दुकानों पर काम लिया जाता है और सुबह 6-7 बजे कस्बों और शहरों में कई दुकानें खुल जाती हैं। इनके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। न्यूनतम मजदूरी की दो साल से आप सलाहकार कमेटी की मीटिंग ही नहीं बुला रहे हैं। यह दुर्भाग्य है इस राजस्थान का। कहते हैं, हमारे माननीय संयम लोढ़ा जी यहां पर अभी है नहीं, कि 60-64-68 रुपये न्यूनतम वेतन राजस्थान में पूरे देश में, सबसे ज्यादा है। जरा उनको मैं कहूंगा, अध्ययन कर लें, श्रम मंत्रीजी को खुद को पता है, दिल्ली में 90 रुपये है तो कहीं 95 रुपये है। हरियाणा में 80 रुपये है। अलग अलग राज्यों में राजस्थान से लगभग 17 स्टेट हैं जिनमें 70 रुपये से 75-90-95 रुपये मिल रहे हैं। यह पूरे आंकड़े हैं बहुत लम्बे-चौड़े जिसको मैं पेश करूंगा, माननीय सभापति महोदय, काफी समय लगेगा।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अनुसूचित नियोजन जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू है, इसको कृषि में लगे कामगारों पर, आटो-मोबाइल वर्कशाप में काम करने वाले कर्मचारियों पर, बीड़ी उद्योग में काम करने वाले, ईंट-भट्टा उद्योग के नियोजन में, काटन-जीनिंग प्रोसेसिंग, काटन डाइंग, प्रिंटिंग, पापड़ उद्योग, तेल मिल, मोटर-ट्रांसपोर्ट, अभ्रक, इन सबमें, सूची तो इसमें गिनाई है, लेकिन इन सबमें यह नियम लागू नहीं हो रहा है। और ट्रेड ला एक्ट, 1926 और फैक्ट्रीज एक्ट 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का सीधा उल्लंघन हो रहा है। माननीय मंत्रीजी ने आश्वस्त किया है, मैं धन्यवाद दूंगा, आपने एक पोजिटिव बात कही है और मैं पोजिटिवली आपको सहयोग करूंगा कि कहां कहां इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो बजट रखा है, कर्मचारियों के लिए कोई कह रहे थे कि उनको कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है कर्मचारियों को, कर्मचारियों के लिए तो रोना दिया गया है। माननीय भैरोंसिंह जी जो वर्तमान महामहिम हैं; उनका पोजिटिव, सकारात्मक जिक्र कर रहा हूं, इसलिए मैंने उनका जिक्र किया है, उन्होंने 9-18-27 दिया। और 9-18-27 को भी आप माननीय वित्त मंत्रीजी छीन लेना चाहते हैं इसके अनुसार तो, उन्होंने हम लोगों को जो डी.ए. दिया, बोनस दिया, वह भी छीन लेना चाहते हैं। मैंने बताया है कि पत्रकारों से लेकर नीचे तक किसी कर्मचारी को, किसी मजदूर को बख्शा नहीं है आपने। यह कर्मचारियों के लिए आपने कहा है, पांच साल की जो आपने घोषणा की है, वैसे ही छंटनी कम नहीं कर रखी है। निगम, बोर्ड और सारे विभाग, सरकारी कर्मचारियों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। आपने उनको अप्रत्यक्ष रूप से छंटनी दी है। आपने पांच साल का जो लाभ दिया है कि वह अवैतनिक छुट्टी पर रहेगा और उसके बाद में बिजनस करेंगे तो उनकी सीनियरिटी नहीं मारी जायेगी। इसमें

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कर्मचारियों कोई कहीं अपनी प्राइवेट नौकरी करेंगे तो राहत मिलने वाली है क्या?

श्री राजेन्द्र चौधरी : रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, मैं एक जानकारी चाहूंगा। आपने अभी बताया, उपराष्ट्रपति महोदय के रेफरेंस में कि 9-18-27 उनके समय में दिया गया, यह बतायें कृपया समय जोशीजी के समय का था या शेखावत साहब के समय का था?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह जोशीजी ने माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी को अध्यक्ष बनाकर एक समिति बनाई, 9-18-27 माननीय भैरोंसिंह जी के समय में घोषित हुआ यह, इसके बारे में जानकारी आप कर लीजिये, कर्मचारियों से कर लीजिये और नहीं तो, नहीं तो मैं कर्मचारी नेता, मजदूर नेता रहा हूं। आपने इसके बारे में जो बताया है कर्मचारियों को आपने और छंटनी वी.आर.एस. और सी.आर.एस. में की है, अब इस पांच साल का भी लाभ आप देना चाहते हो। राजस्थान में कुल छह लाख कर्मचारी हैं। छह लाख में से चार लाख जो हैं वे शिक्षा, पुलिस और मेडिकल विभाग विभाग में है, उनको आपने छोड़ दिया है। जो आपके पुलिस विभाग में कर्मचारी है और इनके बारे में पुलिस डिमाण्ड के ऊपर और बोलूंगा कि उनके लिए क्या होना चाहिए लेकिन पुलिस का कर्मचारी या शिक्षक या चिकित्सा के कर्मचारी को आप छूट दें, आपके पास एक भी कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं हो। इतने दु:खी हैं आपसे, इतना आप लोगों ने उनको पीड़ित किया है, प्रताड़ित किया है। इतना उनको आपने दु:खी किया है। इसलिए इस बीच में मैं एक शेर सुनाऊंगा जो आपने कर्मचारियों को दु:खी किया है। यह शबाना आजामी के पिता कैफी आजमी हैं, उनका है। शबाना आजमी जो एक्ट्रेस हैं, हीरोइन हैं, उनके पिता कैफी आजमी हैं, उनका शेर है :

"इस जुल्म को देखा है तवारिख की नजरों ने,

लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई।"

(17.34 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आप जो गलती कर रहे हैं, कुछ लम्हें गलती करते हैं और सदियां सजा पाती है। ये कर्मचारी सदियों सजा पाने के काम से प्रताड़ित हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय, आपने उनको जो सजा दी है। उससे आगे बढ़े, तो आपने 24000 करोड़ का कर्जा इसमें दिखाया है। यह कहा है कि पिछली सरकार छोड़ गई। यह आपके टाइम में कितना कर्जा हो गया है, यह तो आपने नहीं दिखाया। आपने बजट में यह नहीं दिखाया कि 24000 करोड़ का कर्जा तो था लेकिन अब कितना है, अब मैं समझता हूं कोई 60,000 करोड़ का कर्जा है। अगर गलत हो तो आपके बजट के भाषण में जब आप जवाब दें, उस समय आप बोल देना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बारे में विपक्षी विधायकों के साथ, कितना बड़ा अन्याय किया है। मैं संक्षेप में निवेदन करूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ के सत्ता पक्ष के विधायकों के यहां मैन कस्बों में सी.सी. रोड बनाई गई है। अब वह आपने सी.आर.एफ. में बनवाये या टी.आर.एफ. में बनवाये या पी.आर.एफ. में बनवाये, बन गई लेकिन हमारे यहां अभी तक आपने सी.सी. रोड के लिए कोई स्वीकृति नहीं दी है। मात्र 46.30 लाख की है, जिसको आप स्वीकृति दें।

मैं माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री, जो बहुत अच्छे संजीदा व्यक्ति हैं, उनसे तो कहूंगा, मैं प्रसन्न हूं इस बात के लिए कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ को छोड़कर बाकी सारी तहसीलों में 132 केवी. के. जी. एस. एस. पावर के जी. एस. एस. खुल चुके हैं और मैंने माननीय चन्द्रभान जी को भी कहता रहा, मैंने रामनारायण जी साहब को भी कहा है, यह अन्याय वित्त मंत्रीजी हमारे साथ क्यों हो रहा है। हमारे को क्यों नहीं 132 के.वी. का जी.एस.एस. रामगढ़ में क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप डींगें मारते हो, और पींगें मारते हो, वित्त मंत्रीजी और यह सरकार...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो मैं बोल रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : एक और माननीय सदस्य बोल देंगे।

डा. महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजेन्द्र राठौड़ साहब, जो सचेतक हैं प्रतिपक्ष के, आज यहां आकर कहकर गये थे कि मैंने ज्ञानदेव जी आहूजा को बांध दिया है, न तो ये ज्यादा शेर सुनायेंगे और बात भी बड़ी ऐसी करेंगे, किसी पर आरोप नहीं लगायेंगे, ये बांधने से चलेगा नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आरोप थोड़े ही लगा रहा हूं मैं, आज आरोप नहीं लगा रहा हूं।

डा. महेश जोशी : नहीं लगा रहे हो, आज हमको तकलीफ है इस बात की, आप शेर भी नहीं सुना रहे हो, आपके भाषण में कोई मजा ही नहीं आ रहा है, यह क्या बात है। कुछ करो आप, कुछ करो आप।

श्री जनार्दन गहलोत : न +++ हो रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अच्छा एक शेर तो सुना दूं :

"है राह से भटके हुए कुछ काफिले अब तक,

रहबर है तो आपको मंजिल का पता कोई क्यों नहीं देता ।"

यह वित्त मंत्रीजी के लिए है। रहबर है तो आपको मंजिल का पता कोई क्यों नहीं देता, क्यों रास्ता भटक रहे हो।

उपाध्यक्ष महोदय, जलग्रहण कमेटियों का हवाला इसमें है। वर्ल्ड बैंक और बाकी सभी का हवाला दिया है। मैं संक्षेप में

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

निवेदन करना चाहूंगा, जलग्रहण कमेटी हमारे यहां बनी हुई है। कितने पक्षपातपूर्ण तरीके से चल रही है। इसी प्रकार से वाटर सप्लाई का काम, जो ड्रिंकिंग वाटर का, पेयजल का, केन्द्र से अलवर जिले को स्वच्छता और पेयजल के लिए और पानी सप्लाई के लिए 60 करोड़ रुपये आया है और 60 करोड़ में कितना घोटाला हुआ है। एक तो एफ.आई.आर. 14 लाख रुपये की स्वयं कलक्टर साहब ने, जो उसके चेयरमैन हैं, उनको दर्ज करानी पड़ी। 14 लाख का एक चैक एक कमेटी ले गई, एक सोसायटी ले गई और उसने न पाइप खरीदा, न मोटर आई, न पाइप खरीदा, न कोई पानी सप्लाई हुआ, इस प्रकार की गड़बड़ न हो और वहां हो तो ईमानदारी के साथ काम हो।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां खनन के बारे में जो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खनन के बारे में प्रतिबन्ध लगा। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान सरकार को, आज महेश जी जोशी कहेंगे कि मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने त्वरित कार्यवाही की लेकिन अवैध खनन को भी आपने मान्यता दे दी। हमारे यहां मेरे क्षेत्र में, जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में अवैध क्रेशर चल रहे हैं और मार्बल की जो अवैध खानें चल रही हैं, कृपया उनको भी चैक करे। राजस्थान में वह राजस्व जमा हो। मैं यह चाहता हूं कि इस नाते सबूत चाहेंगे तो मैं खनन मंत्रीजी को देने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के लिए कहा गया कि नकली खाद, बीज की थैलियां सरे आम बिक रही हैं। उसके ऊपर भी क्या कोई राजस्थान सरकार पाबंदी लगायेगी। मैं निवेदन यह कराना चाहता हूं। आगे बढ़े तो सहकारिता कानून के लिए नियम बना दिया, कानून बन गया, अमेंडमेंट हो गये, हम लोगों ने उसको बड़ी खुशी-खुशी पास किया लेकिन सहकारिता के चुनाव बार-बार घोषणा करने के बाद, क्यों चुनाव नहीं हुए?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, इसके साथ में डेयरी, आर.सी.डी.एफ. जो चल रही है, उसमें मैंने एक प्रश्न लगाया था, गलत उत्तर आया था। अध्यक्ष महोदय को मैंने धारा (5) में लिख कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, डेयरी की पैकिंग में घाटा, पैकिंग में घोटाला, पैकिंग में गड़बड़ हुई है। डेयरी को सप्लाई होने वाले चारे और पशु आहार में घोटाला हुआ है। ये जो बातें है मैं उनके सबूत देने के लिए तैयार हूं। अगर यहां पशुपालन मंत्रीजी बैठे हो तो, नहीं तो वित्त मंत्रीजी आप नोट करें इसके बारे में, डेयरी के बारे में जरुर पता करें। उद्योग तो बरबाद हुए ही हुए, अभी आज मैंने शून्यकाल में पर्ची के माध्यम से आरा मशीनों का मुद्दा रखा था।

राजस्थान की आरा मशीनें बन्द है परन्तु दुर्भाग्य है कि अभी तक राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन की एप्लीकेशन लगानी चाहिए वह आज तक भी नहीं लगाई है। ऐसा आरा मशीन वालों का कहना है। तो कृपया उनके ऊपर आप मेहरबानी करें, मेरा आपको यह कहना है। पंचायतों को कोई अधिकार नहीं दिये,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

शिक्षा के बारे में मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में आपकी पारदर्शी सरकार है। तीनों बातों में से एक बात के लिए तो आपको धन्यवाद दूंगा कि बी.डी. कल्ला साहब शिक्षा मंत्री थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बी.डी. कल्ला साहब से डा. सी.पी. जोशी शिक्षा मंत्री और उसके बाद में धारीवाल साहब शिक्षा मंत्री, और बदल कर वापिस बी.डी. कल्ला साहब को दे दिया, तो आप पारदर्शी सरकार तो हैं ही। पूरी दुनिया घूम करके वापस बी.डी. कल्ला साहब शिक्षा मंत्री हो गये, इसके लिए यह पारदर्शी सरकार तो मानी ही जायेगी, इससे बड़ी पारदर्शिता और क्या हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट साहब।

श्री उपाध्यक्ष : वह पीछे वाले बोलेंगे, क्या हो गया, उनको भी समय दो न आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : शिक्षा में माननीय वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि यह लैटर आपके ही मेरे पास उप शासन सचिव के आये हैं और यह लैटर आपके कलक्टर, अलवर के हैं कि अलवर जिले में और विशेष रूप से मेरे क्षेत्र में प्रिंसिपल नहीं है, हैडमास्टर नहीं है, टीचर्स नहीं हैं, असमर्थता जाहिर की है कि नियमानुसार हम टीचर को इस समय लगा नहीं सकते, कहीं आर.पी.एस.सी. का हवाला दिया है, कहीं भर्ती का हवाला दिया है, कहीं नियुक्ति का हवाला दिया है। यह तो उप शासन सचिव का पत्र और यह कलक्टर साहब का पत्र है। आपने स्कूल तो खोल दिये माननीय वित्त मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी ने स्कूल तो खोल दिये, लेकिन उनमें बजट नहीं दिया। पांच महीने से वहां के शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा, इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य क्या होगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसी प्रकार से पूर्वी राजस्थान के, तब तो हमारे यह जवान जो हैं, यंग ब्लड, हमारे अब कांग्रेस में चले गये हैं, जैसे माहिर आजाद साहब आज भारी खुशामद कर रहे थे वैसे अब यह भी स्तुति गान करेंगे। पूर्वी राजस्थान में इतना बड़ा अन्याय, पूर्वी राजस्थान को कोई मेडिकल कालेज नहीं। पांच साल से कोई इंजीनियरिंग कालेज नहीं और कोई विश्वविद्यालय नहीं। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर-फिर अपनों को दे। एक विश्वविद्यालय पहले जोधपुर में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज फिर वहीं पर, बीकानेर में, फिर वहीं पर और अलवर में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में, धौलपुर और करौली में और विशेष रूप से मेरे जिले में कहीं नहीं। आप कहेंगे प्राइवेट कालेज इंजीनियरिंग के, मेडिकल के खुल गये, कितना लूट रहे हैं वह, जहां गवर्नमेंट में पन्द्रह हजार लगते हैं नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए, वहां पैंसठ हजार लग रहे हैं, इतनी बड़ी लूट आप कर रहे हैं, इस लूट से रोकिये गरीबों को और आम आदमी को, मेरा आपको यह कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम जी। विराजिए, प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय, अभी तो दस परसेंट भी नहीं हुआ...

श्री उपाध्यक्ष : हां, अभी बहुत बाकी है, बिराजें। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : पहली बार अच्छा बोले हैं।

श्री परसादी लाल : जाते-जाते शेर सुना दो, जाते-जाते।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक शेर और सुना देता हूं, हरिसिंहजी को।

श्री उपाध्यक्ष : आपको ताज्जुब होना चाहिए, यह ट्रेजरी बैंचेज आपके ताली बजा रही है...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभी बोल नहीं पाये, साहब, तैयारी करके आये हैं प्यारी-प्यारी।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : प्यारी-प्यारी, न्यारी तैयारी करके आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : और कभी बोल लेना।

एक माननीय सदस्य : जाते-जाते शेर सुना दो एक।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : न आने दिया राह पर, न आने दिया वित्त मंत्रीजी, आपके लिए। न आने दिया राह पर रहवरों ने आपको अब तक, किये लाख मंजिल ने इशारे तुमको, पर न आने दिया रहवरों ने उस मंजिल तक आपको।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : उपाध्यक्ष महोदय, मारोठ में गऊशाला को भूमि आबंटन करने के लिए आपकी उपस्थिति में तथा माननीय विपक्ष के नेता की उपस्थिति में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुझे आश्वस्त कर दिया है कि भूमि अलाट हो जायेगी और गऊशाला को जो अनुदान नहीं मिला वह भी मिल जायेगा, इसलिए मैं अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : परम आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी द्वारा 5 तारीख को इस पवित्र सदन के अन्दर जो बजट रखा गया, वह बजट गांव के गरीब, मजदूर, किसान और ग्रामीणजन के विरोध का बजट है। इस बजट में ग्रामीणों के लिए किसी तरह की कोई फायदे की कड़ी नहीं दिखाई देती। आपने चीनी, तम्बाकू और कपड़े पर चार प्रतिशत टैक्स लगा करके गांव में रहने वाले उस गरीब आदमी पर, जो शक्कर से, चीनी से चाय बनाता था उसको गुड़ की चाय बनाने के लिए मजबूर कर दिया..

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : अभी लगाया नहीं भाई, यह भारत सरकार ने राज्यों को अधिकार दिया, इसका अभी तक उपयोग राजस्थान में नहीं हुआ है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह एश्योर करो कि नहीं लगाऊंगा। यह एश्योर करो हमें।

श्री केसाराम चौधरी : मतलब आपने प्रावधान तो रखा है। आप करेंगे नहीं क्या?

(श्री केसाराम चौधरी)

यह कह दो कि नहीं लगायेंगे या नहीं करेंगे। यह कह दो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कहो, एश्योर करो।

श्री केसाराम चौधरी : और तम्बाकू की कीमत भी आपने बढ़ा दी, पहले भी बढ़ाई और इस बार भी बढ़ाई। गांव के गरीब आदमी की चिलम और हुक्का-पानी भी आपने बन्द कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कहां बढ़ाया है, आप बिना बात ही, केसारामजी, मैं बड़े आदरपूर्वक कहना चाहूंगा, कृपया उसको पढ़ ले तो बेहतर होगा। आप जो तथ्य दे रहे हैं वह सही नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी : तो अच्छी बात है, सर। नहीं बढ़ायेंगे तो अच्छी बात ही है। कपड़े पर भी टैक्स नहीं लगायेंगे, यह तो आप ठीक ही कह रहे हैं। मतलब आप तो यह कह रहे हैं, इस बात को मानेंगे कि नहीं लगायेंगे। लगाना नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपसे कहा, अभी नहीं लगाया है।

श्री केसाराम चौधरी : आपने प्रस्ताव किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रस्ताव भी नहीं किया है। यह भारत सरकार ने जो भारत सरकार कर लगाती थी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के रूप में इन तीनों चीजों पर, यह तीनों चीजें राज्यों को, सभी राज्यों को, राजस्थान को ही नहीं, सभी राज्यों को सौंपी है कि राज्यों को अधिकार देने जा रहे हैं, अभी तक वहां पर उन्होंने वांछित संशोधन नहीं किया है, उस संशोधन करने के उपरांत राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त हो जायेगा जो अब तक प्राप्त नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर पूरे दिन बहस होगी। आप कृपया कोई और प्रश्न उठा ले।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुड़ पर आपने आधा प्रतिशत टैक्स कम किया, यह तो है। मगर...

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप मान ले...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर, आपके सामने आ रहा है उस पर पूरे दिन बहस होगी उस समय उठा लेना।

श्री केसाराम चौधरी : मैं चाहूंगा कि गुड़ पर, जो कृषि प्रोडक्ट नहीं है इसलिए उस पर जो कृषि मण्डी लगती है उस पर रोक लगाई जाय गुड़ के ऊपर। कृषि मण्डी का टैक्स लगता है जो इस पर नहीं लगना चाहिए। गुड़ आपके यहां खेती की पैदावार तो है नहीं और वाई-प्रोडक्ट है। और वाई-प्रोडक्ट पर भी आप कृषि मण्डी कर लेते हैं, वह कृषि मण्डी कर नहीं लगना चाहिए। कर्मचारियों के प्रतिभावान छात्रों को उचित शिक्षा दिलाने के लिए कोष स्थापित कर पांच करोड़ की व्यवस्था करने का जो प्रस्ताव किया है वह ठीक है। किन्तु गांवों के गरीब मजदूर एवं किसानों के प्रतिभावान छात्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इन छात्रों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। गांव का मजदूर एवं किसान इससे वंचित रहे, यह ठीक नहीं है। आप कर्मचारियों के लिए जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह से गांव के मजदूरों और

(श्री केसाराम चौधरी)

किसानों के लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे फंड बनाकर उनके भी प्रतिभावान छात्रों को आगे बढ़ाया जा सके ताकि गांव की जनता को भी यह लाभ मिल सके। रोजगार कार्यालयों में पंजीबद्ध बेरोजगारों को बी.पी.एल. परिवार के लिए तीन सौ रुपये का भत्ता मिलेगा वह बी.पी.एल. की सर्वे आप वापस करायेंगे उससे देंगे या अभी जो है, आप उसकी कैसे व्यवस्था करेंगे, कम से कम गांवों में जिस तरह से आज से आज पेंशन पहले चालू की और फिर वापस बन्द कर दी, ऐसा तो नहीं करें कि उनको बी.पी.एल. में एक बार सैंक्शन दे दो और फिर वापस उनकी पेंशन बन्द कर दो। यह ऐसी व्यवस्था न हो, इसके लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए।

गांवों में लोगों को तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, पेट भरने के लिए रोटी नहीं। और शहरों के लिए सिनेमा की रेट कम करो तो यह तो कोई जायज बात नहीं। अगर गांवों के लिए भी आप उन गरीबों के लिए इस अकाल के तहत सिनेमा का टैक्स कम न करके इसी को अकाल राहत में या किसी मद में गांव की जनता को मजदूरी के लिए देते तो अच्छा रहता। भूमि एवं भवन कर का आपने शहरों के लोगों के लिए समापन करके जो कर्जा माफ किया, उसी तरह आप किसानों पर लगने वाले, बिजली के ऊपर जो कर लगता है वह कर अगर आप माफ करते तो गांव के किसानों को भी उससे राहत मिलती। और आपने शहरों में रहने वालों को तो माफी दे रहे हैं और बिजली की रेट बढ़ाई जा रही है, अकाल में किसान इस बिजली की मार से बड़ा व्यथित है और वह बिल भरने के लिए अपनी हैसियत भी नहीं रखता है मगर फिर भी बिजली के बिल के पैसे चुकाकर किसी तरह से वह अपना जीवन यापन कर रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना मे युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है आपने 16,600 का वर्ष 2002–03 के लिए। गत वर्ष दिसम्बर तक जिला उद्योग केन्द्रों पर 31,286 मामले बैंकों को भेजे गये जिसमें से स्वीकृत हुए केवल 11,246 और जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया 8648 ने और ऋण दिया केवल 3,693 युवाओं को। इसमें तो पैसा केन्द्र सरकार देती है मगर इसमें भी आपको बैंक्स उन लोगों को ऋण देती नहीं है इसलिए यह टारगेट पूरे नहीं हुए..

डा. चन्द्रभान : बैंक केन्द्र सरकार की है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बैंक तो आपके हैं।

श्री केसाराम चौधरी : मगर व्यवस्था तो आप यहां देख रहे हो न।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप बोलने दो साहब, इनको।

श्री केसाराम चौधरी : युवाओं को रोजगार देने के लिए आपने पंजीकृत बेरोजगार की संख्या 1,46,798 बतायी है उसमें 12,118 महिलाएं, अनुसूचित जाति के 21,487 और अनुसूचित जन जाति के 17,467 और ओ.बी.सी. के 39,300 है। वर्ष 2000 में रिक्त पदों के लिए विज्ञापित किये गये 3,179 और उनके विरुद्ध आशार्थियों को नियोक्ता के पास भिजवाया 20,044 और रोजगार उपलब्ध कराया

(श्री केसाराम चौधरी)

आपने 974 को। आपने युवा जन के साथ ऐसी व्यवस्था की जिससे साफ होता है कि आप रोजगार देने में गांव और गरीब तबके के लोगों को जो रोजगार का वादा किया था वो आपने 974 व्यक्तियों को रोजगार देकर के अपनी सफलता का परिणाम बताया है। और सरकार द्वारा स्कूलों और कालेजों में 194 रोजगार के लिए मेले लगाये जा रहे हैं। इस तरह से मेले लगाने से कुछ नहीं होगा। रोजगार कितनों को दोगे उससे कोई बात बनेगी। फालतू वेकेंसी निकाल कर भीड़-भड़ाके किये जाते हैं और वेकेंसी में चाहिए तो 900 आदमी और 20 हजार लोगों को भेजे और वहां पर झगड़े हों और डंडे हो और पुलिस लाठियां बरसाये रोजगार के लिए लोगों को लाठियां और पिटाई हो ऐसी व्यवस्था तो कम से कम नहीं करे। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार दर घट रही है जो वर्ष 2000 तक प्रतिवर्ष घटती आयी है। रोजगार की दर तालिका में देखे। यह 12.64 थी 95 में, 12.84 फिर बढ़कर 1997-98 में बढ़ रही है और फिर वापस आ गयी 2002 में केवल 12 पर आ गयी है। संख्या लाखों में है। इस बजट में कृषि के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों में 2002-03 में 393.83 करोड़ से घटा कर आपने 703.85 करोड़ बजट में कमी की है 11.22%, अब कृषि के लिए जो बजट बढ़ाना चाहिए उसके स्थान पर आपने उस योजना में कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप के लिए 11% की कटौती की है जिससे आपकी किसानों के प्रति भावना ठीक नहीं है।

भू-संरक्षण के कार्य जो हो रहे हैं वो अच्छे हैं, उनको करवाने की आवश्यकता है। उसका प्रबन्धन ठीक से किया जाए ताकि इस योजना का किसानों को सही लाभ मिल सके। गांधी ग्राम के तहत 237 ग्रामों में से 206 में जलग्रहण परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है किन्तु 31 गांव शेष रह गये हैं उन गांवों को भी गांधीग्राम योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा में 2002-03 में 230.19 करोड़ का प्रावधान था उसको घटा कर 181.90 करोड़ किया है। बजट में कमी 20.98% की हुई है जबकि इस साल जो प्राकृतिक आपदा आयी है, मेरे क्षेत्र में ओलावृष्टि और बरसात से जोगड़ावास डैम में चार-चार फीट पानी भर जाने से वहां के किसानों की फसल डूब गयी। उन किसानों को फायदा दे करके उनकी फ़सल को हुई क्षति से प्राकृतिक आपदा से ओलावृष्टि से भेड़ें और देवली और उसके आसपास के गांवों में काफ़ी एक-एक निवासी की 60-60 भेड़ें मर चुकी हैं उनको भी प्राकृतिक आपदा के तहत लाभ पहुंचाने की आप गांवों में इन्क्वायरी करवा करके उनको लाभ पहुंचायेंगे। बिजली में आडिट के नाम पर 10 वर्ष पुरानी आडिट निकालते हैं और वो तो विद्युत मण्डल की आडिट के पैसे होंगे मगर अब तो वितरण निगम वसूल कर रहा है और मनमाने तरीके से बिल दे देते है। इस तरह से बिल देते हैं कि एक किसान को एक अपने कुएं पर तहसीलदार जी ने टैंकर भरने भेजा उसकी विजिलेंस की

(श्री केसाराम चौधरी)

शीट भरी और उसमें 42 हजार की पैनल्टी लगायी। पैनल्टी लगाने के बाद फिर एक्स.ईएन. के पास गये तो उसने 22 हजार किया फिर एस.ई.एन. के पास गये तो उसने 11 हजार किये। अब बेचारा वो काश्तकार जिसने अपने कुएं पर केवल पानी टंकी भराने के लिए लिखा है, और विजिलेंस वाले ने उसमें विजिलेंस शीट में भी लिखा है कि पानी की टंकी भरते हुए पाया गया उसको दुरुपयोग राशि का 42 हजार का बिल दिया गया और वो किसान मारा-मारा फिर रहा है बेचारा और 11 हजार रुपये अभी भी उसको भरने पड़ेंगे। ऐसे ही अकाल के अन्दर कोई किसान अपने बेरे से पानी पीने के लिए भरने दे और तहसीलदार जी ने खुद ने कहा कि मैंने भेजा तो उसके बावजूद भी उसको 11 हजार तो भरने ही पड़ रहे हैं तो उसको भी माफ करवाने की व्यवस्था की जाए।

समाज कल्याण छात्रावास मारवाड़ जंक्शन में है। जब बी.जे.पी. के राज में वो छात्रावास बना था और मेरे प्रश्न के उत्तर में भी कहा मैंने पूछा कि पूर्ण हो गया, तो कहा कि हां, पूर्ण हो गया जबकि नीवें भरी हुई हैं। न कोई बाउण्ड्रीवाल है। समाज कल्याण के छात्रावासों के बच्चे रहते हैं उसमें। उसमें जो फर्नीचर है मतलब अभी उसका मैं आपको बाहर दिखाऊंगा मैंने हाउस में लाना उचित नहीं समझा मगर कम्बल का बुरादा अगर आपको दिखा दूं तो आप कहेंगे कि जिस समय होस्टल खोला था उस समय का कम्बल है और वो बुरादे के रूप में हो गया है। और बेचारे बच्चों के लिए ने तो पाटे हैं न कोई बात है। प्रश्न किया तो उसमें भी बताया कि इस छात्रावास के बच्चों के लिए बजट अलाट हो गया है और खरीदने के टैण्डर हो गये हैं। मगर मार्च भी निकल गया और गत वर्ष के बजट में वो टैण्डर हुआ उसका माल भी कहां गया पता नहीं। एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. के कल्याण के लिए आपने 2002-2003 में 210.84 से बजट प्रावधान घटा करके 202.95 किया है वो 3.76% की बजट में कमी की है। मैं अब आपको बिजली के बारे में बोलना चाह रहा हूं कि बिजली में...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप तीन मिनट और बोल लो, बोलना हो जो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनके भाषण खतम होने तक समय बढ़ा दो न।

श्री उपाध्यक्ष : काहे को बढ़ा दो? इनके पास समाप्त होने जैसा ही भाषण बोल रहे हैं।

डा. महेश जोशी : मैं आपका आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हूं।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा तापीय बिजलीघर में अब किन आंकड़ों को सही माना जाए। ये उत्पादन निगम कह रहा है कि कोटा तापीय बिजलीघर में बिजली पैदा हुई थी...(व्यवधान) आप बिजली की पैदावार की बात कर रहे हो और बिजली घट रही है। 5222.912 और इसमें ये प्रसारण

(श्री केसाराम चौधरी)

निगम बता रहा है 5222.1913, मतलब .1 मिलियन यूनिट बिजली कहां चली गयी? उत्पादन तो हुआ नहीं और प्रसारण निगम बता रहा है उसको एक मिलियन यूनिट से ज्यादा पैदा हो गयी। यह डिफरेंस कहां है यह समझ में नहीं आता। सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह में 3482.166 मिलियन यूनिट प्रसारण निगम बता रहा है और उसमें 3478.984, मतलब ये इसमें प्रसारण निगम और वितरण निगम में दोनों की बिजली उत्पादन में डिफरेंस आ रहा है आंकड़ों में। यह प्रगति प्रतिवेदन में बिलकुल अलग-अलग आंकड़े दिये जा रहे हैं। इसमें भी जो आंकड़े दिये जा रहे हैं वो टोटल बिजली के दिये हैं। आपने 2001-01 में 20881.169 मिलियन यूनिट तीनों वितरण निगमों की बिजली उत्पादन की और उसके बनिस्बत 2001-02 में 20498.512 मिलियन यूनिट 2001-02 में हुई है तो फिर बिजली अधिक पैदा कहां हुई? इसमें दोनों आंकड़ों में देखा जाए तो जबकि बिनानी इण्डस्ट्रीज और डी.सी.एम. लिमिटेड से भी 5.706 मिलियन यूनिट और 8.151 मिलियन यूनिट बिनानी और डी.सी.एम. लिमिटेड से क्रय की गयी तो बिजली की पैदावार आप कह रहे हैं और हमेशा कहते हैं कि बिजली बढ़ी है, पैदावार बढ़ी है तो फिर बिजली बढ़ी है तो पैदावार गयी तो गयी कहां है। ये इन आंकड़ों से आपके आंकड़ों से ही मैं बता रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राज्य में तीनों वितरण कम्पनियों द्वारा 20881.169 और 20498.512 जो वर्ष 2001-2002 में बिजली विक्रय हुई। 382.658 मिलियन यूनिट प्रसारण क्षति जो बता रहे हैं 2000-01 में 712.388 मिलियन यूनिट थी वो प्रसारणक्षति 2001-02 में...

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक सोमवार दिनांक 10 मार्च, 2003 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.00 बजे सोमवार दिनांक 10 मार्च, 2003 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

आसीन्द (भीलवाड़ा) के विद्यालय में रिक्त पद

208. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कहां–कहां पर कितने–कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ''क'' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की अर्थनाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। वरिष्ठ अध्यापक के पदों को भरने हेतु अर्थनाएं भिजवाये जाने हेतु नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं विभागीय पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों हेतु सभी संवर्गों के शिक्षकों की विभागीय पदोन्नति एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

रिक्त पदों का विवरण

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	प्रधानाचार्य	प्रधानाध्यापक	व्याख्याता	वरि.अ.	अध्यापक	शा.शि.II	शा.शि.III	वरि. लिपिक	जमादार	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	राउमावि., दौलतगढ़	01		02	01				01		
2.	राउमावि., बदनौर	01		02						01	
3.	राउमावि., आसीन्द			04	02						
4.	राउमावि., शम्भूगढ़			01	03						
5.	राउमावि., बरसनी				04						
6.	राउमावि., पाटन				03						
7.	राउमावि., ब्रा की सरेरी						01				
8.	राउमावि., मोड का निम्बाहेड़ा				01						
9.	राउमावि., अन्टाली						01				
10.	राबाउमावि., आसीन्द			02	04						
11.	रामावि, संग्रामगढ़	–		01		02				01	
12.	रामावि., भादसी		01	04		01					
13.	रामावि., कटार		01								
14.	रामावि., बदनौर										
15.	रामावि., तिलोली				01						
16.	रामावि., रूघनाथपुर				02						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	रामावि.,कालीवास				01						
18.	रामावि., लाछूड़ा				01						
19.	रामावि., चयनपुरा				01						
20.	रामावि., जगतपुरा				01						
21.	राबामावि., ब्रा की सरेरी		01		02			01	01		
22.	राबामावि., बदनौर		01		02						
		02	06	11	36	01	02	01	03	01	

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में "माडा योजना" में स्वीकृत राशि का उपयोग

209. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की पंचायत समिति हिण्डौली के माडा योजना में चयनित गांवों में वर्ष 2001 से 2002 तक कुल कितने कार्य कितनी–कितनी राशि के कब–कब स्वीकृत किये गये?

(2) उक्त कार्यों में से अपूर्ण एवं प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण नहीं करने के क्या कारण रहे और अब उक्त को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की पंचायत समिति हिण्डौली के माडा योजना में चयनित गांवों में वर्ष 2001 से 2002 तक निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये गये।

(राशि लाख रुपये में)

नाम	कार्य सं.	राशि
1. हैण्ड पम्प	11	5.10
2. विद्यालयों में अति. कमरा निर्माण	03	3.75
3. जल प्रदाय योजना	03	8.00
4. एनीकट निर्माण	08	34.98

स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति दिनांक एवं राशि का विवरण **परिशिष्ट–1 पर** अवलोकनीय है।

(2) स्वीकृत कार्यों में से 5 एनीकटों एवं 3 जलप्रदाय योजनाओं के अतिरिक्त सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं। एनीकटों का कार्य जून, 2003 तक पूर्ण हो जायेगा। जल प्रदाय योजनाओं की राशि कम होने के कारण अतिरिक्त जिला कलक्टर से संशोधित प्रस्ताव चाहे गये है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति दिया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट–1

वर्ष 2001–2002 में हिण्डौली क्षेत्र में माडा योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में स्वीकृत कार्यों की सूची

क्र.सं.	अवधि	कार्य का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	स्वीकृति क्रमांक/ दिनांक	स्वीकृति राशि	भौतिक स्थिति	कार्य अपूर्ण रहने का कारण	कार्य पूर्ण कराने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जनवरी, 2001 से 31 मार्च, 2002 तक	हैण्ड पम्प निर्माण	काबरी	रोशनदा	668–75/31.3.2001	0.40	पूर्ण		
		हैण्ड पम्प निर्माण	नन्दगांव	रा.च. का खेड़ा	668–75/31.3.2001	0.40	पूर्ण		
		हैण्ड पम्प निर्माण	उमर	उमर	10–16/11.4.2001	0.50	पूर्ण		
		हैण्ड पम्प निर्माण	विजयगढ़	विजयगढ़	10–16/11.4.2001	0.50	पूर्ण		
		हैण्ड पम्प निर्माण	विकरण	पेच की बावड़ी	10–16/11.4.2001	0.50	पूर्ण		
		हैण्ड पम्पा निर्माण	सथूर	सथूर	10–16/11.4.2001	0.50	पूर्ण		
		हैण्ड पम्प निर्माण	फतेहगढ़	थाना	10–16/11.4.2001	0.50	पूर्ण		
		हैण्ड पम्प निर्माण	विशनपुरा	थाना	377–82/12.11.2001	0.50	पूर्ण		
		हैण्ड पम्प निर्माण	फालेण्डा	थाना	377–82/12.11.2001	0.50	पूर्ण		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अप्रैल, 2002 से 31.12.2002 तक	हैण्ड पम्प निर्माण	रोशन्दा	रोशन्दा	377–82/12.11.2001	0.40	पूर्ण		
		हैण्ड पम्प निर्माण	काबरी	रोशन्दा	170–77/21.6.2002	0.40	पूर्ण		
2.	जनवरी, 2001 से 31 मार्च, 2002 तक	अतिरिक्त कमरा निर्माण	राप्रावि रघुनाथपुरा	गुठागोकुलपुरा	377–82/12.11.2001	1.25	पूर्ण		
		अतिरिक्त कमरा निर्माण	राप्रावि डाटून्दा	डाटून्दा	25–30/30.4.2001	1.25	पूर्ण		
		अतिरिक्त कमरा निर्माण	राप्रावि बोरखेड़ा	रा.च. का खेड़ा		1.25	पूर्ण		
3.	जनवरी, 2001 से 31 मार्च, 2002 तक	जलप्रदाय योजना	स्वरूपगढ़	काछोला	635–40/21.3.2001	2.00	प्रारम्भ नहीं	स्वीकृत राशि कम होने से	
		जलप्रदाय योजना	देवाका	पेच की बावड़ी	377–82/12.11.2001	3.00	प्रारम्भ नहीं	स्वीकृत	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			खेड़ा				नहीं	राशि कम होने से	
		जलप्रदाय योजना	बटवाड़ी	उमर	377–82/12.11.2001	3.00	प्रारम्भ नहीं	स्वीकृत राशि कम होने से	
4.	अप्रैल, 2002 से 31.12.2002 तक	एनीकट निर्माण	हरिपुरा	सथूर	170–77/21.6.2002	1.99	पूर्ण		
		एनीकट निर्माण	खोठी	सावतगढ़	260–64/15.8.2002	1.99	पूर्ण		
		एनीकट निर्माण	उमर नदी पर	उमर	260–64/14.8.2002	3.00	प्रगति पर		जून, 2003 तक
		एनीकट निर्माण	रूपपुरा भीलों का	बसौली	436–39/27.11.2002	4.00	प्रगति पर		जून, 2003 तक
		एनीकट निर्माण	उण्डाचरा खाल पर	गुढ़ागोकुलपुरा	436–39/27.11.2002	5.00	प्रगति पर		जून, 2003 तक
		एनीकट निर्माण	रैगरों के खाल पर	विजयगढ़	436–39/27.11.2002	2.00	प्रगति पर		जून, 2003 तक
		एनीकट निर्माण	करगजपुरा खाल पर	रामचन्द्रजी का खेड़ा	399–401/22.11.2001	8.00	पूर्ण		
		एनीकट निर्माण	गुहामाता खाल पर	ठीकरदा	399–401/22.11.2001	8.00	प्रगति पर		जून, 2003 तक

सब्जी उत्पादन में वृद्धि हेतु संचालित योजनाएं

210. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने कोई योजना चला रखी है? क्या राज्य में उक्त योजना चल रही है? यदि हां, तो उक्त में राज्य व केन्द्र का कितना–कितना अंशदान है?

(2) क्या दिसम्बर, 2001 से दिसम्बर, 2002 तक राज्य में उक्त योजना का लाभ कृषकों को दिया गया है? यदि हां, तो कितना कितना?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार ने राज्य में सब्जी विकास योजना चला रखी है। जिसमें 90 प्रतिशत केन्द्रियांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश है।

(2) जी हां। राज्य में उक्त योजना का लाभ कृषकों को दिया गया है। इस योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2001 से दिसम्बर 2002 तक कुल 33,68,228 रुपये व्यय किये गये।

पोलीटेक्नीक महाविद्यालय चूरू का अपूर्ण भवन

211. श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चूरू में पोलीटेक्नीक कालेज कब प्रारम्भ हुआ? वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 में किस–किस विषय में कितने–कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया? प्रवेश पाए विद्यार्थियों में से जिला चूरू के मूल निवासी विद्यार्थी कितने थे?

(2) उक्त पोलीटेक्नीक के भवन व संयंत्र हेतु वर्ष 1999–2000 से अब तक कितनी राशि व्यय की गई? क्या भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) चूरू में पोलीटेक्नीक कालेज सत्र 1999–2000 में प्रारम्भ हुआ। सत्र 1999–2000 व 2000–2001 में कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग तथा इलैक्ट्रोनिक्स पाठ्यक्रम के निम्नानुसार छात्रों को प्रवेश दिया गया :–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम मय प्रवेश क्षमता	सत्र 1999–2000		सत्र 2000–2001	
		कुल प्रवेश हुए	जिला चूरू के मूल निवासी	कुल प्रवेश हुए	जिला चूरू के मूल निवासी
1.	इलैक्ट्रोनिक्स (प्रवेश क्षमता 20)	18	01	19	03
2.	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग (प्रवेश क्षमता 20)	20	01	19	01

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

(2) पालीटेक्नीक कालेज, चूरू के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1999–2000 से अब तक 60.00 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। संयंत्र हेतु वर्ष 1999–2000 से अब तक वित्तीय सीमितता के कारण कोई राशि आबंटन नहीं की जा सकी है। भवन निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है क्योंकि भवन निर्माण की कुल अनुमानित लागत रुपये 458.00 लाख है एवं वित्तीय सीमितता के कारण राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, परन्तु इस वर्ष में 45.00 लाख रुपये इस कार्य हेतु उपलब्ध कराये जा रहे है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा के ग्रामीण बेरोजगारों को खादी ग्रामोद्योग द्वारा स्वीकृत ऋण

212. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या खादी ग्रामोद्योग द्वारा बेरोजगारों को उद्योग लगाने हेतु ऋण देने के कोई नियम बने हुये है? क्या शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अलग–अलग नियम है? यदि हां, तो नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र भादरा के कितने व्यक्तियों को कितना ऋण दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को दिये जाने वाले ऋण की बजाय शहरी क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित किये जाने का प्रयास किया गया है? यदि हां, तो क्यों? (परिशिष्ट–1)

उत्तर

(1) खादी ग्रामोद्योग द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिये उद्योग लगाने व ऋण देने के कोई नियम नहीं बने हुये है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने व ऋण देने के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–1)

(2) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र भादरा में 51 व्यक्तियों को 240.55 लाख रुपये के ऋण वितरण विभिन्न बैंकों के माध्यम से किया गया है।

(3) जी नहीं।

खादी ग्रामोद्योग द्वारा बेरोजगारों को उद्योग लगाने हेतु ऋण देने के नियम

प्रावधान/शर्तें/निर्देश

खादी ग्रामोद्योग में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को ऋण देने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्देश प्रसारित किये हुए है इन्हीं निर्देशों के अनुसार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बैंको के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बोर्ड के ऋण उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में पृथक से कोई नियम नहीं बने हुए है वर्तमान में बोर्ड द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग की मार्जिन मनी योजना का संचालन किया जा रहा है योजना के निम्न प्रावधान निर्देश व शर्तें निर्धारित हैं :

1. मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत 20,000 तक की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्र में जहां प्रति व्यक्ति कामगार स्थाई पूंजी विनियोजन 50,000 रुपये से अधिक न हो ग्रामोद्योग स्थापना हेतु बैंकों से 25.00 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
2. ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति इकाई लगाना चाहता है उसको निर्धारित आवेदन पत्र भरकर सीधे बैंक में अथवा जिला उद्योग केन्द्र में स्थित जिलाधिकारी (खादी) को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।
3. ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति आयोग की नकारात्मक सूची को छोड़कर कोई भी उद्योग लगाना चाहता है उसमें स्वयं की सहभागिता 10 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग व अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, भूतपूर्व सैनिक सीमावर्ती जनजाति क्षेत्र के उद्यमी को स्वयं की सहभागिता 5 प्रतिशत वहन करनी होती है।
4. ग्रामीण क्षेत्र में इकाई स्थापित करने हेतु सामान्य जाति के उद्यमी को 10.00 लाख रुपये तक की परियोजना पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) देय है तथा शेष श्रेणी के उद्यमियों को 30 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) देय हैं, 10.00 लाख रुपये से ऊपर की परियोजना होने पर शेष राशि पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी देय है। यह मार्जिन मनी (अनुदान) बैंक द्वारा स्वयं की सहभागिता को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत प्रोजेक्ट पर देय है।
5. आयोग की नकारात्मक सूची के अन्तर्गत निम्न उद्योगों में उद्यमी को ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है–1. मांस (प्रशोधन, डिब्बाबंदी और/या परोसना और नशीली सामग्रियां/उत्पादन/निर्माण/बिक्री), 2. फसल उगाना, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सूअर पालन, मुर्गी पालन इत्यादि और खादी और पोली वस्त्र 3. पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी परियोजना, 20 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग्स, बीड़ी, पान, तम्बाकू, सिगरेट।
6. नकारात्मक सूची के अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्योग की स्थापना इस योजना के अन्तर्गत की जा सकती है जो कि उपर्युक्त शर्तों को पूरा करते हो।
7. 1.00 लाख रुपये तक की परियोजनाएं पंचायत समिति स्तर से व 1.00 लाख से ऊपर की परियोजनाएं जिला स्तर से बैंकों को अभिशंसित की जाती है।
8. यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए है कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित कर सकता है। शहरी क्षेत्रों में इकाई स्थापित नहीं की जा सकती।

जिला नागौर में राजस्व प्रकरणों के निस्तारण हेतु भू-नियमन समिति की बैठकें

213. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर के ग्रामों में जून, 2002 में आयोजित राजस्व शिविरों में कितनी कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन/नियमन की गई तथा उक्त शिविरों में आबंटित/नियमित हुई और कितनी भूमि का रिकार्ड में अमल दरामद किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि पर अतिक्रमणों को नियमन करने हेतु सरकार तहसील स्तर पर नियमन कमेटी की बैठक आयोजित कर किसानों को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपखण्ड स्तरीय भूमि आबंटन सलाहकार समितियों द्वारा कुल 2701.08 बीघा भूमि आबंटन/नियमन की सिफारिश की गई थी। उसमें से 948.14 बीघा भूमि आवंटन/नियमन का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर दिया गया है।

गैर मुमकिन अंगोर, ओरण पहाड़, मगरा, खारड़ा, नदीतल वगैराह भूमि से सम्बन्धित मामलों में 986.03 बीघा किस्म परिवर्तन की सशर्त पर कमेटी द्वारा आबंटन की सिफारिश की गई थी जिसका रिकार्ड में अमलदरामद नहीं किया गया है। प्रीमियम राशि जमा नहीं कराने के कारण 102.14 बीघा तथा किस्म परिवर्तन आवश्यकता के कारण 663.17 बीघा भूमि आबंटन/नियमन के आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(2) आबंटन योग्य भूमि जिस ग्राम में स्थित है, उसी ग्राम में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का आबंटन) नियम, 1970 के नियम 13 (4) के अन्तर्गत भूमि आबंटन कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

जिला धौलपुर में "अल्प बचत योजना" के तहत आबंटित राशि का उपयोग

214. श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत चार वर्षों में अल्प बचत योजना के तहत जिला धौलपुर में कितनी कितनी राशि जमा हुई?

(2) क्या सरकार अल्प बचत योजना के तहत प्रत्येक जिले में जमा राशि की एक प्रतिशत राशि उक्त क्षेत्र में विकास कार्य हेतु आवंटित करती है? यदि हां, तो उक्त जिले में गत चार वर्षों में कितनी-कितनी राशि विकास कार्य के लिए आबंटित की गई?

(3) उक्त आबंटित राशि का किस किस विकास कार्यों में उपयोग किया गया? क्या आबंटित राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में धौलपुर जिले में अल्प बचत योजनाओं में निम्नानुसार राशि जमा हुई है :–

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	सकल संग्रहण	शुद्ध संग्रहण
1998–1999	4959.01	3785.53
1999–2000	7805.43	5965.59
2000–2001	9892.32	7706.60
2001–2002	16168.64	13223.33

(2) जी नहीं। प्रत्येक जिले में जमा राशि की एक प्रतिशत राशि विकास कार्यों के लिए आबंटित नहीं की जाती है अपितु जिन जिलों द्वारा निर्धारित अल्प बचत शुद्ध संग्रहण लक्ष्य के बराबर या उससे अधिक उपलब्धि अर्जित की जाती है उन्हें अल्प बचत सहभागिता योजना के अन्तर्गत आबंटित लक्ष्य के बराबर अर्जित उपलब्धि पर स्थाई निर्माण विकास कार्यों हेतु 0.50 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन राशि आबंटित की जाती है जिसकी 10 प्रतिशत राशि राज्य स्तरीय उपयोग हेतु अल्प बचत निदेशालय के निजी निक्षेप खाते में जमा की जाती है। जिले को आबंटित लक्ष्य से अतिरिक्त अर्जित की गई उपलब्धि की 0.75 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को स्थाई निर्माण विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वर्ष 1998–1999 एवं 1999–2000 की अल्प बचत शुद्ध संग्रहण उपलब्धि पर क्रमश: 13.95 लाख रुपये एवं 20.70 लाख रुपये कुल 34.65 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं।

(3) उक्त आबंटित राशि से स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। धौलपुर जिले को 34.65 लाख उक्त वर्षों में आबंटित किये गये है। इसके अलावा पूर्व वर्षों की अवशेष राशि रुपये 34,47,535/– अवशेष थी। इस प्रकार गत चार वर्षों में कुल रुपये 69,12,535/– उपलब्ध थे। उक्त उपलब्ध राशि के विरुद्ध 44.96 लाख रुपये की राशि का निर्माण कार्य स्वीकृत कर उपयोग कर लिया गया है और शेष रही राशि रुपये 24,16,535/–का उपयोग जन प्रतिनिधियों/अधीनस्थ कार्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण नहीं हुआ है।

परिशिष्ट 'अ'

गत 4 वर्षों में जिला धौलपुर में स्वीकृत स्थाई निर्माण विकास कार्यों का विवरण

वर्ष 1998-99

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत आदेश	राशि स्वीकृत	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	बसई नवाब से नगला हरलाल तक सड़क निर्माण	938/2.4.1998	1,62,000	कार्य पूर्ण
2.	तसीमों में शहीद स्मारक निर्माण कार्य	5204/28.9.1998	25,000	कार्य पूर्ण
3.	जिला अल्प बचत समितियों का निर्माण	2686/29.9.1998	5,00,000	कार्य पूर्ण
4.	धौलपुर कस्बे में मुख्य स्थानों पर सोडियम लैम्प लगाने हेतु	2722/13.10.1998	35,000	कार्य पूर्ण
		योग	7,22,000	

वर्ष 1999-2000 एवं वर्ष 2000-2001 –कोई स्थाई निर्माण विकास कार्य नहीं स्वीकृत किया गया है।

1.	रा.उ.मा.वि. शेखूपुरा में कमरा निर्माण	986/1.4.2001	61,000	कार्य पूर्ण
2.	रा. महाविद्यालय धौलपुर में पेयजल टंकी निर्माण	996/3.5.2001	15,000	कार्य पूर्ण
3.	सीसी रोड निर्माण मछरिया	1033/7.6.2001	1,00,000	कार्य पूर्ण
4.	सीसी रोड बरोली	1039/8.6.2001	1,24,000	कार्य पूर्ण
5.	पुलिस थाना परिसर सैपऊ में नवीन हैण्डपम्प	1052/19.6.2001	20,000	कार्य पूर्ण
6.	राज.उ.प्रा.वि. चौकी हिनोता में एक कमरा निर्माण	1131/8.8.2001	76,000	कार्य पूर्ण
7.	राज. प्रा. वि. कंचनपुरा हिनोता में एक कमरा निर्माण	1149/21.8.2001	76,000	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5
8.	राज.प्रा.वि. बकायनकापुरा में कमरा निर्माण	1153/21.8.2001	76,000	कार्य पूर्ण
9.	छोटापुल निर्माण सादिकपुर	1157/21.8.2001	15,000	कार्य पूर्ण
10.	राज.प्रा.वि. समोला में कमरा निर्माण	1161/21.8.2001	76,000	कार्य पूर्ण
11.	राज.मा.विद्यालय जारगा में एक कमरा निर्माण	1165/21.8.2001	1,06,000	कार्य प्रगति पर
12.	राज.प्रा.वि.धौलपुर बहवलपुर में एक कमरा निर्माण	1169/21.8.2001	76,000	कार्य प्रगति पर
13.	डामर सड़क निर्माण मुरेना से बिचपुरी	1618/10.1.2002	2,75,000	कार्य प्रगति पर
14.	नगरपालिकाओं में कचरापात्रों का निर्माण	15.1.2002	2,50,000	कार्य पूर्ण
15.	नवीन हैण्डपम्प का कलक्टर निवास के पास धौलपुर	1797/6.3.2002	38,000	कार्य पूर्ण
16.	डामर सड़क निर्माण राजाखेड़ा	1826/30.3.2002	2,29,000	कार्य प्रगति पर
		योग	**16,13,000**	
वर्ष 2002-2003				
1.	सामुदायिक भवन निर्माण गन्हेंदी	6/8.4.2002	1,50,000	कार्य पूर्ण
2.	मेला परिसर बाड़ी बाउण्डरी की दीवारी निर्माण	101/5.6.2002	5,00,000	कार्य प्रगति पर
3.	सामुदायिक भवन निर्माण तहसील परिसर में सरमथुरा	190/25.7.2002	4,39,000	कार्य प्रगति पर
4.	सामुदायिक भवन निर्माण पुरानी छावनी	232/9.8.2002	2,05,000	कार्य पूर्ण
5.	डामर सड़क निर्माण लोंगपुर पहाड़	237/9.8.2002	65,000	कार्य प्रगति पर
6.	नवीन हैण्डपम्प निर्माण आरएसी धौलपुर	268/30.8.2002	40,000	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5
7.	नवीन हैण्डपम्प पुलिस चौकी सुखवारा	264/30.8.2002	20,000	कार्य प्रगति पर
8.	कमरा निर्माण रा.उ.प्रा.वि. कोटपुरा	203/10.10.2002	1,20,000	कार्य प्रगति पर
9.	रा.उ.प्रा.वि. नादौली	203/10.10.2002	1,20,000	कार्य प्रगति पर
10.	राजीव गांधी प्रा.पाठशाला गड़ी	203/10.10.2002	1,20,000	कार्य प्रगति पर
11.	एस.डी.ओ. कार्यालय राजाखेड़ा परिसर में शौचालय निर्माण	313/10.10.2002	22,000	कार्य प्रगति पर
12.	एस.पी. कार्यालय धौलपुर में सामुदायिक भवन का निर्माण	317/10.10.2002	2,50,000	कार्य प्रगति पर
13.	नवीन हैण्डपम्प निर्माण सदर थाना धौलपुर	322/10.10.2002	40,000	कार्य प्रगति पर
14.	नवीन हैण्डपम्प निर्माण थाना दिहौली	322/10.10.2002	45,000	कार्य प्रगति पर
15.	नवीन हैण्डपम्प निर्माण रा. संस्कृत प्रवेशिका	475/31.12.2002	25,000	कार्य प्रगति पर
		योग	21,61,000	
		कुल योग	44,96,000	

अक्षरे रुपये चवांलिस लाख छियानवें हजार मात्र

जिला बाड़मेर में वृद्धावस्था पेंशन पर रोक

215. श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में वर्ष 1999 से 2002 तक कुल कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों एवं गांवों की ओर में वृद्धावस्था पेंशन के कई मामले निपटाये हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला बाड़मेर में उक्त निपटाये मामलों में से बहुतों को पेंशन नहीं दी है?

(4) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही थी? उन्हें भी बन्द कर दी गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में वर्ष 1999 से 2002 तक 2109 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) गत तीन वर्षों में जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही थी उनमें से कुछ मामलों में पेंशन बन्द कर दी गई है। पेंशन बन्द करने के प्रमुख कारण निम्नांकित हैं :–

1. पेंशनर का स्वर्गवास हो जाना।
2. वार्षिक सत्यापन में पेंशनर्स की स्थिति में परिवर्तन होने से पेंशन पाने के अपात्र पाये जाने पर।
3. सर्वे एवं जांच के दौरान अपात्र पाये जाने पर।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा वितरित ऋण व वसूली के लक्ष्य

216. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा चार वर्षों में कुल कितना ऋण वितरित किया गया और गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष का अनुपात क्या है?

(2) क्या पुराने ऋण की वसूली लक्ष्यानुसार हो गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा वितरित किये गये ऋण एवं पुराने ऋण की वसूली का अनुपात क्या है? उद्योग क्षेत्र एवं जिला अनुसार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा गत चार वर्ष (1998–2002) में कुल 498.52 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2002–03 में माह अप्रैल, 2002 से 15 फरवरी, 2003 तक कुल 98.48 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.06% अधिक है।

(2) निगम में पुराने ऋणों का पृथक से वर्गीकरण नहीं है परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिये गये मापदण्डों के अनुसार गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों (एन.पी.ए.) को कम करने का प्रयास करता है।

वर्ष	लक्ष्य	वसूली की गई राशि (राशि करोड़ों में)
1998–99	205.00	206.14
1999–2000	210.00	211.93
2000–2001	210.00	212.10
2001–2002	210.00	223.06

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि निगम ने प्रत्येक वर्ष में अपने निर्धारित लक्ष्यों की शत–प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की है।

(3) कार्यालय आयुक्त, उद्योग द्वारा वितरित ऋण की अवशेष राशि 1.4.2002 को 600.32 लाख रुपये थी जिसके विरुद्ध

(उद्योग मंत्री)

माह दिसम्बर, 2002 तक रुपये 10.81 लाख वसूल किया गया जो कुल अवशेष राशि का 1.80 प्रतिशत है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "क"

उद्योग निदेशालय द्वारा स्वीकृत एवं वितरित ऋण में से अवशेष ऋण का विवरण (लाखों में)

क्र.सं.	जिला	01.4.02 तक अवशेष ऋण	31.12.02 तक वसूली	वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	33.11	1.00	3.02
2.	अलवर	26.39	0.41	1.55
3.	बांसवाड़ा	20.29	0.02	0.01
4.	बारां	1.63	–	–
5.	बाड़मेर	10.38	0.14	1.35
6.	भरतपुर	14.91	0.05	0.34
7.	भीलवाड़ा	38.98	0.62	1.59
8.	भिवाड़ी	3.20	0.06	0.31
9.	बीकानेर	11.05	0.03	0.27
10.	बून्दी	3.22	–	–
11.	चित्तौड़गढ़	3.98	0.36	9.05
12.	चूरू	6.01	0.06	0.01
13.	दौसा	22.13	–	–
14.	धौलपुर	4.41	0.02	0.45
15.	डूंगरपुर	9.82	0.02	0.2
16.	हनुमानगढ़	0.74	–	–
17.	जयपुर (ग्रामीण)	25.12	1.05	4.18
18.	जयपुर (शहर)	129.31	0.82	0.63
19.	जैसलमेर	1.16	0.05	4.31
20.	जालौर	2.16	0.04	1.85
21.	झालावाड़	2.69	–	–
22.	झुंझुनूं	20.45	–	–
23.	जोधपुर	21.21	0.81	3.82

1	2	3	4	5
24.	करौली	7.23	–	–
25.	कोटा	12.75	–	–
26.	नागौर	59.41	0.48	0.8
27.	पाली	8.31	0.77	9.27
28.	राजसमन्द	0.35	–	–
29.	सवाईमाधोपुर	5.98	0.11	1.84
30.	सीकर	23.39	0.40	1.71
31.	सिरोही	28.17	1.49	5.29
32.	श्रीगंगानगर	7.70	0.20	2.6
33.	टोंक	9.36	0.96	10.26
34.	उदयपुर	25.34	0.89	3.51
	योग	**600.32**	**10.81**	**1.8**

डूंगरपुर महाविद्यालय के भवन के रख-रखाव पर व्यय

217. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला डूंगरपुर में सरकारी भवनों/सड़कों के रख-रखाव के लिये वर्ष 2001 तथा 2002 में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? उक्त राशि किस-किस भवन/सड़क/पुलिया पर व्यय की गई?

(2) क्या डूंगरपुर कालेज का भवन पुराना है? क्या सरकार उक्त भवन की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में सरकारी भवनों/सड़कों के रख-रखाव के लिये वर्ष 2001 एवं 2002 में निम्नानुसार स्वीकृत राशि व्यय की गई :–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	वर्ष 2001-2002		वर्ष 2002-03 (माह 1/2003 तक)	
		प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1.	भवन कार्य	23.00	22.93	15.99	5.16
2.	सड़क कार्य	106.00	105.78	38.48	38.98

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

विभिन्न भवनों/सड़कों/पुलियाओं पर किये गये व्यय विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त भवन की मरम्मत के लिये प्रति वर्ष 2059 मद के तहत राशि आबंटित कर मरम्मत कराई जाती है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला नागौर के औषधालयों में रिक्त पद

218. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गत तीन वर्षों में राज्य में नये औषधालय खोले है? यदि हां, तो जिला नागौर में कौन–कौन से गांव में कब–कब? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त औषधालयों में चिकित्सक/कम्पाउण्डर आदि स्टाफ लगा दिया गया है? यदि हां, तो कब–कब कौन–कौन सा स्टाफ किस–किस औषधालय में और नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक लगा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब वर्ष 2003–04 में कितने औषधालय कब तक खोले जायेंगे?

उत्तर

(1) वर्ष 1999–2000 के बजट भाषण में राज्य में 100 आयुर्वेदिक व 50 यूनानी औषधालय खोलने की घोषणा की गयी थी, किन्तु वित्तीय स्वीकृति के अभाव में इन नवीन औषधालयों को अभी आरम्भ नहीं किया जा सका है। जिला नागौर में 3 आयुर्वेदिक एवं 3 यूनानी औषधालय खोलने हेतु स्थानों का चयन किया गया है, जिनका विवरण विधान सभा क्षेत्रवार परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। वित्तीय स्वीकृति के अभाव में चूंकि नवीन औषधालय अभी तक प्रारम्भ ही नहीं हुए है। अतः इनमें किसी का पदस्थापन अपेक्षित नहीं है।

(3) वर्ष 2003–04 में नवीन औषधालय खोलने हेतु बजट प्रावधान के अनुसार ही नवीन औषधालय खोलना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "क"

जिला नागौर में नवीन खोले जाने वाले विभागीय औषधालयों (चयनित स्थानों) का विवरण

क्र.सं.	स्थान	चिकित्सा पद्धति	पं. समिति/ नगरपालिका	विधान सभा क्षेत्र	राज्यादेश दिनांक
1.	रताऊ	आयुर्वेद	लाडनूं	लाडनूं	09.7.1999
2.	मेवड़ा	यूनानी	डेगाना	डेगाना	09.7.1999
3.	डीडवाना	यूनानी	डीडवाना शहर	डीडवाना	09.7.1999
4.	नथावड़ा	आयुर्वेद	डेगाना	डेगाना	06.12.1999
5.	मोहता बडली	आयुर्वेद	नागौर शहर	नागौर	06.12.1999
6.	बड़ी खाटू	यूनानी	जायल	जायल	31.3.2000

नोट :

(1) राज्यादेश दिनांक 21.3.2002 द्वारा राजकीय आयुर्वेद औषधालय, चावण्डिया (पं. स. मूंडवा) को वार्ड-बडली, नागौर शहर (वार्ड संख्या 32) में स्थानान्तरित किये जाने से परिवर्तित स्थान वार्ड बडली–नागौर शहर में औषधालय आरम्भ किया जा चुका है। इस औषधालय में कम्पाउण्डर एवं परिचारक कार्यरत है।

(2) राज्यादेश दिनांक 25.1.2002 द्वारा ग्राम धारणावास (पंचायत समिति–मूंडवा) में नवीन आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत किया गया था, किन्तु राज्यादेश दिनांक 22.3.2002 द्वारा यह स्वीकृति निरस्त कर ग्राम खींवसर (पंचायत समिति–मूंडवा) का आयुर्वेद औषधालय, ग्राम धारणावास में स्थानान्तरित किया गया है। ग्राम धारणावास में स्थानान्तरित औषधालय दिनांक 31.3.2002 से आरम्भ किया गया है। इस औषधालय में चिकित्सक, कम्पाउण्डर एवं परिचारक तीनों कार्यरत हैं।

उपभोक्ता न्यायालय द्वारा परिवाद निस्तारण की सीमा

219. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने एवं उपभोक्ता विवादों को निपटाने के लिए वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं वर्ष 2002 में उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम में आमूल चूल परिवर्तन कर परिवाद प्रस्तुत होने के 21 दिन में दर्ज कराना और उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा विपक्षीगण को नोटिस जारी करने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 में कितने परिवाद दर्ज हुए?

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विपक्षीगण को नोटिस मिलने की तिथि से साधारण मामलों में 3 माह व प्रयोगशाला जांच के मामलों में 5 माह के भीतर परिवाद निस्तारण करना होता है? यदि हां, तो उक्त समय सीमा में किस–किस जिले में परिवाद का निस्तारण हो सका है?

उत्तर

(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वर्ष 2002 के संशोधित अधिनियम की अधिसूचना भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। अतः अधिनियम, 1986 के तहत ही परिवाद दर्ज किये जा रहे है। जिनका राज्य आयोग एवं जिला मंचवार वर्ष, 2002 व जनवरी, 2003 का विवरण परिशिष्ट 'अ' में प्रस्तुत है।

(2) संशोधित अधिनियम, 2002 की सूचना प्राप्त नहीं होने से अधिनियम, 1986 के तहत परिवाद निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष 2002 तथा जनवरी, 2003 में दर्ज परिवाद प्रकरण

क्र.सं.	नाम जिला	वर्ष 2002	जनवरी, 2003
1	2	3	4
1.	अजमेर	286	14
2.	अलवर	589	55
3.	बांसवाड़ा	92	13
4.	बाड़मेर	258	41
5.	बून्दी	257	14
6.	भरतपुर	612	45
7.	भीलवाड़ा	299	68
8.	बीकानेर	303	78
9.	बारां	130	09
10.	चूरू	283	16
11.	चित्तौड़गढ़	462	64
12.	डूंगरपुर	70	01
13.	धौलपुर	155	20
14.	दौसा	243	17
15.	हनुमानगढ़	396	17
16.	जयपुर-I	356	35
17.	जयपुर-II	1093	168
18.	जोधपुर	485	46
19.	जैसलमेर	160	11
20.	जालौर	76	09
21.	झालावाड़	48	08
22.	झुंझुनूं	652	अप्राप्त
23.	कोटा	573	45
24.	नागौर	204	34
25.	पाली	226	11
26.	राजसमन्द	77	05
27.	सीकर	494	48
28.	सवाईमाधोपुर	313	35
29.	सिरोही	128	19
30.	श्रीगंगानगर	481	86
31.	टोंक	193	15
32.	उदयपुर	321	21
33.	करौली	156	11
34.	राज्य आयोग	94	07
	योग	**10471**	**1079**

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में प्रधान प्रशिक्षण संचालन व वित्तीय प्राधिकार की नियुक्ति हेतु योग्यता

220. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकारी जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण/ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों पर नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग ट्यूटर एवं पब्लिक हेल्थ नर्स के पदों पर कार्यरत कर्मचारी आई.एन.सी. व राजस्थान अधीनस्थ चिकित्सा सेवा नियम, 1965 के अनुरूप योग्यताधारी है? यदि हां, तो उक्त की योग्यता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकारी जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों पर संस्था प्रधान, प्रशिक्षण संचालन नियन्त्रण के प्रशासनिक, अकादमिक तथा वित्तीय प्राधिकार स्थानीय अधिकारी अपनी मर्जी के अनुसार प्रदान करते है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार योग्यताधारी कर्मी/अधिकारियों को संस्था प्रधान/प्रशिक्षण संचालक के पदों पर पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। योग्यता सम्बन्धि चिकित्सा सेवा नियम, 1965 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) संस्था प्रधान योग्यताधारी अधिकारी/कर्मचारी ही कार्यरत है।

(सेवा नियम की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स में बैकलाग पदों की आपूर्ति

221. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर में कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पद में बैकलाग अवशेष चल रहे हैं? यदि हां, तो किस-किस वर्ग के कितने-कितने पद कौन-कौनसी वेतन श्रृंखला के कब से?

(2) उक्त रिक्त पदों को लम्बे समय से नहीं भरने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

(3) क्या सरकार उक्त बैकलाग के रिक्त अवशेष पदों को भरने की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर में दिनांक 1.4.1997 से पूर्व प्रचलित आरक्षण नियमों के तहत निम्नप्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के बैकलाग चल रहे है :–

(वित्त मंत्री)

पद का नाम	वेतन श्रृखंला	बैकलाग अनु.जाति	अनु.जनजाति	योग	बैकलाग वर्ष
कार्यालय अधीक्षक	5500–9000	–	1	1	1997
कार्यालय सहायक	5000–8000	–	1	1	1997
वरिष्ठ लिपिक	4000–6000	1	1	2	1993
कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	2	–	2	1996

(2) कार्यालय अधीक्षक एवं कार्यालय सहायक का पद वर्ष 1997 में रिक्त नहीं होने के कारण भरा नहीं जा सका। वरिष्ठ लिपिक हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक वर्ष 1995 एवं 1997 में आयोजित की गयी जिसमें 'जोन आफ कंसीडरेशन' में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति का कोई कनिष्ठ लिपिक उपलब्ध नहीं होने के कारण पदों का बैकलाग पूर्ण नहीं कर आगामी वर्ष के लिए रखने का निर्णय लिया गया। कनिष्ठ लिपिक का पद सीधी भर्ती का है जिस पर नियुक्ति हेतु कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 1996 से अनुसूचित जाति का कोई अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं करवाया गया जिस कारण बैकलाग रहा है।

(3) सेवानिवृत्ति के कारण माह अगस्त एवं सितम्बर 2002 क्रमशः कार्यालय अधीक्षक व कार्यालय सहायक के पद रिक्त हुए है रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बिच्छीवाड़ा (डूंगरपुर) में उप तहसील की स्थापना

222. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बिच्छीवाड़ा (डूंगरपुर) की तहसील से दूरी अधिक है?

(2) क्या सरकार पंचायत समिति बिच्छीवाड़ा में अलग से नई तहसील/उप तहसील खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बिच्छीवाड़ा तहसील डूंगरपुर से 22 कि.मी. दूर है।

(2) राज्य में जब भी नई तहसीलों/उप तहसीलों के गठन के प्रस्तावों पर विचार होगा तब इस प्रस्ताव पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार कर समुचित निर्णय कर लिया जावेगा।

विधान सभा क्षेत्र रूपवास में महिला छात्रावास की स्थापना

223. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1998 से 2002 तक विधान सभा क्षेत्र रूपवास में कितने छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं? नाम, स्थान सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्भय लाल)

(2) उक्त क्षेत्र में उक्त अवधि में कहां–कहां पर छात्रावास भवनों का निर्माण कराया गया और उक्त में से कितने छात्रावास भवन अपूर्ण है? क्या सरकार उक्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवायेगी? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार रूपवास में महिला छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1998 से 2000 तक विधान सभा क्षेत्र रूपवास में कोई नया छात्रावास स्वीकृत नहीं किया गया।

(2) उक्त क्षेत्र में उक्त अवधि में किसी भी छात्रावास भवन का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं।

ब्यूरो आफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन में सलाहकार सेवा में अनुबन्ध में अनियमितता की जांच

224. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ब्यूरो आफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन (बी.आई.पी.) में वित्तीय अनियमितता के बारे में वित्त विभाग ने उद्योग सचिव को जांच हेतु पत्र लिखा? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर श्रीमती ऋतु लोहिया, श्री सुभाष शर्मा, श्रीमती हेमलता को प्रतिनियुक्ति के समय कितना वेतन अनुबन्ध या वेतन श्रृंखला के रूप में देय था और वेतन व अन्य भत्तों में बढ़ोतरी प्रति वर्ष किसके आदेश से कितनी–कितनी हुई?

(3) ब्यूरो द्वारा सलाहकार सेवाओं में कितनी कम्पनियों से अनुबन्ध किया गया? क्या सलाहकार सेवा में अनुबन्ध में वित्तीय अनियमितताओं की कोई जांच विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

(1) वित्त विभाग द्वारा उद्योग सचिव को दिनांक 28.1.2003 को पत्र लिखकर महालेखाकार (लेखा परीक्षा–1) राजस्थान के पत्र दिनांक 7.1.2003 में वर्णित प्रतिवेदित अनियमितताओं को निजी स्तर पर दिखवाकर प्रभावी कार्यवाही करके, महालेखाकार (लेखा परीक्षा–1) राजस्थान जयपुर को पूर्ण अनुपालना प्रेषित करने का अनुरोध किया है। वित्त विभाग से प्राप्त उक्त पत्र के सम्बन्ध में परीक्षण किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। श्रीमती ऋतु लोहिया, श्री सुभाष शर्मा एवं श्रीमती हेमलता की सेवाएं बी.आई.पी में प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

श्रीमती ऋतु लोहिया की नियुक्ति नियमित रूप से 11.10.1991 को उप महाप्रबन्धक के पद पर तत्कालीन वेतन श्रृंखला रुपये 3700–5000 पर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप वेतन भत्ता आदि दिया गया। पांचवें वेतन आयोग में उक्त वेतन श्रृंखला को परिवर्तित कर

(उद्योग मंत्री)

रुपये 12000–16500 दिनांक 1.9.1996 से कर दिया गया। दिनांक 31 मार्च, 2000 को इन्हें पदोन्नति कर महाप्रबन्धक के पद पर वेतन श्रृंखला 14300–18300 में पदस्थापित किया गया। उपरोक्त वेतन श्रृंखला में इनको दिये गये वेतन का विवरण निम्नानुसार है :–

अवधि	दी गई मूल वेतन प्रतिमाह	वेतन श्रृंखला
1	2	3
24.10.1992	3825	3700–5000
24.10.1993	3950	3700–5000
24.10.1994	4075	3700–5000
24.10.1995	4200	3700–5000
24.10.1996	4325	3700–5000
1.4.1997	4575	बी.आई.पी. प्रबन्धन द्वारा श्रीमती लोहिया को एम.बी.ए. का पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां आदेश क्रमांक बी.आई.पी/ जी.एम/ 00–17 दिनांक 4.4.1997 द्वारा दी गई। आगामी वेतन वृद्धि की तिथि 24.10.1997 रखी गई।
24.10.1997	4700	3700–5000 वेतन श्रृंखला
1.9.1996	12375 (12000–16500)	आदेश क्रमांक बी.आई.पी/जी.एम ए.बी.आई/ 00–201 दिनांक 23.1.1998 द्वारा राज. सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतनमान) नियम–1998 वेतन
1.9.1997	12750	12000–16500 वेतन श्रृंखला
1.9.1998	13126	12000–16500 वेतन श्रृंखला
1.9.1996	12375	एम.बी.ए योग्यता पूर्ण करने के दो अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत की गई। आदेश क्रमांक बी. आई.पी/ जी.एम/00–201 दिनांक 23.9.1998 के सुपरविजन में आदेश क्रमांक बी.आई.पी/जी.एम/ 00–257 दिनांक 17.5.1999 जारी किया गया।
1.4.1997	13125	12000–16500 वेतन श्रृंखला
1.9.1997	13500	12000–16500 वेतन श्रृंखला
1.9.1998	13875	12000–16500 वेतन श्रृंखला

(उद्योग मंत्री)

1	2	3
1.9.1999	14250	12000–16500 वेतन श्रृंखला
1.4.2000	14700	दिनांक 1.4.2000 को आदेश क्रमांक बी.आई.पी/जी एम/ 339 दिनांक 31.3.2002 द्वारा महाप्रबन्धक के पद पर पदोन्नति देकर वेतन निर्धारित किया गया। ए.जी.आई 1.9.2000 यथावत रखी गई।
1.9.2000	15100	14300–18300 वेतन श्रृंखला
1.9.2001	15500	14300–18300 वेतन श्रृंखला
1.9.2002	15900	15300–18300 वेतन श्रृंखला

उक्त प्रकार से वर्तमान में इनका मूल वेतन रुपये 15900/– प्रतिमाह है।

डा. सुभाष शर्मा की नियुक्ति अंशकालीन आधार पर 15 जनवरी, 1994 को सलाहकार (कंसलटेंट) के रूप में की गई। तत्पश्चात् उन्हें 1 वर्ष के लिये संविदा पर रखा गया। संविदा की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ा दी गई। वर्ष 1999 में संचालक मण्डल के निर्देशानुसार इनकी फीस को 15000/– रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। वर्तमान में डा. सुभाष शर्मा को 17000/– रुपये प्रतिमाह की फीस पर संविदा के आधार पर रखा गया है। डा. सुभाष शर्मा को निम्नलिखित फीस दी गई :

अवधि	दी गई फीस प्रतिमाह
1	2
4/95 से 3/96	5800 प्रतिमाह
4/96 से 10/96	6380 प्रतिमाह
11/96 से 10/97	8300 प्रतिमाह
11/97 से 10/98	9130 प्रतिमाह
11/98 से 5/99	9130 प्रतिमाह
6/99 से 10/99	15000 प्रतिमाह
11/99 से 10/2000	15000 प्रतिमाह
11/2000 से 5/2001	15000 प्रतिमाह
6/2001 से 5/2002	16000 प्रतिमाह
6/2002 से 9/2002	17000 प्रतिमाह

दिनांक मई, 1999 तक डा. सुभाष शर्मा को फीस में बढ़ोतरी प्रतिवर्ष आयुक्त बी.आई.पी के आदेश से दी गई।

जून, 1999 से लेकर अब तक फीस में बढ़ोतरी संचालक मण्डल के निर्देशानुसार दी गई।

श्रीमती हेमलता निगम की नियुक्ति 5 जून 1996 को संविदा के आधार पर रिसेप्शनिस्ट के पद पर रुपये 42000/– प्रतिवर्ष की फीस पर की गई। तत्पश्चात् उनकी संविदा को आवश्यकतानुसार 1–1 वर्ष के लिये बढ़ाया गया। श्रीमती हेमलता निगम को देय वार्षिक फीस का विवरण निम्नानुसार है :

(उद्योग मंत्री)

अवधि	दी गई फीस वार्षिक
5.6.96 से 4.6.96	42000 वार्षिक
5.6.97 से 4.6.98	46200 वार्षिक
5.6.98 से 4.6.99	50820 वार्षिक
5.6.99 से 4.6.2000	50820 वार्षिक
5.6.2000 से 4.7.2000	50820 वार्षिक
5.7.2000 से 4.7.2001	66240 वार्षिक
5.7.2001 से 4.7. 2002	71040 वार्षिक
5.7.2002 से 4.7.2003	75840 वार्षिक

दिनांक 4 जुलाई, 2000 तक श्रीमती हेमलता निगम को फीस में बढ़ोतरी प्रतिवर्ष आयुक्त बी.आई.पी के आदेश से दी गई।

दिनांक 5.7.2000 से लेकर अब तक फीस में बढ़ोतरी संचालक मण्डल के निर्देशानुसार दी गई।

वर्तमान में श्रीमती हेमलता निगम को रुपये 75840/– वार्षिक फीस पर रखा गया है।

(3) बी.आई.पी द्वारा वर्ष 1991 से अब तक 10 विभिन्न कम्पनियों से सलाहकार सेवा का अनुबन्ध किया है तथा जैसे ही कार्य पूर्ण हो गये, अनुबन्ध को समाप्त कर दिया गया। यह अनुबन्ध अधिकतर विज्ञापन के क्षेत्र में विशेष कार्यों के लिये ही किये गये। अनुबन्ध सम्बन्धित अनियमितताओं के विषय में बिन्दू महालेखाकार ने अपने प्रतिवेदनों में लिया हुआ है।

विधान सभा क्षेत्र, दानपुर के गांवों की सम्पर्क सड़कें

225. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दानपुर के 500 से 1000 आबादी वाले गांवों को सम्पर्क सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। 500 से 1000 की आबादी के गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2007 तक प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र खारची के आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

226. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं?

(2) उक्त औषधालयों में कितने पद रिक्त है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर पदस्थापन किए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में विधान क्षेत्र खारची में 18 विभागीय आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(2) उक्त विभागीय औषधालयों में कुल 11 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण निम्नप्रकार है :

आयुर्वेद चिकित्सक

1. सिनला
2. पांचटिया
3. गजनीपुरा

नर्स/कम्पाण्डर

1. निपल
2. कैसूली
3. घेनड़ी

परिचारक

1. मारवाड़ जंक्शन
2. देवली
3. सिंवास
4. सिनला
5. गजनीपुरा

(3) जी हां। रिक्त पदों को भरने के उपरान्त पद भरना सम्भव हो सकेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-227

(स्थगित)

राज्य सरकार पर कर्जे के ब्याज की अदायगी

228. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1 जनवरी, 1999 को राजस्थान सरकार पर भारत सरकार का व अन्य वित्तीय संस्थाओं का कितना कर्ज था, उक्त कर्जे के लिये कितना ब्याज देना बाध्यकारी था?

(2) 1 जनवरी, 2003 को राज्य सरकार पर भारत सरकार का व अन्य वित्तीय संस्थाओं का कितना कर्जा बढ़ा हुआ है व कितना ब्याज किस प्रकार से किस अवधि में देना पड़ रहा है?

(3) पूर्ववर्ती सरकार द्वारा छोड़े गये कर्ज को अपने घोषणा पत्र के अनुरूप कम करने के क्या प्रयास किये गये व उक्त प्रयासों में क्या सफलता मिली है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1999 को राजस्थान सरकार पर भारत सरकार व अन्य वित्तीय संस्थाओं का कुल 14579.27 करोड़ रुपये का ऋण शेष था। उक्त कर्जे के लिये माह दिसम्बर, 1998 तक कुल 729.00 करोड़ रुपये का ब्याज दिया गया।

(2) 1 जनवरी, 2003 को राज्य सरकार पर भारत सरकार व अन्य वित्तीय संस्थाओं का कुल 31267.44 करोड़ रुपये का कर्ज शेष था। इसी प्रकार वर्ष 2002–03 में 31 दिसम्बर, 2002 तक कुल 2124.07 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया गया। स्पष्टनीय है कि पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति पर शेष कुल ऋण भार पर ब्याज अगले वित्त वर्ष में देय होता है। इस प्रकार फलित ब्याज को दस समान मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। भारत सरकार व अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋणों पर शेष का विवरण निम्नानुसार है :

(वित्त मंत्री)

(राशि करोड़ों में)

स्त्रोत	1 जनवरी, 1999 को शेष	1 जनवरी, 2003 को शेष
अन्य वित्तीय संस्थाएं	4970.89	10573.64
भारत सरकार	9608.38	20693.80
योग	**14579.27**	**31267.44**

(3) कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की।

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमिहीनों को सामान्य भूमि आबंटन

229. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर के उपनिवेशन क्षेत्र में कृषि भूमि आबंटन का 50 प्रतिशत सामान्य श्रेणी में किया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि उपनिवेशन क्षेत्र में खाळे बनने के बाद प्रति वर्ष हजारों हेक्टेयर भूमि आबंटन हेतु उपलब्ध होती है? वर्तमान में कितनी कृषि भूमि सामान्य एवं विशेष आबंटन हेतु उपलब्ध है?

(3) क्या पूर्व में सामान्य आबंटन हेतु जो आवेदन प्राप्त हुए थे उनका निस्तारण हो गया है?

(4) क्या यह सही है कि जिस क्षेत्र में नहर व खाळे निर्माण के बाद भूमि कृषि योग्य घोषित की है उसी क्षेत्र में हजारों भूमिहीन काश्तकार कृषि भूमि की मांग कर रहे है?

(5) क्या सरकार उपनिवेशन क्षेत्र के भूमिहीनों से आवेदन पत्र लेकर सामान्य आबंटन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। वर्तमान में नीचे लिखे अनुसार भूमि सामान्य एवं विशेष व खुली बिक्री हेतु आबंटन के लिये उपलब्ध है :

आबंटन हेतु भूमि का वर्ग	उपलब्ध भूमि (हैक्टेयर में)
1. सामान्य आबंटन हेतु	85,884
2. विशेष आबंटन हेतु	1,28,787
3. खुली बिक्री	87,937
	3,02,608

(3) जी नहीं। निस्तारण का कार्य प्रगति पर है।

(4) जी हां।

(5) पूर्व में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के उपरान्त नये प्रार्थना पत्र लिये जायेंगे।

निजी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति में अनियमितता

230. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या निजी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को सरकार द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति में अनियमितताओं की शिकायत या संदेह प्रकट होने पर जिला कोटा में जांच कराई गई थी? यदि हां, तो क्या–क्या अनियमितताएं पाई गई? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण में कौन–कौन दोषी पाये गये उक्त के विरुद्ध क्या–क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त प्रकरण में जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा जांच करवाई गई थीं, जिसका परीक्षण विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। परीक्षण उपरान्त आगामी कार्यवाही की जायेगी।

(2) जांच कार्य प्रक्रियाधीन है अतः दोषी पाये जाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

जिला बांसवाड़ा की अपूर्ण सड़कें

231. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार सिमलवाड़ा से भैरूपछाड़ (मध्य प्रदेश सीमा) तक वाया कलिंजरा, अन्देश्वर, कुशलगढ़ सड़क निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त स्कीम हेतु कितनी राशि की स्वीकृत हुई है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क के कलिंजरा पुल से मध्य प्रदेश सीमा भैरूपछाड़ की सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा?

(3) क्या राज्य सरकार बांसवाड़ा, दाहोद मार्ग के कलिंजरा से मोना डूंगर राज्य मार्ग का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस मद से उक्त सड़क का डामरीकरण का कार्य कब पूरा हो जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त सड़क पूर्व में ही डामर सड़क है।

(2) जी नहीं। उक्त सड़क पूर्व में ही डामर सड़क है।

(3) जी नहीं। उक्त सड़क पूर्व में ही डामर सड़क है।

क्रमोन्नत विद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन

232. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 2002–03 में राज्य में कुल कितने प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

प्राथमिक से माध्यमिक तथा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं?

(2) क्या उक्त विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में अध्यापकों का पदस्थापन कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि बिना अध्यापकों के विद्यालयों के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम खराब रहेगा? यदि हां, तो उक्त के लिए कौन जिम्मेदार है?

(4) अब उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों पर अध्यापक कब तक लगा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) वर्ष 2002-03 में अब तक क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों का विवरण इस प्रकार है :

प्राथमिक से उच्च प्राथमिक	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक
930	400	376

(2) उक्त विद्यालयों में समानीकरण द्वारा एवं पूर्व में कार्यरत अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य की व्यवस्था की गई है। नव क्रमोन्नत विद्यालयों हेतु अध्यापकों के पद स्वीकृत होने पर अन्य पदों पर पदस्थापन सम्बन्धि कार्य किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं। क्योंकि इन नवक्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय में समानीकरण प्रक्रिया द्वारा एवं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।

(4) कार्मिक व वित्त विभाग द्वारा पद स्वीकृत कर नियुक्ति/पदोन्नति सम्बन्धि स्वीकृति मिलने पर रिक्त पदों पर अध्यापक लगाए जा सकेंगे।

शराब के ठेकों की बकाया राशि की वसूली

233. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में शराब के ठेकों की कुल कितनी राशि फरवरी, 2003 तक की बकाया है?

(2) उक्त बकायादारों में कौन–कौन ऐसे हैं जिनके पचास हजार या इससे अधिक की राशि कब से बकाया है?

(3) उक्त बकाया किन कारणों से चली आ रही है तथा इसकी वसूली के क्या उपाय किये जा रहे है?

उत्तर

(1) राज्य में शराब के ठेकेदारों में फरवरी, 2003 के अन्त तक राशि रुपये 166.36 करोड़ बकाया है।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) निविदादाताओं में निम्न कारणों से विभाग की राशि बकाया चल रही है :

(वित्त मंत्री)

1. धरोहर राशि एवं हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना बैकआउट होने से।
2. न्यायालय से स्थान आदेश प्राप्त कर लेने से ।
3. बाकीदारों के पास पर्याप्त सम्पत्ति नहीं होने से।
4. बाकीदारों की सम्पत्ति की नीलामी का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होने से।
5. बाकीदारों की सम्पत्तियां राज्य से बाहर होने के कारण।

राज्य सरकार द्वारा आम ब्याज माफी योजना 2002-03 प्रारम्भ की गई है। इससे कुछ वसूली होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त बाकीदारों की सम्पत्ति की नीलामी/कुर्की की कार्यवाही की जाकर बकाया राशि की वसूली की जाती है। इसके अतिरिक्त बाकीदारों से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के तहत प्रक्रिया अपनाकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(सूचना की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजगढ़ (चूरू) में अवाप्त भूमि का मुआवजा

234. श्री नन्दलाल पूनिया (सादूलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजगढ़ (चूरू) में सड़क हेतु काश्तकारों की कितनी भूमि अवाप्त की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त काश्तकारों को उक्त भूमि के मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) अब उक्त राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजगढ़ चूरू में सड़क हेतु काश्ताकारों की 728 बीघा 08 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई है। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" सलंग्न है।

(2) काश्तकारों को वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण आंशिक भुगतान किया गया है।

(3) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वर्ष 2003-2004 में भुगतान किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	सड़क का नाम	जारी किये गये अवार्ड का विवरण			अवार्ड के विरुद्ध जारी किये गये डी.डी. की रकम	डी.डी. से किया गया भुगतान राशि	डी.डी. में से बकाया भुगतान की राशि	
		दिनांक	राशि	भूमि बीघा बिसवा			संख्या काश्तकार	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	झुण से नांगल 0/0 से 8/0	18.02.1984	59325.00	42.03	59325.00	54000.00	3.00	5325.00
2.	राजगढ़ से सांखू सड़क 0/0 से 26/0	25.05.1985	113450.00	43.06	113450.00	102307.29	70.00	11142.71
3.	सिद्धमुख से सिवानी	25.06.1986	426200.00					
	सड़क 0/0 से 21/0	20.09.1986	13800.00	48.16	440000.00	430309.00	11.00	9691.00
4.	राजगढ़ से सिद्धमुख 18/0 से 35/0	27.07.1990	534282.38	105.16	534282.38	507379.38	18.00	26903.00
5.	चांद गाठी से भैंसली वाया मांवा 0/0 से 14/0	16.07.1994	251402.00	19.07	251402.00	225559.00	10.00	25843.00
6.	सम्पर्क सड़क मुहंद 0/0 से 6/500	16.07.1994	186087.00	23.07	186087.00	174727.00	18.00	11360.00
7.	राजगढ़ से सिद्धमुख 0/0 से 18/0	16.07.1994	723576.00	80.12	723576.00	685664.00	11.00	37912.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	धानोटी छोटी से गालड़ 0/0 से 9/0	01.06.1993	220932.00	22.16	220932.00	139368.00	30.00	81564.00
9.	सम्पर्क सड़क बीजावास 0/0 से 9/0	20.11.1993	82880.00	25.08	82880.00	65445.00	34.00	17435.00
10.	राजगढ़ से बहल 0/0 से 15/0	19.07.1990	273571.00	93.19	–	–	–	–
11.	राजगढ़ से बॉय 0/0 से 19/0	20.09.1986	150795.00	60.03	193750.00	193362.50	5.00	387.50
12.	राजगढ़ से बॉय 0/0 से 8/0	17.03.1982	42955.00	60.03	193750.00	193362.50	5.00	387.50
13.	नांगल बड़ी से धानोटी बड़ी	29.06.1999	230606.00	13.03	230606.00	102870.00	12.00	127736.00
14.	सम्पर्क सड़क लीलावाटी	31.07.2000	172125.00	5.08	–	–	–	–
15.	नौरंगापुर से ठिमाउ	28.08.2000	683530.00	25.08	683530.00	510445.00	6.00	173085.00
16.	सम्पर्क सड़क कलाना	04.10.2000	169365.00	17.13	–	–	–	–
17.	रामपुरा से राज्य सीमा तक ग्राम नांगल	04.10.2000	780048.00	12.09	–	–	–	–
18.	रामपुरा से बहल अपटु राज्य सीमा	04.10.2000	584031.00	10.15	–	–	–	–
19.	नेंशल सुलखनिया – नौरंगपुर सड़क	08.04.1999	476512.00	25.15	476512.00	340705.00	42.00	135807.00
20.	भैंसली से रामपुरा	28.12.1998	599757.00	24.05	599757.00	426672.00	6.00	173085.00
21.	लसैड़ी – सूरतपुरा	28.12.1998	260325.00	15.16	260325.00	245331.00	1.00	14994.00
22.	भाखरा बालान वाया खेरु बड़ी	28.12.1998	742481.00	20.03	410059.00	410059.00		
	योग		7778035.38	728.08	5466473.38	4614203.17	277.00	852270.21

विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में चिकित्साकर्मियों के रिक्त पद

235. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) :- क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में कितने चिकित्सकों के पद कहां-कहां पर कितने समय से क्यों रिक्त है?

(2) क्या यह सही है कि मलारना डूंगर में महिला चिकित्सक का पद गत तीन वर्षों से रिक्त है? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में नर्सिंग स्टाफ के कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं और अब कब तक भर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सकों के रिक्त पदों का संस्थानवार रिक्ति की अवधि एवं कारण सहित विवरण निम्नप्रकार है :

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
सामान्य	उप नियन्त्रक	1	5/2002
चिकित्सालय	कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	1	7/2002
सवाईमाधोपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियो)	1	5/2002
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	6/2002
	चिकित्सा अधिकारी	1	6/2002

उप नियन्त्रक, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं होने के कारण उक्त रिक्त पद भरे नहीं जा सके हैं। चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को निवेदन कर दिया गया है।

(2) जी हां। विभाग में महिला चिकित्सकों की भारी कमी होने के कारण मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा मलारना डूंगर में महिला चिकित्सा अधिकारी के पद पर डा. कैलाश मीणा चिकित्सा अधिकारी दिनांक 29.7.2002 से कार्यरत है।

(3) सवाईमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थाओं में नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों का संस्थानवार विवरण निम्नप्रकार है :

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या
सामान्य चिकित्सालय,	नर्सिंग अधीक्षक (प्रथम)	1
सवाईमाधोपुर	नर्सिंग अधीक्षक (द्वितीय)	3
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
	प्रसाविका	4
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुण्डेरा	नर्स श्रेणी (द्वितीय)	1
उप स्वास्थ्य केन्द्र, दुब्बी	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
उप स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीपुरा	प्रसाविका	1
उप स्वास्थ्य केन्द्र, मकसूदनपुरा	प्रसाविका	1

नर्सिंग अधीक्षक प्रथम एवं द्वितीय तथा महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति के बैठक आयोजित होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। नर्स श्रेणी द्वितीय एवं प्रसाविका के रिक्त पदों को संविधा के आधार पर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पुष्कर नगर में भांग के ठेके की स्वीकृति

236. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर नगर में भांग का ठेका दिया जाता रहा है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि पुष्कर नगर में चल रहे भांग के ठेके को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(3) क्या भांग के ठेके को बन्द कर देने के कारण स्मेक, चरस, अफीम की तस्करी पुष्कर नगर में हो रही है? यदि हां, तो भांग के ठेके को बन्द कर देने के पश्चात् इस अनैतिक कार्य में कितने प्रकरण दर्ज हुए? विगतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि भांग के ठेके को बन्द कर देने के बाद पुष्कर नगर की जनता विशेष कर नवयुवकों में चरस, स्मेक एवं अफीम खाने-पीने की आदत के कारण कई नवयुवकों की अकाल मौतें हो चुकी हैं? यदि हां, तो नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार स्मेक, चरस, अफीम के अनैतिक कारोबार को बन्द करने के लिए पुनः पुष्कर नगर में भांग का ठेका खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार पुष्कर में दिनांक 31.3.1986 तक की अवधि तक भांग का ठेका दिया गया था।

(2) जी हां। दिनांक 1.4.1986 से पुष्कर में भांग का ठेका नहीं दिया गया है। तत्समय लिये गये निर्णय के अन्तर्गत ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.4.1986 से पुष्कर में भांग का ठेका बन्द किया गया था।

(3) भांग के ठेके से स्मेक, चरस, अफीम की तस्करी का कोई सम्बन्ध नहीं है तथापि ऐसे प्रकरणों में दर्ज किए गए मामलों की सूची परिशिष्ट "अ" पर है।

(4) इस तरह की कोई सूचना आबकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(5) इस सम्बन्ध में राज्य की आबकारी नीति में राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिया जाता है। वर्तमान में इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के समक्ष ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

इन्दिरा गांधी नहर की मरम्मत

237. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर फीडर बुर्जी 500 से 631 एवं मुख्य नहर 0 से 100 बुर्जी के बीच तल टूटने से ध्वस्त होने के कगार पर है? क्या उक्त कारण सम्पूर्ण सिंचाई क्षेत्र के लिए निकट भविष्य में बड़े से बड़ा हादसा होने की सम्भावना है? यदि हां, तो क्या सरकार नहर तला की मरम्मत निकट भविष्य में कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। यह सही नहीं है कि इन्दिरा गांधी फीडर बुर्जी 500 से 631 एवं मुख्य नहर बुर्जी 0 से 100 तक तल टूटने से ध्वस्त होने के कगार पर है एवं इसके कारण निकट भविष्य में बड़ा हादसा होने की सम्भावना है। इन्दिरा गांधी फीडर बुर्जी 580 से 631 एवं मुख्य नहर बुर्जी 0 से 100 तक भराई में है। ऐसा अनुमान है कि उक्त रीच में रिसाव की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक है जिसके लिए विस्तृत जांच सैंट्रल वाटर एवं पावर रिसर्च स्टेशन, खड़क वासला, पुणे से किया जाना प्रस्तावित है। जांच में नहर की बन्दी मिलने पर नहर की सिल्ट आकलन उपरान्त विस्तृत जांच द्वारा यदि आवश्यक हुआ तो समुचित उपचार शीघ्र करवाया जावेगा। विवरण प्रपत्र "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है। लाइनिंग की वर्तमान अवस्था के दृष्टिगत भविष्य में किसी दुर्घटना की आशंका प्रतीत नहीं होती।

प्रपत्र "अ"

कार्यवाही विवरण

रिसाव रोकने के लिए विभाग द्वारा सैंट्रल वाटर एवं पावर रिसर्च स्टेशन, खडकवासला, पूणे को वर्ष 2001 में निवेदन किया गया था। अतिरिक्त निदेशक, सैंट्रल वाटर एवं पावर रिसर्च स्टेशन, पूणे ने दिसम्बर, 2001 में सूचित किया कि तलहटी की जांच हेतु साइड स्कैन सोनार सर्वे किया जाना है। इसके लिये नहर में जमा मिट्टी की गहराई का पता लगाना आवश्यक है, जो कि नहर बन्दी के दौरान ही किया जाना सम्भव होगा। सैंट्रल वाटर एवं पावर रिसर्च स्टेशन, पूणे ने पुन: दिनांक 3.1.2002 द्वारा इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के बैड में जमा सिल्ट की मोटाई का पता लगाने हेतु Dual frequency echo-sounder का उपयोग करने का सुझाव दिया एवं इन्दिरा गांधी मुख्य नहर का क्रोस सैक्शन विवरण सहित मांगा। नहर का क्रोस सैक्शन अधीक्षण अभियंता द्वारा सैंट्रल वाटर एवं पावर रिसर्च स्टेशन, पूणे को प्रस्तुत कर दिया गया। उक्त रिसर्च स्टेशन की टीम द्वारा साइट निरीक्षण के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। सैंट्रल वाटर एवं पावर रिसर्च स्टेशन, पूणे ने सोनार सर्वे से पूर्व नहर में सिल्ट डिपोजिट का आकलन करने हेतु लिखा था। नहर बैड में सिल्ट डिपाजिट का आकलन नहर बन्दी के दौरान ही सम्भव है जिसे इस वर्ष इन्दिरा गांधी नहर की प्रस्तावित बन्दी दिनांक 5.1.2003 से 20.1.2003 के दौरान किया जाना था। परन्तु यह नहर बन्दी नहीं होने के कारण नहर में सिल्ट डिपोजिट की मात्रा का आकलन नहीं किया जा सका, अत: सैंट्रल वाटर एवं पावर रिसर्च स्टेशन, पूणे की टीम द्वारा साइट निरीक्षण के पश्चात् एवं साइड स्केप सोनार सर्वे किये जाने के बाद प्राप्त परिणाम के अनुसार समुचित उपचार के उपाय किये जावेंगे।

खण्ड सोजत में विधायक कोष से मिसिंग सड़कों का निर्माण

238. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खण्ड सोजत के अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपखण्ड बर के सहायक अभियन्ता से कानूजा को आसन जिलेलाव में किलोमीटर 0/0 से 4/0 तक बगड़ी से कलालिया अपूर्ण मिसिंग रोड व ब्यावर से बलाड़ा के 1–5 किलोमीटर मिसिंग रोड के निर्माण के लिए स्थानीय विधायक विकास कोष की राशि का आबंटन कर सड़कों का डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए थे? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क मार्गों के तखमीना बनाए गए है? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या जिला कलक्टर पाली व अधिशासी अभियन्ता, पाली के निर्देशों की जानबूझकर पालना नहीं करने के गैर जिम्मेदार सहायक अभियंता के विरुद्ध

(श्री हीरासिंह चौहान)

सरकार ने क्या कोई कार्यवाही प्रस्तावित की है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) स्थानीय विधायक विकास कोष से विधायक रायपुर द्वारा वर्ष 1999 से 31 जनवरी, 2003 तक किस–किस सड़क मार्ग निर्माण के लिए कितनी–कितनी राशि दी गई तथा कितनी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त तीनों कार्यों के तखमीने बनाये गये।

(2) जी नहीं। अकाल राहत कार्यों की अधिकता के कारण कार्यों का तखमीना देरी से प्रस्तुत किया जिसके लिये सहायक अभियन्ता का स्पष्टीकरण मांगा गया था। अब तखमीने प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

(3) वर्ष 1999 से जनवरी, 2003 तक स्थानीय विधायक कोष से विधायक महोदय की अनुशंसा पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली द्वारा 13 कार्यों हेतु रुपये 62.07 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसके विरुद्ध रुपये 40.05 लाख प्राप्त हुये एवं रुपये 32.42 लाख व्यय किये गये एवं 7.63 लाख रुपये शेष हैं। कार्यवाही विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

प्रपत्र "अ"

विधायक कोष से विधायक रायपुर द्वारा वर्ष 1999 से 31 जनवरी, 2003 तक दी गई राशि

क्र.सं.	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	स्वीकृत राशि (लाखों रुपयों में)	ग्रामीण विकास अभिकरण से प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2000-01	बी.टी. सड़क निर्माण कार्य खीबल चौराया से सोजत जिला सीमा तक किमी 0/0 से 2/0 तक	2236-22 48 दिनांक 15.11.02	4.99	4.91	4.91	–	कार्य पूर्ण
2.	2000-01	डब्ल्यू बी.एम. सड़क निर्माण कार्य कानूजा से आसन जिलेलाव किमी 2/0 से 4/0	3197-32 08 दिनांक 3.3.01	4.38	3.86	3.87	–	कार्य पूर्ण देनदारियां बकाया
3.	2000-01	डब्ल्यू बी.एम. सड़क निर्माण कार्य कानूजा से आसन जिलेलाव किमी 0/0 से 2/0	3197-32 08 दिनांक 3.3.2001	4.68	3.74	3.75	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	2000–01	बी.टी. सड़क निर्माण कार्य खीवल चौराया से खीवल किमी 0/0 से 3/0	3245–32 56 दिनांक 12.3.2001	2.49	1.00	0.82	0.18	"
5.	2001–02	बी.टी. सड़क निर्माण कार्य ग्राम बर से मेगदड़ा सड़क किमी 0/0 से 3/500	2488 दिनांक 3.12.2001	9.97	7.98	7.49	0.49	कार्य पूर्ण
6.	2001–02	बी.टी. सड़क निर्माण कार्य कानूजा से आसन जिलेलाव किमी 4/0 से 6/225		9.97	3.99	3.19	0.84	कार्य पर वन विभाग से रोक
7.	2002–03	सम्पर्क सड़क निर्माण कार्य दीपावास रेलवे फाटक के पास से फूलेश्वर महादेव मन्दिर	73/दिनांक 10.4.2002	2.56	2.05	2.00	0.05	कार्य पूर्ण देनदारियां बकाया
8.	2002–03	आसन जिलेलाव छात की बेरी किमी 6 में नाले पर पुलिया निर्माण कार्य	73/दिनांक 10.4.2002	3.41	2.73	2.71	0.02	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	2002–03	झाला की चौकी सूरज कुण्ड पर पुलिया निर्माण कार्य किमी 5 पर	73/दिनांक 10.4.2002	4.33	3.86	3.70	0.16	"
10.	2002–03	बी.टी. सम्पर्क सड़क भैरू का नाका से झाला की चौकी कानूजा रोड किमी 8 (0/0 से 2/0)	73/दिनांक 10.4.2002	6.24	2.50	–	2.50	कार्य प्रगति पर
11.	2002–03	मेटल रोड निर्माण कार्य कानूजा से पचानपुरा किमी 0/0 से 5/500 तक वाया ग्राम कानूजा	1571/दिनांक 17.10.2002	2.74	1.10	0.01	1.09	"
12.	2002–03	बी.टी. निर्माण कार्य खेड़ा मामावास से गिरी सड़क किमी 2/0 से 3/500	1571/दिनांक 17.10.2002	3.38	1.35	0.01	1.34	"
13.	2002–03	बिलाड़ा देसूरी सड़क मार्ग पर किमी 14-15 अटपड़ा मुख्य गांव ड्रेनेज मरम्मत कार्य ग्राम अटपड़ा	2286/दिनांक 30.1.2003	2.45	0.98	–	0.98	निविदा हेतु कार्यवाही जारी है
		योग		**62.07**	**40.05**	**32.42**	**7.63**	

परिशिष्ट–2

(अतारांकित प्रश्न संख्या–286 के नियमों की प्रति)

परिशिष्ट "क"

(भारत के 31.12.97 के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड 1 में प्रकाशित)

संख्या 140 15/53/96 – अ.भा.से. (1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31.12.1997

अधिसूचना

सा.का.नि. 735 (अ) केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अधिनियम (2) के अनुसरण में तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1956 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 है।

(2) ये 1 जनवरी, 1998 से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :** इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "समिति" से भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 3 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(ख) "पदोन्नति विनियम" से भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 अभिप्रेत है ;

(ग) "भर्ती नियम" से भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 अभिप्रेत है; और

(घ) इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो इसमें परिभाषित नहीं है किन्तु जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में परिभाषित है वहीं अर्थ होगा तो क्रमशः उन नियमों और विनियमों में उनके लिए दिया गया है ;

3. भरी जाने वाली रिक्तियों का अवधारण : केन्द्रीय सरकार, सम्बन्ध राज्य सरकार से परामर्श करके इन विनियमों के अधीन प्रत्येक वर्ष भरी जाने वाली रिक्तियों का अवधारणा कर सकेगी। रिक्तियों की संख्या, उस वर्ष एक जनवरी को, यथाविद्यमान अधिष्ठायी रिक्तियों से, जिसमें चयन करने के लिए समिति की बैठक की जाती है, अधिक नहीं होगी।

4. राज्य सरकार द्वारा समिति के विचार के लिए प्रस्थापनाएं भेजना : (1) राज्य सरकार, ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित मामले पर, जो राज्य सिविल सेवा के नहीं हैं, किन्तु जो राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा है, विचार कर सकेगी :

(i) जिसमें उत्कृष्ट गुण और योग्यता हैं;

(ii) अधिष्ठायी हैसियत में राजपत्र पद धारण कर रहा है ; और

(iii) जिसने उस वर्ष की एक जनवरी को राज्य सरकार के अधीन निरन्तर कम से कम 8 वर्ष की सेवा नहीं की है, जिसमें किसी ऐसे पद के लिए समिति द्वारा उसके मामले पर विचार किया जा रहा है, जिसे राज्य सिविल सेवा द्वारा उप कलक्टर के पद के समतुल्य घोषित किया गया है और व्यक्ति को समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है, समिति के विचारार्थ भेजे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष के दौरान भरी जाने वाली प्रस्तावित रिक्तियों की संख्या के पांच गुने से अधिक नहीं होगी :

परन्तु राज्य सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति के मामले पर विचार नहीं करेगी, जिसने उस वर्ष एक जनवरी को, जिसमें समिति के विचारार्थ नाम भेजे जाने का विनिश्चय किया जाता है, 54 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है :

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति के मामले पर विचार नहीं करेगी जिसे किसी पूर्ववर्ती चयन सूची में सम्मिलित किया जा चुका है, किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा इन विनियमों के विनियम 9 के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया है।

5. समिति द्वारा उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना : समिति प्रत्येक वर्ष विनियम 4 के अधीन राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक बैठक करेगी और ऐसे व्यक्तियों के नामों की, सेवा में नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगी, जो विनियम 3 के अधीन भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक न हो। सेवा की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की उपयुक्तता का अवधारण, उसके सेवा अभिलेखों की समीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार करके किया जाएगा :

परन्तु जब तक समिति की कोई बैठक समायोजित नहीं की जाएगी और प्रश्नगत वर्ष के लिए कोई सूची तैयार नहीं की जाएगी जब, –

(क) जब भर्ती नियमों के नियम 9 के उपनियम (1) के परन्तुक के साथ पठित नियम 6 के उपनियम (2) के अधीन व्यक्तियों की भर्ती के लिए उपलब्ध पदों में उस वर्ष में एक जनवरी को यथाविद्यमान अधिष्ठायी रिक्तियां न हो ; या

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह विनिश्चय करती है कि भर्ती नियमों के नियम 9 के उपनियम (1) के परन्तुक के साथ पठित नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन भर्ती के लिए उपलब्ध पदों में उस वर्ष एक जनवरी को उस वर्ष के दौरान अधिष्ठायी रिक्तियां नहीं भरी जाएंगी।

(ग) आयोग या तो स्वयं या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव पर यह विचार करती है कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उस वर्ष के दौरान समिति की बैठक आयोजित करना व्यवहार नहीं है।

स्पष्टीकरण–संयुक्त काडर के मामले में राज्य सिविल सेवा वाले प्रत्येक घटक की ताबत एक पथक चयन सूची तैयार की जाएगी।

6. आयोग के साथ परामर्श : (1) विनियम 5 के अधीन समिति की सिफारिशें संबद्ध राज्य सरकार के समक्ष रखी जाएगी तो उन्हें आयोग के अनुमोदनार्थ निम्नलिखित के साथ अग्रेषित करेगी :

(i) संबद्ध अधिकारी का गोपनीय अभिलेख ; और

(ii) राज्य सरकार के संप्रेक्षरणों, यदि कोई हो, और समिति की सिफारिशें।

(2) राज्य सरकार, समिति की सिफारिशें और अपने संप्रेक्षण भी, यदि कोई हो, केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी। केन्द्रीय सरकार, समिति की सिफारिशों पर अपने संप्रेक्षण भी, यदि कोई हो, आयोग को अग्रेषित करेगी।

7. आयोग द्वारा चयन सूची का तैयार किया जाना : (1) आयोग, समिति द्वारा तैयार की गई सूची, केन्द्रीय सरकार और संबद्ध राज्य सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों पर किए गए संप्रेक्षणों पर विचार करेगा तथा उप विनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सूची का अनुद्रान करेगा, जिसे चयन सूची माना जाएगा।

(2) यदि आयोग, सूची में कोई संशोधन करना आवश्यक समझता है, तो वह केन्द्रीय सरकार और संबद्ध राज्य सरकार से परामर्श करेगा तथा केन्द्रीय सरकार और संबद्ध राज्य सरकार की टीका–टिप्पणी को, यदि कोई हो, ध्यान में रखते हुए, ऐसे संशोधनों के साथ, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित हो, सूची को अनुमोदित कर सकेगा।

8. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति : ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति, जो चयन सूची में सम्मिलित और सेवा में नियुक्त किए जाने के लिए इच्छुक है, केन्द्रीय सरकार द्वारा साठ दिन की अवधि के भीतर, उसी क्रम में की जाएगी जिसमें ऐसे व्यक्तियों के पास चयन सूची में है :

परन्तु ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति, जो चयन सूची में सम्मिलित है, भर्ती नियमों के नियम 8 के उपनियम (3) के खण्ड के अधीन किए गए करार के अनुसरण में और उसी क्रम में की जाएगी जिसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची के सुसंगत भाग में आए हैं :

परन्तु यह भी कि किसी चयन सूची अधिकारी की दशा में, जिसने सेवा में नियुक्ति के लिए अनइच्छा व्यक्त की है, उस चयन सूची से सेवा में नियुक्ति के लिए उसका कोई दावा तब तक नहीं होगा जब तक कि वह उस वर्ष की समाप्ति से पूर्व जिसमें चयन सूची को तैयार करने के लिए समिति की बैठक की जाती है या सेवा में नियुक्त किए जाने की अनइच्छा व्यक्त करने की सूचना देने वाले पत्र की तारीख से साठ दिन के भीतर, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, सेवा में नियुक्ति के लिए अपनी अनइच्छा व्यक्त करने वाले पूर्व अभिव्यक्ति को खण्डित करके राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को सूचित नहीं करता है।

9. कतिपय मामलों में नियुक्ति न करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति : केन्द्रीय सरकार, इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकेगी जिसका नाम चयन सूची में है, यदि उसकी राय में लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है :

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई विनिश्चय संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना और उसके लिए कारण लेखबद्ध किए बिना नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर
(अरविन्द वर्मा)
सचिव, भारत सरकार
(फा.सं. 140 15/53/96–अ.भा.से.–1)

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति दी गई है, उन सेवाओं की सूची

1. राजस्थान लेखा सेवा,
2. राजस्थान उद्योग सेवा,
3. राजस्थान सांख्यिकी सेवा, एवं
4. राजस्थान अभियान्त्रिकी सेवा (सार्वजनिक निर्माण विभाग)

परिशिष्ट–3

परिशिष्ट ''अ''

(अतारांकित प्रश्न संख्या–289 की क्रय सूची)

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर
वर्ष 1999–2000 में समितियों से दरी पट्टी खरीद

क्रमांक	नाम समिति	मात्रा	दर
1	2	3	4
1.	जय हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि. जयपुर	1,000 नग	78
2.	श्री नाथ हैण्डलूम वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि.	3,170 नग	78
3.	सरस हाथकर्घा वस्त्र उत्पा.सह. समिति लि. जयपुर	16,150 नग	78
4.	रेगिस्तान हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सह. स. लि. जयपुर	300 नग	78
5.	श्याम हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सह. स. लि. जयपुर	680 नग	78
6.	जसोता हा.क.वस्त्र उत्पा. सह. स. लि. जसोता (दौसा)	6,234 नग	78
7.	सपना बुनकर हा.क. वस्त्र उत्पा. सह. समिति लि. जयपुर	2,440 नग	78
8.	आदर्श टैक्सटाईल सहाकरी समिति लि. जयपुर	1,200 नग	78
9.	नील कण्ठ हा.क. वस्त्र उत्पा. सह. समिति लि. दौसा	4,600 नग	78
10.	शीतला माता हा. क. वस्त्र उत्पा. सह. समिति लि. चाकसू, जयुपर	2,180 नग	78
11.	श्री नाकोडा हा.क.व.उ.सहकारी समिति लि. केकड़ी, अजमेर	1,040 नग	78
12.	वसीम हा.क.व. उत्पा. सह. समिति लि. डीडवाना	29,400 नग	78
13.	वदनपुरा हा. क. व. उत्पा. सह. स. लि. जयपुर	3,200 नग	78
14.	अम्बेड़कर बुनकर हा. क. व. उत्पा. सह. स. लि. बाड़मेर	3,450 नग	78
15.	देवता हा. क. व. उत्पा. सह. स. लि. जयपुर	2,264 नग	78

1	2	3	4
16.	इन्दिरा गांधी हा. क. व. उत्पा. सह. स. लि. फतेहपुर, सीकर	3,000 नग	78
17.	खारिया हा. क. व. उत्पा. सह. स. लि. डीडवाना	32,117 नग	78
18.	साकेत हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सह. समिति लि. जयपुर	11,006 नग	78
19.	ग्रामीण हा. क. व. उत्पादन सहकारी समिति लि. जयपुर	2,620 नग	78
20.	मोकाला बुनकर हा. क. व. उत्पा. सह. स. लि. नागौर	30,520 नग	78
21.	सीकर हा.क.वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि. सीकर	500 नग	78
22.	चाकसू हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि. चाकसू, जयपुर	421 नग	78
23.	मोर्डन हा.क. वस्त्र उत्पा. सह. समिति लि. नैनवा, बून्दी	4,916 नग	78
24.	गरीब नवाज हा. क. व. उत्पा. सह. स. लि. टौंक	11,424 नग	78
25.	राजस्थान बुनकर हा. क. वस्त्र उत्पा. सह. स. लि. बीकानेर	2,000 नग	95
26.	कामेश्वर हा. क. व. उत्पा. सह. स. लि. जयपुर	659 नग	78
	कुल योग	**1,76,491 नग**	

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर
वर्ष 2000-2001 में समितियों से दरी पट्टी खरीद विवरण

क्रमांक 1	नाम समिति 2	मात्रा 3	दर 4
1.	सरस हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि. जयपुर	29090 नग	78
2.	मोकाला बुनकर वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि. नागौर	29325 नग	78
3.	साकेत हाथकर्घा वस्त्र उत्पा.सह. समिति लि. जयपुर	10790 नग	78
4.	देवता हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि. जयपुर	36650 नग	78
5.	चाकसू हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि. चाकसू, जयपुर	38326 नग	78
6.	वसीम हा. क. वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि. डीडवाना	40675 नग	78
7.	खारिया हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि. नागौर	41525 नग	78
8.	बनास हा. क. व. उत्पादक सह. समिति लि. टौंक	30650 नग	78
9.	धन्ना तलाई वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि. टौंक	27300 नग	78
10.	सिकन्दर हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि. टौंक	32225 नग	78
11.	गरीब नवाज हा. क. वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि. टौंक	32775 नग	78
12.	श्वेता हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि. जयपुर	1500 नग	78
13.	बद्रीश पोली काटन वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि. जयपुर	6250 नग	78
14.	संगम हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि. टौंक	33,000 नग	78
15.	आदर्श टैक्सटाइल सह. समिति लि. जयपुर	11051 नग	78

1	2	3	4
16.	जय हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सह. समिति लि. जयपुर	7298 नग	78
17.	राजस्थानी हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि. लूनियावास, जयपुर	5920 नग	78
18.	मोर्डन हा. क. वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि. नैनवां, बून्दी	15125 नग	78
19.	इन्दिरा गांधी हा. क. व. उत्पा. सहकारी समिति लि. फतेहपुर, सीकर	4292 नग	78
20.	अमित हा. क. वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि. केकड़ी, अजमेर	7375 नग	78
21.	नाकोड़ा हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि. केकड़ी, अजमेर	7,000 नग	78
22.	नील कण्ठ हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि. दौसा	2,000 नग	78
23.	कामेश्वर हाथकर्घा वस्त्र उत्पा. सहकारी समिति लि. जयपुर	810 नग	78
24.	हीदा की मोरी कोली सह. समिति लि. जयपुर	6250 नग	78
	कुल योग	4,57,202 नग	

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर

1. वर्ष 1999–2000 में 26 सहकारी सदस्य समितियों द्वारा दरी पट्टी आपूर्ति की
   1,74,491 नग दरी पट्टी दर 78/– से 1,36,10,298/–
   (वजन 670 ग्राम प्रति नग)
   2,000 नग दरी पट्टी दर 95/– से 1,90,000/–
   (वजन 800 ग्राम प्रति नग)
2. वर्ष 2000–2001 में 24 सहकारी सदस्य समितियों द्वारा दरी पट्टी आपूर्ति की
   457202 नग दरी पट्टी दर 78/– से 3,56,61,756/–
   (वजन 670 ग्राम)

परिशिष्ट–4

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–290 का विवरण)

राज्य में बंजर भूमि विकास योजना हेतु कम्पनी या व्यक्ति को किये गये भूमि आबंटन की सूचना

क्र.सं.	नाम जिला	कम्पनी	व्यक्ति	अन्य	आबंटित भूमि
1.	बाड़मेर	–	5	1	231.05 बीघा
2.	जालौर	5	2	–	2.12 हैक्टेयर
3.	भीलवाड़ा	–	–	1	185.02 बीघा
4.	बांसवाड़ा	–	4	–	22.60 एकड़
5.	झालावाड़	–	5	1	73.05 बीघा
6.	जैसलमेर	1	–	–	500.00 हैक्टेयर
7.	जयपुर	1	2371	–	13977.05 बीघा
8.	कोटा	–	338	–	995.26 हैक्टेयर

जिला जैसलमेर में कम्पनी को आबंटित 500 हैक्टेयर भूमि पर ग्रामवासियों का एतराज होने से कम्पनी को किया गया भूमि आबंटन निरस्त किया जा चुका है।

राज्य के शेष 25 जिलों में बंजर भूमि विकास योजना के तहत किसी कम्पनी या व्यक्ति को भूमि का आबंटन नहीं किया गया है।

परिशिष्ट "ब"

बंजड भूमि आबंटन हेतु जिन कम्पनियों ने मांग की, उनकी सूची

क्र.सं.	जिला	नाम कम्पनी	आबंटन हेतु आवेदित भूमि
1.	अलवर	जयपुर टेलकाम, 52, शापिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, जयपुर	
2.	बीकानेर	कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लि., श्रीगंगानगर	500 हैक्टेयर
3.	जयपुर	राजटेक प्लांटेशन प्रा. लि., जयपुर	120 बीघा
4.	जैसलमेर	मै. प्रतापराम स्पेशियल स्टील लि., जयपुर	500 हैक्टेयर
		मै. हर्षा एग्रोटेक लि., कलकत्ता	768 हैक्टेयर
		मै. आर.एस.बी. प्राजेक्ट लि., नई दिल्ली	500 हैक्टेयर
		मै. शेखावाटी प्लांटेशन प्रा.लि., जयपुर	440 हैक्टेयर

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या–293 का विवरण)

क्र. सं.	जिले का नाम	आबंटित व्यक्तियों की संख्या का विवरण	आबंटित की गई भूमि	सनद/कब्जा कितने व्यक्तियों को दिया का विवरण	नहीं देने का कारण
1.	जालौर	3024	4675.63 हैक्टेयर	285	112 आबंटी अकाल की वजह से गुजरात जाने व शेष 62 व्यक्तियों को नियम 1970 के उपनियम 14 (4) के तहत आबंटन निरस्त करने के कारण
2.	पाली	112	1687.78 एकड़	112	समस्त को
3.	जैसलमेर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	जोधपुर	272	511.52 एकड़	272/270	दो व्यक्तियों को भूमि विवादाग्रस्त होने से कब्जा सुपुर्द नहीं किया जा सका
5.	चूरू	3	17.00 बीघा	3	समस्त को
6.	बीकानेर	122	891.10 बीघा	122 को सनद दी	5 व्यक्तियों को न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सकता
7.	बाड़मेर	307	1259.01 एकड़	307 को सनद दी 183 को कब्जा दिया जा चुका।	13 व्यक्तियों द्वारा कपटपूर्ण तथा तथ्य छुपाकर गलत आबंटन कराये, पाये जाने के कारण आवेदन को निरस्त करवाने हेतु नियम 14 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा 111 आबंटियों को भूमि खनिज सम्भावित क्षेत्र में आने से कब्जा नहीं दिया गया
8.	नागौर	195	899.13 बीघा	195	समस्त

परिशिष्ट–1

परिशिष्ट –6

(अतारांकित प्रश्न संख्या–297 का विवरण)

कैनाल, भारवड़ा एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में चना, सरसों, जौ व गेहूं की अनुमानित बुआई का जिले एवं परियोजनावार विवरण

(क्षेत्रफल – हैक्टेयर)

जिला	क्र.सं.	नाम फसल	गंग कैनाल परियोजना	भाखड़ा परियोजना	इ.गा.न.प.	गैर परियोजना	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रीगंगानगर	1.	गेहूं	72100	14600	35050	–	121750
	2.	जौ	4400	3400	4000	–	11800
	3.	चना	20950	11500	22080	–	54530
	4.	सरसों	125650	29000	43000	–	197650
हनुमानगढ़	1.	गेहूं	–	115500	19500	–	135000
	2.	जौ	–	13400	3400	–	16800
	3.	चना	–	45400	7450	–	52850
	4.	सरसों	–	92000	11000	–	103000
चूरू	1.	गेहूं	–	–	–	12000	12000

1	2	3	4	5	6	7	8
	2.	जौ	–	–	–	4200	4200
	3.	चना	–	–	–	15400	15400
	4.	सरसों	–	–	–	10000	10000
बीकानेर	1.	गेहूं	–	–	8911	11250	20161
	2.	जौ	–	–	2100	20	2120
	3.	चना	–	–	59418	19790	79208
	4.	सरसों	–	–	18612	925	19537
जैसलमेर	1.	गेहूं	–	–	2562	2200	4762
	2.	जौ	–	–	627	0	627
	3.	चना	–	–	12272	100	12372
	4.	सरसों	–	–	7139	2190	9329
परियोजनावार योग	1.	गेहूं	72100	130100	66023	25450	293673
	2.	जौ	4400	16800	10127	4220	35547
	3.	चना	20950	56900	101220	35290	214360
	4.	सरसों	125650	121000	79751	13115	339516

परिशिष्ट–7

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–298 की जांच रिपोर्ट की प्रति)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, जालौर

क्रमांक/पीए/जांच/021 436 दिनांक 2.5.2002

प्रेषित : श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, जालौर

विषय : डा. जी. एल. नवल द्वारा कर्मचारी को थप्पड़ मारने की जांच के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक/स्था/2002/1710 दिनांक 2.5.2002

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त जांच करने हेतु मौके पर जिला क्षय निवारण कार्यालय में पहुंचे। मौके पर कार्यालय परिसर में डा. नवल उपस्थित मिले व काफी तादाद में कर्मचारीगण कार्यालय परिसर में सामने जाजम पर बैठे हुये पाये गये। कार्यालय का उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार कुल 22 कर्मचारीगण मय अधिकारी का स्टाफ इस कार्यालय में तैनात है, जिसमें से आज 16 कर्मचारी उपस्थित व 3 अवकाश में व 3 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पाये गये।

शिकायत के क्रम में डा. नवल ने अपने जवाब में बताया कि उसके द्वारा अगस्त 2002 को यह पद ग्रहण किया गया है। इस कार्यालय में स्टाफ में पूर्व से कार्यरत क्रर्मचारी श्री घनाराम, श्रीमती प्रेम परिहार, श्री भैंरूसिंह, श्री पप्पुराम, श्री शहजाद खां आदि ने उसके विरुद्ध सामुहिक रूप से मुहिम चला रखीं है क्योंकि उक्त कर्मचारियों के शिकायत प्रकरण उनके पास विचाराधीन है। आज दिनांक 2.5.2002 को जब श्री राजेन्द्रपुरी क.लि. को डिस्पैच करने हेतु दिये गये कागजात के बारे में पूछताछ की क्योंकि वह दो दिन से चाबी का बहाना बता कर डिस्पैच को टालते रहे है। पूछताछ करने पर रंजिशवश यह कहता हुआ मेरे कमरे से बाहर चला गया कि डा. ने मेरे थप्पड़ मार दी,

डा. जी. एल. नवल के बयान लिये गये अपने बयानों में बताया कि आज प्रातः 10 बजे श्री राजेन्द्रपुरी क. लि. हाजरी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करने आया वापस जाते वक्त मैंने उससे कहा कि आपके पास डिस्पैच का कार्य पिछले दो दिन से नहीं हो रहा है। अतः डिस्पैच में कागजात दर्ज कर प्रस्तुत करे। तब श्री पुरी ने डिस्पैच करने से मना किया व जोर से चिल्लाते हुये बाहर निकला कि डाक्टर साहब ने मेरे थप्पड़ मार दी है। कमरे से बाहर

निकल कर सामने बैठी श्रीमती प्रेमकुमारी परिहार के पास गये फिर दोनों मिलकर श्री हुकमाराम के पास गये, तब मैंने श्री हुकमाराम को बुलाकर कागजात निकाल कर देने को कहा तो श्री हुकमाराम ने मुझ से कहा कि श्री राजेन्द्रपुरी कह रहा है कि मुझे थप्पड़ मारी, तब मैंने हुकमाराम को कहा कि मैंने पुरी को सरकारी कार्य के लिये कहा, थप्पड़ आदि नहीं मारी है। पुरी झूठ बोल रहा है। श्री पुरी को बहका कर मेरे विरुद्ध षड़यन्त्र रच कर मुझे यहां से हटाना चाहते है। श्री पुरी के साथ थप्पड़ मारने की घटना बिलकुल मनघड़ंत एवं षडयंत्रपूर्वक की गई साजिश है।

श्री राजेन्द्रपुरी के बयान लिये गये। उसने बयान में बताया कि प्रातः 10 बजे आफिस आया तब डा. नवल ने मुझ से डिस्पैच रजिस्टर मंगाया, मैं डिस्पैच रजिस्टर लेकर उनके कक्ष में गया तब उन्होंने कहा कि डिस्पैच रजिस्टर में बीच में खाली नम्बर क्यों नहीं छोड़ते हो। मेरे द्वारा मना करने पर मुझे डा. नवल द्वारा मां–बहन की गालियां दी गई व अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया व मेरे थप्पड़ मार दिया और उसके बाद डा. नवल ने मुझे धक्का दिया व कहा कि किसी को कहना हो तो कह दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे पूर्व भी दो बार और मेरे साथ अभद्रपूर्वक व्यवहार कर चुके है परन्तु विभाग की बदनामी व डा. नवल द्वारा धमकाये जाने के कारण उच्चाधिकारियों को इसकी शिकायत नहीं की। डा. नवल द्वारा मुझे मानसिक रूप से डरा कर प्रताड़ित पिछले एक साल से किया जा रहा है जिसके कारण मैं मानसिक तनाव में रहता हूं।

सर्व श्री हुकमाराम, पप्पुराम, जसराज, देवाराम, ललिता प्रसाद, पैलाराम, भैरूंसिंह, गोविन्द सिंह, राजेन्द्र सिंह, श्याम सुन्दर, थानवी, लोकेश शर्मा, श्रीमती प्रेम परिहार, जोधाराम, सोहन पवार व रमजान खां के बयानात लिये गये। जिसमें श्री ललिता प्रसाद ने अपने बयान में बताया कि श्री पुरी व डा. नवल के जोर–जोर से बोलने की आवाज आने पर वह बाहर आया तब डा. नवल द्वारा थप्पड़ मारी गई जिससे पुरी के माथे पर लाल निशान बन गया। श्री जोधाराम ने अपने बयान में बताया कि श्री पुरी व डा. नवल के जोर से बोलने की आवाज आने पर वो जब कमरे से बाहर आया तो देखा कि डा. नवल ने श्री पुरी को एक जोर से थप्पड़ मारी है। श्री सोहन पवार ने थप्पड़ मारते आंखों से देखा अपने बयान में बताया। श्री रमजान खां ने अपने बयान में बताया कि श्री पुरी को जब डा. नवल द्वारा थप्पड़ मारी गई तब वह सामने खड़ा था। श्री जमशेद अहमद ने भी अपने बयान में बताया कि डा. नवल व पुरी जोर से बोलने की आवाज पर जब वह बाहर आया व डा. नवल के कमरे के आगे खड़ा रह कर देखा तो डा. नवल ने पुरी को एक थप्पड़ मारी। श्री लोकेश शर्मा अपने

बयान में बताते है कि यह थप्पड़ मारने की आवाज सुनना बताया। शेष गवाहान ने थप्पड़ मारने की बात श्री पुरी द्वारा कही गई बताया। गाली गलोच व अभद्रतापूर्व व्यवहार करना सभी गवाहान ने अपने बयान में बताया व श्री जसराज ने वर्ष 1982–83 में डा. नवल चिकित्साधिकारी माण्डवला के पद पर तैनात थे उस वक्त भी गाली गलोच करना व अभद्र व्यवहार करना बताया।

इस प्रकार डा. नवल अपने बयान एवं जवाब में उक्त कार्यवाही षड्यंत्र पूर्ण होना बताया जबकि श्री ललिता प्रसाद, श्री जोधाराम, श्री सोहन पवार, श्री रमजान खां एवं श्री जमशेद अहमद द्वारा दिये गये बयानों से डा. नवल द्वारा कनिष्ठ लिपिक श्री राजेन्द्रपुरी के थप्पड़ मारा जाने की घटना का होना पाया जाता है। शेष गवाहान द्वारा श्री राजेन्द्र के कथनानुसार थप्पड़ मारने की बात कही है। डा. नवल द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार की बात करीब–करीब सभी गवाओं ने बताया है।

जांच प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह०/–

उप खण्ड अधिकारी

जालौर

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-301 का विवरण)

राज्य में पाए गए एवं राज्य के बाहर से आए एड्स रोगियों का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	एड्स रोगियों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	32
2.	अलवर	25
3.	बांसवाड़ा	3
4.	बारां	3
5.	भरतपुर	8
6.	भीलवाड़ा	14
7.	बीकानेर	14
8.	बून्दी	5
9.	चित्तौड़गढ़	4
10.	चूरू	13
11.	धौलपुर	7
12.	डूंगरपुर	11
13.	जयपुर	145
14.	जालौर	2
15.	झुंझुनूं	38
16.	जोधपुर	5
17.	करौली	9
18.	कोटा	19
19.	नागौर	49

1	2	3
20.	पाली	14
21.	राजसमन्द	10
22.	सीकर	88
23.	सिरोही	11
24.	सवाईमाधोपुर	9
25.	टौंक	8
26.	उदयपुर	41
27.	हनुमानगढ़	3
28.	दौसा	7
29.	उत्तर प्रदेश	8
30.	गुजरात	2
31.	हरियाणा	24
32.	मध्य प्रदेश	4
33.	महाराष्ट्र	1
34.	दिल्ली	1
35.	असम	1
36.	पंजाब	2
37.	अन्य	9
	कुल	649

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-304 का विवरण)

खारची विधान सभा क्षेत्र में सड़क सुदृढ़ीकरण व उन्नयन योजना के द्वितीय चरण में (बोर्ड को आबंटित)
वर्ष 2002-03 में स्वीकृत सड़कों एवं व्यय का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाख रुपये)	सम्भावित व्यय (लाख रुपये)	बचत राशि (लाख रुपये)	फरवरी, 2003 तक व्यय (लाखों रुपये)	प्रगति विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	स.स. नाडोल से घेनरी कि.मी. 10/0 से 17/0	7.00	7.00	17.50	13.86	3.64	11.67	डामरीकरण कार्य पूर्ण
2.	स.स. निम्बाऊ पाचेटिया खिवाड़ा रोड कि.मी. 5/0 से 13/0, 19/0 से 23/0	12.00	–	30.00	24.83	5.17	0.14	पेच कार्य प्रगति पर है
3.	स.स. खिवाड़ा से बागोल रोड कि.मी. 14/0 से 21/0 (0/0 खिवाड़ा)	7.00	7.00	17.50	12.78	4.72	10.29	डामरीकरण कार्य पूर्ण है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	सिवास से धानेरी पिलोवनी रोड (खिवाड़ा से सोमेसर रोड) कि.मी. 0/0 से 3/0	3.00	3.00	7.50	6.24	1.26	5.48	डामरीकरण कार्य पूर्ण है
5.	स.स. खिवाड़ा गजनीपुरा कि.मी. 0/0 से 4/0 (वोगत खिवाड़ा धानिया)	4.00	–	10.00	8.00	2.00	–	पेच कार्य प्रगति पर है
6.	खैरन से कामली घाट धामली फाटा से गुढ़ा मौखमसिंह कि.मी. 17/800 से 26/0 करमाल से कामलीघाट कि.मी. 36/0 से 43/0 (ओ.डी.आर.)	15.20	–	38.00	27.20	10.80	–	पेच कार्य प्रगति पर है
7.	स.स. बिलाड़ा देसूरी रोड कि.मी. 10/0 से 12/0 (0/0 फुलाद) (एम.डी.आर.)	10.00	–	25.00	19.69	5.41	–	पेच कार्य प्रगति पर है
	योग	58.20	17.00	145.50	112.50	33.00	27.58	

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी. में)	भौतिक प्रगति (कि.मी. में)	व्यय (लाखों में)	बचत (लाखों में)	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1. वर्ष 2001-2002							
1.	नया गांव से कोट सड़क	7.50	3.0	3.0	5.10	2.40	कार्य पूर्ण
2.	बागोल से खिंवाड़ा सड़क किमी. 15/0 से 17/0	5.00	2.0	1.50	2.76	2.24	कार्य पूर्ण
3.	कोट से दिवेर सड़क किमी. 3/0 से 5/0	5.00	2.0	2.0	3.19	1.81	कार्य पूर्ण
4.	सोमेसर से खिंवाडा सड़क किमी. 15/0 से 18/0	7.50	3.0	2.75	5.36	2.14	कार्य पूर्ण
5.	नोडोल से घेनड़ी सड़क किमी. 8/0 से 10/0	5.00	2.0	1.85	2.75	2.25	कार्य पूर्ण
6.	गुढ़ा ठाकुरजी से सिवाल किमी. 0/0 से 3/0	7.50	3.0	3.00	6.18	1.32	कार्य पूर्ण
7.	सम्पर्क सड़क डायलाना कलां किमी. 0/0 से 2/0	4.00	2.0	2.00	3.68	0.32	कार्य पूर्ण
8.	सम्पर्क सड़क कालर बाइपास किमी. 0/0 से 1/0	2.00	1.0	0.60	1.37	0.63	कार्य पूर्ण
9.	आउवा से बांता वाया कराड़ी किमी. 13/0 से 16/0	6.00	3.0	3.00	4.82	1.18	कार्य पूर्ण
10.	ए.आर. से भगोड़ा विलेज किमी. 0/0 से 2/0	4.00	2.00	1.47	2.29	1.71	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	ए.आर. से खारची किमी. 0/0 से 2/0	4.00	2.00	1.10	1.99	2.01	कार्य पूर्ण
12.	ए.आर. से इसाली वाया जानूदा किमी. 0/0 से 2/0	5.00	2.0	1.69	2.60	2.40	कार्य पूर्ण
13.	गुढ़ा मोखमसिंह से गुडाकेशर सिंह किमी. 0/0 से 3/0	7.50	3.0	2.25	3.55	3.95	कार्य पूर्ण
14.	ए.आर. से मलियावास खुर्द किमी. 0/0. से 0/550	1.50	0.55	0.55	1.09	0.41	कार्य पूर्ण
15.	ए.आर. से फुलाद किमी. 0/0 से 7/0	5.00	2.00	0.83	5.62	2.38	कार्य पूर्ण
16.	बासनी से जोजावर किमी. 0/0 से 2/0	5.00	2.00	1.25	2.32	2.68	कार्य पूर्ण
17.	मारवाड़ जंक्शन से भगवानपुरा किमी. 0/0 से 3/0	7.50	3.00	3.00	5.86	1.64	कार्य पूर्ण
18.	ए.आर. से गुढ़ासुरसिंह किमी. 0/0 से 1/0	2.50	1.00	0.82	1.29	1.21	कार्य पूर्ण
19.	माण्डा से राणावास वाया ठाकरवास किमी. 5/0 से 10/0	10.00	5.00	5.00	9.35	0.65	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	ए.आर. राणावास से राणावास स्टेशन किमी. 0/0 से 0/650	1.50	0.65	–	–	1.50	पानी की निकासी की समस्या के कारण कार्य नहीं करवाया गया
21.	नागा की बेरी मारवाड़ रेलवे फाटक से हेमलियावास किमी. 17/500 से 20/500	10.00	3.0	3.0	6.02	3.98	कार्य पूर्ण
22.	धामली फाटक से गुढ़ा मोखमसिंह किमी. 12/0 से 18/0	22.00	7.80	7.80	13.39	8.61	कार्य पूर्ण
23.	खारची चौराहे से बाडसा किमी. 12/0 से 18/0	12.00	6.00	6.00	10.34	1.66	कार्य पूर्ण
	योग	**150.00**	**60.00**	**54.46**	**100.92**	**49.08**	

परिशिष्ट–10

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–323 के आदेश की प्रति)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-द्वितीय) नागौर

क्रमांक : शिविना/माध्य/निजी/2001 दिनांक 03.07.2001

प्रेषित :
प्रधानाचार्य,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
डेह (नागौर)।

श्री केदारनाथ जोशी वरिष्ठ लिपिक को इस कार्यालय के संस्थापन शाखा के कार्य सम्पादन हेतु तुरन्त कार्यमुक्त कर भिजवाने की व्यवस्था करावें।

ह०/–
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय नागौर)

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या–328 का विवरण)

जालौर जिले के माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत संस्था प्रधानों की सूचना (पंचायत समितिवार)

क्र.सं.	नाम विद्यालय	नाम विद्यालय कार्यरत प्रधानाध्यापक का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	रामावि, रायपुरिया	–	रिक्त पद
2.	रामावि, डूडसी	श्री कमल सिंह	–
3.	रामावि, साकरणा	श्री प्रभूराम गहलोत	–
4.	रामावि, सांथू	–	रिक्त पद
5.	रामावि, देव्रावास	श्री प्रभूदान राव	–
6.	रामावि, नून	श्री मुन्नीलाल भट्ट	–
7.	रामावि, सिवणा	श्री रामस्वरूप खुराना	–
8.	रामावि, बिबलसर	श्री भैराराम (कार्यग्रहण नहीं)	–
9.	रामावि, बादनवाड़ी	श्री दीनदयाल ठाकुर	–
10.	रामावि, आकोली	–	रिक्त पद

1	2	3	4
11.	रामावि, भावाजून	–	रिक्त पद
12.	रामावि, निम्बला	–	रिक्त पद
13.	रामावि, शंखवाली	–	रिक्त पद
14.	रामावि, पावटा	–	रिक्त पद
15.	रामावि, पादरली	–	रिक्त पद
16.	रामावि, घाणा	श्री मोहन लाल लोहार	–
17.	रामावि, थावला	श्री मोहन लाल बोहरा	–
18.	रामावि, कवराड़ा	–	रिक्त पद
19.	रामावि, नोसरा	श्री भगवती प्रसाद	–
20.	रामावि, रायथल	श्री जयकरण (कार्य ग्रहण नहीं)	–
21.	रामावि, नोरवा	–	रिक्त पद
22.	रामावि, रामा	श्री मोहन लाल सोनी	–
23.	रामावि, दयालपुरा	श्री परबत सिंह पंवार	–
24.	रामावि, बाला	श्री रामसिंह	–
25.	रामावि, उम्मेदपुर	–	पद स्वीकृत नहीं
26.	रामावि, ऊण	–	पद स्वीकृत नहीं

1	2	3	4
27.	बामावि, हरजी	श्रीमती सरस्वती माहेश्वरी	–
28.	रामावि, बाकरा गांव	श्री नरपत सिंह	–
29.	रामावि, रेवतड़ा	–	रिक्त पद
30.	रामावि, तीखी	–	रिक्त पद
31.	रामावि, केशवना	श्री मीठालाल चौहान	–
32.	रामावि, थलवाड़	–	रिक्त पद
33.	रामावि, बालवाड़ा	श्री मालाराम मोसलपुरिया	–
34.	रामावि, सांगाणा	–	रिक्त पद
35.	रामावि, मेंगलवा	–	पद स्वीकृत नहीं
36.	बामावि, सायला	श्रीमती पारस जैन	–
37.	रामावि, धानसा	श्री चन्दन सिंह	–
38.	रामावि, मोदरान	श्री रामस्वरूप सिंह	–
39.	रामावि, पावली	–	रिक्त पद
40.	रामावि, मुड़तरासिली	–	रिक्त पद
41.	रामावि, तातोल	–	रिक्त पद
42.	रामावि, राजीकावास	श्री कपूराराम	–

1	2	3	4
43.	रामावि, पूरण	–	पद स्वीकृत नहीं
44.	रामावि, जूनीबाली	–	रिक्त पद
45.	रामावि, सेवड़ी	श्री जयप्रकाश यादव	–
46.	रामावि, भालनी	–	पद स्वीकृत नहीं
47.	रामावि, नरता	श्री लादूराम विश्नोई	–
48.	रामावि, रंगाला	–	रिक्त पद
49.	रामावि, धुम्बड़िया	–	रिक्त पद
50.	रामावि, कोरा	श्री दलपत सिंह	–
51.	रामावि, बोरटा	श्री दलपतराम चौधरी	–
52.	रामावि, थोबाउ	श्री भभूताराम चौधरी	–
53.	रामावि, मोरसीम	–	पद स्वीकृत नहीं
54.	रामावि, सीकवाड़ा	–	पद स्वीकृत नहीं
55.	बामावि, दासपा	श्रीमती सुलोचना देवी	–
56.	रामावि, रोपसी	श्री नगेन्द्र सिंह देव (कार्य नहीं)	–
57.	रामावि, करड़ा	श्री मोहन लाल सुथार	–
58.	रामावि, कोडका	श्री रावलाराम	–
59.	रामावि, जाखड़ी	–	रिक्त पद

1	2	3	4
60.	रामावि, करवाड़ा	श्री जोगाराम सुथार	–
61.	रामावि, पुर	–	रिक्त पद
62.	रामावि, सांकड़	श्री भंवर सिंह	–
63.	रामावि, वरपवा	–	रिक्त पद
64.	रामावि, लियादरा	श्री नरांगाराम सारण	–
65.	रामावि, केरिया	श्री हुसैन खान	–
66.	रामावि, अरणाय	श्री राणाराम	–
67.	रामावि, करोला	–	रिक्त पद
68.	रामावि, रणोदर	श्री किशनलाल	–
69.	रामावि, पांचला	–	रिक्त पद
70.	रामावि, सरनाउ	–	रिक्त पद
71.	रामावि, सरवाना	–	रिक्त पद
72.	रामावि, केसरी	–	रिक्त पद
73.	रामावि, रेबारियों का गोलिया	श्री मनजीराम औदिच्य	–
74.	रामावि, देवड़ा	–	पद स्वीकृत नहीं
75.	रामावि, डेडवा	–	पद स्वीकृत नहीं
76.	बामावि, धमाना का गोलिया	–	पद स्वीकृत नहीं

परिशिष्ट–12

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–330 का विवरण)

- सेम से ग्रस्त क्षेत्र का नहरवार/चकवार विवरण

क्र.सं.	नहर का नाम	चक का नाम	कुल सी.सी.ए. हैक्टेयर में	सेमग्रस्त क्षेत्र हैक्टेयर में
1	2	3	4	5
1.	रावतसर ब्रांच	2RWB	251.87	12.90
2.	रावतसर ब्रांच	3RWB	83.30	7.34
3.	रावतसर ब्रांच	4RWB	122.56	19.99
4.	डबली माइनर	2DBLK	105.20	19.20
5.	डबली माइनर	3DBLK	128.82	23.78
6.	डबली माइनर	5DBLK	162.08	53.38
7.	डबली माइनर	6DBLK	49.69	16.19
8.	डबली माइनर	12DBLK	184.76	7.34
9.	डबली माइनर	13DBLK	106.34	41.75
10.	रावतसर वितरिका	29RWD	109.52	30.11
11.	रावतसर वितरिका	30RWD	135.64	2.53
12.	रावतसर वितरिका	31RWD	181.37	16.70
13.	रावतसर वितरिका	34RWD	106.69	13.66
14.	कनवानी माइनर	11KM	98.52	2.28
15.	कनवनी माइनर	13KM	79.88	5.82
16.	कनवनी माइनर	14KM	182.43	15.94
17.	बूरहानपुरा माइनर	5BRN	132.74	63.00
18.	सरदारपुरा माइनर	7SPM	177.74	13.92
19.	सरदारपुरा माइनर	9SPM	181.74	38.46
20.	सरदारपुरा माइनर	10SPM	75.76	19.48
21.	आनन्दगढ़ वितरिका	10AGT	133.96	2.78

1	2	3	4	5
22.	भौमपुरा माइनर	3BPM	201.49	1.52
23.	भौमपुरा माइनर	13BPM	230.02	14.17
24.	भौमपुरा माइनर	14BPM	158.64	29.10
25.	भौमपुरा माइनर	15BPM	135.98	1.52
26.	भौमपुरा सब माइनर	6BPSM	136.38	19.23
27.	भौमपुरा सब माइनर	7BPSM	118.98	3.79
28.	मिर्जावाली माइनर	2MZW	148.52	19.73
29.	मिर्जावली माइनर	3MZW	92.03	20.49
30.	मीर्जावनी माइनर	5MZW	222.46	18.72
31.	मीर्जावली माइनर	6MZW	166.33	6.84
32.	आनन्द माइनर	8AM	176.78	23.02
33.	आनन्द माइनर	11AM	69.20	12.14
34.	आनन्द सब माइनर	1ASM	88.49	7.59
35.	चाईया माइनर	4CVM	256.67	6.07
36.	खेतेवाली वितरिका	3KWD	213.28	21.00
37.	खेतेवाली वितरिका	12KWD	208.42	10.37
38.	खेतेवाली वितरिका	13KWD (A)	97.98	22.52
39.	खेतेवाली वितरिका	13KWD(B)	69.20	36.43
40.	खेतेवाली वितरिका	15KWD	173.82	11.13
41.	खेतेवाली माइनर	1KWM	98.75	18.98
42.	मोधे मोधे इगामुन	RD-24(L)	200.07	6.07
43.	मोधे मोधे इगामुन	RD-34(L)	77.40	1.77
44.	मोधे मोधे इगामुन	RD-41(L)	408.49	16.45
45.	मोधे मोधे इगामुन	RD-91(L)	356.39	26.82
46.	मोधे मोधे इगामुन	RD-52-53(L)	219.04	1.26
47.	मोधे मोधे इगामुन	RD-55-56(L)	320.22	8.60

1	2	3	4	5
48.	दासुवाली वितरिका	3DWD	90.25	6.32
49.	दासुवाली वितरिका	11DWD	112.10	17.46
50.	दासुवाली वितरिका	13DWD	156.21	44.27
51.	दासुवाली वितरिका	15DWD	147.31	23.02
52.	दासुवाली वितरिका	17DWD	128.69	14.93
53.	दासुवाली वितरिका	18DWD	144.07	12.90
54.	रावतसर सब माइनर	1RWSM	94.85	16.44
55.	रावतसर सब माइनर	2RWSM	104.00	33.65
56.	रावतसर सब माइनर	3RWSM	97.94	29.85
57.	दासुवाली सब माइनर	1DWSM	92.27	24.04
58.	दासुवाली सब माइनर	2DWSM	206.80	38.96
59.	दासुवाली सब माइनर	3DWSM	125.46	28.08
60.	अमरपुरा माइनर	1-2APM	165.93	17.71
61.	खेदासरी वितरिका	4KHD	121.00	4.30
62.	खेदासरी वितिरका	5KHD	167.55	18.47
63.	नोगजा माइनर	2NGM	138.29	14.42
	कुल		**9528.61**	**1134.00**

परिशिष्ट 'अ'

सेमग्रस्त क्षेत्र का चकवार विवरण

खण्ड का नाम : सिंचाई खण्ड सूरतगढ़

क्र.सं.	चक का नाम	कुल सी.सी.ए. हैक्टयर में	सेमग्रस्त क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	सूरतगढ़ शाखा		
	1. डी.ओ. 37.500 (एल)	104.0	21.24
	2. डी.ओ. 91.250 (एल)	180.0	26.80
	3. डी.ओ. 94.000 (एल)	263.0	17.20
	4. डी.ओ. 57.000 (एल)	229.0	4.80
2.	जोरावरपुरा लिंक वितरिका		
	1. 11 जैड. डब्ल्यू. डी.	173.0	167.93
	2. 12 जैड. डब्ल्यू. डी.	152.0	97.62
	3. 13 जैड. डब्ल्यू. डी.	152.0	69.04
	4. 14 जैड. डब्ल्यू. डी.	138.0	84.97
	5. 15 जैड. डब्ल्यू. डी.	156.0	120.13
	6. 16 जैड. डब्ल्यू. डी.	119.0	110.01
	7. 17 जैड. डब्ल्यू. डी.	169.0	151.74
	8. 18 जैड. डब्ल्यू. डी	183.0	177.03
3.	लबाना माइनर		
	1. 3 एल.बी. (एम)	186.0	110.01
	2. 4 एल.बी. (एम)	189.68	189.68
4.	बडोपल वितरिका		
	1. 1 बी.आर.पी.	118.0	26.30
	2. 1 बी.आर.पी.ए.	194.0	10.62

1	2	3	4
	3. 3 बी.आर.पी.बी.	140.0	3.79
	4. 4 बी.आर.पी.ए.	155.0	99.38
	5. 4 बी.आर.पी.बी.	170.0	120.12
	6. 5 बी.आर.पी.ए.	143.0	142.63
	7. 5 बी.आर.पी.बी.	152.0	151.74
	8. 6 बी.आर.पी.	323.43	323.43
5.	**न्यू माइनर**		
	1. 2 एन.एम.	152.0	14.92
6.	**जोरावरपुरा वितरिका**		
	1. 3 जैड.डब्ल्यू.डी.	98.0	92.81
	2. 4 जैड.डब्ल्यू.डी.	166.0	121.14
	3. 5 जैड.डब्ल्यू.डी.	171.0	164.89
	4. 6 जैड.डब्ल्यू.डी.ए.	92.0	84.97
	5. 6 जैड.डब्ल्यू.डी.बी.	106.0	85.48
	6. 7 जैड.डब्ल्यू.डी.	114.05	114.05
	7. 8 जैड.डब्ल्यू.डी.	175.0	162.11
	8. 9 जैड.डब्ल्यू.डी.	163.0	138.58
	9. 10 जैड.डब्ल्यू.डी.	184.0	96.86
7.	**कुम्हारवाली माइनर**		
	1. 2 कें.एच.बी.एम.	195.0	42.74
8.	**कलालावाली माइनर**		
	1. 1 के.ए.एल.एम.	166.0	123.67
	2. 2 के.ए.एल.एम.	182.0	59.94
	3. 3 के.ए.एल.एम.	143.0	131.50

1	2	3	4
9.	सरदारपुरा वितरिका		
	1. 1 एस.पी.डी.	165.0	97.11
	2. 2 एस.पी.डी.	153.0	57.41
	3. 4 एस.पी.डी.ए.	172.0	66.76
	4. 4 एस.पी.डी.बी.	194.0	3.54
	5. 5 एस.पी.डी.ए.	133.0	11.38
	6. 6 एस.पी.डी.बी.	104.0	34.14
	7. 6 एस.पी.डी.ए.	126.0	60.95
	8. 12 एस.पी.डी.	199.0	11.12
	9. 13 एस.पी.डी.ए.	160.0	40.46
	10. 13 एस.पी.डी.बी.	144.0	45.01
	11. 16 एस.पी.डी.	95.0	43.50
	12. 16 एस.पी.डी.ए.	81.0	3.54
	13. 17 एस.पी.डी.	173.0	31.61
	14. 19 एस.पी.डी.	179.0	50.07
	15. 20 एस.पी.डी.	153.0	25.04
10.	भौंरुसरी माइनर		
	1. 3 बी.एच.एम.	302.0	48.55
	2. 4 बी.एच.एम.	139.0	37.42
	3. 5 बी.एच.एम.	130.0	59.93
	कुल योग	8728.16	4387.41 हैक्टेयर

परिशिष्ट–13

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–333 की अधिसूचना)

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ. 11(136) आरएण्डपी/सकवि/2001/10999 जयपुर दिनांक 19.3.2001

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली सुविधाओं का उचित लाभ दिये जाने हेतु विचार करने के लिए राज्य सरकार एतद्द्वारा "राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग" का गठन करती है।

यह आयोग राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में जाना जायेगा और यह राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का निष्पादन करेगा।

आयोग की संरचना :

आयोग में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत निम्न सदस्य होंगे :

1. आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व एक सदस्य होगा।
2. आयोग का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष दोनों में से कोई एक पद पर स्वच्छकार वर्ग का व्यक्ति होगा।
3. शेष दो सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति व एक अनुसूचित जनजाति का होगा।
4. सदस्यों का मनोनयन ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से किया जावेगा, जिन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा में योगदान दिया है।

अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें :

1. आयोग का प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
2. कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को अपना लिखित त्याग पत्र देकर अपनी सदस्यता त्याग सकता है।
3. राज्य सरकार इस आयोग के सदस्य को निम्न परिस्थितियों में पदमुक्त कर सकेगी :

   अ. कानूनी रूप से दिवालिया घोषित होने पर।

   ब. किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक आचरण का दोषी पाये जाने पर।

स. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल करार दिये जाने पर।

द. कार्य करने से मना करने अथवा कार्य करने के अयोग्य होने पर।

य. राज्य सरकार की राय में अपने पद का दुरुपयोग करने के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों अथवा जनहित में पद पर बने रहने के अनुपयुक्त होने पर, परन्तु ऐसे मामलों में सदस्य की सदस्यता बिना उसे सुनवाई का मौका दिये समाप्त नहीं की जा सकेगी।

र. आयोग के सदस्य का पद रिक्त होने पर राज्य सरकार द्वारा भरा जावेगा।

आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी :

1. राज्य सरकार द्वारा आयोग को एक सचिव एवं ऐसे अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करवाये जावेंगे जो आयोग के कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हो। आयोग के लिए स्टाफ की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जावेगी।
2. आयोग के प्रयोजनार्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते और सेवा की शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जावेगी।

वेतन भत्तों का भुगतान :

1. आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन व भत्ते राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्धारित किये जावेंगे।
2. आयोग के सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन–भत्तों के भुगतान के लिये आवश्यक धनराशि का बजट में प्रावधान किया जावेगा।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना :

1. आयोग जब कभी आवश्यक हो राज्य में ऐसे स्थान व समय पर बैठक करेगा, जैसा अध्यक्ष उचित समझें।
2. आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वयं निर्धारित करेगा।

कार्य एवं शक्तियां :

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग राज्य की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के समाधान का कार्य सम्पादित करेगा। आयोग इन वर्गों के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं की मानीटरिंग करेगा तथा उत्थान के कार्यक्रमों को देखेगा।

ह०/–

ओ. पी. मीणा

शासन सचिव

परिशिष्ट–14

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–338 की सूची)

जिला नागौर में स्थित संस्कृत पाठशालाओं की सूची

क्र. सं.	पंचायत समिति	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्रवेशिका	वरिष्ठ उपाध्याय
1	2	3	4	5	6
1.	डीडवाना	1. शेरानी की ढाणी 2. पावूपुरा (मालियों की ढाणी) 3. सैंसड़ा 4. डीड़वाना 5. डाबरा		1. डीडवाना	1. सैंसड़ा
2.	लाडनूं	6. भिण्डसरों की ढाणी 7. पीपल नाड़ी की ढाणी 8. जसवन्तगढ़	1. लाडनूं		
3.	कुचामन सिटी	9. भांवरा 10. जसनगर हरिजन बस्ती	2. खाण्डल कोठी वार्ड नं. 11 बर्डस रोड पिछड़ी जाति की बस्ती 3. जीलिया	2. भंवरपुरा	
4.	नागौर	11. करणजियाराम की झौंपड़ी 12. देउ अहीर की ढाणी	4. ताऊसर	–	–

1	2	3	4	5	6
		13. नागौर (कन्या)			
		14. तातवास, सोननगर			
5.	मूण्डवा	15. अचीना			
		16. ग्राम पंचौड़ी (ब्राह्मण की ढाणी)			
		17. जैतपुरा (विजयनगर रूण)			
		18. पूनियों की ढाणी			
6.	जायल	19. जायल			
		20. नूरियावास छाजोली			
7.	परबतसर	21. पीह बख्तावरपुरा			
		22. बाजावास			
8.	मकराना	23. मंगलपुरा			
9.	डेगाना	24. सामरियों की ढाणी जालसू खुर्द	5. कायम खानियों की ढाणी	3.मौगास	–
		25. जाखड़ों की ढाणी			
		26. वढ़ेसरा की ढाणी			
		27. मौगास			
10.	रियां बड़ी	28. थांपला			
11.	मेड़ता	29. डांगावास	6. लाम्बा जाटान	–	–
		30. मेड़ता सिटी (गांधीनगर)			